ग्रामीण भारत में सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता के बदलते प्रतिमान

(झाँसी जनपद के छः चुने हुए गाँवों पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी
में पी-एच० डी० (समाजशास्त्र) उपाधि हेतु
प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

निर्देशिका :
डॉ० (श्रीमती) संध्या कुमारी
समाजशास्त्र विभाग
आर्य कन्या पी०जी० कॉलेज
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी (उ०प्र०)

शोधकर्ता :
श्रीराम चौहान
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी (उ०प्र०)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी (उ०प्र०) 2008

आर्य कन्या पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

डॉ (श्रीमती) संध्या कुमारी
एम.ए.,पी–एच.डी.

समाज शास्त्र विभाग
आर्य कन्या पी.जी. कालेज,
सीपरी बाजार, झाँसी (उ.प्र.)

CERTIFICATE

This is to certify that **Shri Ram Chauhan** has completed this research work under my supervision and guidance. The facts collected, analysis made and conclusions arrived at are the handiwork of the researcher himself. This piece of research work is an original contribution of the candidate.

The thesis fulfils the requirements of the ordinances of Bundel Khand University, framed there in for the award of the degree of Ph.D. in Sociology.

The thesis is forwarded for evaluation.

Date :25-02-2008

Dr.(Smt.) Sandhya Kumari
(Supervisor)

आमुख

आमुख

वर्तमान अध्ययन ग्रामीण स्तरीकरण के बदलते प्रतिमानों से सम्बन्धित है। यह अध्ययन क्षेत्रीय परिदृश्य पर आधारित है जो स्तरीकरण के अनेक तथ्यों से सम्बन्धित है। किसी भी समाज के संरचनात्मक विश्लेषण में सामाजिक स्तरीकरण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामाजिक स्तरीकरण ही वह क्षेत्र हैं जहाँ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का जन्म होता है तथा उनमें बदलाव आता है। समाज में सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण, सत्ता का हस्तानान्तरण, आर्थिक सुविधायें आदि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लातीं हैं। सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन समाजशास्त्रीय विश्लेषण का कए मुख्य क्षेत्र है।

पहले के जो अध्ययन समाजशास्त्रीय स्तरीकरण के बदलते प्रतिमानों पर किये गये हैं वे गाँव, समुदाय के सम्पूर्ण अध्ययन पर आधारित थे। इसमें ग्रामीण समाज के किसी विशेष व्यवस्था या उप–व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया था। ग्रामीण समाज का संरचनात्मक विश्लेषण करने वाले अध्ययनों में अनेक कमियाँ थीं। हाँलाकि 'एफ.जी.बेली' (F.G. Bailey, caste and the Economic Frontier) आन्द्रे बेताई (caste, class and Power) मुखर्जी (The Dynamics of Rural Society) और डॉ. योगेन्द्र सिंह आदि ने ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का स्तरीय अध्ययन किये हैं।

वर्तमान अध्ययन परम्परागत ग्रामीण स्तरीकरण के बदलते प्रतिमानों के कुछ चुनीं हुई प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है। ये प्रक्रियायें इस लिए आवश्यक है क्योंकि इनके द्वारा स्तरीकरण के बदलते स्वरूप की जानकारी हो जातीं है। जाति, वर्ग आदि की श्रेणियाँ एक प्रकार की उप–व्यवस्थायें

हैं और इन्हें इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से जाना जाता है। पिछले कुछ दशकों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन उच्च जातियों के घटती सत्ता और प्रभाव से सम्बन्धित है। गाँव में जब भी कोई निम्न जाति का व्यक्ति धन, सत्ता प्राप्त कर लेता है तो वह उच्च जाति की प्रस्थिति पानें के लिए लालायित हो जाता है। ये संस्कृतिकरण के फलस्वरूप होता है।

हमने अपने इस अध्ययन में चुने हुए छः गाँवों के सामजिक स्तरीकरण में संरचना और प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। हमारा अध्ययन तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों रहा है। एक तरफ़ हमने गाँवों में सामाजिक प्रस्थिति, वर्ग, जाति-संरचना और सत्ता संरचना में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी की है, दूसरी तरफ हमने ये भी देखने का प्रयास किया है कि इन क्षेत्रों में जो परिवर्तन हो रहा है उनकी दिशा क्या है?

यह अध्ययन कुल नौ अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में सामाजिक स्तरीकरण के सैद्धान्तिक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है और इस सम्बन्ध में समकालीन समाजशास्त्रियों के विचारों को भी स्थान दिया गया है। अध्याय दो में सामुदायिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अध्ययन किये गये छः गाँवों के परिवारों का संरचनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्याय तीन अध्ययन-विधि से सम्बन्धित है। इसमें शोध-अभिकल्प, अध्ययन के उद्देश्य, निर्देशन तथ्य-संकलन की प्रविधियों का वर्णन किया गया है। अध्याय चार में जाति-संरचना और सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों का विश्लेषण किया गया है। अध्याय पाँच ग्रामीण वर्ग-संरचना और स्तरीकरण से सम्बन्धित है। अध्याय छः सामाजिक गतिशीलता और

स्तरीकरण के आपसी सम्बन्धों की व्याख्या करता है। अध्याय सात ग्रामीण स्तरीकरण के प्रस्थिति व्यवस्था का विश्लेषणात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है। अध्याय आठ स्तरीकरण और शक्ति–संरचना के अनेक पक्षों का विश्लेषण करता है। अध्याय नौ में इस अध्ययन के सारांश और उपलब्धियों का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है।

यह अध्ययन समाजशास्त्रीय उत्सुकता का फल है। इस अध्ययन की कुछ सीमाएं हो सकती है जिसके प्रति शोधकर्ता अधिक सचेत है। परन्तु यदि यह शोध कार्य कुछ वर्णनात्मक परिकल्पनाओं को भविष्य के शोध के लिये आधार प्रस्तुत कर सकें तो शोधकर्ता अपने आपको पुरस्कृत समझेगा। एक अनुसंधानकर्ता के लिए पुरस्कार के क्षण उस समय आते है, जब उसे यह अवसर मिलता है कि वह अपने उन गुरूजनों के प्रति आभार प्रकट करें जो इस शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिये है।

मैं सर्व प्रथम अपने शोध निर्देशिका **डॉ0 (श्रीमती) संध्या कुमारी**, समाजशास्त्र विभाग, आर्यकन्या पोस्ट कालेज, झाँसी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने इस शोध कार्य को साकार रूप देने में सहायता की है।

मैं **डॉ0 पी0के0 सिंह**, अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग : राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिनके बहुमूल्य सुझावों ने इस शोध कार्य को स्तरीय बनाने में दिशा दी।

मैं अपने पूज्नीय श्रद्धेय 'बाबू जी' एवं माता (श्रीमती) दमयन्ती देवी तथा पिता श्री रामप्यारे चौहान के प्रति ह्रदय से नतमस्तक हूँ जिनके द्वारा दिये गये असीम प्यार और उत्साह के फलस्वरूप यह शोध कार्य साकार रूप ले सका।

श्रीराम चौहान

दिनांक : 15.02.2008 **(श्रीराम चौहान)**

विषय-सूची

विषय – सूची

अध्याय–एक

प्रस्तावना

प्रस्तावना

ग्रामीण भारत में सामाजिक स्तरीकरण का बदलता स्वरूपः–

"सामाजिक स्तरीकरण एक सामाजिक तथ्य है, जो मानव समाज में असमानता सम्बन्धित समस्याओं की व्याख्या करता है।[1] अनेक मानव समाज में सामाजिक स्तरीकरण समाज के संरचना, प्रक्रियायें, इसके ऐतिहासिक और वर्तमान आधारों के विशेषताओं की व्याख्या करता है सामाजिक स्तरीकरण की संरचना में अनेक प्रकार की शक्तियों एवं कारक एक साथ मिलकर प्रभाव डालते है इसमें वैचारिकी, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति, प्रौधोगिकी, आर्थिक विकास आदि कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। ग्रामीण भारत में "जाति–प्रारूप" पर विचार व्यक्त किये गये है। जातियों सामाजिक संरचना और प्रक्रिया की ओरा संकेत करती है कि तथा एक सांस्कृतिक विशेषतायें है। ग्रामीण भारत में जाति–वर्ग का एक मिश्रित रूप देखने को मिलता है और इस मिलन में एक प्रकार की निरन्तरता और परिवर्तन देखा जा रहा है। ग्रामीण जाति–वर्ग के द्धन्दात्मक स्वरूप और इसके अनेक स्तर भी बदल रहें है। जाति–संरचना में जाति गतिशील अनेक स्तरों पर देखीं जा रहीं है। इस गतिशीलता को हम व्यक्ति, परिवार, समूह के स्तर पर देख रहें हैं। गतिशीलता का अर्थ केवल रेखीय गतिशीलता से नहीं है जिसमें व्यक्ति, परिवार, समूह उपर की ओर बढ़ते है बल्कि कुछ क्षेत्रों में जाति–वर्गो में नीचे की ओर बढ़ने की उन्मुखता देखीं जा सकती है।

1. M. Haralambos and R. Heald, Sociology Themes and Perspectives" oxford university press, 1980.

स्तरीकरण में व्यक्तियों और समूहों का अनेक आधारां पर मूल्यांकन करके उनको श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, ये विभाजन सामाजिक मूल्यों पर आधारित कुछ अनुभावों के आधार पर होता है। **(बेकर एण्ड बासकॉफ)**[1] कहीं-कही स्तरीय के अन्तर्गत केवल एक आधार को लेकर व्यक्तियों को श्रेणिगत किया जाता है। उदाहरण के लिए आयु, लिंग, भौतिक शक्ति, सम्पत्ति, परिवार की परिस्थिति आदि। परन्तु इस प्रकार का स्तरीकरण साधारण समाजों में पाया जाता है। मानव में जबसे जागरूकता आयी है तबसे वह समतावादी समाज की कल्पना करता रहा है और एक ऐसा समाज के निर्माण का स्वप्न देखता है, जिसमें सब सदस्य समान हों, ऐसे समाजों में प्रतिष्ठा के आधार पर श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता सहै समाज में न कोई उच्च होगा न कोई निम्न होगा, सबके पास बराबर सम्पत्ति होगी और जनता के हाथ में शक्ति एक वास्तविकता के रूप में होगी।

परन्तु इस प्रकार के समाज का निर्माण केवल स्वप्न में हीं हो सकता है। यर्थाथ रूप में सम्भव नहीं है क्योंकि संसार में जितने मानव समाज है, साधारण से जटिल समाज तक में किसी न किसी प्रकार की सामाजिक असमानता पायी जाती है ऐसे समाजों में सत्ता और सम्मान असमान रूप से व्यक्तियों और समूहों के बीच उनको एकता और गुणों के आधार पर प्रदान किया जाता है। पूँजीवादी समाजों में धन का वितरण असमान रूप से पाया जाता है।

सत्ता का अर्थ है व्यक्ति अथवा समूह अपनी इच्छाओं को किस रूप में किसी दूसरें पर लादतें हैं। आदर और सम्मान (Prestige) आदर समाज में

---

1. Backer & Bascoff- "Modern S ociological theory in continuity and change." Wintson, New York, 1957

अनेक सामजिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है और व्यक्तियों के गुणों और जीवन शैली के आधार पर प्रदान किया जाता है। 'धन' का अर्थ है भैतिक स्वामित्व जिसे समाज में मूल्यवांन माना जाता है। इसके अन्तर्गत भूमि, पशुधन, आवास, पैसा और अन्य प्रकार की सम्पत्तियाँ आती है जो व्यक्ति अथवा समूह अपनें पास रखते है।

सामाजिक असमानता और सामाजिक स्तरीकरण में अन्तरः-

सामाजिक असमानता और सामाजिक स्तरीकरण में अन्तर है। 'सामाजिक आधार पर निर्मित असमानता /सामाजिक स्तरीय सामाजिक असमानता का एक विशेष स्वरूप है। इसके अन्तर्गत कुछ सामाजिक समूह होतें हैं जो श्रेणीबद्ध तरीके से एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। ये श्रेणिबद्धता, सत्ता, आदर और सम्मान धन आदि के आधार पर होता है।

इस प्रकार के समूह अथवा संस्तरण में समान उद्देश्य और समान पहचान होती है जिसके प्रति लोग जागरूक होते है। इनकी जीवन शैली भी समान होती है जो अन्य संस्तरण से भिन्न होतें हैं।

जाति–व्यवस्था पर आधारित भारतीय समाज इन्हीं विशेषताओं की ओर इंगित करता है। भारतीय समाज वर्ण–व्यवस्था में विभाजित था धीरे–धीरे अन्य जातियों में विभक्त हो गया। जाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण अनेक सामाजिक समूहों का संस्तरीत रूप है। एक प्रकार के संस्तरण के लोगो में समान पहचान समान जीवन शैली होती है। इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक असमानता का एक स्वरूप है। ऐसा नहीं हो सकता है कि समाज में सामाजिक असमानता हो और सामाजिक संस्तरण न पाया जाय।

---

1. M. Harlambos and R.Heald, "Social Themes and Perspercepectives" oxford. University press, New Delhi 1980

जटिल समाजों में सामाजिक स्तरीकरण अनेक आधारों पर पाया जाता सहै। और इसमें अनेक प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक समूह भी मिलते हैं। इन्हीं को समाजशास्त्रीयों ने "सामाजिक संस्तरण" कहा है। इसी के अनेक प्रकारों को सामाजिक वर्ग, जाति, जागीरदारी आदि की संज्ञा दी गयी है। इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण अनेक समूहों का श्रेणीबद्ध तरीके से विभाजन है। सामाजिक समूह उच्च और निम्न श्रेणियों में विभक्त किये जाते है। (Social stratification is sysem of ranking of groups that are exclusive and exhaustive in nature) समूहों का उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजन श्रेष्ठता और निम्नता के आधार पर किया जाता है। स्तरीकरण के प्रतिमानों की विभिन्नता समाज में श्रेणियों के विभाजन के नियमों और अनेक लोगों के बीच अन्तः क्रिया के ढंगो तथा संस्तरण के खुले या बंद स्वरूप पर निर्भर करता है। इकाइयों के बीच उच्च और निम्न श्रेणियों में सम्बन्ध कुछ सामाजिक प्रतिमानों पर आधारित होतें है। इनकों हिम 'सामाजिक सम्बन्ध' कहतें है।

"पारसंस ने सामज में सामाजिक सम्बन्धों को प्रतिमानित तथा व्यवस्थित करनें की व्यवस्था को स्तरीकरण कहा है।"

(Patterning nad auditing of social relation is stratification system of society).

समाजशास्त्रियों ने अनेक विशेषताओं के आधार पर स्तीकरण के सिद्धान्तों को विकसित किसा है। इन समाजों में समानता और विभिन्नता दोनों है। जैसा कि मार्क्सवादी और प्रकार्यवादी सिद्धान्तों में हम पातें है।

---

1. Nadel Fundamentals of social Anthropalogy Kohen, West London 1996
2. Talcott parsons An analylical Approach, social Theory and Stratification, The free press 1944.

Andre Betoi सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों की पहचान करना एक जटिल समस्या है क्योंकि उन जटिल प्रक्रियाओं का पता लगाना कठिन हो जाता है। जो किसी समाज के स्तरीकरण के व्यवस्था को बदलते है। क्योंकि इनमें वैचारिकी की समस्यायें पायी जाती है। इन प्रक्रियाओं की पहचान संघर्ष, सहयोग, सामूहिक चेतना आदि है, जो किसी स्तरीत संस्तरण में पाया जाता है।

भारत में जब हम सामाजिक स्तरीकरण के बदलतें प्रतिमानों का विश्लेषण करने का प्रयास करते है तो ये कार्य कुछ चुनी हुई प्रक्रियाओं के माध्यम से करतें है। केवल जाति, वर्ग, पूँजीवाद, समाजवाद आदि के आधार पर स्तरीकरण का विश्लेषण करना न्यायोचित नहीं लगता क्योंकि ये सब व्यवस्थायें समाज के 'परिस्थितियों की व्यवस्था' से सम्बन्धित है स्तरीकण के प्रक्रियाओं से नहीं मार्क्सवादी और प्रकार्यवादी उपागमजो स्तरीकरण का विश्लेषण करता है उसमें कुछ त्रुटियाँ पायी जाती है।

ग्रामीण भारत के सामाजिक स्तरीकरण के बदलते प्रतिमानों पर योगेन्द्र सिंह के विचार :-

योगेन्द्र सिंह का कहना है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण के बदलतें प्रतिमानों के अध्ययन के लिए कुछ चुनी हुई प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। जैसे कि जाति, वर्ग, पूँजीवादी, समाजवाद क्योंकि ये स्तरीकरण के अनेक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित है। कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियायें जिनके माध्यम से सामाजिक स्तरीकरण में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है निम्नलिखित है:-

1. Andre Beteille Social inequality, Penguin Books Londan, 1969

(क) स्तरीकरण का खुला या बन्द स्वरूप :–

इसकी जानकारी सामाजिक परिवर्तन के गतिशीलता के आधार पर होता है। साथ ही साथ सत्ता, व्यावसायिक गतिशीलता स्तरीकरण के प्रतिमानों को प्रभावित करतें है। सामाजिक संरचना में विशेषीकरण के फलस्वरूप परिवर्तन आते हैं।

(ख) अनेक समाजों के प्रतिस्पर्धा संघर्ष और सहयोग भी स्तरीकरण के स्वरूप को प्रभावित करतें है। इसके नाते वर्ग, संघर्ष, जाति, तनाव और जाति समूह गुटबन्दी आदि का निर्माण होता है। जिसके माध्यम से लोग आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को हथियाने का प्रयास करते हैं।

सामाजिक स्तरीकरण के खुल या बन्द स्वरूप का सूचक सामाजिक गतिशीलता होती है। जब यह गतिशीलता संस्थागत हो जाती है तब स्तरीकरण में परिवर्तन आता है। जातियों में जाति–व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण में गतिशीलता का अभाव था परन्तु इसमें अब इसमें धीरे–धीरे खुलापन आ रहा है। जातियों में प्रवास, सम्पत्ति, सत्ता शक्ति के आधार पर स्तरीकरण की रूपरेखा निर्धारित होती है। ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था भी स्तरीकरण का आधार है।

प्रो0 श्री निवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता का विश्लेषण किया है। इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुसरण करके उनके सामाजिक स्तरीकरण में होनो वाले परिवर्तनों की मनोवृत्तियों को निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है–

1. गांव और क्षेत्र के स्तर पर सामाजिक गतिशीलता का स्वरूप रेखीय है,

और कुछ उच्च जातियों में इस गतिशीलता का स्वरूप एक विपरित दिशा में देखा जाता है, गाँवों में मध्यम जातियों का प्रभाव बढ़ गया है।

2. राष्ट्रीय स्तर पर आज भी उच्च जातियाँ सत्ता और आर्थिक क्षेत्र में प्रभावशाली है। भारत में इन्हें सत्ता अभिजात वर्ग कहा जाता है।
3. भारत में सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप में समानता नहीं है। क्षेत्रीय और स्थानीय आधारों पर इनमें भिन्नता पायी जाती है। पिछले 50 वर्षो में जो नियोजित और आर्थिक विकास हुए है, नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ है, इनके फलस्वरूप सामाजिक असमानताओं में कुछ कमी आयी है।
4. आज भी भारतीय गाँवों में जाति के आधार पर परिवारों और व्यक्तियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का मापन होता है।

धीरे-धीरे उच्च और निम्न जातियों के दवन्द्वात्मक उपागम के फलस्वरूप आर्थिक और राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए जाति समूह या दबाव समूहों का निर्माण हुआ है। **आई0पी0देसाई** 'ने व्यावसायिक गतिशीलता पर जो अध्ययन किया है वो मार्क्स के प्रारूप पर आधारित है। मार्क्स के प्रारूप के आधार पर स्तरीकरण का अध्ययन **सेठ** और **टनखा**' ने किया है। इन लोगों का अध्ययन गाँवों में भूमि परिवर्तन और कृषकों के विभेदीकरण के आधार पर किया है। इन लोगों का कहना है कि गाँवों में वर्ग विभेदीकरण का विश्लेषण मार्क्स के प्रारूप के आधार पर नहीं किया जा सकता। वास्तविकता यह है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण के बदलतें प्रतिमानों का अध्ययन कुछ चुनी हुयी प्रक्रियाओं के आधार पर ही किया जा सकता है न कि. स्तरीकरण के परम्परागत आधारों पर जैसे जाति, वर्ग,

पूँजीवाद, समाजवाद, राजशाही आदि आधारों पर महत्वपूर्ण प्रक्रियायें जो समाज में सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन में सहायक होतीं है। उनमें से कुछ निम्नलिखित है–

1. गाँवों में स्तरीकरण का खुला अथवा बन्द रूप गतिशीलता के आधार पर सामाजिक परिस्थितियों में किस प्रकार होता, ये गाँवों क्षेत्र और राष्ट्र के आधार पर किस रूप में पाया जाता है।
2. गाँवों में सामाजिक संस्तरण में समानता असमानता के आधार पर समाजिक परिस्थितियों में कितना विभेदीकरण है। सामाजिका समूहों में सत्ता किसा रूप में केन्द्रित है? साथ ही साथ सामाजिक संरचना में व्यवसायिक गतिशीलता किस मात्रा में पायी जाती है।
3. गाँवों में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहयोग अनेक संस्तरण के लोगों में किस रूप में किस रूप में पाया जाता है! और इसको नाते वर्ग–संघर्ष जाति तनाव केसे उभर रहे हैं, लोग गाँवों मे जाति समूह कैसे बना रहें है। और गुटबन्दी के आधार पर किस प्रकार आर्थिक संसाधन और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की चेष्ठा कर रहे हैं।

सामाजिक स्तरीकरण कहाँ तक खुला अथवा बन्द है? इसका मुख्य सूचक क्या है? यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि प्रत्येक संस्तरण में कहां तक गतिशीलता पायी जाती है, गतिशीलता के अनेक कारक संस्थागत है। परम्परागत रूप से भारत में स्तरीकरण के प्रतिमान जाति–व्यवस्था पर आधारित थे और इसमें सामाजिक परिस्थिति में गतिशीलता के अधिक अवसर नहीं थे। क्योंकि जातियों के व्यवसाय निश्चित थे। थोड़ा बहुत जो गतिशीलता के अवसर थे, उसके अन्तर्गत जातियाँ प्रवास करके

किसी दूर के क्षेत्र में चली जाती थी, और जातियों में लोगों को अपना सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के निए धन एकत्र करना पड़ता था या सत्ता को हथियाना पड़ता था।

वर्ण–व्यवस्था के संस्तरण में जातियों की परिस्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थी। केवल कुछ बाहरी प्रभावों के फलस्वरूप जातियों के परिस्थिति में परिवर्तन सम्भव था। (सिल्वर वर्ग, 1956, कोहान 1961, 1964) भारत के परम्परागत स्तरीकरण के प्रतिमानों में गतिशीलता बहुत कुछ आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित थी।

जब अंग्रेज भारत में आये, उस समय सामाजिक गतिशीलता का स्वरूप बदलता और धीरे–धीरे निम्न जातियों में अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊँचा उठाने के लिए इच्छा जागृत हुयी। इसी को सर्वप्रथम श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के प्रक्रिया के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया के माध्यम से निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुसरण करके उच्च जातियों के अनुष्ठानों, वैचारिकी, खान–पान की आदतों तथा जीवन शैली को अपनाया। यहाँ तक कि इसके अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में निम्न जातियों ने उच्च जातियों के नामों को धारण करना आरम्भ कर दिया। उच्च जातियों में गतिशीलता की प्रक्रिया पश्चिमीकरण के माध्यम से आरम्भ हुयी। इसके अन्तर्गत उच्च जातियाँ पश्चिमी देशों के प्रभाव के फलस्वरूप सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी मूल्यों एवं भूमिकाओं का अपनाने लगे। (श्रीनिवास 1966) के अनुसार संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भारत के सामाजिक स्तरीकरण मे कुछ परिवर्तन लायें। संस्कृतिकरण के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता जातियों में आयी उससे

सामाजिक स्तरीकरण प्रभावित हुआ। परन्तु इस परिवर्तन से कोई संरचनात्मक परिवर्तन एवं व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ।

वास्तव में संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता के ऐ प्रक्रिया के रूप में कुछ अप्रत्यक्ष संरचनात्मक प्रक्रियाओं को सामाजिक स्तरीकरण के व्यवस्था में उत्पन्न किया। इसके फलस्वरूप निम्न जातियों में सामूहिक रूप से गतिशीलता की भावना उत्पन्न हुयी। निम्न जातियों में अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने की मनोवृत्ति बढ़ी और इसके अन्तर्गत निम्न जातियाँ उच्च जातियों को एक संदर्भ प्रारूप के रूप में लिया, जिसके आधार पर वो अपनी सामाजिक स्थिति को गाँवों में ऊँचा उठाने का प्रयास किये (दामले 1968, लिंच 1964)[8] इस तरह से संस्कृति का मुख्य रूप से सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन से सम्बन्धित था। परन्तु इसमें वर्ग पर आधारित संरचनात्मक तनावों को जन्म दिया (गोल्ड 1961) इस तरह से संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण दोनों सामाजिक परिस्थिति गतिशीलता प्राप्त करने के लिए निम्न जातियों में सांस्कृतिक संसाधनों को एकत्र करने के लिए प्रात्साहित किया।

वास्तविकता यह है कि पश्चिमीकरण एक नगरीय तथा उच्च मध्यम वर्ग अथवा जाति सम्बन्धित तथ्य है और संस्कृतिकरण के अन्तर्गत क्षेत्रीय एवं गाँवों के स्तर पर निम्न जातियाँ अपने को संगठित करके उच्च जातियों के मूल्यों को अपनाती हैं। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप जो परिवर्तन आये वो सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित थे। परन्तु इसका संरचनात्मक प्रभाव पड़ा और निम्न जातियाँ अपने को उच्च जातियों के समान मानने लगी।

1. Y.B. Damley, Refference Group Theory, Social Mobility in Caste system, sage pupplication.
2. Linch, The structure and change in Indian society, 1968, Chicago

संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के प्रभाव के फलस्वरूप निम्न जातियों की उन्मुखता उच्च जातियों की ओर बढ़ी, इसके दो परिणाम हुए। इन लोगों ने उच्च जाति के अनुष्ठानों, जीवन-शैली, खान-पान आदि को अपनाने का प्रयास किया। दूसरी ओर निम्न जातियाँ उच्च जातियों का विरोध भी करने लगीं। इस विरोध के अन्तर्गत निम्न जातियाँ राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अपने को संगठित करने लगीं और जाति समिति को दबाव समूह के रूप में संगठित की, जिससे वो अपने सामाजिक परिस्थिति में सुधार ला सकें। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप निम्न जातियों में दो प्रकार की गतिशीलता आयी जिससे सामाजिक स्तरीकरण प्रभावित हुआ। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में यह गतिशीलता 'रैखिक' थी क्योंकि निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुसरण खान-पान, अनुष्ठान जीवन-शैली आदि में की थी। राजनीतिक क्षेत्र में यह गतिशीलता 'लम्बवत' थी क्योंकि निम्न जातियाँ अपने को संगठित करके दबाव समूह के रूप में सत्ता और सम्मान के लिए उच्च जातियों का विरोध करने लगी।

संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण के फलस्वरूप जातियों के सामाजिक गतिशीलता के प्रतिमानों में जो परिवर्तन हुए वो मुख्य रूप से राजनीतिक थे और साथ ही साथ सामाजिक रूप से संगठित होकर आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों के उपर स्वामित्व प्राप्त करने की चेष्ठा मात्र थीं। इन सबके परिणाम स्वरूप सामाजिक स्तरीकरण के व्यवस्था में एक नई प्रक्रिया प्रवेश की। परम्परागत रूप से उच्च जातियाँ जो काफी समय से प्रभावशाली थीं उनके प्रभाव का पतन धीने-धीरे होने लगा। निम्न और मध्यम वर्ग के जातियों के संस्तरण से जाति समूहों का जन्म हुआ जिसके आधार पर सत्ता

हथियाने की प्रक्रिया आरम्भ हुयी। "Merriot" ने इसी पक्ष को गाँवों में स्तरीकरण का विश्लेषण जाति और वर्ग के आधार पर किया।

गाँवों के स्तर पर जाति और उप-जाति एक महत्वपूर्ण संस्तरण के रूप में प्रभावशाली है, परन्तु क्षेत्रीय स्तर पर जाति के स्थान पर वर्ग-व्यवस्था अधिक प्रभावशाली हैं यह सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों के विश्लेषण में अधिक सहायक होता है। क्षेत्रीय स्तर पर गतिशील उच्च समाजिक परिस्थितियों से सम्बन्धित कारकों को प्राप्त करके लायी जा सकती है, जिसके अन्तर्गत शिक्षा, धन, धार्मिक, अनुष्ठान व्यवहार आदि है।

वर्तमान सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों में जाति वर्ग की विशेषता एक-दूसरे में मिश्रित है। हाँलाकि इनके महत्व अलग-अलग हैं और ये विशेषता उस समय देखी जा सकती है, जब हम गाँवों से क्षेत्र, क्षेत्र से राष्ट्र स्तर पर इसका विश्लेषण करें। यदि हम भारत के उच्च राजनीतिक अभिजात वर्ग को देखें और भारत के मंत्रिपरिषद और मंत्रियों को देखें तो हम पायेंगे कि भारत की 30प्रतिशत जनसंख्या जो नगरीय है, इस क्षेत्र से मंत्रियों की संख्या ग्रामीण अंचलों की तुलना में अधिक है।

भारत में सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों में जो परिवर्तन हो रहें है उन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से दर्शाया जा सकता हैं-

1. गाँवों और क्षेत्रों के स्तर पर देखा जा रहा है कि मध्यम और निम्न जातियों में सामाजिक गतिशीलता रेखीय ढंग से बढ़ रही है।
2. राष्ट्रीय स्तर पर उच्च और नगरीय मध्यम वर्ग सत्ता पर काबिज है और

---

1. Merriot, Multiple References in Indian system, Published in silverworg, social Mobility in caste system in India. The Hagve publication. Page 106

इसको नये आर्थिक अवसर सामाजिक लाभ मिल रहें है।

3. आज भारत में सामाजिक स्तरीकरण में खुलापन कम है, और ये बहुत कुछ गाँव, क्षेत्र, राष्ट्रीय स्तर पर सामजिक संरचना को प्रभावित कर रहा है। इससे सामाजिक असमानता और सामाजिक निर्धनता को समाप्त करने में बाधायें आ रहीं है।

4. जातियाँ आज भी अनेक परिवारों एवं व्यक्तियों को सामाजिक परिस्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण है, परन्तु इसकी सीमा सीमित है।

सामाजिक स्तरीकरण के अनेक सिद्धान्त और उपागम :-

सामाजिक स्तरीकरण के अनेक उपागम है जिनको अनेक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इसमें मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स का आर्थिक प्रॉरूप, वेबर का त्रिस्तरीय सिद्धान्त, किंग्सले डेविस आदि का प्रकार्यवादी उपागम, अमेरिका के सामजाशात्रियों का असमानता का उपागम अधिक महत्वपूर्ण है।

मार्क्स का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धान्त :-

कार्ल मार्क्स ने सामजिक और आर्थिक समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर संघर्ष की बात कहीं है। इसी को सामाजिक परिवर्तन का श्रोत माना है। कार्ल मार्क्स ने द्धान्दात्मक उपागम के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन किया है। इनके अनुसार सामाजिक वर्गो का आधार उत्पादन के सम्बन्धों पर आधारित होता है। जैसे- दूसरे शब्दों में स्वामित्व और अस्तामित्व कहा जा सकता है। और इसी आधार पर कार्ल मार्क्स ने कहा है किसी समाज में दो द्धन्दात्मक समूह होते हैं जो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इन दो वर्गो का स्वरूप उत्पादन के विधियों पर निर्भर करता है। उत्पादन के साधनों पर आधारिता जो

सम्बन्ध बनते है, जिन वर्गो का निर्माण करते हैं वो एक दूसरे का विरोध करते है। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले को बुजुर्वा वर्ग (पूँजीपति) वर्ग कहा गया है और उत्पादन के कार्यों में लगे लोगों को सर्वहारा वर्ग (श्रमिक) कहा गया है। पूँजीपति श्रमिक का शोषण करते हैं। चूँकि श्रमिक वर्ग सत्ताहीन होता है, उत्पादन के साधनों पर उसका अधिकार नहीं होता। अतः वह शोषण का शिकार होता है। वर्ग–व्यवस्था की वस्तुनिष्ठा सम्बन्धित विचार कार्ल मार्क्स के सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। इन्होंने आर्थिक कारक, सत्ता, जीवन शैली और सम्पत्ति पर अधिक बल दिया है। जो समाज में उप–संरचना का निर्माण करते हैं। इससे सामाजिक विभेदीकरण का जन्म होता है।

कार्ल मार्क्स के उपागम में तीन मुख्य विशेषताओं की बात की जाती है–

(क) वर्ग चेतना

(ख) वर्ग एकता

(ग) वर्ग संघर्ष

(क) वर्ग चेतना –

वर्ग चेतना का अर्थ है कि–एक वर्ग स्वामित्व वाले वर्ग को मान्यता देता है। वर्ग एकता का अर्थ है कि श्रमिक एक साथ मिलकर सामूहिक क्रिया करके अपने आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार वर्ग संघर्ष के दो पक्ष हैं। एक अचेतन संघर्ष जो श्रमिकों और पूँजीपतियों के बीच पाया जाता है। दूसरा चेतना या जानबूझ कर किया जाने वाला संघर्ष। आधुनिक समाज में कार्ल मार्क्स ने तीन वर्गों की कल्पना की थी–

(1) श्रमिक वर्ग (सर्वहारा वर्ग)

(2) पूँजीपति वर्ग (बुजुर्वा वर्ग)

(3) जमींदार वर्ग जो मजदूरी, लाभ, किराया और मालगुजारी प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने सत्ता और सामाजिक स्थिति सम्बन्धित स्तरीकरण को वर्ग–स्तरीकरण का देन बताया है। कार्ल मार्क्स का वर्ग का द्वन्दात्मक उपागम तथा स्तरीकरण के सिद्धान्त का स्वरूप निर्धारणवादी है। इनके अनुसार सम्पत्ति का स्वामित्व किसी वर्ग के लिए जीवन–मरण का प्रश्न है।[12] कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग का आर्थिक आधार प्रस्तुत किया है उसका अपना इतिहास भी है। प्लेटो ने भी वर्ग की अवधारणा की थी। परन्तु कार्ल मार्क्स[13] ने वर्ग का एक वृहद आर्थिक आधार प्रस्तुत किया है। 'मार्क्स' ने 'वर्ग' 'जाति' और 'जागीदारी' में अन्तर नहीं किया है। सामाजिक विलम्बन के सिद्धान्त की कल्पना करते हुए कार्ल मार्क्स ने प्रौद्योगिकी विकास और सामाजिक स्तरीकरण के व्यवस्थित व्यवस्था के बीच तार्किक और समाजशास्त्रीय त्रुटियों की कल्पना की थी। इसी लिए उसने वर्ग द्वन्द्व और वर्ग–संघर्ष की बात कही और इसे सामाजिक पिछड़ापन (Social loy), की संज्ञा दी। मार्क्सवादी संदर्श सामाजिक के प्रकार्यवादी संदर्श का एक विकल्प प्रस्तुत करता है। मार्क्सवादियों ने सामाजिक स्तरीकरण को एक एकीकृत संरचना न मानकर विभाजित–संरचना के आधार पर व्याख्या की है। इसके अन्तर्गत एक–वर्ग, दूसरे–वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार जितने भी स्तरीत समाज है, उनमें दो सामाजिक समूह होतें है–

क. शासक–वर्ग

ख. शासित–वर्ग

शासित–वर्ग की सत्ता का आधार उत्पादन के साधनों के स्वामित्व पर निर्भर करता है। चूँकि शासक–वर्ग शासित–वर्ग का शोषण करता है, दोनों के बीच संघर्ष आरम्भ हो जाता है। समाज की अनेक संस्थायें जैसे–कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था शासक–वर्ग के अधीन होती है। और ये संस्थायें इन्हीं वर्ग के हित की बात करती हैं। भविष्य में जब भी उत्पादन के साधनों पर श्रमिक वर्ग या पूरे समुदाय का स्वामित्व होगा तो अपने आप शासक–वर्ग समाप्त हो जायेगा। शोषण और दमन का अन्त होगा। मार्क्स के सन्दर्भ के अनुसार स्तरीकरण की व्यवस्था सामाजिक समूहों के आर्थिक समूहों पर निर्भर करती है। और ये सम्बन्ध उत्पादन के साधनों पर आधारित होते हैं। मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्गो के आधार पर की है। कार्ल मार्क्स के अनुसार एक–वर्ग एक सामाजिक समूह होता है, जिसके सदस्यों के बीच समान प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। उत्पादन के साधनों से किसी न किसी प्रकार से जुड़े होते है।

मार्क्सवादी संदर्श के अनुसार मुख्य सामजिक वर्गो के बीच सम्बन्ध एक–दूसरे पर आश्रित होने का होता है , और उसी समय संघर्ष का जन्म होता हैं पूँजीपति और श्रमिक एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। श्रमिक अपने श्रम को पूँजीपतियों के हाथ बेचता है जिससे उसकी जीविका चल सके क्योंकि श्रमिक के पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं होता। अतः वह अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से उत्पादन नहीं कर सकता है। पूँजीपति उसके श्रम के बदले जो भी मजदूरी उसको देते है वह उसी से अपनी जीविका

चलाते हैं। पूँजीपति एवं समाज के अन्य लोग जो उत्पादन नहीं करते वो श्रमिक शक्ति पर निर्भर करते हैं। इन दोनों वर्गों के बीच सम्बन्ध शोषित और शोषण करने वाले का होता है। इसमें पूँजीपति–वर्ग है वो श्रमिक–वर्ग के आधार पर लाभ कमाता है इसलिए दोनों के बीच द्वन्द्व देखा जाता है। इस बात की पुष्टि कार्ल मार्क्स के उन विचारों से होती है जहाँ उन्होंने पूँजीवादी समाज में स्वामित्व और उत्पादन की बात कही है। पूँजीवादी–अर्थव्यवस्था की अनेक विशेषतायें हैं। 'पूँजी' का अर्थ है पैसा जिसके माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन करके व्यक्तिगत लाभ कमाया जा सके। पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक वस्तुएं श्रमिक शक्ति, माल, प्रौद्योगिकी आदि मिल करके उत्पादन करते हैं फिर उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है पूँजीपति इसमें अपनी पूँजी लगाते हैं पूँजीपति उत्पादित वस्तुओं को लागत से अधिक लाभ पर बेचते हैं।

रेमॅण्ड एरो[14] के शब्दों में –

पूँजीवादी विनिमय का मुख्य उद्देश्य पैसे से पैसा कमाना होता है और उत्पादन करके वस्तुओं को बेचकर लागत पूँजी से अधिक धन कमाने की इच्छा होती है। पूँजीवाद का अर्थ है कि उत्पादन में पूँजी को लगाना, और अधिक से अधिक लाभ कमाना। पूँजी पर बहुत थोड़े लोगों का स्वामित्व होता है जिसे पूँजीवादी वर्ग कहते हैं। मार्क्स का कहना है कि पूँजीपति श्रमिक का शोषण करके उत्पादन कराता है और लाभ प्राप्त करता है। मार्क्स का कहना है कि पूँजी स्वयं कुछ उत्पादन नहीं करती है बल्कि श्रमिक करते हैं। परन्तु उत्पादन के लिए जो मजदूरी पूँजीपतियों द्वारा श्रमिक को दी जाती है वो कम होती है। कम मूल्य देकर अधिक समय तक कार्य करा करके अधिक

उत्पादन होता है, जिसका लाभ पूँजीपति-वर्ग उठाता है। जिसे (Surplus Value) "अतिरिक्त मूल्य कहते है"। पूँजीपतियों के लिए ये ही 'लाभ' का आधार हैं। चूँकि ये लोग उत्पादन नहीं करते केवल पूँजी लगाते हैं। उत्पादन तो श्रमिक करता है इसी आधार पर पूँजीपति श्रमिक का शोषण करते हैं। पूँजीवादी समाजों में जहाँ वर्ग-व्यवस्था है, शोसित-वर्ग का शोषण करता है।

मार्क्स के संदर्श के अनुसार पूँजीवादी समाजों में राजनीतिक सत्ता का आधार आर्थिक सत्ता होती है क्योंकि शासक-वर्ग का स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर होता है और यही राजनीतिक सत्ता का आधार भी बन जाता है। यहाँ तक की समाज में मुख्य संस्थायें, सामाजिक मूल्य, सामाजिक विचारधारा आदि आर्थिक-संरचना पर निर्भर करती है। शासक-वर्ग की वैचारिकी एक भ्रमात्मक वर्ग-चेतना को जन्म देती है और इसी तरह से अनेक वर्गो के बीच पाये जाने वाले सम्बन्धों का गलत विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

वर्ग और सामाजिक परिवर्तन :-

कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग-संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तन का आधार हैं इनका कहना था कि "आज तक के समाजों का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास रहा है।" दूसरे शब्दों में उत्पादन के श्रेष्ठ साधन विकसित किये जाते हैं। इससे एक ऐतिहासिक युग का आरम्भ होता है। अगर हम इतिहास को देखे तो पायगें कि वर्ग -संघर्ष अल्पसंख्यकों और बड़े वर्ग के बीच होता है। पूँजीवादी समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति ही अनेक वर्गो के बीच संघर्ष का कारण बनती है।

---

1. Raymond Aron "Main Currents in sociologicd thought" Penguin Books, Harmonds worth. (1968)

सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी संदर्श :-

सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धान्तों को समाज के प्रकार्यवादी सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि समाज के प्रकार्यवादी सिद्धान्त पूरे समाज को इकाई मान कर विश्लेषण की बात करते हैं। इन लोगों का कहना है समाज को जीवित रहने के लिए कुछ मुख्य प्रकार्य-आवश्यकताओं का होना आवश्यक है। इनका कहना है कि समाज के अनेक अंग एक एकीकृत सामाजिक सम्पूर्णता का बोधक करते हैं और इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था समाज के अनेक ईकाइयों से एकीकृत होतीं है। प्रकार्यवादियों का कहना है कि समाजिक व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थायित्व और व्यवस्था आवश्यक है। थोड़े में कहा जा सकता है कि प्रकार्यवादी सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यो से सम्बन्धित हैं और ये अपने प्रकार्य के माध्यम से समाज के अस्तित्व को बनाये रखते हैं।

(क) टैल्कॉट पार्सन्स के विचार -

अन्य प्रकार्यवादियों के भाँति टैल्कॉट पार्सन्स भी समाज में व्यवस्था स्थायित्व, सहयोग और सामजिक मूल्यों के प्रतिष्ठा पर बल देतें हैं टैल्कॉट पार्सन्स का कहना है कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था सामाजिक मूल्यों पर आधारित होतीं है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर व्यक्ति के भूमिकाओं का मूल्यांकन होता है। अतः सामाजिक स्तरीकरण मूल्यांकनात्मक दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था के ईकाइयों का उच्च और निम्न श्रेणियों में सामजिक मूल्यों के आधार पर विभाजन करना है। (Stratification in its valuation aspect that in the ranking of units in social stsystem in accordance with the common value system.)

समाज के मूल्यों के अनुसार जो अपनी भूमिकाओं को सफलता पूर्वक करेगें, उन लोगों को श्रेणिगत संस्तरण में उच्च स्थान मिलेगें ऐसे लोग पुरस्कृत भी होते हैं। इनके अनुसार स्तरीकरण प्रत्येक मानव समाज के लिए एक आवश्यक सामजिक विशेषता है। समाज में मूल्यों के प्रति चेतना इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, और इसका अर्थ यह हुआ कि मूल्यों के आधार पर जब समाज में व्यक्तियों को श्रेणिगत किया जाता है तो सामाजिक स्तरीकरण का जन्म होता है। प्रकार्यवादी लोग समाज में अनेक समूहों के बीच सम्बन्धों को सहयोग, और एक–दूसरे पर आश्रित होने के रूप में देखते है, विशेषकर जटिल समाजों में अनेक समूह अपना विशेषीकरण करते हैं और एक विशेष प्रकार की क्रियायें करते हैं। कोई भी समूह स्वयं में स्वावलम्बी नहीं होता उसे दूसरे समूहों पर निर्भर करना पड़ता है ये ही सम्बन्ध संस्तरण का रूप लेते हैं जो स्तरीकरण का आधार होते है। ऐसे समाजों में जहाँ उच्चकोटि का श्रम–विभाजन पाया जाता है उसमें कुछ सदस्य संगठन और नियोजीकरण में विशेषीकरण करते हैं। टैल्कॉट पार्सन्स के अनुसार – ये ही विशेषीकरण समाज में असमानता, सत्ता और सम्मान के क्षेत्र में लाता है। पार्सन्स के अनुसार–सत्ता के क्षेत्र में मूल्यों पर आधारित होता हैं पार्सन्स के अनुसार सामाजि स्तरीकरण एक आवश्यक और प्रकार्यवादी सामाजिक तथ्य है। ये आवश्यक इसलिए है कि ये सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। जो सामाजिक व्यवस्था के अंग होते है। प्रकार्यवादी इसलिए कि ये समाज के अनेक समूहों को एकीकृत करता है। समाज में सत्ता

1. Talcott Parsons, The Social System, The Free Press . New york 451.

और सम्मान का विभेदीकरण श्रम-विभाजन के लिए आवश्यक है।

(ख) किंग्सले डेविस का सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धान्त :-

डेविस[16] एवं मूरे ने 1945 में सामजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धान्त अपने विवेक से Some princiles में प्रकाशित किया। डेविस का कहना है कि प्रत्येक मानव समाज में स्तरीकरण किसी न किसी रूप में पाया जाता है। इसी को इन्होंने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से परिभाषित किया। इनका कहना है कि-सामजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था-में एक सर्वव्यापी आवश्यकता है। जितनी भी सामाजिक व्यवस्थायें हैं। उनमें कुछ परम् प्रकार्यवादी आवश्यकतायें होती है जिनको पूरा करना आवश्यक है जिससे सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। सामजिक व्यवस्था के कुछ परम् आवश्यकताओं में समाज में व्यक्तियों की भूमिकाओं का निर्धारण करना है। कौन व्यक्ति किस भूमिका को करेगा? इसके लिए योग्यता और क्षमता देखी जाती है। यदि समाज में सभी व्यक्ति और सभी प्रकार की समाजिक परिस्थितियों समान हो तो सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी परन्तु यह सम्भव नहीं है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, कार्यकुशलता, बुद्धिमता, भिन्न-भिन्न हाती है। समाज में अनेक सामाजिक परिस्थितयाँ होती है जो एक-दूसरे से पृथक-पृथक होते हुए भी समाज को बनाये रखने में समान योगदान देती है।

---

1. a- Kingsley Davis. Human society. Mack millan Newyork 1948.
   b- Some principale of stratification in, bendix and lepset Book 1967,1967

कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस परिस्थितियों से भूमिका करने के लिए विशेष प्रकार की कार्यकुशल आवश्यक होती है। ऐसे कार्यकुशल व्यक्तियों की संख्या कम होती है। समाज ऐसी भूमिकाओं के लिए पुरस्कृत भी करता है, ये ही पुरस्कार अनेक व्यक्तियों को अपनी परिस्थिति से भूमिकाओं को करने के लिए अभिप्रेरित करता है। डेविस मूरे कहते है कि सामजिक स्तरीकरण एक विधि है जिसके माध्यम से अनेक समाज अपने अनेक सामाजिक परिस्थितियों को योग्य और कुशल लोगों को देनें का प्रयास करता है। थोड़े में वे कहा जा सकता है कि इनके अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज के लिए एक प्रकार्यवादी–आवश्यकता है।

सत्ता, राजनीति और स्तरीकरण (Power, Politics and stratification) -

कुछ समाजशास्त्रीयों ने स्तरीकरण का आधार सत्ता और राजनीति को बताया है। इन लोगों ने स्तरीकरण की राजनीतिक व्याख्या की है, और स्तरीकरण के आर्थिक आधार की आलोचना की है। इस सम्प्रदाय के अनुसार स्तरीकरण का उपागम फौजों द्वारा जीत के आधार पर अपना जन्म पाया। एक समाज की फौज, दूसरे समाज के फौज की जीत कर अपने नियंत्रण में कर लेते थे, यहीं शासक और शासित के आधार पर स्तरीकरण का जन्म हुआ (Gvmplocvicq & Ratzenhofer) प्राचीनकाल में अनेक प्रजातियाँ एक दूसरे पर आक्रमण करती थीं, सबल दुर्बल को अपने अधीन कर लेती थीं। इस तरह से वर्गो का जन्म हुआ।

मोस्का (Mosca) ने स्तरीकरण की व्याख्या राजनीतिक आधार पर की

है। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूह जनता पर नियंत्रण करता है, राज्य करने वाले अल्पसंख्यक होते है, और जिन पर राज किया जाता है वो बहुसंख्यक होते हैं। इस प्रकार का विभाजन मानव समाजों में सर्वव्यापी है। शासक-वर्ग की संरचना ही समाज में राजनीतिक-संरचना का आधार बनती है। और उसी आधार पर समाज में सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। इसी क्रम में 'मिचले और पैरेटों' ने भी प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा की है, और ये भी बताया है कि वर्ग-संरचना में परिवर्तन कैसे आते है। मोस्का ने सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया की शासक-वर्ग के विकास, रचना, संगठन, विश्लेषण आवश्यक है। इनके अनुसार शासक-वर्ग जो अल्प होता सहै इसका चुनाव भिन्न-भिन्न रूपों से होता है। इनके अनुसार शासक वर्ग की सत्ता वो चाहे कानूनी हो या नैतिक ये राजनीतिक आधार होता है। **मेकल** और **पैरेटो** ने भी मोस्का के प्रॉरूप को ही स्तरीकरण के विश्लेषण में अपनाया है। इन लोगों ने सत्ता में विभेदीकरण को एक प्रकार्यवादी आवश्यकता बताया हैं पैरेटो का मत है कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या प्रभावशाली वर्गो की संरचना और गव्यात्मकता पर निर्भर करता है। इसी क्रम में उन्होंने राजनीतिक और अभिजात-वर्गो की व्याख्या की और ये कहा कि अभिजात-वर्गो में दो महत्वपूर्ण अवशेष से (Residves) होते है, इन्हीं को इन्होंने अभिप्रेरणा की संज्ञा दी है।

मैक्स बेवर का सामजिक स्तरीकरण का सिद्धान्त :-

मैक्स बेवर एक जर्मन समाजशास्त्री था (1864-1920) सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्ल मार्क्स का

---

1. Mosca, The ruding class, New yark 1939, p. 50-51

सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा हे कार्ल मार्क्स का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धान्त आर्थिक आधार पर विकसित किया गया है। मैक्स बेवर ने भी वर्ग को आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित करने का प्रयास किया है। इसका कहना है कि बाजार अर्थ–व्यवस्था में वर्गो का विकास होता है क्योंकि अर्थ के क्षेत्र में व्यक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा पायी जाती है। मैक्स बेवर लिखतें है वर्ग–व्यक्तियों का एक समूह होता है जो बाजार अर्थ–व्यवस्था में समान सामाजिक स्थिति रखते है और इसी आधार पर इनको समान सामाजिक लाभ मिलता है। बेवर के शब्दों मे एक व्यक्ति के वर्ग की परिस्थिति उसके बाजार के परिस्थितियों (Market Situation) पर आधारित होती है। व्यक्तियों की जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति होगी, उसी आधार पर समाज में मूल वस्तुओं को प्राप्त कर सकेंगे। उदाहरण–आर्थिक स्थितियों के अनुसार उच्च शिक्षा या आवासीय सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

मार्क्स के भाँति बेवर का भी कहना है कि समाज में मुख्य वर्ग–विभाजन दो प्रकार के लोगों के बीच होता है। एक वे जो उत्पादन के शक्तियों पर प्रभुत्व रखते है। दूसरे वे जो इन पर किसी प्रकार का प्रभुतव नहीं रखते है। बेवर ने बाजार परिस्थितयों में इन दोनों के बीच अन्तर पाया है। समाज में अनेक प्रकार के व्यवसाय अलग–अलग बाजार मूल्य रखतें है। उदाहरण के लिए पूँजीवादी समाज में प्रशासक, व्यवसायी, मैनेजर, अपेक्षाकृत अधिक वेतन पाते है, क्योंकि समाज में इनकी माँग अधिक होती है। बेवर ने पूँजीवादी समाजों में वर्गो का विभाजन निम्न आधार पर किया है–

1. अधिका सम्पत्ति रखने वाला उच्च वर्ग।
2. सम्पत्ति विहिन स्वयं श्रमिक।

3. गरीब श्रमिक।

4. हाथ से काम करने वाले वर्ग।

बेवर के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त को तीन व्यवस्थाओं (Three orders) की संज्ञा दी गयी है। ये तीनों व्यवस्थायें निम्नलिखित है–

1. सामाजिक (Social)

2. आर्थिक (Economic)

3. कानूनी (Legal)

प्रत्येक व्यवस्था में अनेक प्रकार के संस्तरित समूह होते है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सामाजिक व्यवस्था में अनेक परिस्थिति समूहों के आधार पर बनती हैं। इन परिस्थिति समूहों को समाज में आदर और सम्मान दिया जाता है और इसी आधार पर इनके जीवन शैली का निर्धारण होता है। साथ ही साथ इनके शिक्षा व्यवसाय, परिवार भी ख्याति तथा सम्मान भी इसी पर निर्भर करता है मैक्स बेवर ने जाति–व्यवस्था को एक विशेष प्रकार का प्ररिस्थिति समूह कहा है। जिसका अपना एक संगठन होता है। बेवर ने वर्गो का आर्थिक आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास किया है। समाज में लोगों के लोगों के सामाजिक स्थिति, जीवन के अवसर (Life chancas) आदि का स्रोत सम्पत्ति और आय है। जो बहुत कुछ बाजार में आर्थिक भूमिकाओं पर निर्भर करता है। बेवर ने कानूनी व्यवस्था को सत्ता प्राप्त करने वाला समूह कहा है। इन्हीं समूहों को वह दल (Parties) का नाम देते हैं।

इन विभिन्नताओं के आधार पर बेवर ने सामजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त का विश्लेषण किया। वर्गो का विश्लेषण करते समय बेवर का उपागम मार्क्स के उपागम से भिन्न है। मार्क्स ने सम्पत्ति पर प्रभुत्व के आधार

पर पूँजीपति–वर्ग की बात कही और श्रमिक को एक वर्ग के रूप में बताया, जिसका सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई स्वामित्व नहीं है। मैक्स बेवर ने व्यक्ति के वर्ग की कल्पना व्यक्ति की कार्यकुशलता और बाजार मूल्य के आधार पर की है। कार्ल मार्क्स ने दो वर्गो की बात की है जो अपने को संगठित करके एक दूसरे का विरोध करते है। बेवर का कहना है कि 'स्वयं' मध्यम वर्ग अपने को बाजार के माध्यम से आगे बढ़ाता जाता है जिस क्रम में पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्था बढ़ती है। इस तरह से वेबर ने वर्गो में विभेदीकरण की कल्पना की है, इसलिए मध्यम वर्ग धीरे–धीरे आगे बढ़ता है। 'वर्ग' के आधार पर ही समूहों का निर्माण होता है और सामूहिक क्रियाओं से सत्ता प्राप्त की जाती है। 'वर्ग' का अर्थ है समाज में आर्थिक पुस्कार का असमान वितरण और इसी आधार पर वर्गो का निर्माण होता है, और सामाजिक परिस्थिति का अर्थ है असमान सामाजिक प्रतिष्ठा का वितरण। समाज में व्यवसाय, धार्मिक समुदाय, जीवन–शैली को अनेक श्रेष्ठता के आधार पर आदर और सम्मान प्रस्तुत किया जाता है। वेबर का कहना है कि समाज में सामाजिक परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति सदैव आवश्यक तत्व नहीं हैं। उदाहरण स्वरूप ने धना व्यक्ति उच्च सामाजिक परिस्थिति में नहीं रखें जातें। वेबर ने दलों की व्याख्या करते हुए कहा कि दल एक प्रकार का समूह है, इनकी अपनी नीतियाँ होती है, जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय करते है। दल समाज में सामाजिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते है। वर्गो परिस्थिति समूहों दलों का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, इन सबसके सम्बन्धों का विश्लेषण एक आर्थिक सिद्धान्त के आधार पर करना कठिन है। समाज में वर्ग, परिस्थिति और दल एक दूसरे से अतः क्रिया करते

हुए सामाजिक समूहों का निर्माण करते है।

इस तरह से वेबर कार्ल मार्क्स की भाँति सम्पत्ति को महत्व दिया है, जिसके आधार पर परिस्थिति समूहों का जन्म होता है। वेबर के अनुसार जीवन–शैली में विभिन्नताएं सामाजिक समूहों को पृथक करती हैं। सम्पत्ति का उतना महत्व नहीं है।

बोटोमोर [18] ने भी सामाजिक स्तरीकरण पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। वेबर का कहना है कि सामाजिक संस्तरण विकसित देशों में वर्गो के आधार पर उतना नहीं बनता, जितना परिस्थिति समूहों के आधार पर बनता है। अनेक वर्ग अपने आर्थिक उद्देश्यों को समाज के स्तर पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसके अन्तर्गत प्रजातंत्रीय समाज समूह की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, सामाजिक स्तर पर अधिक पृथक नहीं है। परिस्थिति समूहों में जो परिवर्तन आ रहे है इसका मुख्य कारण–राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं प्रशासनिक व्यवसाय सामाजिक गतिशीलता धन का पुनः वितरण आय आदि है।

दुर्खीम का सामाजिक विभेदीकरण का सिद्धान्त भी सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करता है इस सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रत्येक समाज यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर अग्रसर होता है। सावयवी समाज में श्रम–विभाजन अधिक हो जाता है, जिससे अनेक व्यवसायों का जन्म होता है, जिसके आधार पर अनेक वर्गो का निर्माण किया जाता है। श्रम–विभाजन के आधार पर अनेक समूहों का जन्म होता है। जो अपने–अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपस में द्वन्द करतें है। इससे यान्त्रिक एकता कम होकर

---

1. T.B.Botomor, Class in Modern Society, London, George. Allen and Anwin, 1965, Chapter. 2

सावयवी एकता में बदल जाती है। सावयवी समाज में सम्बन्ध संविदा पर आधारित हो जाते हैं, और एक उदारवादी समाज का निर्माण होता है। समाज में एक प्रकार की सावयवी एकता मिलती है जो मानव चेतना से उत्पन्न होती है।

वेबलेन (Veblen) ने भी सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त का विश्लेषण अपने विलासी–वर्ग (Lazer class) की अवधारण के आधार पर किया है इनका कहना है कि मानव और उसकी संस्थायें अनेक अवस्थाओं से गुजरतें हुए विकास की है, और इनका वर्तमान एक संचयी परिवर्तन का परिणाम है इनके अनुसार समाज में दो संस्थायें बहुत महत्वपूर्ण है–

1. व्यक्तिगत सम्पत्ति
2. उत्पादन की प्रौद्योगिकी विधि

समाज का जो वर्ग इन दोनों पर स्वामित्व रखता है उसी को 'विलासी' वर्ग कहा जाता है। इस वर्ग के लोगों में दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा होता हैं वो लोग उपभोग के प्रतिमानों को बढ़ा–चढ़ा कर दिखाते हैं, और ये दर्शाने का प्रयास करते है कि ये लोग विलासी प्रवृत्ति के है। वेबलेन' कहते है कि विलासी–वर्ग में भी संस्तरण पाया जाता है। वेबलेन आर्थिक सिद्धान्त पर अधिक बल नहीं देते, बल्कि इनका विलासी–वर्ग का सिद्धान्त समाजशास्त्रीय विश्लेषण का सिद्धान्त है। जहाँ अतिरिक्त उत्पादन को विलासी–वर्ग अपने सामाजिक पहचान और सम्मान के लिये प्रयोग करता है।

डाहरेंडार्फ [20] ने सामजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त की व्याख्या करते

---

1. Thorstein Veblen, The theory of Xeisure class, 1964, Page 194
2- Dahrendorf, class and class Conblict in Industrial Society london R. & K Pavle

हुए सामाजिक परिवर्तन का 'बाध्यता' का सिद्धान्त (Coercion) निकाला है। इनके अनुसार समाज की सामाजिक संरचना 'बाध्यता' के सिद्धान्त पर आधारित है, अर्थात इसमें 'परिवर्तन' और 'संघर्ष' पाये जाते है इसके नाते सामाजिक संरचना के प्रत्येक इकाई में अस्थिरता और परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों का एक छोटा समूह व्यक्तियों के एक बड़े समूह पर शासन करता है और दूसमें बाध्यता का सहारा लिया जाता है। इसके सिद्धान्त का आधार है–समाज में दो प्रकार को वर्ग होते है–एक वर्ग अपनी इच्छाओं को दूसरे पर बाध्यता के आधार पर लादता है। डाहरेंडार्फ का कहना है कि मार्क्स का आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष अब समाज में नहीं पाया जाता है। क्योंकि समाज के औद्योगिक सम्बन्ध पूरे समाज पर प्रभावी नहीं होते, ये केवल औधोगिक जगत तक सीमित होते हैं। 'डाहरेंडार्फ' का सिद्धान्त मार्क्स के भाँति समिष्टवादी संरचनात्मक सिद्धान्त नहीं है बल्कि इनका सिद्धान्त अनेक प्रकार की संरचनाओं की ओर संकेत करता है जिसकी अपनी शक्तियाँ होतीं है तथा परिवर्तन संघर्ष के कारण होते हैं। डाहरेंडार्फ के अनुसार एक समान प्रकार का संघर्ष सब प्रकार के सामाजिक संरचनाओं पर लागू नहीं हो सकता। संघर्ष तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक वह किसी विशेष संदर्भ में घटित न हो।

'शूम्पीटर' का कहना है कि समाज में वर्गो का उद्‌भव सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। वर्गो की रचना, स्वरूप इनमें सम्बन्धित नियम दो मुख्य आधारों पर बनते है–

1. क्या वर्ग–भूमिका या कार्य है?
2. कि ये वर्ग सफलता पूर्वक इन कार्यो को किस अंशों तक पूरा करतें है।

'वॉर्नर'[21] ने सामाजिक स्तरीकरण का प्रयोगसिद्ध एवं अनुभववादी अध्ययन किया हैं। इन्होंने वेबर के सम्मान, प्रतिष्ठा तथा परिस्थिति समूह के अवधारणाओं पर बल दिया है और इसी के आधार पर समाज के अनेक समूह अपने को एक दूसरे से जोड़तें है और संस्तरण में विभाजित होते हैं इसलिए इन्होंने ख्याति और सम्मान पर अधिक बल दिया। इन्होंने मार्क्स से असहमति जताते हुए लिखा है कि स्तरीकरण के विशेषण में आर्थिक वर्गो का उतना महत्व नहीं है जितना 'परिस्थिति समूह' का है।

सामाजिक स्तरीकरण से सम्बन्धित कुछ मुख्य अवधारणायें-

सामाजिक वर्ग समाज में अनेक कारकों के आधार पर विकसित होते है। ये अधिकतर खुले हुए होते हैं, इन वर्गो का आधार बहुधा आर्थिक होता है। परन्तु बहुत से समाजों में अनेक आधारों पर वर्ग पाये जाते हैं। आर्थिक वर्ग 'औद्योगिक समाजों' की देन है। समाज में कितने औद्योगिक-वर्ग है इनको स्पष्ट करना एक कठिन कार्य है। परन्तु फिर भी समाजशास्त्री इस उच्च वर्ग, मध्यमवर्ग, श्रमिकवर्ग की संज्ञा देते है। (Brif) **ब्रिफ**[22] ने दो प्रकार के वर्ग बतायें है-एक 'श्रमिक-वर्ग' दूसरा सफेदपोश 'मध्यम वर्ग' **'राइट मिल्स'**[23] ने भी सफेदपोश वर्ग का अध्ययन किया है।

सामाजिक-वर्गो का मापन कैसे किया जाय इसका विश्लेषण समय-समय समाजशास्त्रीयों ने किया है। कुछ ने इसे जीवन-शैली के आधार पर, कुछ ने इसे संसाधनों, व्यक्तियों सत्ता के आधार पर कुछ ने आदर और

---

1. W.L. warner, The social life of a Modern community, yale, University Press 1941.
2. Brif. The Proletariat, New Yark 1938
3. C.W. Mills, Whitecollar, the American Middle classes, New york oxford university press 1953

सम्मान के आधार पर व्याख्या और विश्लेषण किया है कुछ समाजशास्त्रीयों ने वर्गो का मापन वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर किया है। कुछ समाजशास्त्रियों ने वर्गो का विभाजन गुणात्मक और व्यक्तिनिष्ठ आधारों पर किया है।

औधोगिक समाजों में सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या अधिक जटिल है जबकि सरल समाजों में जटिलता कम होती हैं जटिल समाज में अनेक प्रकार के परिस्थिति समूह और वर्ग पाये जाते है ये जटिलता को और बढ़ा देतें है। मार्क्स के अनुसार वर्गो का आधार उत्पादन के साधनों पर स्वमित्व के आधार पर होता है। और परिस्थिति समूह का निर्माण उपभोग के प्रतिमानों पर आधारित होता है जिसे जीवन–शैली की संज्ञा देते हैं। समाज शास्त्र में परिस्थिति समूह पर अनेक प्रयोगसिद्ध अध्ययन हुए है। ये अध्ययन व्यावसायिक–विभेदीकरण पर आधारित है। कुछ समाजशास्त्रीयों ने सामाजिक स्तरीकरण का विश्लेषण समाजिक गतिशीलता के आधार पर किया है। और इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठा का अनुभाग बनाकर विश्लेषण किया है।[24]

भारत में सामाजिक स्तरीकरण पर कुछ मुख्य अध्ययन :–

भारतीय समाज का कोई भी अध्ययन अधूरा माना जाता है जब तक इसमें पाये जाने वाले सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या न की जाय। जो मुख्य रूप से जाति–व्यवस्था पर आधारित रहा है। हिन्दू समाज का स्तरीकरण जन्मजात व्यवसायों, संस्तरित संगठन और जाति–व्यवस्था के अन्य व्यवसाओं पर आधारित है। फिर भी सामाजिक जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां धर्म निरपेक्षवाद, उपयोगितावाद, व्यवहारवाद का भी प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के वर्तमान समय में उच्च और निम्न जातियों के बीच, आर्थिक,

1. Wendex & Lipset, Class Status and Power, New York free press.

व्यवसायिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्वन्द्व देखा जा रहा है। इसके नाते प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है और व्यवसायों की स रचना भी बदली है अब ये परम्परागत नहीं रह गयी है इसमें गतिशीलता आयी है। नये व्यवसायों की ओर अनेक जातियों का रूझान बढ़ा है। जातियाँ एक खुला वर्ग हो गयी है केवल विवाह के क्षेत्र में लोग अपने जाति में सम्बन्ध धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया में है।

जितने भी अध्ययन हुए है उनको हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते है–

1. स्तरीकरण के वे अध्ययन जो जाति पर आधारित रहें है।
2. स्तरीकरण के वह अध्ययन जो वर्ग, सत्ता, जीवन–शैली आदि कारकों पर आधारित है।

जाति–स्तरीकरण पर कुछ अध्ययन

भारत में कुछ अध्ययन जाति के आधार पर किये जाते है, और जाति के ही आधार पर सामाजिक संस्तरण की भी व्यवस्था पायी जाती है। जातियों का उच्च और निम्न मूल्यों के आधार पर श्रेणिगत किया जाना ही स्तरीकरण है। मैक्स वेबर, क्रोबर आदि ने सामाजिक स्तरीकरण का विश्लेषण जाति व्यवस्था के आधार पर किया है, मैक्स वेबर जातियों को एक बन्द समुदाय कहते है।

'**मिर्डल**' जाति को एक बन्द वर्ग कहता है जिसमें एक जाति के लोग अपने जाति में विवाह या नातेदारी तंत्र रखते है। इसी क्रम में हट्टन, घुरिये, होकार्ट और अन्य समाजशास्त्रियों ने जाति–संस्तरण का विश्लेषण धार्मिक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक आधारों पर किया है। ये लोग जाति को भारत में स्तरीकरण का मुख्य स्वरूप मानते है। हाल के वर्षो में जो गाँव पर

कुछ अध्ययन हुए है, उनमें जातियों को आधार मान कर विश्लेषण किया गया है। प्रो0 श्रीनिवास के शुद्ध और अशुद्ध के आधार पर जाति संस्तरण का विश्लेषण किया है और ये बताया कि अंर्तजातीय समूहों को ये ही नियन्त्रित करता है। रामपुरा गाँव का जो अध्ययन किया है अनुष्ठानों से सम्बन्धित शुद्धता पर किया है।

प्रो0 श्यामाचरण दूबे [26] का कहना है समाज के अनेक अंगो के बीच अतः क्रिया पर नियन्त्रण शुद्ध और अशुद्ध के आधार पर होता है। 'लुई ड्यूमा' ने जाति–व्यवस्था की एक धार्मिक अवधारणा प्रस्तुत किया है और बताया है कि ये सामजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार है।

'बैले' 22 (Bailey) जाति को एक ''बन्द सायवर्यी स्तरीकरण'' कहा है मैरियट (Marriot) ने लिखा है कि जातियों को श्रेणिगत करना सामाजिक संरचना का एक अंग है।

भारत में स्तरीकरण के बहुआधारीय अध्ययन (Multy Dimensional-Studies Slratification in India)

बहुआधारीय वाले अध्ययन जो स्तरीकरण की व्याख्या करते है वे केवल जातियों का स्तरीकरण का आधार नहीं मानते। बहुआधारीय वाले कारक जो सामाजिक परिस्थिति और श्रेणी का निर्माण करते हैं वे मुख्य रूप से निम्नलिखत है–

1. आर्थिक स्थिति
2. सांस्कृतिक जीवन शैली
3. शैक्षिक योग्यता
4. व्यावसायिक स्थिति
5. व्यक्तिगत गुण आदि।

आन्द्रे बेताई ने28 बहुआधारीय कारकों को लेकर सामाजिक स्तरीकरण का विश्लेषण किया है।

वो अध्ययन जो स्तरीकरण का विश्लेषण अनेक आधार पर किये है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान भारत में स्तरीकरण का सही विश्लेषण जाति के अतिरिक्त अनेक कारकों के ही आधार पर किया जाता है। क्योंकि जातियाँ धीरे-धीरे परिवर्तित होकर वर्ग का रूप धारण कर रहीं हैं। भारत में जो अध्ययन वर्ग सम्बन्धों और सत्ता संरचना पर किये गये है वो नये प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं

भारत में सामजिक परिवर्तन और स्तरीकरणः- (Social Change and Stratification in India)

भारत में सामजिक स्तरीकरण की व्याख्या इसमें होने वाले परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। चूँकि वर्तमान अध्ययन ग्रामीण भारत में स्तरीकरण के बदलते स्वरूप का विश्लेषण करता है अतः ये अधिक उचित होगा कि ग्रामीण भारत में उभरते स्तरीकरण की व्याख्या भारत के बदलते सामाजिक आर्थिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में किया जाय। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सामाजिक संरचना उसके कार्यो में होने वाले परिवर्तन के रूप में की जा सकती है। जब हम भारतीय समाज के सम्पूर्ण संरचना में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं। तो इसमें ऐतिहासिक और वर्तमान परिवर्तनों के बीच अन्तर की एक रेखा नहीं खिच सकते है। ऑगर्बन28 ने इस विलम्बन में "सामाजिक विलम्बन" का सिद्धान्त विकसित करके ये बताने का प्रयास किया है कि समाज में प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विकास के साथ भौतिक

1. Andra Beteille, Closed and open social stratification in India. 1966

जगत में किस तरह इनके बीच परिवर्तन होते हैं और अभौतिक संस्कृतिक किस तरह पिछड़ जाती है। जिससे 'सामाजिक विलम्बन' की स्थिति उत्पन्न होती है।

प्रकार्यवाद के प्रभाव के अन्तर्गत सामाजिक परिवर्तन को समाज में महत्व नहीं दिया जाता बल्कि सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व, सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं पर बल दिया जाता है। प्रकार्यवादी व्यवस्था में विश्लेषण सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से किया जाता है। समाज में घटित होने वाले संघर्ष के आधार पर परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन स्तरीकरण के स्वरूप को बदलते हैं।

भारत में सामाजिक स्तरीकरण के बदलते प्रतिमानों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है–

1– ये बात स्पष्ट रूप से देखी गयी है कि गाँव अथवा क्षेत्र के स्तर पर सामाजिक संस्तरणों की भूमिकायें रेखीय सामाजिक गतिशीलता ला रही हैं। विशेषकर निम्न और मध्यम वर्ग के संस्तरणों में ऐसा देखा जा रहा है।

परम्परागत उच्च जातियों में इस प्रकार की गतिशीलता का अभाव है। मध्यम श्रेणी के जातियों की राजनीतिक सत्ता बढ़ी है जिसे क्षेत्र और गाँव के स्तर पर देख सकते हैं।

2– राष्ट्रीय स्तर पर उच्च जातियाँ सत्ता पर काबिज हैं और इनको नये आर्थिक अवसर और राजनीतिक अकसर मिल रहे हैं। आज भी हमें उच्च जातियों में सत्ता अभिजात–धर्म अधिक मिलते हैं। ये अभिजात–वर्ग अनेक प्रकार के निर्णय की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं।

इनकी भूमिका सामाजिक अभिजात स्तरीकण में अधिक महत्वपूर्ण है।

3– भारत में स्तरीकरण के खुलेपन में कुछ अमानता है। यह असमानता क्षेत्र, गांव, राष्ट्रीय स्तर पर असमानता को कम करने में बाधा डाल रहे हैं। नियोजन के माध्यम से जो आर्थिक विकास किया, उससे सामाजिक असमानता कम नहीं हुई है। बल्कि उच्च और निम्न के बीच खाई बढ़ी है। ये खाई आगे चलकर संघर्ष का कारण बनेगी।

4– भारत में आज भी जातियाँ परिवारों और व्यक्तियों के सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण में अपनी भूमिका अदा करती है। परन्तु इनका प्रभाव अन्य उभरतें समूहों ने कम कर दिया है। गाँवों में अब जातियाँ वर्ग का रूप धारण कर रहीं है। **प्रो0 के0एल0 शर्मा** जातियों में ही वर्ग निहित है। **उदाहरण** के लिए ब्राह्मण एक जाति है, चूँकि वो धनी और गरीब दोनों होता है, अतः वर्ग भी है।

स्तरीकरण के समकालनी सिद्धान्त

अनेक समकालीन समाज शास्त्रियों ने समाजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त की व्ख्याख्या करते समय या तो कार्ल मार्क्स के सिद्धान्त से प्रेरणा ली अथवा मैक्स वेबर के वर्ग की अवधारणा को आधार बनाया। इस सन्दर्भ में नव मार्क्सवादी विचारकों में **ओलिन राइट** का नाम उल्लेखनीय है। और नव–मैक्स वेबर वाद में **जॉन गोल्ड थोर्प** का नाम महत्वपूर्ण है। इन दोनों ने वर्ग की अवधारणा को आधुनिक समाजों के विशेषताओं के आधार पर विकसित किया है। साथ ही साथ एक तीसरे मुढय विचारक **डब्लू0जी0 रनसीमैन** है। जो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को आधार मानकर वर्ग की एक नई अवधारणा की व्याख्या वर्तमान समाजों के विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य

में किया है।

इविक ओलिन राइट (1978 से 89 तक) वर्ग की अवधारणा का सैद्धान्तिक उपागम प्रस्तुत करतें है। इनका कहना है कि कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग की अवधारणा विकसित की है। उसमें सबसे बड़ी समस्या बीसवीं शताब्दी में मध्यम वर्ग की अवधारणा है। ये मध्यम वर्ग वेतनभोगी कर्मचारी है। ये वर्ग कार्ल मार्क्स के श्रमिक वर्ग से अधिक सम्पन्न है। अधिक वेतन प्राप्त करता है इसकी सुरक्षा भी अधिक है। कार्ल मार्क्स ने कहा था अनेक वर्ग एक-दूसरे के विरोधी है। और अपने उद्देश्यों के लिए संघर्ष करते रहें है, और इनकी पहचान उत्पादन में इनकी भूमिकाओं के आधार पर की जाती है। जबकि मैक्स वेबर ने वर्ग की अवधारणा की व्याख्या के लिए बाजार के सम्बन्धों को आधार बनाया है। जिसके अन्तर्गत श्रमिक-शक्ति की खरीद-फरोक्त की जाती है। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन से सम्बन्धित सम्बन्धों को उत्पादन का आधार माना है। **रांईट** ने तीन प्रकार के वर्ग बतायें हैं। जिसमें, इनके अनुसार-पूँजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों, श्रमिक-शक्ति, पूँजी निवेश आदि पर नियंत्रण रखते हैं। इनके अनुसार तीसरा वर्ग एक साधारण पूँजीपति वर्ग है, जो एक भिन्न प्रकार के उत्पादन में अपना योगदान देता है। **राईट** का कहना है जो वास्तविक पूँजीपति समाज होता है वो उत्पादन के आधुनिक ढगों को अपनाते है। इनके उत्पादन का ढंग पूँजीवादी आधार पर नहीं होता है। जब ये लोग साधारण वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो उसमें श्रमिकों का शोषण आदि नहीं होता है। ये उत्पादन बाजार के लिए स्वरोजगार के लिए होता है। ऐसे पूँजीपति उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखतें हैं। श्रमशक्ति पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। इनके और श्रमिक के बीच

संघर्ष होता है। राईट का कहना है कि मार्क्स के सिद्धान्त का मुख्य आधार श्रमिक का शोषण है। इस प्रकार इन्होंने मार्क्स के उपागमों को आधार मानकर शोषण के आधार पर एक नई अवधारणाा बताई है। और यें कहा कि श्रमिक जो उत्पादन करता है, उससे जो लाभ मिलता है इसमें एक वर्ग उस लाभ को हथिया लेता है और ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, जिसमें हानि भी पहुंच सकती है। जिससे शोषित वर्ग अपना श्रम देना बन्द कर देता है।

जॉन गोल्ड थॉर्प (John Gold Thorpe) का नया वेबरवादी सिद्धान्त –

जान गोल्ड थार्प के वर्ग की अवधारणा मुख्य रूप से **लॉकवुड** (Lock Wood) के सिद्धान्त पर आधारित है। जिसके अन्तर्गत उन्होंने बाजार (Market) और कार्य परिस्थिति (Work Situation) ऐसे कारकों को लेकर वर्ग की परिभाषा की है। इन्होंने सात प्रकार के वर्ग बताये हैं। जिनको मुख्य तीन वर्गों में विभाजित किया है।

नौकरी पेशा वर्ग –

- **स्वयत्तव्यवस्था** करता है जिसमें कर्मचारी और मालिक दो होते है।
- **मध्यमवर्ग** दो वर्ग होता है जिसमें स्वयत्तव्यवस्था और निम्न वर्ग के श्रमिक आतें हैं।

'डब्लू0जी0 रनसीमैन' की वर्ग–संरचना, भूमिका और सत्ता की अवधारणा (W.G. Runciman's Concept of Class Structure Roles and Power) -

इन्होंने अनेक प्रकार के वर्गों की व्याख्या की है, और ये व्याख्या वर्ग

संरचना भूमिका और सत्ता के आधार पर की है। इनका कहना है कि वर्ग संरचना भूमिकाओं के आधार पर बनती है। भूमिकाओं में आर्थिक शाक्ति भी निहित होती है। जिनके पास नौकरी हैं उनका वर्ग कैरियर पर निर्धारित होता है।

वर्ग और सत्ता (Class and Power) –

इनका कहना है कि प्रत्येक वर्ग की भूमिकायें होनी चाहिए। वर्ग की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि वर्ग अनेक भूमिकाओं का एक संकुल है। व्यक्ति को आर्थिक शक्ति तीन श्रोतों से मिलती है।

- **स्वामित्व अथवा कानूनी अधिकारी** – जिनके माध्यम से उत्पादन किया जाता है।
- **नियंत्रण या संविदा पर आधारित अधिकार**
- **बाजार**

वर्ग का अन्त? (The death of Class?) –

काफी समय से समाजशास्त्रीय जगत में ये चर्चा चल रहीं है कि वर्ग का महत्व धीरे–धीरे घटता जा रहा है। और समाज शास्त्र के लिए वर्ग विश्लेषण अर्थहीन होता जा रहा है। **डेविड ली** और **टर्नर (David Lee & Turner 1997)** ने लिखा कि जनता के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अतः वर्ग के आधार पर स्तरीकरण का कोई मतलब नहीं रह गया है। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक–वर्ग धीरे–धीरे अपना महत्व खो रहा है। इस दिशा में उत्तर–आधुनिकतावादी वर्ग के महत्व को नहीं मानते हैं।

उत्तर–आधुनिकता और वर्ग का अन्त

(Pos- modernism and the death of Class)

"The Death of Class" (1996) - पुस्तक के लेखक जान पाकुलस्की और माल काम वार्टस्स (**John Pakuilski and Malcokm Waters**) ने लिखा है कि आजकल वर्ग को महत्व नहीं दिया जाता है। केवल फैशन के आधार पर समाज शास्त्रियों को नहीं देखना चाहिए। वर्ग की बात करना एक वैचारिकी पूर्वाग्रह है, बौद्धिक दुर्बलता है, और नैतिक पतन है। ये इसलिए अनेक प्रयोग–सिद्ध अध्ययनों से साबित हो गया है कि वर्ग अपना महत्व खो रहा है। इन लोगों का कहना है कि वर्ग उस समय विद्यमान होते हैं। जब नीचे स्तर पर समूह आपस में संगठित होते है। पर अब हमें इस प्रकार के संगठन खिाई नहीं देते हैं। जब लोग नहीं कहते सुने जाते कि हम किस वर्ग विशेष के है? नये प्रकार के संगठन आज के उत्तरआधुनिक समाज में गठित हो रहे हैं जो वर्ग के अन्तरों को समाप्त कर रहें हैं। आजकल लोग वर्ग के आधार पर क्रिया नहीं करते हैं, न वर्ग के आधार पर सम्बन्ध बनाते हैं। अतः समाजशास्त्र को वर्ग पर महत्व नहीं देना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि वर्ग समाज शास्त्र का एक मुख्य कारक नहीं है। और उसका महत्व उतना ही है, जितना प्रजातियों, लिंग, आयु, आदि का है।

इनका कहना है कि पूँजीवादी समाज में स्तरीकरण तीन अवस्थाओं से गुजरा है। समाज में आर्थिक वर्ग जो उन्नीसवां शताब्दी में पाया जाता था। उसमें समाज तीनं वर्गों में विभाजित था–

अ) सम्पत्ति

ब) स्वामित्व

स) श्रमिक ।

सम्पत्ति रखने वाला वर्ग राज्य पर नियंत्रण रखता था। इसी प्रकार सम्पत्ति भी दो भागों में विभक्त थी।

– श्रेष्ठ वैचारिकी और उसकी अधीन वैचारिकी। इसी को हम अच्च और निम्न संस्कृति भी कहतें थे। संगठित वर्ग समाज वींसवी शताब्दी में लगभ 75 वर्ष था। और इसके बाद राज्य समाज में शक्तिशाली कारण के रूप में उभरा। राज्य समाज में और इस पर एक विशेष समूह का राज्य हुआ। जिसको राजनीतिक राजतंत्र, अभिजात वर्ग कहा जा सकता है। ये वर्ग अपने अधीन जनता पर नियंत्रण रखता है। समाज की आर्थिक-व्यवस्था पर नियंत्रण करता है और राज्य के स्वामित्व का पूरा विभाजन करता है।

बीसवीं शताब्दी के अन्त में पूँजीवादी समाज में परिवर्तन आया और समाज का स्तरीकरण आर्थिक विभिन्नताओं के स्थान पर सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर आधारित मूल्य के प्रतिमानों, उपभोग, अपनी पहचान, विश्वास, प्रतीकात्मक अर्थ, मत और उपभोग आदि पर आधारित है।

जैसे – उदाहरण के लिए– आपके घर की सजावट आपके आर्थिक मूल्य से अधिक हो गयी है।

आधुनिक समाज का स्तरीकरण किस प्रकार सामाजिक प्रकृति पर आधारित इसके चार मुख्य तथ्य बतायें गये हैं–

1. <u>संस्कृतिवाद (Culturalism)</u> : इनका कहना है कि सामाजिक स्तरीकरण जीवन-शैली पर आधारित है। रचनात्मक दृष्टिकोण और सूचनाओं, भौतिक और शक्ति सम्बन्धी तथ्य, परिपक्वता आदि का महत्व कम होकर प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त की गयी जीवन-शैली और मूल्य अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं।

2. **विभाजीकरण (Fragmentation)** : आज के नये प्रकार के समाज में लोग नई प्रकार की सामाजिक परिस्थितियाँ रखते हैं। यह परिस्थिति अनेक प्रकार के समूहों की सदस्यता पर आधारित होती है। साथ ही साथ उपभोग के अनेक प्रकार परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं।

3. **स्वायत्तता (Autonomization)** : इन लोगों का कहना है कि व्यक्ति जहाँ तक उसके मूल्य और व्यवहार का प्रश्न है वह स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे। लोग यह खुद तय करतें हैं कि उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना है, किसमें विश्वास करना है किसमें नहीं करना है। और इन सब विशेषताओं को हम व्यक्ति के वर्गीय पृष्ठभूमि से नहीं निश्चित कर सकते हैं।

4. **पुनः महत्व की प्रक्रिया (Resignification)** : वर्तमान युग में लोग अपनी प्राथमिकताओं और पहचान में परिवर्तन लायें हैं इसके नाते समाज के सामाजिक परिस्थिति के व्यवस्था के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। मनुष्य सदैव अपनी प्राथमिकताओं को आवश्यकता और महत्व के अनुसार बदला करता है। इसके अनुसार उसके सामाजिक परिस्थिति में भी परिवर्तन आता है। इसके अनुसार उन लोगों ने स्तरीकरण के परम्परागत सिद्धान्त की आलोचना की है और इसे पिछड़े युग की बात कही है। इनका कहना है कि वर्ग की राजनीति समाप्त हो गई है और साथ ही साथ लोग लिंग, धर्म, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को भी समाप्त करने की बात कह रहें हैं। आज कल लोग वातावरण की सुरक्षा पर अधिक बल दे रहें हैं, और अपने वर्ग की रूचि पर कम ध्यान दे रहें हैं। समाज की अनेक समस्यायें राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है। इसका महत्व उतना ही है, जितना प्रजातियों, लिंग आयु आदि का है।

सामाजिक स्तरीकरण सभी समाजों की विशिष्टता है वर्गों एवं व्यक्तियों को सामाजिक मूल्य मान के अनुसार उसके द्वारा गृहित विशेषताओं के आधार पर उच्च अथवा निम्न समझा जाता है। मूल्य–मान में कोई परिवर्तन अथवा विशेषताओं में कोई परिवर्तन विभिन्न वर्गों की परिस्थिति में भी अन्तर ला देता है। इस प्रकार विभिन्न समाजों अथवा उसी समाज में विभिन्न समयों पर विभन्न व्यवसायों को प्रतिष्ठा की विभिन्न मात्रा प्राप्त होती है। भारत में किसी समय पुरोहित वर्ग के सदस्यों को अन्य वर्गों के सदस्यों की अपेक्षा अधिक उच्च समझाा जाता था परन्तु आज ऐसा नहीं है। डाक्टर अथवा इन्जीनियर को अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति साधारण दुकानदार से मंत्री बन जाता है तो उसकी परिस्थिति भी उच्च हो जाती है। दूसरी ओर यदि मंत्री अपना मंत्री पद खो देता है तथा पुरानी दुकान पर लौट आता है तो मंत्री के रूप में जो परिस्थिति थी वो भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार समाज़ में लोगों को परिस्थिति मान उप–मान नींचे होते देखा जा सकता है। इस गति को **सामाजिक गतिशीलता** कहा जाता है। आदिम परम्परागत, ग्रामीण एवं सरल समाजों में सामाजिक गतिशीलता बहुत कम पायी जाती है। इसकी तुलना में आधुनिक, जटिल, नगरीय एवं औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता अधिक पायी जाती है। आदिम ग्रामीण एवं परम्परागत समाजों में धर्म, नातेदारी, जाति प्रथाएँ परम्पराओं की पकड़ मजबूत होती है। वहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नित नये प्रयोग नहीं होते तथा जीवन में स्थिरता पायी जाती है, अतः गतिशीलता के अवसर कम ही होते है। वास्तव में सामाजिक गतिशीलता आधुनिक औद्योगिक नगरीय समाजों की ही विशेषता है। यातायात एंव संचार के

नवीन साधनों ने सामजिक गतिशीलता को तीव्रता प्रदान की है। लोग गांवों से नगरों में, नगरों से प्रांतों में, प्रांत से देश में, एक देश से दूसरे देश में तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में सरलता से आ-जा सकते है। औद्योगिक, नगरवाद एक विश्वव्यापी घटना है। जिसने दुनिया के जनसंख्यात्मक रचना को परिवर्तित कर दिया है। इसमें कार्य की दशाओं एंव नये-व्यवसायों तथा नये अवसरों को जन्म दिया है, साथ ही समाज को नये प्रकार का संस्तरण वर्ग-व्यवस्था श्रम-विभाजन एवं सामाजिक-विभेदीकरण प्रदान किया है। औद्योगिकरण के कारण उत्पादन-प्रणाली एवं आर्थिक संगठन में ही क्रान्ति नहीं आयी अपितु इसने नयी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यव्था को जन्म दिया है।

वैयक्तिक स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना में वृद्धि हुई, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, और हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अपनी परिस्थिति को उंचा उठाने का प्रयत्न करने लगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि सामाजिक गतिशीलता की दर बढ़ी और लोगों का पद स्थान एवं व्यवसाय बदलना सरल हो गया।

गतिशीलता सामाजिक स्तरीकरण का एक अभिन्न अंग है, इस लिए कि जब समाज में स्तरण नहीं होगा तो गतिशीलता पर कोई बात नहीं होगा। गतिशीलता का अध्ययन हमेशा स्तरण की पृष्ठभूमि में ही किया जाता है। स्तरण यदि ग्राम पेपर की तरह है तो गतिशीलता उस जगह पर ऊपर नीचे और दाँयें बायें खिसकने वाला एक किस्म का रेखा-चित्र है। इसके साथ यह भी सही है कि गतिशीलता स्तरण की एक विरोधी प्रक्रिया भी है। लेसली(1) का कहना है कि जब कोई व्यक्ति उपर से नीचे जाता है या जाने

की कोशिश करता है तो वह अपनी परम्परागत स्थिति के बारे में नापसंदगी का भाव रखता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कोशिश होती है कि वह समान-स्तर पर खड़ा रहे। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो असमानता या विषमता की स्थिति को ह्रदय से पसन्द करता हो।

सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा –

अन्य समाजशास्त्रीय अवधारणाओं की तहर सामाजिक गतिशीलता एक सरल अवधारणा है। अतः उसकी परिभाषा के सन्दर्भ में भी कोई विशेष अड़चन नहीं हैं। **हाँर्टन एंव हन्ट(2)** ने इसे बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित किया है। "Social Mobility may be defined as the act of moving from one social status to another." इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होना सामाजिक गतिशीलता है। पर कठिनाई वह है कि दोनों लेखकों ने उसी को सामाजिक गतिशीलता माना है, जिस परिवर्तन के अन्तर्गत व्यक्ति एक सामाकि स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाता है। पर यह कोई जरूरी नहीं है सामाजिक गलिशीलता से सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो ही। एक ही सामाजिक स्थिति में रहते हुए भी गतिशीलता सम्भव । समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता के अन्तर्गत, सामाजिक स्थिति में कोई उतार-चढ़ाव नहीं होते, बल्कि एक ही स्थिति में मात्र स्थान परिवर्तन होता है।

हर्बट स्पेन्सर सामाजिक गतिशीलता की जो परिभाषा दी है वह कुछ ज्यादा ही व्यापक है। उनके अनुसार गतिशीलता के अन्तर्गत उन सभी परिवर्तनों को रखते हैं, जिनसे व्यक्ति के व्यवसाय एवं पेशे में परिवर्तन होता है। अर्थात एक ही सामाजिक स्थिति में रहकर भी व्यक्ति के जीवन में गतिशीलता

हो सकती है। **गिडिंस**(3) ने स्पेन्सर द्वारा दी गयी परिभाषा का समर्थन किया है। उनके शब्दों में "The term social mobility refers to the movement of individuals and groups between different socio-economic, positions." इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि गतिशीलता के अन्तर्गत यह कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति की हैसियत में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो। एक ही स्थिति में रहकर यदि पेशे या आमदनी में कोई परिवर्तन होता है तो वह भी सामाजिक गतिशीलता माना जायेगा। **जैसे** यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के वयाख्याता का पद छोड़कर दिल्ली या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में वयाख्याता के पद पर जाता है तो इससे उसकी मासिक आय में थोड़ी वृद्धि होती है। ऐसे परिवर्तन को हम गतिशीलता कहेंगे हालाँकि इससे उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। उसी तरह यदि व्यक्ति बोकारो स्टील कम्पनी में लेखपाल का पद छोड़कर टाटा स्टील कम्पनी में उसी पद पर जाता है तो उसे गतिशीलता कहेंगे। यद्यपि यहाँ भी उसकी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। **गिडिंस की** परिभाषा में एक बात यह भी दृष्टिगोचर होती है कि गतिशीलता सिर्फ व्यक्ति के जीवन में नहीं बल्कि सम्पूर्ण समूह के जीवन में हो सकती है। यदि सामूहिक स्तर पर व्यक्तियों के जीवन में वंचितों की तुलना में अधिक खुशहाली आयी है। प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा के स्तर एवं रहन–सहन के स्तर में काफी वृद्धि हुयी है। इस परिवर्तन को भी गतिशीलता कहा जाता है। इंस विचार को **हॉर्टन और हंट** ने भी रखा है, तभी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ''गतिशीलता व्यक्ति और समूह'' दोनों पर लागू होता है। बहुत सारे समाज शक्तियों ने सामाजिक गतिशीलता को

सामूहिक या नियमित गतिशीलता कहा है। सोरोकीन4 लिखते हैं कि "सामाजिक गतिशीलता से हमारा तात्पर्य सामाजिक समूहों तथा स्तरों के झुण्ड में एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन होना है।"

बोगार्डस के अनुसार "सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है।"

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि-

1. सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक पद, स्थान या व्यवसाय त्याग कर दूसरा पद स्थान या व्यवसाय ग्रहण करने से है।
2. सामजिक गतिशीलता का सम्बन्ध व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से है।
3. सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आता है।
4. यह परिवर्तन एक-एक समूह या समाज की संरचना के अन्तर्गत ही होता है।
5. सामाजिक गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा नहीं है। यह ऊपर या नीचे की ओर तथा समान्तर भी हो सकती है।

विभिन्न वर्गो में गतिशीलता का प्रतिफल एक जैसा नहीं होता। उच्च एवं निम्न वर्ग के लोगों के जीवन में जब भी कभी कोई छोटी सी भी नयी उपलब्धि सामने आती है तो उसका वह तुरन्त लाभ उठाना चाहता है। लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के सामने ऐसा मौका आता है तो वह इन्तजार करना चाहता है। वह बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए साधारण उपलब्धि को

कभी–कभी टाल भी देता है जिसे **हर्टन एवं हंट** ने "Differed Gratification Pattern" कहा है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि मध्यम वर्ग के व्यक्ति समाज में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। वह दिन–रात इस कोशिश में लगा रहता है कि वह कैसे उच्च वर्ग में पहुंच जाय, जबकि निम्न वर्ग के लोगों के जीवन में इतनी परेशानियाँ या मजबूरियाँ होती है कि उन्हें जो कुछ भी अवसर मिलता है, उसका वे तुरन्त लाभ उठाना चाहते हैं। उसी तरह से उच्चा वर्ग का व्यक्ति इतना विलासी या अवसरवादी होता है कि वह हर चीज को अपने स्वार्थ की पूर्ति एवं अपने उच्च पद की रक्षा के लिए तुरन्त ही भोगना चाहता है। उसे हाथ से मौका निकलने का भय सदा बना रहता है।

सामजिक गतिशीलता के प्रकार :–

सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकारों से चर्चा की जा सकती है जिनका उल्लेख **सोरोकीन** ने किया है–

1. समस्तरीय या क्षैतिज गतिशीलता
2. विषम स्तरीय या उद्गग गतिशीलता

क्षैतिज गतिशीलता :–

क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता का अवधारणा को समझाते हुए सोरोकीन ने कहा है कि किसी व्यक्ति या सामाजिक तथ्य का स्थान्तरण समाज स्थितियों में ही एक समूह से दूसरे समूह में होता है। तब उसे क्षैतिज गतिशीलता कहते है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की गतिशीलता में स्थानान्तरित व्यक्ति अथवा किसी अन्य वस्तु की वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षैतिज गतिशीलता के अनेक उदाहरण

देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे प्रचलित उदाहरण कार्यालयों के कर्मचारियों का एक स्थिति में किसी अन्य स्थान पर स्थान्तरण होना। **जैसे**– एक ऑफिसर या किराना बाबू एक स्थान से दूसरे स्थान को बिना पदोन्नति के स्थानान्तरित है तो इसे क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता कहा जाता है। एक देश की नागरिकता छोड़ दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेना एक व्यावसायिक स्थिति में रहते हुए एक कारखानें को छोड़कर दूसरे में नौकरी कर लेना। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे सदस्या ग्रहण कर लेना क्षैतिज गतिशीलता के उदाहरण है। मूल बात यह है कि इसमें स्थान या दल तो परिवतर्तित होते हैं, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तौर पर इस प्रकार की गतिशीलता तुलनात्मक दृष्टि से बंद समाज में देखने को मिलती है। इस प्रकार के समाजों में व्यक्तिकी सामजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। जो जीवन पर्यन्त व्यक्ति के साथ चलती रहती है। ऐसे समाजों के नियमों में लचीलापन नहीं रहता है। अपनी स्वतंत्र इच्छा से व्यक्ति एक समूह को छोड़कर दूसरे की सदस्यता प्राप्त कर सकता। इस प्रकार के बन्द समाज का सबसे अच्छा उदाहरण भारत की परम्परागत जाति–व्यवस्था में देखने को मिलता है।

जाति–व्यवस्था के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनमें क्षैतिज गतिशीलता देखी जा सकती है। इस प्रकार क्षैतिज गतिशीलता के कुछ प्रकारों की चर्चा की जा सकती है। जो निम्नलिखित है–

1. पेशा सम्बन्धी क्षैतिज गतिशीलता।
2. अन्तर परिवारिक गतिशीलता।
3. भू–भागीय गतिशीलता।

4. नागरिक परिवर्तन से होने वाली गतिशीलता।

5. सामाजिक वस्तुओं और मूल्यों में क्षैतिज गतिशीलता।

6. राजनीतिक से सम्बंधित क्षैतिज गतिशीलता।

7. धर्म के सम्बन्ध में क्षैतिज गतिशीलता।

विषमास्तरीय या उग्रग गतिशीलता

उद्रग गतिशीलता या विषमस्तरीय गतिशीलता में व्यक्ति की स्थिति परिवर्तित होती है। क्षैतिज गतिशीलता के अन्तर्गत एक व्यक्ति एक समूह से दूसरे समूह मे प्रवेश कर पाता है लेकिन उसकी सामाजिक स्थाति वहीं रह जाती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उदग्र गतिशीलता में व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है। अर्थात वह स्थिति पहले से या तो ऊँची हो जाती है या पहले से निम्न हो जाती है। इसे परिभाषित करते हुए **सोरोकिन** ने कहा है– कि उदग्र या विषमस्तरीय गतिशीलता का तात्पर्य एक व्यक्ति (या सामाजिक वस्तु) की स्थिति का ए क स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तन होना है। **'इलियट'** एवं **'मेरिल'** ने कहा है कि वर्ग–संरचना में ऊपर और नीचे की ओर होने वाला परिवर्तन उदग गतिशीलता है।

इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जाता है कि उद्रग गतिशीलता दो भिन्न स्तरों के बीच होती है। **जैसे**– एक व्यक्ति अपनी निम्न वर्गीय स्थिति से कुछा वर्गो के पश्चात उच्च वर्ग में प्रवेश पा लेता है तो इसे हम उद्रग गतिशीलता कहेंगे। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि एक उच्च स्तरीय व्यक्ति निम्न स्तर में आ जाता है। यह भी उद्रग गतिशीलता का ही उदाहरण है। उद्रग गतिशीलता की दिशा को ध्यान में रखते हुए इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. नीचे से ऊपर की ओर गतिमान होना।
2. ऊपर के स्तर से नीचे के स्तर की ओर गतिमान होना।

इन दोनों में गतिशीलता वैयक्तिं और सामूहिक आधार पर हो सकती है। समाज में जिस प्रकार की स्तरीकरण व्यवस्था पायी जाती है सामान्यता उद्ग्ग गतिशीलता खुले समाज की विशेषता है। व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि कर लेता है तो आर्थिक और व्यावसायिक संदर्भ में उसकी स्थिति नीचे से ऊपर जाती है इसी प्रकार जब कोई समूह अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि करता है तब उसकी भी स्थिति नीचे से ऊपर जाती है। ठीक यही प्रक्रिया ऊपर केस्तर से नीचे और नीचे के स्तर को गतिमान होने के लिए लागू होती है। अर्थात व्यक्ति की कार्य क्षमता आदि में गिरावट आती है तो उसकी वैयक्तिक स्थित गिरने लगती है और जब यही हास समूह की स्थिति पर लागू होता है तब पूरे समूह की स्थिति नीचे गिरती है।

भारत में जाति व्यवस्था के विकास के विभिन्न कालों में ब्राह्मणों की स्थिति में उतार–चढ़ाव होता रहा है। वैदिक काल में ब्राह्मणों के सामाजिक और परमपरागत स्थिति सबसे ऊँची थी और समाज में उनकी स्थिति को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन ईसा से छः सौ वर्ष पूर्व जब बौद्ध धर्म का आर्विभाव हुआ तब ब्राह्मणों की स्थिति में गिरवाट आयी। अनेक संघर्षो आदि के पश्चात ब्राह्मणों की स्थिति पुनः सबसे ऊँची हुयी। वर्तमान युग खुली प्रतिस्पर्धा युक्त है जिसमें उद्ग्ग गतिशीलता सामान्य तौर पर वैयाक्तिक स्तर पर ही देखे जा सकते है।

काल ने सामाजिक गतिशीलता को तीन भागों में बाँटा है–

1. प्रजनक गतिशीलता

2. प्रवासी गतिशीलता

3. प्रौद्योगिक गतिशीलता

कभी–कभी ऐसा भी होता है कि उच्च वर्ग के लोग जब उस वर्ग के लायक संतान पैदा नहीं कर पाते हैं तो समाज के अध्ययन एवं निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग में खाली स्थान को भरने के लिए स्वाभाविक रूप से गतिशील हो जाते हैं। रोम में सीजर के समय यह गतिशीलता काफी पायी जाती है।

जब किसी स्थान पर जीवनयापन के नये अवसर आर्थिक विकास से उत्पन्न होते है तो वहाँ पर दूसरी जगहों से लोग आकर कुछ हासिल करना चाहते है, जिससे स्थानीय एवं प्रवासी लोगों के बीच समाज में ऊपर उठने के लिए एक किस्म की प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता में प्रवासी लोगों के साथ–साथ कुछ स्थानीय लोग गुछ सीढ़ी ऊपर उठाने में सफल हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कॉल ने प्रवासी गतिशीलता कहा है। इस प्रकार की गतिशीलता **"1859 से 1220"** के मध्य अमेरिका में काफी देखने को मिली।

औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण नये किस्म के पेशों की उत्पत्ति हुई। कृषि पर आधारित परम्परागत पेशों में भी कमी आयी। इस नयी परिस्थिति में गरीबी एवं किसानों के बच्चे नयी किस्म के नौकरियों को पाने में सफल हुए है उनकी आमदनी में वृद्धि हुई फलस्वरूप उनका जीवन स्तर ऊँचा उठा है।

सामाजिक गतिशीलता का उपर्युक्त वर्गीकरण काफी पुराना हो गया है। वर्तमान समाजशास्त्र में गतिशीलता का निम्नलिखित प्रकार कुछ ज्याा ही प्रचलन में है **वे है**–

(i) **अंतः पीढ़ी गतिशीलता** (Inter-generational mobility)

(ii) अन्तरा–पीढ़ी गतिशीलता (Intra-generational mobility)

किसी व्यक्ति को एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंचने में कितनी पीढ़ी का समय लगता है। इसी आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या परिवार अपने ही जीवन काल में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में सफल हो जाता है तो उसे हम अन्तरा–पीढ़ी गतिशीलता कहते है। जब हम व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति की तुलना उसके माता–पिता के सामाजिक प्रस्थिति से करते है और यह पाते है कि वह अपने माता–पिता के सामाजिक स्थिति की तुलना में ऊपर उठा या नीचे गिरा तो गतिशीलता को अन्त पीढ़ी गतिशीलता कहेंगे।

यहाँ ध्यान देने की बात है कि अन्तः या अन्तरा पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता का आधार यह है कि किसी व्यक्ति के जीवन में उसके माता–पिता के तुलना में कैसा परिवर्तन आया है।

पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता को परिवर्तन की दिशा में आधार पर हम दो उप भागों में बाँट सकते है, जो इस प्रकार है–

क. आरोही अंतः पीढ़ी गतिशीलता

ख. अवरोही अंतर पीढ़ी गतिशीलता

जिस समाज के अन्तर्गत उपलब्धी पर आधारित सामाजिक मूल्य पाये जाते है, उस समाज में व्यक्ति अपने अध्यवसाय के आधार पर निम्न स्तर में पैदा होकर समाज के उच्च स्तर को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस बात के उन्तर्गत उदाहरण है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया सिर्फ उसके माता–पिता के सामाजिक हैसियत के सन्दर्भ में नहीं देखी जा सकती। बल्कि सामाजिक गतिशीलता का स्वरूप

स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में होने वाले परिवर्तन के सन्दर्भ में भी देखा जा सकता है। खुली सामाजिका संरचना के अन्तर्गत व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है। आधुनिक जीवन में इस तरह के गतिशीलता की काफी बहुलता है।

अपनी उद्यमशीलता से एक छोटा दुकानदार अपने जीवन में लखपति या करोड़पति व्यापारी बन सकता है। ठीक उसी तरह एक साधारण महाविद्यालय का व्याख्यता अपनी योग्यता के आधार सपर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर पहुंच जाता है। गतिशीलता के इन सभी उदाहरणों को आरोही अन्तरा–पीढ़ी गतिशीलता के अन्तर्गत रखा जाता है।

समाज में ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई लोग अपनी अपार सम्पत्ति को चंद दिनों में ही गवां बैठते हैं। या कभी–कभी अवैध काम करने से नौकरियों से लोग को सेवा से मुअत्तल होना पड़ता है। जो कुछ भी व्यक्ति अर्जित करता है। उसे अपने ही जीवन काल में गलतियों से गवां बैठता है। उसी तरह कोइ नेता मंत्री पद तक पहुंच जाता है और किसी घोटाले में पड़ाकर अपना मंत्रीपद खो बैठता है तो उससे उसके जीवन में उल्टी सामाजिक गतिशीलता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सभी अवरोही अंतरा पीढ़ी गतिशीलता के उदाहरण है। आम जीवन की तुलना में इस प्रकार की गतिशीलता व्यवसायों, नौकरियों एवं राजनीति के क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है।

सामाजिक गतिशीलता के कारक

सामाजिक गतिशीलता के श्रेात और कारक वस्तुतः आपस में सम्बन्धित है, लेकिन इनमें अवधारणात्मक अन्तर है स्त्रोत के माध्यम है जिनके सहारे

गतिशीलता उभरती है और कारक गतिशीलता को उत्पन्न करते हैं।

गतिशीलता के जिन संभावित कारकों की चर्चा हम करेंगे वे थोड़े बहुत अंतरों के साथ लगभग सभी समाजों में देखे जा सकते है। इस दृष्अि से ये कारक सार्वभौमिक है।

सामाजिक स्तरीकरण में सामाजिक गतिशीलता लाने वाले कारक निम्न है–

1. व्यक्तियों में व्याप्त महत्वाकांक्षाएं :–

व्यक्ति चाहे जिस स्थिति में रहे वह उससे ऊपर आने की चाह रखता है अगर वह उच्च स्थिति में है तो और ऊपर जाने की चाह रखता है। यदि वह निम्न स्थिति में है तो वह उच्च स्थिति में जाना चाहता है। वर्तमान युग भाग्यवादिता का नहीं है कि हम स्थिति सो संतुष्ट होकर बैठ जाये इस प्रकार की महात्वाकांक्षाएं व्यक्तियों को कार्यकुशलता बढ़ाने की प्रेरणा देती है जिससे उनकी प्रस्थिति में गतिशीलता आए। मैकलेलैण्ड ने कहा है कि व्यक्तियों में कुछ हासिल करने की आवश्यकता गतिशीलता उत्पन्न करती हैं जीवन में कुछ हासिल करने की आवश्यकता का महसूस होना हमारी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है।

2. अवसर संरचना :–

कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ सामाजिक गतिशीलता के बहुत कम अवसर उपलब्ध होता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी समाज है जहाँ ऐसे अवसर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आमतौर पर बन्द समाजों में इस प्रकार के अवसर बहुत कम उपलब्ध होते हैं। जैसे – जातिगत समाज, परम्पराओं पर आधारित समाज । इसके विपरीत खुले समाजों औद्योगिक समाजों आदि में इस प्रकार के अवसर बहुत अधिक मिलते हैं।

3. शिक्षा और संचार के साधनों में वृद्धि :-

शैक्षिक योग्यता न केवल हमारी क्षमताओं और ज्ञान में वृद्धि करती हैं, बल्कि हमारी सामाजिक स्थिति को भी ऊपर ले जाती है। एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में एक शिक्षित व्यक्ति की सामाजिक प्रतिस्थिति उच्च होती है। इसके कारण हमारे कार्य करने के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, और हम व्यवसाय को चुनने में परम्पराओं से प्रभावित होकर किसी काम को श्रेष्ठ और निम्न नहीं समझते ।

संचार साधनों में जब वृद्धि होती है तो विभिन्न प्रकार के समूह एक दूसरे के निकट जाते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में पाये जाने वाले समूहों, उनके नियमों का प्रभाव हम पर कम पड़ता है और हम परिवर्तनशीलता की ओर बढ़ते हैं, जो अन्ततः हम में गतिशीलता लाती है।

4. उद्योगीकरण एवं शहरीकरण :-

यह एक समाजशास्त्रीय तथ्य है कि औद्योगिकरण क्षेत्रों और शहरों में गतिशीलता अधिक पायी जाती है। इसका कारण है कि विभिनन प्रकार के उद्योग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को जन्म देते है। जिनके लिए विशेषीकरण आवश्यक होता है न कि जाति विशेष में जन्म । स्थान परिवर्तन से क्षैतिज गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलता है। नवीन प्रकार के रोजगारों के उदय होने से उद्रग गतिशीलता को भी बढ़ावा मिलता है। दूसरी ओर शहरी मूल्य एक विशेष प्रकार की जीवन शैली को जन्म देते है। जिसमें व्यक्ति अपने प्रतिदिन के जीवन में जन्म और वंश पर आधृत स्थिति को कोई विशेष महत्व नहीं देते। स्पर्धा भरे जीवन को वे महत्व देते हैं जिसमें गतिशीलता की संभावनाएं भरी रहती हैं।

5. आर्थिक मौके एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का असमान वितरण :-

यह निर्विवाद सत्य है कि समाज में उपलब्ध आर्थिक मौके और सामाजिक प्रतिष्ठा समान मात्रा में सभी को उपलब्ध नहीं होते अर्थात् सामाजिक असमानता एक तथ्य है लेकिन असमानता जब एक सीमा को पार कर जाती है, तब समाज के अनेक सदस्य आर्थिक मौके के लिए प्रयत्नशील होने लगते हैं। कुछ लोग तो आर्थिक आधार पर प्रतिष्ठा भी लेते हैं, जबकि प्रतिष्ठा के योग्य वो होते भी नहीं। **जैसे** – एक योग्य व्यक्ति अपने परिश्रम और लगन सो धन संचय करता है। उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार सारा धन उसके पुत्र को मिलेगा। जबकि उसने उसके लिए कोई परिश्रम या लगन नहीं दिखाई है। यह एक असमानता का उदाहरण है। इस असमानता का परिणाम यह होता है कि असंतोष बढ़ता है और लोग अपनी स्थिति को ऊँचा ले मार्ग अपनाने लगते है। इस प्रकार समाज में व्याप्त असमानता हमें गतिशीलता की ओर प्रेरित करती है।

6. जनांकीय प्रक्रियाएं :-

आप्रवासन जनांकीकी प्रक्रिया का एक अंग है, जिसके अन्तर्गत एक समाज से दूसरे समाज में लोग आते हैं। जिस समाज से लोग आते हैं, उसके व्यवसाय में निम्न व्यवसाय में थे, ऊँची परिस्थितियों में धकेल दिये जाते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप भी सामाजिक गतिशीलता आती है। **सोरोकीन(6)** ने सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित कारकों की चर्चा की है–

1– कुछ संगठनों में लोगों की बहाली एक निश्चित अवधि के लिए होती है। उस अवधि के समाप्त होने पर वे लोग अपने ओहदों पर से हट जाते हैं। इस प्रकार जैसे–जैसे विभिन्न लोगों की अवधि समाप्त होती जाती

है वैसे-वैसे नये लोगों को अवसर मिलता है और परिस्थिति में गतिशीलता आती है। इस प्रकार के संगठन औपचारिक प्रकृति के होते हैं, जैसे – शासनतंत्र आदि।

2- समूह और व्यक्तियों के सामाजिक-सांस्कृति-पर्यावरण में भी समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। कभी-कभी हमारी कार्यकुशलता अचानक घट जाती है और कभी-कभी बढ़ भी जाती है, अर्थात कभी हम सफल भी होते हैं, कभी असफल भी। जिसका कारण व्यक्ति की वैयक्तिक कमियाँ ही नहीं होतीं । कभी-कभी इसका कारण वातावरण में परिवर्तन भी है। इस प्रकार हमारे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण या पर्यावरण में परिवर्तन भी हमारी सामाजिक के कारक होते हैं। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन उन व्यक्तियों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराते हैं जो उस परिवर्तन की परिणाम वाली स्थिति के लिए सबसे अनुकूल होते हैं।

3- व्यक्ति की मृत्यु भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है **सोरोकीन** ने चर्च-व्यवस्था के नियमों का उदाहरण देते हुए कहा है कि चर्च के पादरियों की मृत्यु होने पर नये पादरियों की नियुक्ति निम्न स्तर के सदस्यों में से की जाती है। इस प्रक्रिया में उद्गग गतिशीलता जन्म लेती है।

कभी कभी व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन होते हैं इस परिवर्तन के कारण व्यक्ति अपने दायित्वों को नहीं निभा पाता। इससे विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसे रोकने के लिए व्यक्ति एवं समूह की परिस्थितियों में फेर बदल किये जा सकते है। इससे भी गतिशीलता प्रभावित होती है।

ब्रूम एवं सेल्जनिक(7) ने सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित कारकों की चर्चा की है–

1– उद्योगीकरण के फलस्वरूप नए–नए कारखाने स्थापित होते हैं। इससे नये–नये व्यवयाय का जन्म होता है। लोग नये–नये पदों को प्राप्त करते हैं। इससे इनकी परिस्थिति में परिवर्तन होते हैं।

2– प्रवासी लोगों के केन्द्रीकरण से भी गतिशीलता प्रभावित होती है।

3– शिक्षा में वृद्धि और प्रसार के कारण लोगों के आकांक्षाओं के स्तर में वृद्धि होती है जो सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि ला सकती है।

4– संतानोव्यत्ति की द में भी जो अन्तर आते हैं उनसे भी सामाजिक गतिशीलता प्रभावित हो सकती है।

सामाजिक गतिशीलता के कारणों की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि समाजिक गतिशीलता एक सामाजिक तथ्य है जो सामाजिक आर्थिक कारणों से जन्म लेती हैं।

समाजिक गतिशीलता का प्रभाव

समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रतियोगिता करता है। इसी प्रतियोगिता से समाज का विकास होता आया है। सामाजिक गतिशीलता के कारण सामाजिक बन्धन ढीले हुए है। जजमानी व्यवस्था का ह्रास हुआ है। इसके कारण लोगों में अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई है। जातियों में भी शिक्षा का प्रशित बढ़ा है, लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करके उच्च पदों को प्राप्त कर रहें हैं।

पहले उच्च वर्ग में ऊँची जातियों के लोग ही शामिल थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हैं सामाजिक संस्तरण में निम्न स्थान प्राप्त जातियां भी अपनी

सामाजिक परिस्थिति को ऊँचा उठाकर उच्च वर्ग में शामिल हो रहीं हैं। इनमें इसकी जागरूकता सामाजिक गतिशीलता के कारण आयी है।

लोगों की वैचारिकी में भी परिवर्तन आया है। पहले अगर एक चमार का लड़का पढ़ लिख कर एक उच्च पद भी प्राप्त कर लेता था, तो भी उच्च जाति के लोग उसे नीचा ही समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है लोगों के विचारों में परिवर्तन आया है। अगर निम्न जाति का भी लड़का उच्च पद प्राप्त कर लेता है तो लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसके द्वारा किये गये परिश्रम की तारीफ करते हैं।

पहले महिलाओं और लड़कियों की परिस्थिति प्रत्येक जाति में निम्न थीं। लेकिन जब ऐसा नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जो क्षेत्र पहले पुरुषों की योग्यता वाला था, उस क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपने कदम बढ़ाये है। लेकिन आज भी समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत विषमता है। हमारे यहाँ ऐसी महिलाएं भी हैं जो दरवाजे की ओट से जवाब देती हैं, तो कुछ ऐसी भी है जो जहाज उड़ा रहीं है। हमारा समाज ऐसा है जहाँ सभी शदाब्दियां एक साथ चल रहीं हैं।

समाजिक गतिशीलता का मापन :-

सामाजिक स्तरीकरण के सम्बन्ध में जो भी अध्ययन सामाजिक गतिशीलता पर किये गये है। उनमें एकाकी और बहुआधारीय उपागम के समर्थक एस0एम0 लिप्सेट हैं इनके अनुसार व्यवसाय ही सामाजिक परिस्थितयों का आधार होता है।

सामाजिक गतिशीलता के मापन के बहुआधारीय उपागम के समर्थक जेटर वर्ग हैं। इन्होंने अनेक आधारों को लेकर सामाजिक गतिशीलता का विश्लेषण किया है। इन्होंने शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति राजनीतिक सत्ता आदि

कारकों को आधार मान कर सामाजिक गतिशीलता का मापन किया है।

सामाजिक गतिशीलता का मापन अनेक समाजशास्त्रियों ने कुछ सैद्धान्तिक पक्षों के आधार पर किया है–

क– जेटर वर्ग के गतिशीलता के मापन का बहुआधारीय उपागम ।

ख– गर्टन के सन्दर्भ समूह अवधारणा का सिद्धान्त ।

ग– जी0सी0 होमैन्स ने सामाजिक परिस्थितियों को प्राप्त करने की चेष्ठा का सिद्धान्त निकाला है।

घ– प्राँनजिपी ने अपने जाति के प्रति जागरूकता का सिद्धान्त निकाला है।

हाल के कुछ वर्षों में सामाजिक गतिशीलता के मापन में कुछ समाजशास्त्रियों ने सत्ता को आधार माना है।

सामाजिक गतिशीलता के मापन की विधियाँ :–

क– वर्तमान सामाजिक परिस्थिति की पिछली सामाकि परिस्थिति से तुलना, तथा समाज के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पायी जाने वाली गतिशीलता के अन्तर को मापा जाना।

ख– समाज में उपलब्ध प्रगति के अवसर ।

सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन में अन्तर :–

सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन में अन्तर है। सामाजिक गतिशीलता केवल सामाजिक परिस्थिति के परिवर्तन तक ही सीमित होती है। जो सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करते समय किया जाता है। जबकि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा व्यापक है। इसमें व्यक्ति के सामाजिक परिस्थिति के साथ–साथ अन्य प्रकार के परिवर्तन भी आते हैं। अतः सामाजिक परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता पूर्ण रूप से सामाजिक परिवर्तन का बोध नहीं कराती है।

अध्याय–दो

सामुदायिक विशेषतायें
(Community Setting)

सामुदायिक विशेषतायें (Community Setting) :

सामुदायक विशेषताओं का सूचनादाताओं के सामजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। भौतिक प्रस्थितियाँ जलवायु, भूमि का स्वरूप, संचित, असंचित भूमि समाज के रीति-रिवाज, धर्म आदि कुछ ऐसे कारक है जो सामाजिक जीवन को प्रभावित करते है। जनसंख्या धनत्व, जलवायु आदि कारक भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति और उसकी सामाजिक,आर्थिक संस्थाओं को प्रभावित करते है। गाँवों में जाति, परिवारिक संरचना एवं धर्म सामाजिक कारक है। झाँसी जिले के छः गाँव जिनका अध्ययन किया गया है, उनकी आर्थिक-व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है गेहूँ, गन्ना, धान, मक्का, चना आदि फसलें कृषि उत्पादन में आती है। अब गाँवों में धीरे-धीरे कृषि, बाजार उन्मुख होता जा रहा है। गाँव में अधिकतर संयुक्त परिवार पाये जाते है गाँव में शिक्षा एक सामाजिक कारक है, इसका ग्रामीण जीवन पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव पड़ता हे। इसके प्रभाव के फलस्वरूप लोगों के विचार प्रगतिशील हुए है तथा जीवन-स्तर के प्रतिमान भी बदले है। ऐसे कृषक जिनका शिक्षा का स्तर अच्छा है वह अधिक प्रगतिशील है। इन सब की संस्थात्मक संरचना बदली हैं गाँव की परम्परागत शक्ति-संरचना भी परिवर्तन की प्रक्रियाँ में है। उच्च-जातियों की संख्या भले ही कम है, गाँव की शक्ति-संरचना पर प्रभावशाली है। परन्तु व्यवस्था लागू हुई है, तबसे सत्ता का फैलाव निम्न जातियों और दूर्बल वर्गो तक फैला है। इसकेनाते गाँव के राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ते

जा रहे है। अब गाँव में प्रभु-जाति वही है जिनकी संख्या अधिक है क्योंकि चुनाव के माध्यम से संख्या के आधार पर ये जातियाँ सत्ता हाथियाँ लेती है।

झाँसी जनपद की भौगोलिक संरचना :-

झाँसी जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है झाँसी पूर्व में पाँच जनपदों झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा को सम्मिलित करके मण्डल बना/वर्तमान झाँसी मण्डल में अब केवल तीन जनपद-झाँसी, ललितपुर, जालौन सम्मिलित है। नवगठित मण्डल को यमुना नदी उत्तर में प्रदेश के अन्य जनपदों से विभाजित करती है, जालौन के पूर्व में हमीरपुर, जनपद तथा झाँसी एवं ललितपुर जनपद की सीमाएं मध्य प्रदेश के जनपदों से लगी है बुन्देलखण्ड की स्थिति मानचित्र पर 23.45 और 26.50 उत्तरीय तथा 77.52 और 92.0 पूर्वीय भू-रेखाओं के मध्यम में है।

भौगोलिक क्षेत्रफल :-

मण्डल का क्षेत्रफल 1462 कि0मी0 है जो प्रदेश के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.9 प्रतिशत है। मण्डल में सम्मिलित जनपद झाँसी का 5024 वर्ग कि0मी0 है शेष ललितपुर का 5039 तथा जनपद जालौन का क्षेत्रफल 4565 वर्ग कि0मी0 है।

भौगोलिक संरचना के आधार पर अपने में विषमताओं एवं विशिष्टताओं को संजोये, झाँसी जनपद का प्रदेश में एक पृथक स्थान है। जनपद का अधिकांश भू-भाग असमतल, पथरीला, पहाड़ी एवंगहन बीहड़ों से भरपूर है। जहाँ उत्तरीय-भाग यमुना और सहायक नदियों के दोआब से बना है, वहीं पश्चिम से पूर्व की ओर को क्षेत्र विन्ध्याचल पहाड़ियों से घिरा है।

जलवायु तथा तापमान :-

झाँसी मण्डल कर्क रेखा से बहुत निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु समशीतोषण है। जिसके कारण ग्रीष्म काल में काफी गर्मी तथा शीतकाल में काफी ठण्डक रहती है।

वर्ष :-

झाँसी जनपद में दक्षिण-पश्चिम मानसून जून के तीसरे सप्ताह में प्रारम्भ होकर माह सितम्बर के अन्त तक रहता है। माह जुलाई-अगस्त में वर्षा की सघनता सबसे अधिक रहती है। वर्षा की असमानता, तापमान में वृद्धि तथा ढालू एवं पठारी होने के कारण मैदानी क्षेत्र में भू-क्षरण की क्रिया काफी गम्भीर है।

मृदा संरचना :-

भौगोलिक क्षेत्रफल को मिट्टी के हिसाब से झाँसी जनपद की मिट्टी मुख्यतः लाल व काली का मिश्रण है जिसे मार, कारवां, मडुवां एवं कॉवर के नाम से जाना जाता है। जनपद के प्रथम खण्ड में विकास खण्ड चिरगांव, मोंठ, बामौर एवं मऊरानीपुर है राकड़ मिट्टी कड़ी होने के कारण कम उपजाऊ है।

नदियाँ एवं बाँध :-

मण्डल में प्रमुख्य नदियाँ-यमुना, बेतवा, धसान, पहूंज तथा जामनी है जिनमें वर्षभर पानी रहता है इनके अरिक्त लखेदी, सुदानई एवं सपरार झाँसी जनपद में सजनाम शहजाद, महेबी, बेडइ, जमडार नदियाँ ललितपुर में है। जनपद झाँसी में पहुंज, पारीछा, पडवार, कमला सागर लहचूरा, देवरीघाट, पतराई, अडजार, डांगरी आदि बाँध है।

भू–गर्भ जल :–

मण्डल के अधिकंश भाग में विन्ध्याचल पर्वत की श्रंखला होने के कारण भू–गर्भ जल सुगमता से उपलब्ध नहीं हो पाता जिसके कारण अधिकांश भागों में डी0टी0एच0 रिंग तथा इन्वेलरिंग मशीन द्वारा नलकूल खोदे जाने में काफी कठिनाई होती है। सर्वेक्षण हेतु एक रिमोर्ट सैन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर (आर0एस0ए0सी0) स्थापित किया गया है जिसने सर्वे करके जल भण्डार के स्थान बताये है।

प्रशासनिक संरचना :–

जनपद – झाँसी

अ) तहसील – 1 झाँसी 2. मोंठ 3. मऊरानीपुर
4. गरौठा 5. टहरौली

ब) विकास खण्ड– 1. बबीना 2. बड़ागांव 3. मोंठ
4. चिरगांव 6. गुरसंराय 6. बामौर
7. मऊरानीपुर 8. बंगरा

स) जनसंख्या का घनत्व– 348 प्रति वर्ग किमी0

द) लिंग अनुपात – 870/1000

घ) साक्षरता – 66.66 प्रतिशत्

झाँसी जनपद का इतिहास, स्थापत्य एवं मूर्तिकला

जनपद झाँसी का बुन्दलेखण्ड के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसके विकास में सहायक रही। बेतवाँ (वेत्रवती) धसान तथा पहुंज नदियों ने इस भू-भाग को शस्य-श्यामला बनाया। अद्यतन पुरातात्विक खोजों के परिणाम स्वरूप इस जनपद के इतिहास की प्राचीनता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इससे पहले झाँसी की पहचान वीरांगना लम्बीबाई के बलिदान के कारण थी तथा मराठा एवं अंग्रेजी शासन की चर्चा ही झाँसी के इतिहास का विषय वस्तु रहती थी।

झाँसी से होकर बहने वाली धसान नदी की घाटी में उ0प्र0 राज्य पुरातत्व के निर्देशन में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, झाँसी द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप इस नदी के तटवर्ती क्षेत्र से लगभग एक दर्जन पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण खोजे गये। इसके पश्चात इस सभ्यता के परवर्ती युगीन अन्य सभ्यताओं की बस्तियों के अवशेष धसान नदी की सहायता लखेरी, सिजार तथा कंडार आदि नदियों के किनारे प्रकाश में आये हैं। इन खोजों से झांसी जनपद के इतिहास का अंधकार युग लगभग समाप्त हो रहा है। इस क्षेत्र के क्रमिक इतिहास की पुष्टि हेतु जमीन में दबी हुई किसी एक सभ्यता का पुरातात्विक उत्खनन कराया जाना आवश्यक हो गया है।

यह स्पष्ट होता जा रहा है कि झांसी जनपद में मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार चंदेल, बुंदेल, मराठा तथा अंग्रेजी शासन क्रमिक रूप से विद्यमान रहा हैं। एरच इस जनपद का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था, जहाँ हमें नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। एरच के समकालीन

अनेक परास्थल प्रकाश में आ चुके है। इनमें घाटकोटरा, रतौसा, टिकरी तथा कोटरा के पुरास्थल उल्लेखनीय है।

प्राचीन काल के गान्धार से मथुरा होकर दक्षिण को जाने वाल मार्ग तथा पाटलीपुत्र से कौशाम्बी होगर दक्षिण एवं पश्चिम को जाने वाला मार्ग झाँसी जनपद से ही कोकर गुजरात था। इस प्रकार झांसी की भौगोलिक स्थिति प्राचीन काल से हीं महत्वपूर्ण रही है। तभी तो यहाँ पाषाण काल से लेकर आज तक मानव सभ्यता अनवरत रूप से पुष्पित एवं पल्लवित होती रहीं है। यहां की उपजाऊ मिट्टी तथा व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण मानव को यहां निवास करना बहुत भाया।

इस जनपद में पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास के अवशेश प्राचीन टीलों में दबे पड़े हैं, जिनके प्रमाण स्वरूप मिट्टी के पके बर्तन, ईटें तथा सिक्के आदि प्राप्त हुए हैं। ल08वीं–9वीं श0ई से प्रतिहार राजाओं के समय में निर्मित मन्दिर तथा मूर्तियाँ इस क्षेत्र से प्राप्त हुई है। इनमें जराय का मठ इस काल की स्थापत्य कला का एक सुन्दर उदाहरण हैं इस काल में जनपद में और भीं मन्दिरों का निर्माण हुआ। परन्तु उनके अब मात्र भाग्नावशेष ही शेष हैं। इन मन्दिरों की स्थापत्य कला के अन्तर्गत गर्भगृह तथा मण्डल का प्राविधान हुआ हैं। मन्दिर की उर्ध्वछन्द योजना (एलीवेशन) में सुन्दर गढ़नों से सज्जित वेदीबंध, भव्य प्रतिमाओं से भूषित भित्तियाँ तथा रेखा शिखर का निर्माण, शिखर के ऊपर आमलक नाना प्रकार के अंकन से सज्जित मन्दिरों के द्वारा बनाये गये। उल्लेखनीय है कि इस काल के मन्दिर निर्माताओं ने मन्दिर निर्माण में लगभग 100 कि0मी0 दूर से लाये गये सैड स्टोन (बलुआ पत्थर) का उपयोग किया है इस प्रकार

की सुन्दर गढ़न वाले पत्थरों का उपयोग कालान्तर में लुप्त प्रायः हो गया। मन्दिरों के द्वार के उर्ध्ववर्ती भाग में शुकनाश नामक अंग पर मन्दिर से सम्बन्धित देवी–देवताओं एकमुख बिम्ब आदि का अंकन किया जाता था। प्रतिहार काल में द्वार के ऊपरी भाग पर नवग्रह तथा अष्टदिग्पाल देवताओं का अंकन किया गया हैं मन्दिर की वाह्य भित्तियों पर आठों दिशाओं के रक्षक यथा, पूर्व में इन्द्र, पश्चिम में वरूण उत्तर में कुबेर, दक्षिण में यम, दक्षिण–पूर्व में अग्नि, दक्षिण–पश्चिम में नैद्धति, उत्तर–पश्चिम में वायु तथा उत्तर–पूर्व में ईशान की प्रतिमाएं स्थापित है। इन प्रतिमाओं की पहचान प्रमुख रूप से उनकेवाहन से की जाती हैं। प्रतिहार कालीन मन्दिरों में भिन्न– भिन्न प्रकार की अप्सरा देवी प्रतिमाओं के अंकन से पता चलता है कि तंत्र का प्रभाव इसी युग से होने लगा और कालान्तर में इसका व्यापक स्वरूप खजुराहों के मन्दिरों में दिखाई देता है। यद्यपि प्रतिहार काल में मन्दिरों का निर्माण अल्पसंख्या में हुआ किन्तु लगभग 10वीं शताब्दी ई0 के पश्चात चदेल काल में व्यापक रूप से मन्दिरों का निर्माण हुआ। इन मन्दिरों के निर्माण में स्थानीय ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग हुआ तथा गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली प्रतिमाएं बलुए पत्थर (सैंड स्टोन) द्वारा बनायी गयी। इस क्षेत्र में सर्वाधिक भव्य मन्दिर गैराहा (बंगरा) तथा पठामढ़ी मन्दिर (ठर्रो–बामौर) को है। इन मन्दिरों की स्थापत्य कला प्रतिहार कला की अपेक्षा वृहद्तर रही। उततुग शिखर तथा भव्य मण्डप चंदेल युग की देन हैं इन मन्दिरों की वाह्य भित्तियों में प्रतिमाओं का अंकन बहुत मक हुआ है, इसका प्रमुख कारण मन्दिरों से प्रयुक्त होने वाला स्थानीय कठोर पत्थर (ग्रेनाइट) रहा है। इस युग के अन्य मन्दिर बसारिया, बांध, सकरार,

हैबतपुरा, नुनार, घुघवा, लहरगिर्द आदि स्थलों से प्रकाश में आये है।

इस काल में मूर्तिकला मे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अन्य प्रतिमाओं के साथ-साथ हनुमान की प्रतिभाएं बहुतायत में बनींयीं जाने लगीं। हनुमान को एक हाथ सिर पर रखे तथा दूसरा वक्ष पर रखे एवं पांव से राक्षसी पर प्रहार करते दर्शाया जाने लगा। इसके अतिरिक्त अंजनीमाता के नाम सेविख्यात देवी प्रतिमा भी बहुतायत में बनायीं जाने लगीं। इसके अंतर्गत देवी को प्रायः स्थानक (खड़े) तथा सिर पर सात फणों वाले सर्प छत्र सहित मातृदेवी को शिशु द्वारा स्तनपान करते हुए दिखाया गया है। यद्यपि इस प्रकार की देवी की प्रतिमा के नामांकन के बार अभी भी अनिश्चिता बनी हुई है कि यह प्रतिमा लोक प्रसिद्ध अंजनी माता (हनुमान की माँ) की है अथवा पूर्व परम्परा में निर्मित स्कन्दमाता अथवा कोई और।

चंदेल काल के उपरान्त बुन्देल राजाओं के समय में स्थापत्य कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। स्थानीय स्थापत्य तथा राजस्थान एवं ब्रज की स्थापत्य कला का मिश्रण इस युग के स्थापत्य में राजपूत एवं मुगल शैली की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। इस काल में निर्मित मन्दिर, राजमहल, किला, गढ़ी एवं बावली आदि उल्लेखनीय है।

मन्दिरों के निर्माण में अब पत्थर के स्थान पर ईटों का उपयोग होने लगा। राजमहल का सुन्दर उदाहरण झाँसी स्थित पंचमहल है। कचनेव (बंगरा) में स्थित छत्रशाल की शिकारगाह के नाम से प्रसिद्ध यह भवन की उत्कृष्टतम संरचना का उत्तम उदहारण है। किला के अन्तर्गत झाँसी, टोड़ी, फतेहपुर, टहरौली, बरूआसागर, अमरगढ़, मोंठ, समथर, गुरसंराय, बौड़ा, गढ़वई तथा विजना के किले एवं गढ़ियाँ स्थापत्य कला के सुन्दर उदाहरण

हैं। इनमें टहरौली का किला सबसे वृहद क्षेत्र में निर्मित हैं अभी हाल ही में सर्वेक्षित बौड़ा ग्राम में विद्यमान किले से सम्बद्ध सुरंग इस काल की स्थापत्य का सुन्छर नमूना है। इस सुरंग का उपयोग किले के बाहर निर्मित बावली से सुरक्षित पेयजल लाने हेतु किया जाता था। इसमें बावली तक जाने हेतु पक्की सीढ़ियाँ तथा प्रकाश हेतु ऊपर भाग में प्रकाश छिद्रों का प्राविधान है। यह सभी किले मूल रूप से बुन्देल राजाओं की देन है, जिसका उपयोग कालान्तर में मराठा तथा अंग्रेज शासकों ने किया था। जनपद में मन्छिर स्थापत्य कला का एक सुन्दर उदाहरण ग्राम स्यावरी से प्रकाश में आया है जिसे स्थानीय निवासी बंजरों का मन्दिर के नाम से पुकारते हैं। इस मन्दिर की संरचना अन्य सभी मन्दिरों से भिन्न है।

गुसाईयों के कार्यकाल में झाँसीं नगर में अनेक भव्य मन्दिरों का निर्माण हुआ हैं। मन्दिरों का निर्माण प्रायः योगियों की समाधि के ऊपर हुआ है तथा सभी मन्छिर शिवालय हैं, इनमें झाँसी के झोकनबाग का महाकालेश्वर मन्दिर समूह गुसाई कला का अद्वितीय नमूना है।

मराठा काल में भी अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ। इन मन्दिरों के गर्भगृह में प्रायः भव्य शिवलिंग तथा चारों कोणों पर भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर इसे पंचायतन स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। यद्यपि पंचायतन पूजा के अंतर्गत प्राचीन काल में मुख्य मन्दिर के चारों कोणों पर एक-एक मन्दिर बनाय जाता था और इनमें गणेश, दुर्गा, सूर्य कार्तिकेय कहीं-कहीं लकुलीश की प्रतिमाएं स्थापित करने की परम्परा विद्यमान थी। मराठा काल के मन्दिरों की छत्त गजपृष्ठाकार भी बनायीं जाती थी। इसके अतिरिक्त मन्दिर का शिखर खरबूजिया

आकार का होता है।

झाँसी जनपद में प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता पूर्व तक अनेक संस्कृतियों के प्राप्त अवशेषों से हम समूचे बुन्देलखण्ड के बहुआयामी संस्कृति की जान्कारी प्राप्त कर सकते है। झाँसी को बुन्देलखण्ड का दर्पण कहा जाय तो कदाचित अतिश्योक्ति नहीं होगा।

बुन्देलखण्ड के तीज, त्यौहार, पर्व और मेले

अक्षय तृतीय :-

यह वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन बुन्देलखण्ड के ग्रामीण अंचलों में दरवाजों पर आंगन को गोबर से लीपा जाता है। इस प्रकार का लेपन ग्रामीण क्षेत्रों में शुभ अवसर का प्रतीक माना जाता है। रंग बिरंगे चौक बनाकर पूजा की जाती है।

इस अवसर पर बरूआसागर स्थित पहाड़ी पर शंकर जी के मन्दिर पर दो दिवसीय विशाल मेला लगता है।

रथ यात्रा :-

उन्नाव बालाजी में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को रथ यात्रा व विशाल मेले का अयोजन होता है।

सावन तीज :-

बुन्देलखण्ड में श्रावण शुक्ला तृतीया को बड़े उल्लास से झूले का उत्सव मनाय जाता हैं झूले का उत्सव अत्यधिक दर्शनिक एवं महत्वपूर्ण है और बुन्देखण्ड इस दिन वृन्दावन जैसा प्रतीत होने लगता हैं मंदिर में झूले की झांकियां प्रदर्शित होती है। ओरछा व झाँसी में यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है।

श्रावण की घटाएं :-

बुन्देलखण्ड में झाँसी और मऊरानीपुर श्रावण और घटाओं तथा झूलों का मेला बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

भुंजरियों का त्यौहार :-

श्रावण शुक्लनवमी को भुंजरिया अथवा कजलियाँ पात्रों में बाई जाती है इन्हें गेहूं के पौधो की बढ़त के अनुसार आर्थिक लाभ का अनुमान कृषकजन लगाते हैं। भाद्र मास की प्रतिपदा को इनका विसर्जन किया जाता हैं। इस अवसर पर महोबा में प्रसिद्ध कजली मेला लगता है।

गणेश महोत्सव :-

भादों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से एकादशी तक बुन्देखण्ड में महाराष्ट्र की भाँति गणेशोत्सव की धूम मची रहती हैं। यह पर्व झांसी, ग्वालियर, सागर, छतरपुर, पन्ना, देवी, मऊरानीपुर आदि में विशेष रूप में मनाया जाता हैं। गणेश मर्तियों की स्थान-स्थान पर स्थापना, पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम व चाचर आदि का विशेष आकर्षण रहता है। विसर्जन के दिन विशाल जुलूस निकलते हैं।

जल-बिहार :-

बुन्देलखण्ड के आध्यात्मिक वातावरण में भक्त गण इस उत्सव को अपूर्व उल्लास के साथ मनाते है। यह उत्सव भादों शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता हैं। बुन्देलखण्ड में जल बिहार के मेले का अधिक महत्व हैं यह मेला बुन्देखण्ड के झाँसी, मऊरानीपुर, छतरपुर, जवलपुर और चरखारी में विशेष रूप से दर्शनीय होता है मऊरानीपुर का जलविहार मेला तो अधिक प्रख्यात है। दूर-दूर से हजारों व्यक्ति इस मेले में भाग लेते है और विशाल मूर्तियों की झांकियो के दर्शन करते है।

नवदुर्गा जवारों का मेला :–

बुन्देलखण्ड के कोने–कोने में देवियों के मन्दिरों मेंनवरात्रि पर मेले लगते हैं। झांसी के पंचकुइयां स्थान पर देवी मन्दिर के निकट वर्ष में दो बार क्वांर व चैत्र मास के नवरात्रों में 9 दिवसीय मेले आयोजित होते हैं। अंतिम दिन जवारों का जुलूस निकलता है जो कि 9 दिन पूर्व मिट्टी के बर्तन में जौ कर तैयार किये जाते हैं। इन जुलूसों में देवी के सिद्ध भक्त व महिलाएं विभिन्न असाधारण करबत दिखाते हुए चलते हैं। पृथ्वीपुर (टीमकगढ़) में लगभग 8 किमी0 की दूरी पर अछरूमाता के स्थान पर एक विशाल मेला लगता है।

मकरसंक्रांति :–

माघ मास में मकर संक्रांति के अवसर पर केदारेश्वर, जटा शंकर महादेव (बिजावर), चौपड़ (राठ) महोबा की कंठ पहाड़ी चद्रवारी पर मलहेठा में धसान तट, टीमकगढ़ के कुण्डेश्वर महादेव पर विशाल मेले सम्पन्न होते हैं। झांसी के निकट उन्नाव ब्रालाजी तथा ओरछा के अतिरिक्त चित्रकूट में नदी तट पर लोग पावन स्नान करते हैं तथा मेले भी लगते है।

रामायण मेला :–

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चित्रकूट में फरवरी–मार्च के माह में रामायण मेले का एवं मार्च–अप्रैल में राम नवमी मेले का विशाल आयोजन होता हैं जिसमें लाखों की संख्या में नर–नारी भाग लेते हैं।

उर्स :–

ललितपुर जनपद में सदनशाह बाबा के मजार पर प्रति वर्ष उर्स का आयोजन होता है जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुजन आकर मजार

पर चादर चढ़ाते हैं। यहां पर कव्वाली आदि का अखिल भारतीय आयोजन भी होता है।

तानसेन समारोह :-

ग्वालियर में प्रतिवर्ष इसका वृहद रूप में आयोजन होता है जिसमें देश के ख्याति प्राप्त संगीतज्ञ शिरकत फरमाते हैं। यह आयोजन नवम्बर-दिसम्बर माह में होता है।

कवि केशव जयन्ती :-

ओरछा में केशव जयन्ती पर बहुदिवसीय रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होते हैं।

जैन धार्मिक उत्सव :-

बुन्देलखण्ड में सोनागिर जी, पावागिर जी, श्रीश्री करगुंवा जी, पपौरा जी आदि क्षेत्रों पर वार्षिक मेलों का आयोजन होता है।

खजुराहों महोत्सव :-

प्रति वर्ष मार्च के माह में एक सप्ताह तक चलने वाला खजुराहों नृत्य माहोत्सव आकर्षण का केन्द्र होता हैं इस विश्व विख्यात महोत्सव में पश्चिम समूह के मन्दिरों पर भारत की मानी-जानी नृत्यांगनाएं शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति देती है।

सेन्ट ज्यूड पुण्य तिथि :-

झांसी में एशिया की सबसे बड़ी सेन्ट ज्यूड श्राइन हैं। वर्ष 1966 में पोप के भारत स्थित प्रतिनिध विशप द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस प्रार्थना स्थल पर भारी संख्या में देशी विदेशी धर्मानुरागी आते हैं। प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को सेन्ट ज्यूड की प्राणोत्सर्ग स्मृति में यहाँ विशेष

पुण्य स्मरण व प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है।

बुन्देलखण्ड में भारत वर्ष के प्रमुख त्यौहार होली, दीपावली, दशहरा, ईद, मुहर्रम, बारावफात, रक्षा बंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि भी परम्परागत ढंग से मनाये जाते हैं।

गोबर्धन मेला :-

प्रति वर्ष जून में तालाबों की नगरी चरखारी में गोबर्धन मेले का विशाल आयोजन होता है।

करवा चौथ :-

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं। पति की दीघार्यू की कामना का यह व्रत चन्द्रमा को अर्ध्य देकर समाप्त किया जाता है। दीवार पर गोबर से लीप कर पिसे चावल के घेल से करवा चौथ की कथा पर आधारित चित्रण किया जाता है।

उरैन व ढरकौना :-

बुन्देलखण्ड में शुभ अवसरों पर तीज त्योहारों पर घरों के मुख्य द्वार की भूमि को गोबर से लीप कर उस पर आटे या सूखे रंगों से चौक बनाते हैं जिसे उरेन कहते हैं। मुख्य द्वार की भित्ति पर या देव स्थानों पर गेरू व रूई की सहायता से ढरकौना बनाते जाते हैं जो पूजनीय देवों के प्रतीक माने जाते हैं।

नागपंचमी :-

श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पांचे पर जीवित नागों की पूजा करने की प्रथा हैं। महिलायें घर के भीतर या मुख्य द्वार की भित्ति पर कोयले व गेरू से सांप का चित्रण कर पूजती हैं। संबंधित कहानी में जीवों पर दया करने का संदेश दिया जाता हैं।

कृष्ण जन्माष्टमी :-

कृष्ण जन्म का पर्व भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के पुरूष व स्त्रीयाँ व्रत रखकर मनाते हैं। घरों में कृष्ण जन्म की लीलाओं का भित्ति चित्रण करना पुरानी परम्परा हैं, कृष्ण जन्म के पश्चात प्रसाद वितरण कर व्रत तोड़ा जाता है।

दीपावली :-

कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पर घर में भित्ति पर सुराती बनाने का विशेष महत्व है। मेरू से बनी 16 कोठे की ज्यामितीय आकृति देवीं लक्ष्मी का प्रंतिरूप मानी जाती है। श्री गणेश लक्ष्मी का चित्रित पना व श्री यंत्र भी पूजा में रखा जाता है।

स्वतंत्रता आन्दोलन एवं झाँसी मण्डल

स्वतंत्रता संग्रम में झांसी क्रान्तिकारियों तथा महात्मा गाँधी की कर्मस्थली रहा। 30 अप्रैल, 1920 को महात्मा गाँधी प्रथम बार झाँसी आये। ललितपुर में श्री नंदाकिशोर किलेदार के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन ग्रामीण अंचलों तक फैल गया। मेरठ षड़यंत्रकेस में झांसी के अयोध्या प्रसाद औरलक्ष्मणराव कदम गिरफ्तार हुए। महात्मा गाँधी के नमक सत्याग्रह आदोलन में भी रधुनाथ विनायक धुलेकर के नेतृत्व में श्री सीताराम भास्कर, कुंजबिहारी शिवानी लक्ष्मण राव कदम ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस नमक आन्दोलन में गरौठा, गुरसंराय, मऊरानीपुर, ललितपुर, तालबेहट के लोगों ने भी अपनी सहयोग दिया। साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन के विरूद्ध सशस्त्र क्रांन्तिकारी आन्दोलन में भी झांसी का प्रमुख स्थान रहा। क्रान्तिकारी पं0 परमानन्द ने जापान, मलाया आदि देशों की यात्रायें कर इ

सशस्त्र क्रांति को विस्तार दिया। क्रांतिकारी कार्यो में गहरी अभिरूचि रखने वालों में सर्व श्री कृष्णगोपाल वर्मा, मथुराप्रसाद गाधवी, छेदीलाल और अयोध्याप्रसाद के नाम उल्लेखनीय हैं। भुसावल बम कांड में चन्द्रशेखर आजाद, सदाशिव मलकापुरर के साथ झांसी जनपद में भगवानदास माहौर का नाम भी अमर है। जालौन भारत का ह्रदय प्रदेश है। इसने कभी भी परतंत्रता में रहना स्वीकार नहीं किया इसलिए इसने उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर अपनी विजय पताका लहराने की इच्छा से आगे बढ़ते लोगों का सामना करते हुए सदैव डटकर लोहा लिया। किसी भी सत्ता के अधिपत्य में रहना इस बुन्देली भूमि को कभी भी गवारा नहीं हुआ।

झाँसी मण्डल की धरोहर

झाँसी शहर के पश्चिम भाषा में एक छोटे पहाड़ पर झाँसी किले के अन्दर जाने का रास्ता केवल एक ओर से है। किले के नीचे उत्तर पूर्व में आधे फलांग की दूरी पर ही दो मंजिला राजभवन है। जो रानी महल के नाम से विख्यात है झाँसी मऊरानीपुर बस मार्ग पर बरूआसागर से 3 किमी0 पहले ही एक चारदीवारी के अन्दर जराय मठ के नाम से प्रसिद्ध मन्दिर है जो प्राचीन भारतीय कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ललितपुर जनपद में देवगढ़ के जैन मन्दिर एवं पुरातन संग्रहालय बानपुर में वाणासुर का किला, पाली में नील कंठेश्वर तालेबट का किला, धौर्रा का रणछोड़ मन्दिर एवं मुचकंद गुफा आदि मुख्य हैं। जालौन जनपद में व्यास टीला जिसका सम्बन्ध महाभारत एवं 18 पुराणों के रचियता महर्षि व्यास से बताया जाता है। सूर्यदेव मन्दिर जिसे लोकोंक्ति के अनुसार भगवान कृष्ण

के पुत्र सामन्त ने बनवाया था। कालपी की लंका, 84 गुम्बद आदि मुख्य स्थान हैं। इसी प्रकार जालौन जनपद में पंचनदा नामक पांच नदियों की पवित्र संगम स्थली है जहाँ पर समय-समय पर मेलो का आयोजन होता है। यह जनपद ऋषियों मुनियों की कर्म स्थली रहा। कालपी में कालपदेव तथा महार्षि वेद व्यास, परासन में वेद व्यास के पिता पाराशर ऋषि जलालपुर में शाडिल्य ऋषि, उरई उद्दालक ऋषि, कोंच में कोच ऋषि, बबीना में बाल्मीकि ऋषि, सन्दी में सन्दीपन ऋषि आदि के आश्रम थे। ब्रह्मण पुराण में उल्लेख है कि इटौरा (जनपद जालौन) नाम से प्रसिद्ध स्थान भोग तथा मुक्ति को देने वाला हैं यहाँ पर देवताओं के गुय वृहस्पति ने 100 वर्षो तक ब्रह्मा की तपस्या की थीं। कुरहना ग्राम कुम्भज ऋषि अगस्त के आश्रम के लिये जाना जाता हैं। इस जनपद के कनखेड़ा स्थान से पश्चिम उत्तर में मिट्टी के पात्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी के तथा एरच झाँसी से प्राप्त लाल एवं श्याम पालिश युक्त पात्रों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ईसा पूर्व 230 वर्षो से सन् 220 तक का समय इतिहास के पन्नों में अन्धकार युग के नाम से जाना जाता हैं परन्तु अब यह अन्धकार छट रहा है। बौद्ध साहित्य में एरच को एरक्च्य कहा गया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार एरच महाप्रतापी राजा हिरणकश्यप की राजधानी था।

राष्ट्रीय मछुआ कल्याण केन्द्र :-

मण्डल के जनपद ललितपुर के अन्तर्गत ग्राम जमालपुर में वर्ष 1997-98 में 20 मछुआ आवासों का निर्माण इन्दिरा आवास की भाँति कराया गया तथा 2 हैण्डपम्प स्थापित कराये गये हैं। इसी प्रकार वर्ष 1999-2000 में

ग्राम बांसी एवं बृजवारा में 10–10 आवासों का निर्माण, ग्राम बार में 10 आवास वर्ष 2000–01 में तथा वर्ष 2002–03 में 15 आवास पूर्ण करये गये है।

पट्टा :–

झाँसी मण्डल में कुल 15896.31 हैक्टेयर क्षेत्रफल के तालाब मार्च 2004 तक मण्डल में 143.38 हैक्टेयर के 907 तालाबों के पट्टे निर्गत किये गये हैं। जनपद झाँसी में 296 तालाब 14712.48 हैक्टेयर जनपद ललितपुर में 583 तालाब 735.44 हैक्टेयर जनपद जालौन में 88 तालाब 448.39 हैक्टेयर के पट्टे निर्गत किये गये है।

पर्यटन विकास :–

प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल नये राज्य उत्तरांचल में चले जाने के बाद बुन्देलखण्ड के प्राकृतिक, पुरातत्व तथा ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने की अनेक परियोजनाओं को स्वीकृत दी गई। सरकार द्वारा झाँसी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक पर्यटन विकास पैकेज बनाया गया है ताकि पर्यटक झाँसी की ओर आकृष्ट हो और झाँसी को केन्द्र बनाकर उ0प्र0 एवं मध्य प्रदेश में स्थित बुन्देलखण्ड के अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकें। अभी तक स्थिति यह है कि पर्यटन झाँसी ने न रूककर झाँसी से सीधे खजुराहों और ओरछा की ओर कूचकर जाते है। अतः झाँसी के पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए आवश्यकता है कल्पनाशील व्यापारिक दूरदृष्टि के साथ पर्यटक सुविधाएं जुटाने की जिसका अभाव को सालता रहा है।

पर्यटन विकास योजनाओं के अन्तर्गत झाँसी दुर्ग के आसपास के

क्षेत्र के विकसित करने के साथ झाँसी दुर्ग के चारो ओर 45 लाख रूपये की लागत से फलड लाइट लगाई गई है। झाँसी दुर्ग से रानी महल की बन्छ पड़ी सुरंग को खोले जाने तथा रानी महल की चित्रित दीवारों को संरक्षित करने की भी योजना है। झाँसी मुख्यालय के साथ–साथ स्वर्गाश्रम जरायमठ को भी विकसित किये जाने की योजना है।

झाँसी को पर्यटन जोन के रूप में स्थापित हो जाने से आगरा से खजुराहो जाने वाले पर्यटक बुन्देलखण्ड के देवगढ़, दुधई, माताटीला, जरायमठ, कालपी, चित्रकूट, कलिंजर, आल्हा ऊदल की कार्यस्थली महोबा स्थलों की ओर आकर्षित होंगे जिससे यहां के लघु उद्योगों एवं लोक कलाओं के पनपने और रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। जखौरा (ललितपुर) पीतलमूर्ति ढलाई, चन्देरी साड़ी तथा गौरा पत्थर का मूर्तिशिल्प बांदा के शहलपत्थर तथा यहां की जड़ी बूटियों और लोककला को उत्साहवर्द्धक खरीददार मिलना सुगम हो जायेगा।

सड़क परिवहन एवं संचार

हमारे दैनिक जीवन में सड़को, परिवहन सुविधाओं एवं संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास पर्याप्त सीमा तक विकसित अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कच्चे माल की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पाद मण्डी तक पहुंचने में परिवहन का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन सुविधाओं हेतु झाँसी मण्डल में व्यापक परिव्यय सुरक्षित रखा जा रहा है। प्रमुख रेलमार्ग एवं उत्तर–दक्षिण एवं पूर्व–पश्चिम कोरिडोर राजमार्ग का मिलन बिन्दु होने से परिवहन क्षेत्र में झाँसी नगर भारत का मुख्य परिवहन क्षेत्र बनने को अग्रसर है।

सड़क परिवहन :-

परिवहन एवं व्यापार सम्बन्धी क्रिया-कलापों का विकास एवं विस्तार पर्याप्त सीमा तक सड़कों के विकास पर निर्भर करता है। सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव की प्रक्रिया से कुछ रोजगार के अवसर भी सुलभ होते हैं। क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के उद्देश्य ये प्रदेश को चार आर्थिक क्षेत्र पूर्वी, पश्चिम्, केन्द्रीय तथा बुन्देलखण्ड में बांटा गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत कुल पक्की सड़कों का क्षेत्रवार क्रमशः पूर्वी 37.5, पश्चिमी 36.4, केन्द्रीय 17.7, तथा बुन्देलखण्ड 8.3 प्रतिशत क्षेत्र हैं। मण्डल में क्षेत्रफल के आधार पर प्रति 100 वर्ग किमी0 क्षेत्र पर उपलब्ध सड़कों की लम्बाई 33.14 वर्ग किमी0 हैं जो प्रादेशिक औसत 41.56 प्रतिशत से कम है।

यातायात एवं परिवहन व्यवस्था :-

विद्युत के समान ही यातायात एवं परिवहन सुविधाओं का किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा वहां के निवासियों का जीवन स्तर उठाने में महत्वपूर्ण योगदान होता हे। यातायात परिवहन तथा आवागमन के सुविधाजनक साधन किसी स्थान के कृषि औद्योगिक विकास एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है।

रेल यातायात :-

यातायात एवं आवागमन सुविधाओं में भारतीय रेल का महत्वपूर्ण योगदान है। रेल यातायात का सबसे सस्ता एवं सुविधाजनक साधन हैं झाँसी रेल मण्डल भारतीय रेल का एक सबसे बड़ा मण्डल रहा है और देश के मध्य से स्थित होने के कारण विशेष महत्व रखता है।

झाँसी रेल मण्डल पूर्व में मध्य रेल से सम्बद्ध था जो अब नवीन जोन बनने से उत्तर–मध्य रेल से सम्बद्ध है। झाँसी जंक्शन यहां से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। मण्डल के तीनों जनपद मुख्यालय रेल मार्ग से जुड़े हैं। झाँसी रेल मण्डल के अन्तर्गत 35 स्टेशन/हाल्ट एवं रेल पथ का विस्तार कुल 328 किमी0 हैं मुख्य रेल पथ दिल्ली से भुसावल तक पूर्णतः विद्युतीकृत हैं। झाँसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, चित्रकूट धाम कर्वी, शिवपुरी एवं खजुराहों जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को जोड़ने का सौभग्य इसी मण्डल को प्राप्त है। उत्तर पूर्व में झाँसी से दिल्ली, अमृतसर, जम्भू कश्मीर, जबलपुर, हावड़ा, बनारस, गोरखपुर एवं दक्षिण में कन्याकुमारी तक रेल सेवा उपलब्ध हैं। झाँसी रेल मण्डल पर 13000 हजार से अधिक कर्मचारी हैं। तथा 57 मेल एक्सप्रेस एवं 10 पैंसेंजर/शटल गाड़ियाँ चलती है जिसका संचालन झाँसी रेल मण्डल द्वारा किया जाता है। भारत की सबसे तेज चलने वाली प्रथम शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से भोपाल के बीच चल रहीं हैं। झाँसी रेल मण्डल पर प्रतिदिन औसतन 80 हजार से एक लाख तक यात्रा करते हैं एवं प्रतिदिन लगभग 2000 कुन्तल माल पार्सल बुक किया जाता हैं इसके अतिरिक्त प्रतिदिन औसतन 300 बेगनों में माल का लदान होता हैं। झाँसी में डीजल लोकोमोटिव की व्यवस्था, विद्युत लोकोशेड तथा सवारी एवं मालवाहक डिब्बों की मरम्मत/रखरखाव की व्यवस्था हेतु रेलवे कारखाना (वर्कशाप) स्थित हैं। मण्डल रेल प्रशासन का यात्रियों को आरामदायक एवं सुविधाजक रेल यात्रा प्रदान कराना ही सर्वोच्य उद्देश्य हैं। दुंत गति मालगाड़ी बुलट ट्रेन चलाने से माल यातायात में क्रान्ति आई है।

सड़क परिवहन :-

रेलवे के बाद सड़क परिवहन की यात्रियों के आवागमन एवं माल ढोने में महत्वपूर्ण भूमिका हैं। झाँसी मण्डल में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 318 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग, 233 किमी0 प्रादेशिक राजामार्ग 380 किमी0 मुख्य जिला सड़कों एवं 3702 किमी0 अन्य जिला एवं ग्रामीण सड़कें हैं। सहित कुल 4633 किमी0 पक्की सड़कें हैं। स्थानीय निकाय सिंचाई, वन एवं अन्य विभागों की 357 किमी0 पक्की सड़के विद्यमान हैं। मण्डल के जनपद मुख्यालयों से अर्न्तजनपदीय यात्रा सुविधा उपलब्ध हैं एवं यात्रियों की सुविधा के लिए राज़कीय परिवहन निगम उत्तर-प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की बसे एवं निजी बसे सुदूर स्थानों के लिये मिलती है। राजकीय परिवहन निगम उत्तर-प्रदेश की मण्डल मुख्यालय झाँसी से दिल्ली, बरेली, बनारस, आगरा, फर्रूखाबाद, इटावा, गोखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, हरिद्धार, ऋषिकेश, शिवपुरी, खजुराहों के लिए बस सेवा करता हैं। मण्डल में राजकीय परिवहन निगम उत्तर-प्रदेश की लगभग 150 बसे तथा राजकीय परिवहन निगम मध्य की 50 बसे सेवा में लगी है। इसके साथ ही निजी बस सेवा में लगभग 400 बसे, लगी हुई है। मण्डल में लगभग 3325भारी माल वाहन उपलब्ध है।

वायु परिवहन सेवा :-

मण्डल मुख्यालय झाँसी पर वायु परिवहन सेवा प्रारम्भ करने के लिये हवाई पट्टी का निर्माण हो चुका है जिसका परीक्षण एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई है। अभी यह हवाई पट्टी सेना के अधिकार में है। निकट भविष्य में वायु परिवहन सेवा प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

संचार सुविधा :-

प्रारम्भ से ही संसाधनों में डाकघर का संदेश वाहक के रूप में प्रमुख स्थान रहा है। डाकघर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध धन को विकास कार्यक्रमों में उपयोग करने में आशातीत सफलता मिली है। मण्डल में 609 डाकघर एवं 45 तारघर विद्यमान हैं। जिनके द्वारा प्रतिदिन डाक बांटने की व्यवस्था है तथा सबसे अधिक डाकघर एवं तारघर जनपद झाँसी में हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या 14.4 जबकि तारघर प्रति लाख जनसंख्या पर 1.1 है। जनपद झाँसी में 42288, जनपद ललितपुर में 9164 एवं जनपद जालौन में 21634 टेलीफोन कनेक्शन है। इस प्रकार मण्डल में कुल 73086 टेलीफोन तथा 2624 पी0सी0ओ0 कार्यरत हैं मण्डल के सभी जनपद, तहसील, विकास खण्ड इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन सेवा कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा संचालित है। मण्डल के झाँसी जनपद में आकाशवाणी केन्द्र, कानपुर रोड पर स्थित है। इस केन्द्र से प्रसारण एफ0एम0बैण्ड पर किया जा रहा है। मण्डल के सभी जनपद मुख्यालय एवं मऊरानीपुर नगर में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करके दूरदर्शन सेवा एवं केबिल द्वारा अन्य चेनलों का प्रसारण किया जा रहा हैं। मण्डल में सामूहिक दूरदर्शन योजना के अन्तर्गत सूचना विभाग द्वारा 362 टेलीविजन सैट अधिकतर ग्राम पंचायतों एवं विकास खण्डों पर लगाये गये हैं।

श्रम शक्ति :-

श्रम शक्ति का सिद्धान्तिक अभिप्राय 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या से लिया जाता है और इसी आयु वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। यहां के परिवेश में प्रायः 16–59 वय वर्ग की

अधिकांश स्त्रियाँ न तो रोजगार युक्त होतीं है और न हीं रोजगार हेतु सुलभ होतीं है जबकि 15 वर्ष से भी कम आयु के किशोर एवं 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध रोजगार युक्त पाये जाते हैं। मण्डल में कुल जनसंख्या में 15–59 वय वर्ष की जनसंख्या का अंश 72.94 प्रतिशत तथा प्रदेश में 54.45 प्रतिशत हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 54.92 प्रतिशत है।

रोजगार एवं सेवायोजना :-

सेवायोजकों को उनकी आवश्यकतानुसार अपेक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराने तथा रोजगार के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार सुलभ कराने में प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रशिक्षण एवं सेवायोजना निदेशालय के अधीन जिला सेवायोजन कार्यालय कार्यरत है। जनपद स्तर पर रोजगार के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीकरण करना तथा स्वतः नियोजन के लिए उन्हें प्रेरित करने का उत्तरदायित्व इनका मुख्य उद्देश्य है। सेवायोजकों एवं बेरोजगार अभ्यर्थियों के बीच रोजगार की आवश्यकता की पूर्ति में मध्यस्थ की भूमिका के निर्वहन हेतु सेवायोजन कार्यालय बेरोजगार अभ्यर्थियों को पंजीकृत करके सेवायोजकों से रिक्तियों की सूचना प्राप्त होने पर उपयुक्त अभ्यर्भियों को चयन हेतु सेवायोजकों के पास भेजते है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :-

तीव्र गति से बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए बेरोजगार अभ्यर्भियों को अधिक से अधि प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कृषि पशुपालन एवं वन सम्प्रदा, खान एवं उत्खनन, विद्युत, गैस, थोक एवं फुटकर व्यापार, होटल सेवाये, परिवहन एवं संचार आदि में रोजगार के नयेअवसर तलाशने पर अधिक बल दिया जा रहा है।

सामाजिक सेवायें

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य तथा जल सम्पूर्ति से सम्बन्धित सुविधायं सम्मिलित है। शिक्षा द्वारा मानव का बौद्धिक विकास होता है। किसी भी स्थान विशेष पर उपलब्ध स्तरीय शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा वहाँ के निवासियों की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि करती है जो अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में सहायक होती है।

शिक्षा :-

शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी एवं वर्तमान भौतिक युग में आर्थिक स्तर ऊँचा होने का द्योतक है। साक्षरता किसी भी स्थान के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का महत्वपूर्ण मापदण्ड है। इस परिप्रेक्ष में झाँसी मण्डल काफी पिछड़ा हुआ है। जनगणना 1991 के अनुसार मण्डल में कुल साक्षर 46.6 प्रतिशत हैं जिनमें पुरूष 61.3 प्रतिशत एवं स्त्रियाँ 28.9 प्रतिशत है तथा नगरीय क्षेत्र में पुरूष 78.6 प्रतिशत एवं स्त्रियाँ 54.6 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में पुरूष 59.1 प्रतिशत एवं स्त्रियाँ 19.9 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल 63.9 प्रतिशत नगरों में एवं 41.1 प्रतिशत ग्रामीण अंचलों में शिक्षित निवासी करते है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश साक्षरता का प्रतिशत 57.36 एवं राष्ट्रीय साक्षरता का प्रतिशत 65.38 हो गया। साक्षरता स्तर के उन्नयन के लिये महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के अध्ययन हेतु अनुदान की व्यवस्था महिला विद्यालय स्थापना

निःशुल्क पुस्तकों का वितरण, मध्यान अल्पाहार, तथा बालक एवं बालिका समृद्धि योजनाओं के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा :–

मण्डल मुख्यालय झाँसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय स्थापित है। जिसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के झाँसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल को सम्मिलित करते हुए सात जनपद झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूटधाम, कर्बी सम्मिलित है। विश्वविद्यालय के पास झाँसी–कानपुर मार्ग पर नवनिर्मित भवन हैं जिसमें लगभग समस्त विषयों की उच्च शिक्षा के अतिरिक्त कई व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की भी शिक्षा प्रदान की जा रही है। मण्डल में 20 महाविद्यालय एवं 11 स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जिनमें से जनपद झांसी में 14, जनपद ललितपुर में 4 तथा जनपद जालौन में 13 महाविद्यालय/स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं जनपद झाँसी में 3 बालिका महा विद्यालय है विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में वर्ष 2002–03 में कुल 55049 छात्र/छात्राओं ने शिक्षा प्राप्त की है जिसमें 13983 छात्रायें हैं जो कुल छज्ञत्रों का 25.40 प्रतिशत हैं। कुल छात्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति का 9551 छात्र एवं 235 छात्रायें अध यनरत हैं। मण्डल के मुख्यालय में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, दो चिकित्साकीय महाविद्यालय है जिनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों की शिक्षा का प्राविधान इस प्रकार मण्डल में एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक शिक्षा की व्यवस्था है। मण्डल मुख्यालय झाँसी में एक इन्जीनियरिंग कालेज तथा मण्डल में चार पालीटेक्निक, चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं दो प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। जिनमें छात्रों को इन्जीनियरिंग में स्नातक डिप्लोमा एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है।

माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय :-

मण्डल में कुल 271 माध्यमिक विद्यालय 1033, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 3923 प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें कला, विज्ञान एवं कामर्स विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालयों में 10.83 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिसमें 3.50 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र एवं 3. 27 लाख छात्रायें है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था, उत्तम स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिये व्यक्ति का स्वस्थ्य होना बहुत ही जरूरी है। आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि इसके निवासियों के सवास्थ्य पर निर्भर करती है जन स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवार कल्याण कार्यक्रय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें कार्यक्रम, कष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम, दृष्टि विहीनता निवारण आदि कार्यक्रम सामान्य रूप से राजकीय चिकित्सालयों औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, परिवार कल्याण, केन्द्रों/उपकेन्द्रों के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। इससे समाज को आशातीत लाभ मिले है तथा चेचक, हैजा, बसेरा, प्लेग एवं मृत्यु में अप्रत्याशिप रूप से कमी आई है। इसके साथ ही साथ व्यक्तियों की औसत आयु में काफी वृद्धि हुई है। मण्डल में पोलियों रोकथाम हेतु पल्स पोलियों अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है। मण्डल में परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रो/उपकेन्द्रो की सुविधा 656 ग्रामों में है। 80 ग्रामों में 1 किमी0 से कम 367 ग्रामों 1 से 3 किमी0 तक एवं 778 ग्रामों में 5 किमी0 से अधिक दूरी पर सुविधा उपलब्ध है।

जल सम्पूर्ति :-

मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिये स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल का बहुत महत्व है। जल मानव के लिये हीं नहीं अपितु वनस्पति संसार एवं समस्त जीवधारियों के लिये परम आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं बुन्देलखण्ड स्टेट में पेयजल का अभाव है। इसके लिये मण्डल का पठार क्षेत्र राज्य में हीं नहीं बल्कि देश में पानी के अभाव के लिये सुर्खियों में है। मण्डल के सभी जनपदों में भू-जल स्तर नीचे गिरता जा रहा हे।

मण्डल में सामान्य प्रयोग में लाये जा रहे स्त्रोतों के अनुसार ग्रामों की संख्या कुआ द्वारा 91, साधारण हैण्डपम्प द्वारा 614 तथा इण्डिया इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प द्वारा 1674 है। नल एवं हैण्डपम्प इण्डिया मार्क-2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत समस्त 28 नगर एवं 2383 आबाद ग्रामों को अच्छादित कर लिया गया है।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :-

मण्डल के सभी 2383 आबाद ग्रामों/बस्तियों को इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराकर पेयजल से अच्छादित कर लिया गया है माह मार्च 2004 तक बस्तियों में कुल 32146 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके है। जनपद झाँसी में 9571 ललितपुर में 8524 एवं जालौन में 14051 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये है। मण्डल में एक हैण्डपम्प पर औसतन 103 जनसंख्या है। इसके अतिरिक्त मण्डल में 66 पाईप पेयजल योजनाओं द्वारा जलापूर्ति की जा रहीं हैं इनमें से 56 का रखरखाव जल संस्थान एवं 10 का रखरखाव जल निगम द्वारा किया जा रहा है मण्डल में कुल 16 ग्रामीण पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। इनमें से 10 पेयजल

योजनाओं से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है। उक्त के अतिरिक्त हैण्डपम्प रिबोर, विशेष मरम्मत, नये हैण्ड, नये नलकूप, नलकूप रिबोर के कार्य प्रस्तावित हैं।

शहरी पेयजल कार्यक्रम :-

मण्डल में कुल 28 नगर है। जो सभी पाईप पेयजल योजनाओं द्वारा अच्छादित है। इनमें से 24 योजनाओं का रख-रखाव जल संस्थान झाँसी द्वारा एवं शेष 4 योजनाओं का रख-रखाव जल निगम द्वारा किया जा रहा है। इन पाईप पेयजल योजनाओं द्वारा विद्युत की उपलब्धता पर लगभग 8 घण्टे तथा झाँसी नगर में लगभग 16 घण्टे प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। इन पाईप पेयजल के अतिरिक्त मण्डल के सभी नगरों में 4120 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। जिनका रख-रखाव झाँसी जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में ललितपुर, तालबेहट, बानपुर, झाँसी नगर एवं जनपद जालौन की पेयजल योजनाओं के पुर्नगठन के कार्य पूरे हो चुके है।

सामाजिक समस्यायें एवं आर्थिक प्रत्याशायें :-

देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त देश के समग्र विकास हेतु वर्ष 1951 में योजना आयोग की स्थापना की गयी। योजना आयोग की संस्तुति पर देश में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गयी। पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियानवयन की कडियों में वर्तमान में दसवीं पंचवर्षीय योजना का स्तर क्षेत्रिय विषमतओं को समाप्त करना है, इसके लिए क्षेत्रिय लक्ष्य देश के समग्र विकास विषमताओं का अध्ययन करना अनिवार्य है। झाँसी मण्डल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है जो पश्चिम और दक्षिण में मध्य प्रदेश से

घिरा है। मण्डल की प्रमुख नदियाँ बेतवां, धसान, पहुंजा, यमुना, जामनी, शाहजाद, लखेरी, आदि हैं। जनपदीय विषमताओं को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है। मण्डल के तीन जनपद प्रदेश के पिछड़े जनपदों की श्रेणी में आता है। मण्डल की प्रमुख समस्याओं में कृषि, सम्वर्गीय सेवायें यातायात मार्गो की खराब दशा, अपर्याप्त विद्युत शक्ति, शिक्षा की कमी, आर्थिक संसाधनों की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, औद्योगिक विकास की कमी आदि सम्मिलित है।

मण्डल में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 64.73 प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल एवं एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल मात्र 15.76 प्रतिशत है। जिसमें वृद्धि करने की 'सम्भावनाऐं विद्यमान हैं। मण्डल में लगभग 100551 हैक्टेयर भूमि कृषि बेकार भूमि, ऊसर तथा खेती के अयोग्य भूमि अवशेष हैं। मण्डल में भूमि संरक्षण एवं ऊसर सुधार कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाये ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र को उपचारित करके कृषि योग्य बनाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से मण्डल को दो भागों में विभक्त है। झँसी, मऊरानीपुर रेलवे लाइन के उत्तर दोआब की मिट्टी पाई जाती है। मण्डल के दक्षिण में दोआब की मिट्ट‌‌ी का अभाव है एवं अधिकतर क्षेत्र में विन्ध्याचल की पहाड़ी तथा पत्थर से मिलती जुलती बालू पाई जाती है। मण्डल के अन्तर्गत भूमि जल उपलब्ध अत्यन्त कम है। मण्डल के भूमि जल अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि इस मण्डल में 200 प्रतिशत की कुल गहनता अभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। मण्डल की कुल सघनता 121.0 है दोआब के क्षेत्र में नलकूप आदि लगाये जा सकते हैं तथा पठारी

क्षेत्रों में वृहद एवं गहरे नलकूप लगाना भी सम्भव नहीं है सिचाई के साधन

ग्राम–सभा :–

ग्राम सभा का तात्पर्य गांव में रहने वाले उस प्रत्येक नागरिक समूह से है जिसमें शामिल व्यक्ति का नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज होता है। वह ग्राम के सदस्य के रूप में स्वतंत्र रूप से अपना नेता चुन सकता है। जहाँ एक से अधिक ग्राम होने पर सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम के नाम पर ग्राम सभा का नाम रखा जायेगा। ग्राम सभा में शामिल प्रत्येक नागरिक जिसे मत देना है उसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष आवश्यक होगी।

ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा के बीच सम्बन्ध :–

एक ग्राम सभा में एक निश्चित समुदाय के वे सभी लोग होते हैं जो मतदान कर सकते है। जबकि ग्राम पंचायत में मात्र चुने प्रतिनिधि ।

ठीक प्रकार से कार्य कर रही ग्राम सभा लोकतंत्र की एक संस्था होती है जबकि ग्राम पंचायत चुने हुए प्रतिनिधियों का एक निकाय होता है जिसमें शक्तियाँ भी निहित होती है।

राज्य द्वारा जो अधिकार तथा कार्य दिये जाते है वे ग्राम पंचायत के द्वारा सम्पन्न किये जाते है और वे ग्राम सभा के लिए होते हैं, तथा ग्राम पंचायत उसके लिए जिम्मेदार होती है। ग्राम सभा उसके लाभार्थी समूह के रूप में होती है।

ग्राम सभा की बैठक :–

वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए। एक रबी तथा दूसरी खरीफ की फसल के बाद।

बैठक की सूचना दिनांक व स्थान बताते हुए कम से कम पन्द्रह दिन पहले दी जानी चाहिए। सूचना प्रकाशन अभाव में यदि बैठक स्थगित होती है तो दोबारा बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

बैठक की अध्यक्षता प्रधान द्वारा की जाएगी। उसकी अनुपस्थिति में उप–प्रधान द्वारा तथा दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है।

यदि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य प्रस्ताव लाना चाहे या प्रश्न पूछना चहे तो वह इसकी सूचना दस दिन पहले प्रधान उप प्रधान या पंचायत सचिव को देनी होगी।

बैठक का बुलावा :–

बैठक बुलाने का अधिकार प्रधान को होगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपप्रधान बैठक बुला सकेगा। प्रधान किसी भी समय सूचना देकर असाधारण बैठक बुला सकेगा। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा जिनकी संख्या 1/5 से कम न हो की मांग पर क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर प्रधान तीस दिन के अन्दर बैठक बुला सकेगा।

मुख्यतः प्राविधान है कि बैठक तभी आयोजित होगी जब सारे सदस्यों का कम से कम 1/5 भाग मौजूद होगा। परन्तु हमेशा यह आवश्यक नहीं है। एक बार कोरम पूरा न होने की स्थिति में यदि बैठक स्थगित कर दी जाती है तो दोबारा बैठक के लिए कोरम पूरा होने की आवश्यकता नहीं होगी।

ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही :–

गत बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई जाएगी, उसकी पुष्टि की जाएगी और प्रधान उस पर हस्ताक्षर करेगा।

गत बैठक का हिसाब प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।

सूचना में लिखे विषयों पर विचार किया जायेगा।

इसके पश्चात अन्य विषयों पर विचार किया जायेगा।

कार्यवाही :-

ग्राम सभा की बैठकों व कार्यवाहियों का हिन्दी में एक संक्षिप्त विवरण रजिस्टर (नं0 8) में लिखा जायेगा। बैठक के पश्चात कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि निर्धारित अधिकारी (सहायक विकास अधिकारी/बी0डी0ओ0) के पास सात दिन के अन्दर भेजी जायेगी।

ग्राम सभा के कार्य :-

ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी की देखरेख करेगी।

पिछले वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किये जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट का अवलोकन करेगी।

ग्राम में समाज के सभी वर्गो के बीच एकता व समन्वय की अभिवृद्धि करना।

जनपद पेयजल व्यवस्था

जनपद झाँसी के कुल 570.50 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में 60 प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र है जनपद में कुल 13 नगर (5 नगर पालिकायें तथा 8 नगर

क्षेत्र) स्थित है, इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में 898 हैवीटेशन्स हैं सभी नगरों मे पाइप पेयजल व्यवस्था के माध्यम से जलापूर्ति हो रहीं है। इसके साथ ही 2683 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 28 पेयजल योजनायें निर्मित है ग्रामीण क्ष्ज्ञेत्र में अब तक 11272 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। नगरीय क्ष्ज्ञेत्र में हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन व रख–रखाव जल संस्थान द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों का अधिष्ठान जल निगम एवं यू0पी0एग्रो द्वारा किया जा रहा है तथा अनुरक्षण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

नगरीय क्षेत्र :–

जनपद के 13 नगरों में से सभी नगरों में पाइप लाइन के माध्यम से जलापूर्ति हो रहीं है। झाँसी बरूआसागर, गरौठा, गुरसंराय एवं एरच नगरों में जनसंख्या वृद्धि शहरों का विस्तारीकरण आदि कारणों से पुर्नगठन आवश्यक हो गया है। झाँसी नगर के आयुर्वेदिक कालेज जोन, खुशीपुरा एवं खण्डेराव गेट जोन के कार्य प्रगतिपर है एवं बरूआसागर नगर के कार्य त्वरित नगर कार्यक्रम के कार्य करवाये नगर कर्यक्रम के कार्य करवाये जा रहे है।

झाँसीं नगर (राज्य सेक्टर) :–

झाँसी नगर को 16 जोन्स में बांटा गया है। जिनमें से 4 का कार्य पूर्ण हो चुका हैं तथा 4 जोन्स की 3 योजनायें जिनकी लागत रू0 1031.22 लाख विरचित की गयी। खुशीपुरा एवं ओल्ड बस स्टेण्ड जोन्स के आवश्यक कार्यो को पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

बरूआसागर :–

बरूआसागर में 167.16 लाख की लागत से कार्य प्रगति पर है। योजना में अब तक रू0 85.39 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है तथा 60

प्रतिशत भौतिक प्रगति हो चुका है। ट्रीटमेंट वर्क्स एवं पाइप लाइन के कार्य प्रगति पर है।

गरौठा पेयजल योजना :-

गरौठा नगर हेतु रू0 36.00 लाख की आवश्यकता है। वर्तमान में रू0 4.65 लाख की धनराशि प्राप्त है शेष राशि प्राप्त नहीं है धनाभाव के कारण कार्य अवरूद्ध है।

जनपद के गुरसरांय एवं एरच नगरों हेतु क्रमशः रू0 308.00 लाख एवं रू0 154.70 लाख की योजनाओं के लिये हेतु भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अभी तक इन योजनाओं की कोई धनराशि निर्गत नहीं हुई है।

जिला योजना :-

झाँसी नगर की चार योजनाओं में 9.00 किमी0 वितरण प्रणाली एवं 20 नग इण्टर कनेक्शन हेतु रू0 31.00 लाख का प्राविधान है। इन योजनाओं में से एक योजना पर रू0 15.00 लाख प्राप्त हुआ है। जिसके अन्तर्गत 2.5 किमी0 वितरण प्रणाली बिछायी गयी है शेष कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीण क्षेत्र :-

वर्ष 2004-05 में कुल उपलब्ध धनराशि रू0 215.55 लाख से अबतक कुल 590 नये हेण्डपम्प का अधिष्ठापन तथा 215 हेण्डपम्प ग्रामीण क्षेत्रों में रिबोर किये गये है।

पाइप योजना :-

जिला योजना के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद की दो पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है जो इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना है। मोती

कटरा पेयजल योजना में 1 नलकूप 1 उर्ध्व जलाशय के 100 प्रतिशत एवं 5.00 किमी0 के वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण है। चुरारा पेयजल योजना में 1 नलकूप, 1 डगबेल, 1 स्वच्छ जलाशय एवं 6.00 किमी0वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण है। योजनाओं पर विद्युत उपलब्धता में व्यवधान है और योजना वर्तमान में ट्रायल रन में है।

झाँसी मण्डल जनपदवार एक नजर में

क्षेत्रफल	5024 वर्ग किमी0
कुल जनसंख्या (2001ई)	1746715
महिलाएं	812597
पुरूष	931448
स्त्री–पुरूष अनुपात	870/1000
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	23.23
जनसंख्या धनत्व	348 प्रति वर्ग किमी0
साक्षरता	66.66 प्रतिशत
नगर महा पालिका परिषद :–	1 (झाँसी) 05 समथर, गुरसरांय, मऊरानीपुर, बरूआसागर, चिरगांव)
तहसील :–	05 (झाँसी, मोठ, बंगरा, मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली 08 (झाँसी, मोठ, बंगरा) मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली)
विकास खण्ड :–	08 (झाँसी, मोठ, बंगरा, मऊरानीपुर, बामौर, बबीना बड़ागांव, गुरसरांय)

ग्राम की संख्या :- 760

प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल :-झाँसी दुर्ग, रानी महल, गंगाधार राव की छतरी, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मीताल, नारायण बाग, राजकीय संग्रहालय, कैमासन का मंदिर, जराय मठ, बरूआ सागर किला, कम्पनीबाग, स्वार्गाश्रम, बरूआसागर जलाशय, सुकुवॉ–ढुकवॉ, पारीक्षा बांध, भसनेह जलाशय, करागुवॉ जी, संत जूद तदेवूस श्राईन स्वामी अयप्पा मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर।

प्रमुख औद्योगिक–इकाइयाँ :-

(1) वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन,

(2) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0

(3) श्री निवास फर्टिलाईजर्स लि0

(4) डायमण्ड सीमेण्ट

शोध संस्थान :- भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान।

झाँसी जिले के चुने गये छः गाँवों की सामाजिक आर्थिक विशेषतायें–

तीन नगर–दूर गाँव

रजपुरा

झाँसी शहर से लगभग 25 मिलो मिटर दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित है। यह गाँव आर्थिक रूप से पिछड़ा है। क्योंकि यातायात और आधुनिक सुविधाओं से वंचित है। इस गाँव में एक प्रइमरी स्कूल और एक ग्राम पंचायत है। इसकी जनसंख्या 407 है–

तालिका नं0–2

जाति	कुटूम्बों की सख्या	सदस्यों की संख्या	औसत कुटुम्बों की संख्या
1. ब्रह्मण	6(10.0)	42(10.4)	7.0
2. राजपूत	9(15.0)	72(17.4)	8.0
3. बनिया	3(5.0)	20 (4.9)	6.0
4. निरंजन	8(13.0)	50(12.3)	6.3
5. यादव	5(8.3)	32(7.8)	6.4
6. अहिरवर	10(16.7)	68(16.7)	6.8
7. शाहू	2(3.4)	14(3.4)	7.0
8. मुस्लिम	6(10.0)	52(12.7)	8.7
9. पाल	3(5.0)	16(3.9)	5.3
10. नाई	2(3.3)	11(2.7)	5.2
11. धोबी	2(3.3)	9(3.3)	4.5
12. कुशवहा	60(100.0)	407(100.0)	6.42

श्रोत :– शोधकर्ता के व्यक्तिगत संवेक्षण के आधार पर 12 जाति के लोग निवास करतें हैं। कुज 60 कुटुम्ब है।,मुख्य जातियाँ, रातपूत, निरंजन, बनिया और अन्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय का आवास गाँव के पूरब तरफ पाय जाता है। निम्न जाति के घर गाँव के बाहर तरफ है। यदि गाँव की अन्य विशेषताओं को देखा जाय तो ये जाति के संतरण के आधार पर विभाजित है। बाह्य सर्म्पक से

अपेक्षाकृत कटा हुआ है। यहाँ जाति संस्तरण है और जातीय अन्तर देखा जा सकता है। इनकी जीवन शैली, व्यवहार से ही इनके जाति का पता चल जाता है। उच्च जातियाँ, निम्न जातियों की तुलना में बाह्य जगत से अधिक सम्पर्क में हैं। मध्यम जाति के लोगों का जीवन स्तर और व्यवहार के प्रतिमान परम्परागत है। इस गाँव के आर्थिक और व्यावसायिक संरचना को देखने से ये बात स्पष्ट हो जाती है। इस गाँव के 407लोगों में लगभग 300 लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए है, बाकि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। बहुत थोड़े लोग छोटी–छोटी नौकरियों में लगे हुए हैं। कुछ ब्राह्मण और राजपूत गाँव के बाहर भी व्यवसाय करते हैं। इस गाँव का सामाजिक और आर्थिक संगठन गाँवों की अपेक्षा कम परिवर्तित हुआ है। आज भी इस गाँव में जजमानी व्यवस्था देखी जाती है। नाई, धोबी, पासी, शाहू आज भी जजमानी व्यवस्था से जुड़े हुए है। लेकिन इसका स्वरूप कुछ बदला है। गाँव की भूमि सम्पत्ति उच्च जातियों के हाथों में है गाँव की उच्च जातियाँ जैसे– ब्राह्मण, राजपूत आदि में गाँव की सत्ता एवं सम्मान केन्द्रित है, और यह गाँव के सामाजिक स्तरीकरण को प्रभावित करता है।

(ख) नगर दूर गाँव (बड़ा–गाँव) :–

बड़ा गाँव झाँसी नगर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम उत्तर कोने पर स्थित है रजपुरा और बड़ागाँव में काफी समानता है। दोनों गाँव के लोग एक प्रकार की भाषा बोलते हैं। समान प्रकार की खेती करतें हैं। जाति–वर्ग संरचना समान है, और सामाजिक जीवन में भी एकरूपता पायी जाती है। नगर दूर होने के नाते अपेक्षाकृत सामाजिक सुविधाएँ कम है। इसमें अनेक जाति के लोग रहते हैं। जिनकी संख्या 12 है। गाँवों में आवासीय व्यवस्था भी पृथक् है। उच्च जातियों के आवास एक जगह पर स्थित है।

अनुसूचित जातियों के आवास पृथक है। निम्न और जजमानी व्यवस्था से सम्बन्धित जातियाँ अधिक हैं। ये अधिक गरीब भी है। गाँवों के कुल कुटुम्बों की संख्या 80 है और सदस्यों की संख्या 670 है।

बड़ा–गाँव तालिका नं0–2:2

जाति	कुटूम्बों की सख्या	सदस्यों की संख्या	औसत कुटुम्बों की संख्या
1. ब्राह्मण	10(12.5)	80(11.9)	8.0
2. राजपूत	8(10.0)	72(10.8)	9.0
3. बनिया	5(6.2)	32 (4.8)	6.0
4. यादव	6(7.5)	42(6.3)	7.0
5. निरंजन	9(11.9)	72(10.8)	8.0
6. साहू	15(18.8)	150(22.4)	10.0
7. कुशवहा	4(5.0)	32(4.7)	8.0
8. पाल	3(3.7)	21(3.2)	7.0
9. बरई	2(2.5)	13(1.9)	6.5
10.अहिरवर	14(17)	125(8.6)	8.9
11.धोबी	2(3.3)	9(3.3)	4.5
12.नाई	2(2.5)	18(2.7)	6.0
योग	**80(100.0)**	**670(100.0)**	**7.58**

श्रोत :– आंकड़े शोधकर्ता के व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित है।

सामजिक संस्तरण इस गाँव की विशेषता है। आज भी छुआ–छूत की भावना प्रभावशाली है इसका कारण है कि आधुनिक परिवर्तनों से गाँव अपेक्षाकृत वंचित है। इस गाँव की भौगोलिक परिस्थिति पृथकता का कारण है, गेहूँ, चावल, सरसों, दलहन मुख्य फसलें है। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी ये गाँव पीछे है। कुछ ही लड़के–लड़कियाँ स्नातक की शिक्षा प्राप्त

कर सके है। लड़कियाँ तो हाई–स्कूल तक जाते–जाते पढ़ाई छोड़ देती हैं। गाँवों से प्रवास करके जाने की मनोवृत्ति कम है। केवल 30 (तीस) लोग ऐसे है, जो बाहर किसी न किसी व्यवसाय में लगें हुए हैं। 80 कुटुम्बों में से करीब–करीब 72 कुटुम्ब ऐसे है। इस गाँव में विभेदीकरण और व्यावसायिक विशेषता कम पायी जाती है। वर्ग संरचना का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। निरंजन जाति के कुछ परिवार ऐसे है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है जो वर्ग संरचना की ओर संकेत करते है। किसी गाँव के विकास के लिए बाह्य कारकों से सम्पर्क शिक्षा, नगरीकरण का प्रभाव प्रवास आदि आवश्यक है।

(स) नगर–दूर गाँव (बेंहटा) :–

बेंहटा गाँव झाँसी के दक्षिण छोर पर नगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गाँव में 13 जातियाँ निवास करती है। गाँव में कुल कुटुम्बों की संख्या 70 है। जिसमें उच्च जाति ब्राह्मण, राजपूत के घरों का योग 18 है। बाकी 52 कुटुम्ब निम्न और पिछड़ी जातियों के है बहुधा जजमानी व्यवस्था से सम्बन्धित इस गाँव की पूरी जनसंख्या (407) है और कुटुम्बो का औसत आकार (6.7) है। गाँव में मुख्य रूप से कृषि व्यवसाय किया जाता है। अधिक से अधिक लोग कृषि में लगें हुए हैं। और कुछ कृषक मजदूर है।

ब्राह्मण और राजपूतों के पास गाँव की आधी भूमि पर कृषि स्वामित्व बाकी छोटे–छोटे किसान है इस गाँव में वर्ग व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। क्योंकि शिक्षा का अभाव है। बहुत मक लोग उच्च

बेंहटा(नगर दूर गाँव) तालिका नं0–2:2

जाति	कुटूम्बों की सख्या	सदस्यों की संख्या	औसत कुटुम्बों की संख्या
1. ब्राह्मण	8(11.4)	58(12.0)	7.3
2. राजपूत	10(4.3)	68(14.2)	6.8
3. यादव	3(4.3)	22(4.6)	7.3
4. निरंजन	4(5.7)	24(5.0)	6.0
5. बनिया	2(2.8)	14 (2.9)	7.0
6. पाल	2(2.8)	11(2.3)	5.5
7. धोबी	3(4.3)	21(4.4)	7.0
8. अहिरवर	20(28.6)	120(15.0)	6.0
9. खटिक	5(7.2)	30(6.3)	6.0
10.मुस्लिम	8(11.5)	82(170)	10.3
11.शाहू	2(2.8)	12(2.5)	6.0
12.कुशवहा	3(4.31)	18(3.8)	6.0
योग	**70(100.0)**	**480(100.0)**	**6.76**

श्रोत – आंकड़े शोधकर्ता ने व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित है।

शिक्षा प्राप्त कर सकें है। सिंचाई के सबके व्यक्तिगत साधन हैं गाँव में विधुत व्यवस्था भी है। गतिशीलता के दृष्टिकोण से यह गाँव पिछड़ा है। अधिकतर लोग परम्परागत व्यवसाय करतें है। धर्म का प्रभाव भी अधिक देखा जाता है। गाँव में एक मंदिर और एक मस्जिद है। गाँव से कुछ किलोमीटर पर एक जूनियर हाईस्कूल है। एक किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल है जहां सह साधानों के फलस्वरूप राजनीतिक जागरूकता अधिक पायी जाती है। अपने वोट के प्रति लोग अधिक सचेत हैं। लोगों में राजनीतिक दल और नेताओं का मूल्यांकन करने की पूर्ण क्षमता है।

(अ) तीन–अर्द्धनगरीय गाँव :लहर –

लहर अर्द्धनगरीय गाँव झाँसी नगर से 4 किलोमीटर पश्चिम स्थित है। यह रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। झाँसी नगर से ये जुड़ा हुआ है। अतः यह गाँव, बस, टैम्पो, रेल आदि से जुड़ा हआ है। नगर दूर गाँवों की तुलना में ये गाँव यातायात के साधनों से अधिक जुड़ा हुआ है। इस गाँव में एक मिडिल स्कूल, पोस्ट आफिस की शाखा, इसके साथ ही साथ एक प्राइमरी और एक इण्टर कालेज इस गाँव केपास है। जिससे गाँव के अधिक से अधिक लोग शिक्षित है। यह गाँव झाँसी महानगर और अन्य छोटे–छोटे कस्बों से –

तालिका नं0–2:4

जाति	कुटूम्बों की सख्या	सदस्यों की संख्या	औसत कुटुम्बों की संख्या
1. ब्राह्मण	25(10.8)	500(21.9)	10.9
2. यादव	15(6.5)	120(5.3)	8.0
3. निरंजन	46(19.8)	500(21.9)	10.9
4. बनिया	6(2.6)	50 (2.2)	8.3
5. पाल	3(1.3)	27(1.2)	9.0
6. धोबी	2(0.9)	20(0.9)	10.0
7. खंगार	3(1.3)	22(0.10)	6.0
8. भंगी	2(0.9)	10(0.4)	5.0
9. अहिरवर	25(10.7)	200(8.8)	8.0
10. रावत	15(6.5)	150(6.7)	10.0
11. पटेल	2(0.9)	12(0.6)	6.0
12. साहू	5(2.3)	30(2.3)	10.5
13. कुशवहा	6(2.6)	54(2.5)	9.0
14. मुस्लिम	21(9.1)	265(11.7)	12.0
15. नामदेदव	25(10.8)	150(6.7)	6.0
16. कायस्थ	20(8.7)	140(6.2)	7.0
17. बरई	10(4:3)	80(3.6)	8.0
योग	**70(100.0)**	**480(100.0)**	**6.76**

श्रोत – शोधकर्ता ने व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित है।

जुड़ा हुआ है। इस गाँव के अधिक से अधिक लोग गाँव में प्रतिदिन आते जाते हैं। और अनेक प्रकार के व्यवसायों में लगे है। कुछ लोग अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए शहर जाते है।यह गाँव नगरीय सर्म्पक में अधिक है। यह गाँव अनेक जातियाँ का गाँव है। इस गाँव में लगभग अनेक जातियाँ निवास करती है। मुस्लिम आबादी के साथ–साथ हिन्दू आबादी अधिक है। 9.1 प्रतिशत लोग मुस्लिम धर्म के हैं। लगभग 91 प्रतिशत लोग हिन्दू है। निरंजन जाति के लोगों की संख्या 19.8 प्रतिशत है बाकि निम्न जातियाँ है। इस गाँव में कुद जजमानी–व्यवस्था से भी सम्बन्धित जातियाँ है। इस गाँव पर नगरीकरण का स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यातायात के साधनों ने इस गाँव को अधिक गतिशीलता प्रदान की है।

इस गाँव में जातियाँ सामाजिक स्तरीकरण के रूप में यथावत है। साािजक सम्बन्ध, जाति, विवाह लोग अपने जाति में ही विवाह करते हैं। खानपान आदि क्षेत्रों में लचीलापन देखा जा रहा है। बाह्य कारकों के प्रभाव के फलस्वरूप परम्परागत व्यावसायिक संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं और खेती जो मुख व्यवसाय था, उसके साथ–साथ कुछ अन्य व्यवसाय भी करने लगें है। परन्तु नातेदारी तंत्र, विवाह, धार्मिक अनुष्ठानों के क्षेत्र में आर्धिक परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी इस गाँव में उच्च जातियों सत्ता देखी जा रही है। अनेक प्रकार के बाह्य कारक गाँव को प्रभावित कर रहे हैं। इस गाँव में कृषि भूमि का अभाव है। बड़े–बड़े खेतीहर जमींदारों के परिवार के है। बहुत से परिवार कृषि के अलावा अनेक श्रोतों से जीविका चलाते हैं। इस गाँव के लोगों में झाँसी नगर में

जीविका कमाने के अधिक अवसर उलब्ध है। प्रवास की प्रक्रिया इस गाँव में अधिक प्रभावशाली है। व्यावसायिक संरचना में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे जा रहें है। इस गाँव में चाय, पानी, अन्य प्रकार की दुकानें भी है। 20 साल पहले इस प्रकार की दुकानों का अभाव था यातायात और संचार के साधन बढ़े है। इस गाँव में कई पी0सी0ओ0 है किसान अधिक से अधिक तुरन्त लाभ की फसलें उगातें हैं। शिक्षा के दृष्टि से भी यह गाँव प्रगतिशील है। 100 से अधिक लोग स्नातक हैं। इस गाँव के अधिक से अधिक लोगों के आय का श्रोत झाँसी नगर है।

अर्द्धनगरीय गाँव–खोड़न :–

खोड़न एक अर्द्ध–नगरीय गाँव है। इसमें कुल कुटुम्बों की संख्या 93 है और पूरे गाँव की आबादी 692 है। पूरे गाँव में जातियों की संख्या 16 है। यह गाँव रोडद्व यातायात और रेल यातायात से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बस और टैक्सी यहाँ चौबीसों घण्टे उपलब्ध है। इन सब सुविधाओं के कारण यह गाँव बाह्य कारकों से अधिक प्रभावित हुआ है। इस गाँव में प्राइमरी और जुनियर हाई–स्कूल हैं। गाँव से कुछ ही दूरी पर एक हाईस्कूल और इण्टर कालेज है। इस गाँव में पोस्ट आफिस की एक शाखा भी है। संख्यात्मक दृष्टिकोण से इसमें राजपूत, ब्राह्मण और निरंजन जाति के लोग की संख्या अधिक है। गाँव की आवासीय व्यवस्था जाति के एक संस्तरण के आधार पर बनी हुई है। यदि गाँव के आवासीय व्यवस्था और प्रतिमानों को देखा जाय तो जाति संस्तरण के आधार पर एक जाति के लोगों के कुटुम्ब पास में हैं। इस गाँव के लोग खेती के अलावा और व्यवसाय भी करते है। गाँ में सिंचाई की सुविधा भी है। इस गाँव का बाह्य

जगत से सर्म्पक होने के कारण नगरीकरण का प्रभाव देखा जाता है। 93 में से 60 कुटुम्ब ऐसे हैं जिनकी रोजी–रोटी कृषि से चलती है बाकी लोग रोजी–रोटी कृषि से चलती है। बाकी लोग रोजगार और नौकरी दोनों में लगें हैं।

तालिका नं0–2:5

जाति	कुटुम्बों की सख्या	सदस्यों की संख्या	औसत कुटुम्बों की संख्या
1. राजपूत	10(10.8)	120(17.3)	12.0
2. ब्राह्मण	10(10.8)	85(12.3)	8.5
3. बनिया	46(4.3)	28(14.1)	7.0
4. पाल	2(2.2)	12(1.7)	6.0
5. धोबी	1(1.1)	8(1.2)	8.0
6. शर्मा	3(3.1)	15(2.2)	5.0
7. खंगार	2(2.2)	14(2.1)	7.0
8. माली	1(1.1)	6(0.9)	6.0
9. अहिरवर	20(21.6)	120(8.8)	6.0
10. रावत	8(8.5)	40(5.8)	5.0
11. पटेल	2(2.2)	12(1.7)	6.0
12.कुशवहा	4(4.3)	28(4.1)	7.0
13.मुस्लिम	5(5.4)	40(5.8)	8.0
14.निरंजन	10(10.8)	90(13.0)	9.0
15.कायस्थ	8(8.5)	56(8.1)	1.0
16.यादव	3(3.2)	18(2.5)	6.8
योग	**93 (100.0)**	**692 (100.0)**	**6.5**

श्रोत – आँकड़े शोधकर्ता ने व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित है।

बहुधा लोग शिक्षित है। कुछ लोग उच्च शिक्षा भी प्राप्त किये है। इस गाँव में 60प्रतिशत से अधिक लोग साक्षर है। उच्च जातियों के पास भू–स्वामित्व अधिक है। प्रभावशाली परिवार, ब्राह्मण, राजपूत, निरंजन में से हैं। चूंकि

ये गाँव बाह्य जगत से सम्बन्धित है और झाँसी नगर से प्रतिदिन शहर आने वाले लोगों के माध्यम से अन्तःक्रिया करते है। इसलिए व्यावसायिक गतिशीलता अधिक देखी जाती है। गाँव के अनेक लोग देश के अन्य नगरों में भी कार्य करतें हैं। इसलिए इस गाँव में सामाजिक गतिशीलता अधिक देखी जाती है खानपान में लचीलापन है। केवल वैवाहिक सम्बन्ध ही लोग अपने जाति में करना पसन्द करते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से गाँव अनेक गुटों में बँटा हुआ है ये गुट जाति के आधार पर बने हैं। चुाव आदि के समय अधिक सक्रियता देखी जाती है। अपनी ही जाति के उम्मीद्वार को वोट देनेकी प्रवृति अधिक है।

अर्द्धनगरीय गाँव : कोछाभांवर :-

यह गाँव झाँसी नगर से सनिकट है और शहर से 13 किलोमीटर पश्चिम की तरफ स्थित है। यह गाँव झाँसी के औद्योगिक क्षेत्र से सटा हुआ है। इस गाँव में अनेक जातियों के 66 कुटुम्ब है, जिसमें 16 जातियों के लोग निवास करतें है। गाँव की कुल जनसंख्या 454 है। नगर का प्रभाव इस गाँव पर पूर्ण रूप से पड़ा है। जैसे सड़क, बिजली, संचार क्रान्ति आदि 50 प्रतिशत लोग कृषि आदि व्यवसाय करतें है। इस गाँव में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक है। इस गाँव में जजमानी सेवाओं से भी लगी जातियाँ है। परन्तु अब जजमानी-व्यवस्था समाप्त हो गयी है। शहरीकरण के नाते धोबी, नाई, कुम्हार अन्य व्यवसायों में लग गये हैं। जजमानी-व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक नहीं रह गयी हैं।

तालिका नं0–2:6

जाति	कुटुम्बों की सख्या	सदस्यों की संख्या	औसत कुटुम्बों की संख्या
1. राजपूत	7(10.6)	42(10.6)	6.0
2. ब्राह्मण	5(7.6)	40(8.0)	8.5
3. बनिया	2(3.0)	13(2.9)	6.5
4. पाल	2(3.0)	14(3.1)	7.0
5. धोबी	2(3.0)	12(2.6)	6.0
6. शर्मा	2(3.0)	10(2.2)	5.0
7. खंगार	3(4.6)	18(3.9)	6.0
9. अहिरवर	12(18.3)	72(15.9)	6.0
10. रावत	6(9.1)	54(11.9)	9.0
11. पटेल	2(3.0)	12(2.6)	6.0
12.कुशवहा	4(6.0)	26(5.7)	6.5
13.मुस्लिम	5(7.6)	52(11.5)	10.4
14.निरंजन	8(12.2)	48(10.6)	6.0
15.कायस्थ	3(4.6)	21(4.6)	7.0
16.यादव	2(3.0)	12(2.6)	6.0
योग	**66(100.0)**	**454(100.0)**	**6.8**

श्रोत – आँकड़े शोधकर्ता ने व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित है।

व्यवसायिक क्षेत्र में इस गाँव में अन्तः पीढ़ी और पीढ़ी अन्तर्रापीढ़ी गतिशीलता अधिक है। शिक्षा का स्तर ऊँचा होने के नाते लोग अनेक व्यवसायों में लगें हैं। इस गाँव के आधे से अधिक कृषि भूमि को राज्य सरकार ने झाँसी औद्योगिक विकास के लिए अधिकृत कर लिया है। इस गाँव में नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। ये उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं। अनुसूचित और अन्य पिछड़ी जाति के लोग नौकरी और अन्य क्षेत्रों में लगें हैं। खेती के साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं। जैसे – चाय, पानी , कपड़े आदि की दुकान खोले है। नगर दूर गाँव की अपेक्षा अर्थपूर्ण परिवर्तन देखे जाते हैं। ये आधुनिकता का केन्द्र है।

अध्याय–तीन

अध्ययन–विधि

अध्ययन–विधि :

किसी भी सामाजिक समस्या के व्यवस्थित अध्ययन के लिए अध्ययन को नियोजित करना पड़ता है। और शोध–अभिकल्प का निर्माण करना पड़ता है, यदि ऐसा नहीं किया जाय तो शोध के समस्या का सही ज्ञान सम्भव नहीं हो पाता है। शोध के विषय का चुनाव वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलावा और भी किसी आधार पर किया जा सकता है। परन्तु शोध से सम्बन्धित विषय को एक शोध–समस्या के रूप में देखते हैं। ये वैज्ञानिक खोज का पहला चरण होता है और इस पर वैज्ञानिक विधियों का प्रभाव होना चाहिए।

जब हम अध्ययन विधि की बात करते है तो हमारा तात्पर्य होता है कि शोध के विषय के वैज्ञानिक दृष्टिाकेण से छानबीन कर ली जाती है, और ये निश्चित कर लिया जाता है कि इसमें किन–किन प्रविधियों का प्रयोग करना है। कौन–कौन विद्वानों के कथन सम्बन्धित है। तथ्यों के मान्यता का ढंग क्या होगा। अध्ययन विधि और इससे सम्बन्धित क्रिया–कलाप आलोचनात्मक विश्लेषण अदि मस्तिष्क के एक दशा अधिक होते हैं और संगठित नियम विधियाँ कम।[1]

---

1. Lazars feld, P.F. The Language of Social Research. The Free Press, U.S.A. 1953.

मानव व्यवहार और वैज्ञानिक विधि के बीच सह–सम्बन्ध पाया जाता है। और अध्ययन से ये सिद्ध हो गया है कि मानव व्यवहार और क्रिया और अध्ययन वैज्ञानिक विधि से सम्बन्धित बहुत गुणात्मक होते हैं। ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में कला को विज्ञान से पृथक किया जा सकता है। एक कला के वृति का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि ये देखने, सुनने और पढ़ने वालों पर कितना प्रभाव डालता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि इसके निर्माण में किन–किन साधनों और विधियों का प्रयोग किया गया है। वैज्ञानिक अध्ययन के सम्बन्धित महत्वपूर्ण किन–किन वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है। निष्कर्ष की वैधता बहुत कुछ वैज्ञानिक विधियां पर निर्भर करती है।

एक लैब वैज्ञानिक प्राकृतिक वैज्ञानिक की भांति अपनी परिकल्पनाओं का सत्यापन अथवा निरस्तीकरण पूर्ण रूप से नहीं कर सकता क्योंकि प्रकृतिक विज्ञानों में तथ्य प्रत्येक स्थान और समय में समान गुण के होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं आता है। परन्तु समाज विज्ञानों में सामाजिक तथ्य और कारण अनेक होते हैं। उदाहरण के लिए एक बर्फ का टुकड़ा प्रत्येक युग और स्थान पर तैरता है, और इसका कारण भी हर एक स्थान पर एक ही होता है। परन्तु एक आदमी ने आत्महत्या क्यों कर ली, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, अतः समाज विज्ञानों में शत् प्रतिशत भविष्यवाणी करके समान्यीकरण नहीं किया जा सकता है।

एक अध्ययन–विधि को विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है, खास तरीके से स्तरीकरण के बदलते प्रतिमानों के अध्ययन के लिए सामाजिक स्तरीकरण परिवर्तन के लिए

अनेक कारकों का अध्ययन करना पड़ता है, जो इन कारकों को लाते हैं। इसके लिए प्रायोगिक-विधि का प्रयोग साथ ही साथ अवलोकन करके समय के दो बिन्दुओं का भी अवलोकन किया जाता है।

सामाजिक स्तरीकरण का मापन : (Measurement of Social Stratification)

जब हम किसी भी समस्या का मापन करते हैं तो वैधता उसका अवरोही स्वस्थ होगा। मापन और विश्लेषण स्तरीकरण के सैद्धान्तिक पक्षों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसके लिए अनेक अवधारणाओं और प्रविधियों को विकसित करके इसके वैधता का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ ये भी देखतें हैं सामाजिक स्तरीकरण के कौन-कौन से निर्धारित कारक है। सामाजिक स्तरीकरण के दो मुख्य स्वरूप है, (1) जाति (2) वर्ग। जाति को हम समजातीय समाज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वर्ग के आधार पर विभिन्नताएं पायी जाती है। उदाहरण के लिए जातियाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से भिन्न होतीं है। एक जाति में पाये जाने वाले परिवारों में भी अन्तर देखा जाता है। स्तरीकरण के अध्ययन में जाति, सत्ता, वर्ग तीनों के तत्व विद्यमान होते हैं और गांवों के स्तर पर देखा जा सकता है। ये भी बात सत्य है , ग्रामीण समाज में जाति पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा को प्रभावित करतीं है, ये ही स्तरीकरण का पूर्ण आधार है। हलाँकि ग्रामीण में जाति का महत्वूपर्ण स्थान है। जातियाँ व्यवसायिक गतिशीलता और आर्थिक दृष्टिकोण से भिन्न होता है।

अध्ययन-क्षेत्र एवं अध्ययन का उद्देश्य : (Area of Study and the aim of the study) उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के छः गांवों को संघन विश्लेषण के लिए चुना गया है। यही अध्ययन क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। इन में

से तीन गाँवों अर्धनगरीय हैं, जो नगर के निकट बसे हैं, और तीन गांव नगर–दूर से ग्रामीण हैं, जो नगर से दूर बसे है। नगर दूर गांव रजपुरा, बड़ागावं, बेंहटा है, तथा नगर निकट गांव लहर, खोड़न, कौछाभावर हैं। नगर निकट गांव झांसी महानगर से समीप है, जो रेल और सड़क मार्ग से जुड़े हुए है। नगर दूर गाँव झांसी जिले के ग्रामीण अंचलों में जो झांसी जिले से 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थिति है। इन गांवों का चुनाव ग्रामीण भारत में सामाजिक स्तरीकरण में परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए चुना गया है। दो प्रकार के गांवों को चुनने का उद्देश्य यह है कि इसमें देखा गया है कि नगर–निकट गांवों में नगरीकरण के अधिक प्रभाव के फलस्वरूप व्यवसायिक गतिशीलता कैसे आती है? शिक्षा के प्रसार के नाते किस प्रकार से लोगों के सामाजिक–संरचनात्मक जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। जबकि नगर–दूर गाँव अपेक्षाकृत परिवर्तन की प्रक्रिया में है। नगर–दूर गाँवों को एक 'नियन्त्रित इकाई' नगर निकट गावँ 'प्रयोगात्मक इकाई' के रूप में लिया गया है। नगर निकट और नगर दूर गाँवों की तुलना करके ये देखा गया है कि इन गाँवों में भूमिका, धार्मिक अनुष्ठानों प्रवास, व्यवसायिक गतिशीलता, सामाजिक संस्थाओं की भूमिका, 'जजमानी व्यवस्था' जाति पंचायत और सत्ता संरचना आदि में कितना विभेदीकरण मिलता है।

गाँवों की ये दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ तुलनात्मक विश्लेषण के लिए अवसर प्रदान करतें हैं और गाँवों में सामाजिक स्तरीकरण के उभरते प्रतिभानों की जानकारी देते हैं। नगर–दूर गाँवों में स्तरीकरण के वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्रदान करते हैं।

चूँकि हम इस अध्ययन में दो प्रकार के समूहों की तुलना करके नगरीय व्यवसायों और परम्परागत व्यवसायों में अन्तर देखना था। ऐसे तीन अर्द्ध–नगरीय और तीन परम्परागत गाँवों का चुनाव किया गया। अतः ये तीन अर्द्ध–नगरीय गाँव और तीन नगर दूर गाँव इस शोध के 'अध्ययन क्षेत्र' है।

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण के बदलते प्रतिमानों का अध्ययन करना है। स्तरीकरण के मुख्य तत्व बदल गये है या बदलने की प्रक्रिया में है। जातियाँ अब बन्द–वर्ग का 64 ले रही है। ग्रामीण शक्ति संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जो स्तरीकरण को प्रभावित किये के हैं। यातायात साधनों, उधोगीकरण, नगरीकरण आदि के प्रभाव के फलस्वरूप गतिशीलता बढ़ी है और व्यवसायों का विभेदीकरण हुआ है।

शोध–अभिकल्प : (Research Design)

प्रयोगात्मक, शोध अभिकल्प :

छः गांवों, जिसमें तीन अर्द्ध–नगरीय गाँव और तीन नगर–दूर गाँवों की आपस में तुलना की गयी है। इसके बाद 'प्रयोगात्मक निदर्शन' अनेक कारको का प्रभाव पड़ा है। जैसे नगरीकरण आदि। 'नियन्त्रित निर्दशन' ऐसे प्रभावों से अपेक्षाकृत वंचित रहे है, निकट गाँव लाभ उठाते है। इसलिए नगर दूर 'नियन्त्रित निदर्शन', निकट को 'प्रयोगात्मक निदर्शन' के लिए चुना गया है।

साथ ही साथ अन्वेषणात्मक शोध–अभिकल्प का प्रयोग कहीं–कहीं पर किया गया है। क्योंकि ग्रामीण भारत में स्तरीकरण के बदलते स्वरूप

के कारण औद्योगिक संभावनाओं का पता लगाया गया है अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण से नगरीकरण, व्यवसायिक गतिशीलता, भूमिका विभेदीकरण, सत्ता संरचना, वर्ग आदि प्रभावों का कारण जाना गया है और विश्लेषण किया गया है।

निदर्शन : (Sample)

झांसी जिले के छः गाँवों का चनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन से संघन विश्लेषण के लिए किया गया है। पूरे अध्ययन क्षेत्र के संरचना की जानकारी हम को थीं, और ये ज्ञात था अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है चूँकि छः गाँवों के आधार 4(1) का छोटा निदर्शन शोध के लिए चुना गया है, अतः हमने अपने अनुभव एवं विवेक का प्रयोग करके निदर्शन का चुनाव किया। दैव–निदर्शन कितना भी सर्तकता–पूर्वक निकाला जाय परन्तु ये आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण रूप से अध्ययन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें अतः वर्तमान निदर्शन को दैव–विधि से नहीं निकाला गया है और जानबूझ कर उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर छः गाँवों का चुनाव किया गया है। यह सहीं है कि दैव–निदर्शन में संभावना का सिद्धान्त निहित होता है। जो इसे वैज्ञानिक बनाता है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में सम्भावना का सिद्धान्त नहीं होता है। निर्देशन के चुनाव में अधिक से अधिक सर्तकता बरती गयी है, जिससे मानवीय त्रुटि न हो सके। इस आधार पर तीन अर्द्ध–नगरीय और तीन नगर – दूर गाँवों को चुना गया है। ये छः गाँव झाँसी जिले के सभी गाँवों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

तीन नगर–निकट गाँव लहर, खोड़न तथा कोछाभावर है। इनके कुटुम्बो की संख्या क्रमशः 66, 93 और 231 है। अतः तीनों गाँवों की

कुटुम्बो की संख्या 390 है। नगर-दूर गाँव रजपुरा, बड़ागाँव और बेंहटा है, रजपुरा के कुटुम्बों की संख्या 60 बड़ा गाँव 80 तथा बेंहटा का 70 है इन तीनों गाँवों की कुटुम्बों की संख्या 210 हुई। नगर निकट गाँव को (प्रयोगात्मक समूह) और नगर दूर गाँव को (नियंत्रित समूह) के अन्तर्गत रखा गया है। दोनों प्रकार के गाँवों के कुल कुटुम्बों की संया 600 है। प्रत्येक कुटुम्ब के मुखिया को निर्देशन के लिया चुना गया सूचनादाताओं को टीपेट प्रणाली से 1-600 नम्बरों पर अंकित कर लिया गया और दैव निर्देशन के आधार पर हर दूसरे सूचनादाता को चुन कर 300 को निर्देशन तथ्य संकलन के लिये मनाया गया है।

तथ्य संकलन की प्रविधियाँ :

साक्षात्कार-अनुसूची और अवलोकन-अनुसूची तथ्य संकलन की प्रमुख प्रविधियाँ रही है। सामूहिक-वार्तालाप के आधार पर भी कुछ सूचनाएं एकत्र की गयी जो ग्रामीण कारण के सामाजिक स्तरीकरण के बदलते स्वरूप को दर्शाती है।

द्वितीय आँकड़ों द्वितीयक स्रोतों के आधार पर एकत्र किये गये हैं इसमें गाँव से सम्बन्धित अनेक अभिलेखों का प्रयोग किया गया है। तथ्यों का विश्लेषण, वर्गीकरण और सारणीयन का निर्माण साधारण ढंग से किया गया है, क्योंकि इसमें कोई बहुत अधिक जटिलता नहीं थी, जिसमें कम्प्यूटर आदि का प्रयोग करना पड़ता। अनेक प्रकार के परिकल्पनाओं की वैधता ज्ञात करने के लिए विश्वसनीयता के परीक्षण किये गये।

कुछ परिकल्पनाएँ :

वर्तमान अध्ययन के सन्दर्भ में निम्नलिखित परिकल्पनाओ का निर्माण किया गया है :-

1. आज भी गाँवों में कहाँ तक प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति प्रभावशाली है, और वो कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहाँ प्रदत्त प्रस्थिति प्रभावशाली भूमिका अदा करती हैं।
2. ग्रामीण अंचलों में जाति, वर्ग, परिवार, व्यक्तिगत विशेषताँए एवं भूमिका कहाँ तक परिस्थितियों के निर्माण में प्रभावशाली है, जो स्तरीकरण के स्वरूप को प्रभावित करती हैं।
3. ग्रामीण अंचलों में सामाजिक स्तरीकरण के अनेक आधार जैसे- जाति, वर्ग, सत्ता, सांस्कृतिक गुण किस प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, और ग्रामीण समुदाय में सामाजिक प्रस्थिति के निर्माण में प्रभावशाली है।
4. ग्रामीण अंचलों में सामाजिक स्तरीकरण से सम्बन्धित वैचारिकी व्यवस्था कैसी है? ग्रामीण समुदाय में परिस्थितियों के मूल्यांकन हेतु किन-किन अधिकारों को अधिक वरीयता दी जाती है। इसमें जाति, समूह, परिवार, किसको प्रधान माना जा रहा है।
5. वो कौन-कौन से कारक हैं, जो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है।
6. ग्रामीण भारत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जो संरचनात्मक बदलाव और सांस्कृतिक परिवर्तन अविष्कार के नाते हो रहे हैं। वो किस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों को प्रभावित कर रहे हैं?
7. ग्रामीण समुदाय में सामाजिक स्तरीकरण के उभरते प्रतिमान कहाँ तक सामाजिक असमानता को समाप्त करने में अपनी भूमिका अदा कर रहें है।

अध्याय–चार

(Caste Structure and Patterns of Stratification)

जाति–संरचना और सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानः–

भारत में जाति–व्यवस्था एक अनोखीं व्यवस्था है। जो ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। भारत में अनेक सामाजिक परिवर्तन समय–समय पर होते रहे है फिर भीं जाँति–व्यवस्था बहुत थोड़े परिवर्तनों के साथ ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार है। पश्चिमीं देशों से सम्पर्क, आधुनिकींकरण, शिक्षा का प्रसार, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, संचार क्रान्ति आदि का प्रभाव भारत में अधिक पड़ा है। परन्तु आज भीं जाति का अस्तित्व वैसे हीं बना है। भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ अनेक सुधार आन्दोलन हुए। छुआ–छूत के खिलाफ कानून बनाये गये। अर्न्तजातींय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। फिर भीं जाति–व्यवस्था मामूलीं परिवर्तनों के साथ ग्रामीण भारत कीं रीढ़ है। भारत में राजनींतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन स्वतन्त्रता के बाद तींब्र गति से हुए है और साथ हीं साथ ग्रामींण भारत में पंचायतीं राज्य व्यवस्था और आरक्षण के फलस्वरूप जाति व्यवस्था कुछ सींमा तक प्रभावित हुई है। इससे ग्रामींण स्तरीकरण का प्रतिमान और प्रक्रियायें बदलीं है। जाति–व्यवस्था स्तरींकरण के एक आधार के रूप में अपने अनेक इकाइयों और उप–इकाईयों, अपने सदस्यों को उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजित करतीं है। ये उच्च और निम्न श्रेणियों का विभाजन जन्म के आधार पर होता है।

ग्रामीण स्तरींकरण कीं मुख्य विशेषताएँ पृथकता और संस्तरित सम्बन्ध है जो अनेक इकाइयों के बींच पाया जाता है। सामाजिक स्तरींकरण कीं इन इकाइयों से व्यक्तियों का सम्बन्ध कला, योग्यता के आधार पर होता है और इनको उच्च और निम्न स्थान स्तरींकरण में दिया जाता है जिससे संस्तरण का निर्माण होता है। जाति–व्यवस्था कीं कुछ अन्य विशेषतायें जैसे–अर्न्तजातीय

विवाह, निश्चित व्यवसाय, सामाजिक विभेदीकरण, अनुष्ठानों पर आधारित सामाजिक प्रस्थिति, शुद्ध और अशुद्ध भावनायें, प्रभुत्व और सत्ता आदि स्तरीकरण को प्रभावित करते है। सजातीय जाति में विवाह साथ ही साथ एक जाति के लोगो में खान-पान और अन्तःक्रिया भी मिलती है। परन्तु अब इनमें परिवर्तन हो गया हैं। अब खान-पान में अर्न्तजातीय सम्बन्ध भी बढ़ गये है। धार्मिक अनुष्ठानों में शुद्ध और अशुद्ध की अवधारणा भी सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण करती हैं। जातियाँ अपने पूर्वजों के व्यवसाय को अपनाती है। सांस्कृतिक विभेदीकरण का अर्थ है, प्रत्येक जाति खान-पान विवाह आदि के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करती है। ग्रामीण स्तरीकरण में जो जाति श्रेष्ठ है वो निम्न जातियों पर प्रभाव छोड़ती है।

जाति एवं वर्गः-

इस तरह से समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने जाति को सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य स्वरूप माना है। पूरे भारत में हम जाति पर आधारित असमानता पाते है। परन्तु इनके बारे में कुछ भ्रान्तियाँ भी है। जैसे-हम ये मान कर चलते हैं कि जाति और वर्ग एक दूसरे के विपरित विशेषतायें रखते हैं। यह भी माना जाता है कि जाति ग्रामीण तथ्य है, और वर्ग नगरीय समाज की विशेषता है। इस प्रकार अनेक भ्रान्तियाँ हमें इन दोनो अवधारणाओं के सम्बन्ध में हमें मिलती है। वास्तविकता यह है कि जाति में अनेक वर्ग पाये जाते है और नगरीय समुदायों में भी जातियाँ पायी जाती है। पिछले छः दशको में अनेक शोध जाति-व्यवस्था पर हुए है और ये निष्कर्ष निकला है कि जाति का स्वरूप स्थायी नहीं है ये सदैव

---

1. Hutton, J.H., "Caste in India" Oxford University Press, 1963.

बदलता रहा है। स्वतन्त्रता के पहले भारत में जाति की बन्द संरचना पायी जाती थी। उसमें अब अभूतपूर्व परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इन परिवर्तनों के होते हुए भी इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि जाति की मुख्य विशेषता आज भी वही है, जो पहले थी। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि जाति की संरचना सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। जो ग्रामीण और नगरीय समुदायों में पाया जाता है। जाति–व्यवस्था में परिवर्तन नगर और गांव में अलग–अलग प्रकार का है। उदाहरण के लिए अर्न्तजातीय विवाह गाँवों में शहरों की अपेक्षा बहुत कम है। इसी प्रकार व्यवसायिक गतिशीलता गाँवों में नगरों के अपेक्षा कम पायी जाती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि गाँवों में जाति–व्यवस्था नगरों की तुलना में अधि क प्रभावशाली है और प्रकार्णवादी है।

योगेन्द्र सिंह[2] ने जाति को सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप बताया है। ये लिखते हैं कि समाजशास्त्रियों ने आरम्भ से ही जाति को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा है और स्तरीकरण की व्याख्या अनेक रूप से किया है। इनके अनुसार ग्रामीण भारत में स्तरीकरण के मुख्य आधार संस्थागत असमानता, बन्द सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक गतिशीलता का अभाव है। बहुत साधारण श्रम–विभाजन, धार्मिक आधार सामाजिक सम्बन्ध आदि है।

इस तरह से योगेन्द्र सिंह के अनुसार जाति एक सांस्कृतिक तथ्य है। परन्तु साथ ही साथ संरचनात्मक तथ्य भी मानते है–जाति संरचनात्मक तथ्य का अर्थ है जाति एक सामाजिक संगठन है। अंतःक्रिया का संस्थागत व्यवस्था है। ये सामाजिक सम्बन्ध संस्तरण के आधार पर मिलते हैं। प्रत्येक संस्तरण, विवाह व्यवससाय, श्रम–विभाजन, सामाजिक प्रतिमान, मूल्यों से बना हुआ है। जाति का

2. Yogendra Singh, "Social Stratification and Change in India" Manohar, New Delhi 1977. P-6.

संरचनात्मक तथ्य अपने जाति में विवाह, जाति व्यवस्था आदि है, जो प्रत्यक्ष रूप से स्तरीकरण से सम्बन्धित है। जाति का सांस्कृतिक पक्ष मूल्यों पर आधारित है। इसके दो उपागमों सांस्कृतिक और संरचनात्मक आधारों पर जाति–व्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है।

चुने हुए छः गाँव उनकी जाति संरचना और सामाजिक स्तरीकरणः–

ग्रामीण भारत में जाति स्तरीकरण का विद्यमान होना ग्रामीण जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव सामाजिक क्रिया पर पड़ता है। जो सामाजिक क्रिया पर पड़ता है। जो सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों से सम्बन्धित होती है। ग्रामीण भारत में शिक्षा का प्रसार, औद्योगीकरण, नगरीकरण, जनतान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण आदि के होते हुए भी जाति संस्तरण ग्रामीण भारत में पाया जाता है। जाति में होने वाले परिवर्तनों को श्री निवास[3] ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के माध्यम से परिभाषित किया है। इन्होंने "प्रभुजाति" की अवधारणा विकसित की है। इनका कहना है कि भारत में निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुसरण करके अपने खान–पान, रहन–सहन में परिवर्तन ला रहीं है। संस्कृतिकरण से निम्न जातियों में परिवर्तन तो आया परन्तु इनकी जाति नहीं बदली वही रह गयी जो पहले थी। अतः सामाजिक श्रेणी में निम्न जातियों की श्रेणी निम्न ही रही।

तालिका 4:1

अध्ययन किये गये छः गावों की अनेक जातियों का संस्तरित विवरण उनके परम्परागत व्यवसाय संख्या शक्ति के आधार पर–

जाति	परम्परागता व्यवसाय	कुटुम्ब संख्या
उच्च जातियाँ		
ब्राह्मण	उपरोहीती, शिक्षा, खेती आदि	64
राजपूत	भू–स्वामित्व, जमींदारी, गांवों पर शासन, खेती आदि	44
बनिया	तिजारत और वाणिज्य, खेती आदि	22
योग (3)		130
मध्यम जातियाँ		
निरंजन	खेती करना	85
शर्मा	बाल काटना, खेती करना	13
यादव	पशु पालन, खेती करना	34
पाल	धरेलू नौकरी, खेती करना	14
कुशवाहा	लकड़ी का काम, खेती करना	7
पाल	खेती करना, नौकरी आदि	5
कायस्थ	नौकरी	31
योग (7)		189
निम्न जातियाँ		
अहिरवार	खेती, नौकरी, श्रमिक आदि	12
बसोर	खेती, श्रमिक	21
साहू	तेल बेचना, खेती करना, नौकरी, व्यवसाय	9
नामदेव	खेती करना, नौकरी, व्यवसाय	12
योग (4)		54
अस्पृश्य जातियाँ		
बसोर	जानवरों का चमड़ा इकट्ठा करना, कृषि श्रमिक,नौकरी	101
रावत	खेती, नौकरी आदि	4
खटीक	सब्जी बोना, फल बेचना, श्रमिक	34
पासी	कृषि श्रमिक, चमड़े का काम	25
भंगी	सफाई आदि का काम।	3
मुस्लिम	खेती, चूड़ी बेचना, कसाई का काम	60
योग (6)		227
		महा योग–600

चुने हुए छः गाँवों में कुल 20 (बीस) हिन्दू जातियाँ है। ब्राह्मण, राजपूत और बनियाँ उच्च जाति में आते हैं। उच्च जातियों में ब्राह्मण कुटुम्बों की संख्या चौसठ (64) है। इसी प्रकार राजपूतों के कुटुम्बों की संख्या चौवालिस (44) है। बनिया जाति के कुटुम्बों की संख्या बाइस (22) है। माध्यम जातियाँ चुने हुए छः गांवों में बड़ा समूह है। इसमें कुटुम्बों की संख्या एक सौ नवासी (189) है। निम्न और अछूत जाति के कुटुम्बों की संख्या संयुक्त रूप से दो सौ इक्यासी (281) है जबकि मुस्लिम कुटुम्बों की संख्या साठ (60) है।

उच्च जातियाँः-

प्रत्येक श्रेणीगत जाति स्तरीकरण विभाजन पर आधारित है। एक जाति में कुछ उप-जातियाँ भी पायी जाती है। जिनकी सामाजिक स्थिति भी स्तरित होती है। गाँवों में अर्न्तजातीय संस्तरण, जाति स्तरीकरण विश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज भी "प्रभुजातियाँ" गांवों में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। जैसे ब्राह्मण, राजपूत, आज भी गाँवों में प्रभावशाली है और इनके सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। "प्रभुजाति" की अवधारणा ग्रामीण भारत में स्तरीकरण के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण कारक है। गाँवों में छोटे-मोटे विवादों को निपटाने में प्रभुजातियाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इनके अपराधों के दण्ड की मात्रा भी प्रभुजातियाँ निर्धारित करती हैं। साथ ही साथ प्रभुजातियाँ सामाजिक जीवन के प्रतिमानों का भी निर्धारण करती हैं। इस तरह से प्रभुजातियों का मुख्य कार्य गांव में विवादों पर न्याय देना है। परन्तु इनके हाथ में ग्रामीण सत्ता भी होती है। जो सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार है। गांवों की निम्न जातियाँ प्रभुजातियों के अधीन कार्य करती है। इन्ही को गांव का अभिजात-वर्ग भी कहा जाता है। यहीं प्रभुजातियाँ गाँवो के बाहर सरकार, राजनीतिक नेताओ का निदान करते हैं। किसी जाति को प्रभुजाति बनाने में अनेक कारक महत्वपूर्ण होते हैं।

जैसे–

(अ) अनुष्ठान से सम्बन्धित सामाजिक स्थिति।

(ब) गाँवों में जाति की संख्या शक्ति।

(स) उच्च आर्थिक स्थिति।

(द) उच्च शिक्षा।

(य) व्यवसायिक स्थिति।

एक जाति को प्रभुजाति हम उस समय कहेंगे जब उस जाति की गणितीय संख्या अन्य जातियों से अधिक हो। साथ ही साथ वह जाति आर्थिक और सामाजिक सत्ता रखती हो।

ब्राह्मण :–

अध्ययन के लिए चयनित छः गांवों में ब्राह्मणों की छः उप जातियाँ निवास करती है। ये उप–जातियाँ शुक्ला, पाण्डे, तिवारी, दूबे त्रिपाठी तथा मिश्रा हैं। इन छः उप–जातियों को धर्म ग्रन्थों का अच्छा ज्ञान है। ब्राह्मणों की छः उप–जातियाँ गाँवों के जाति संस्तरण में उच्च स्थान रखती है। इन जातियों को धार्मिक ग्रन्थो अनुष्ठानों आदि का अच्छा ज्ञान है।

चुने हुए छः गांवों में जहाँ ब्राह्मणों की उप–जातियाँ पायी जाती है, उनमें भी एक संस्तरण पाया जाता है। जैसे–शुक्ला सबसे उच्च माने जाते हैं और इनमें वैवाहिक सम्बन्ध भी इन्हीं उप–जातियों के बीच होता है। इस प्रकार ब्राह्मणों की उप–जातियों के बीच खान–पान पर भी प्रतिबन्ध है। परन्तु ये प्रतिबन्ध धीरे–धीरे समाप्त हो रहे है। अर्द्ध–नगरीय गांवों में तो ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। क्योंकि अर्द्ध–नगरीय गांवों पर बाह्य जगत का प्रभाव नगर दूर गाँव की तुलना में अधिक पड़ रहा है। इन गाँवों में अनेक मंदिरों में ब्राह्मण ही पुजारी है, व्यवसाय की दृष्टिकोण से ब्राह्मण की उप–जातियों के बीच समानता है। इनमें से बहुत

पुरोहित शिक्षित और कार्यरत लोग है और कुछ इनमें खेतिहर हैं। ब्राह्मणों की उप–जातियों के बीच सांस्कृतिक विषमता नहीं है। जहाँ तक पहनावा, शिक्षा, व्यवसाय, अनुष्ठान, धार्मिक त्योहर आदि का सम्बन्ध है, ब्राह्मणों की उप–जातियों के बीच समानता पायी जाती है। इन छः गांवों में ब्राह्मण की उप–जातियों अनुष्ठानों के दृष्टिकोण से धार्मिक संस्तरण में अन्य जातियों से ऊपर है और गाँवों के धार्मिक क्रिया–कलाप में इनका प्रभाव अधिक है, परन्तु जीवन के अन्य क्षेत्र में इनका प्रभाव और सत्ता बहुत कुछ आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धि पर निर्भर करता है। गाँवों पर ब्राह्मणों का प्रभाव धार्मिक अनुष्ठानों के आधारों पर ही नहीं है। बल्कि साथ ही साथ आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में आगे है, जो इनके प्रभाव को बल देता है। इन गाँवों में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो प्रभावशाली सामाजिक स्थिति नहीं रखते, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टकोण से दुर्बल हैं और इनकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक योग्यता कम है।

राजपूतः–

इन चुने हुए छः गांवों में राजपूतों का जाति संस्तरण में दूसरा स्थान है। छः गाँवों में राजपूत कुटुम्बों की संख्या पायी जाती है। छः गाँवों में सिसौदिया सूर्यवंशी, चौहान, परमार आदि राजपूतों की उप जातियाँ निवास करती है। राजपूतों के उप–जातियों के बीच सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। परन्तु ये बहुत कुछ आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। जिन राजपूत परिवारों के पास अधिक भूमि है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनका सामाजिक संस्तरण में उच्च स्थान है और यह विशेषता प्रत्येक सामाजिक संस्तरण से भी सम्बन्धित है। राजपूतों के अनेक उप–जातियों के बीच वैवाहिक सम्बन्ध पाये जाते है। परन्तु इनको बनाते समय आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता

है। खान-पान के दृष्टिकोण से प्रतिबन्ध नहीं है, जैसा कि हम ब्राह्मणों की उप-जातियों के बीच पाते हैं। परन्तु आर्थिक स्थिति और वर्ग के आधार पर वैवाहिक सम्बन्ध पाया जाता है। गाँवों में राजपूतों की आर्थिक स्थिति अन्य जातियों की तुलना में सबल है। परन्तु आज भी ये उप-जातियाँ गाँवों में निम्न जाति के हाथों से दिया पानी स्वीकार नहीं करते हैं। गांवों में राजपूतों की आर्थिक स्थिति उनके परिवारों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती हैं। परन्तु कुछ क्षेत्रों में ऐसे राजपूत जिनकी आर्थिक स्थिति निम्न है। गाँवों में प्रभावशाली भूमिका अदा करते हैं। ये बहुत कुछ नातेदारी तन्त्र, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इन छः गाँवों के सघन अवलोकन के आधार पर ये पाया गया कि राजपूतों के पास भूमि अधिक है। पहले स्वयं खेती नहीं करते थे, अपनी भूमि किराये पर देते थे। जमींदारी उन्मूलन के बाद ये स्थिति बदल गई। अब इनके पास भूमि सीमित है, ये स्वयं खेती करते है। इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति निम्न हो गई है। कुछ परिवारों के पास बहुत कम भूमि खेती के लिए है। इसके नाते इनकी आर्थिक स्थिति भी निम्न है। कुछ परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ गये हैं। इनमें कुछ लोग पुलिस और अन्य विभागों में कार्यरत हैं। यदि इन गांवों में स्वतंत्रता के पूर्व सामाजिक स्थिति की तुलना वर्तमान स्थिति से किया जाए तो इनके सामाजिक स्थिति का हृास हुआ है। जमींदारी प्रथा के उन्मुलन के पहले इनमें आर्थिक सम्पन्नता थी। अतः शिक्षा की ओर इनका ध्यान कम था। परन्तु आज इनकी उन्मुखता शिक्षा की ओर बढ़ी है।

बनिया:-

चुने गये छः गांवों में बनिया (वैश्य) जाति के लोग निवास करते हैं। बनियों में भी अर्न्तजातीय संस्तरण मिलता है। क्योंकि इसमें अनेक उप-जातियाँ पायी जाती है। इन छः गाँवों में अग्रवाल, जायसवाल, गुप्ता, अग्रहरि आदि उप जातियाँ रहती है। ये अपने ही उप-जातियों में विवाह करते हैं। परन्तु ये अपने

माता–पिता के गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। परन्तु इन उप–जातियों में खानपान सम्बन्धों में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। ये हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा करते हैं। बनियाँ जाति के लोगों को अनेक तीज–त्योहारों में उच्च स्थान दिया जाता है। छः गाँवों में बनियाँ जाति के परिवारों की संख्या बाइस (22) है। ये परम्परागत व्यवसाय करते हैं। कुछ नौकरी और कृषि भी करते हैं। बनियों की अपनी आर्थिक अनोखी संस्कृति है, जो जाति मूल्यों से जुड़ी है। अधिकतर ये लोग व्यापार अन्य व्यवसायों को करते हैं। इन लोगों में व्यापार करने की मनोवृत्ति देखी जाती है और नौकरी करने की इच्छा कम होती है। कुछ गाँवों में इन जातियों के कुछ लड़के तो परास्नातक उपाधि प्राप्त करके भी व्यापार में ही रूचि रखते है। इनमें भौतिक सम्पन्नता की इच्छा अधिक होती है। छः गांवों में अन्य जातियों पर उनका अधिक प्रभाव नहीं है। इन लोगों का तालमेल गांव के अन्य जातियों से अपेक्षाकृत कम है।

इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। इसलिए विवाह आदि अवसरों पर पैसा भी अधिक खर्च करते है। आर्थिक दृष्टि से अन्य जातियों से सम्पन्नता अधिक है, लेकिन सम्मान और सत्ता की दृष्टि से इनका स्थान निम्न है। गाँवों में ब्राह्मण और राजपूत बहुधा सत्ता हथियाने में सफल हो जाते हैं। बनिया जाति के लोग आर्थिक सम्पन्नता होते हुए भी राजपूत और ब्राह्मणों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। इन जातियों से इनका लेन–देन देखा जाता है।

थोड़े में हम ये कह सकते हैं कि उच्च और मध्यम उच्च जातियाँ आज भी अध्ययन क्षेत्र के छः गांवों में प्रभावशाली है। ये जातियाँ ब्राह्मण राजपूत है। परम्परागत दृष्टिकोण से जाति संस्तरण में सबसे उपर थे। आज भी छः गांवों में सत्ता के क्षेत्र में इनका प्रभाव देखा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद आरक्षण के नाते निम्न और मध्यम वर्ग को सत्ता मिली है। प्रत्यक्ष और

अप्रत्यक्ष रूप से उच्च जातियाँ शिक्षा को हथियाए हुए है। भू–सूधार कानून से उच्च जातियों के सामाजिक स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है। बनिया समुदाय में परिवर्तन देखा जा सकता है। इनके समाज में अन्तराः (Intra) और अन्तर–पीढ़ी (Intergenerational) गतिशीलता मिल रहीं है।

मध्यम जातियाँ:-

कुल चुने हुए छः गाँवों में कुछ आठ मध्यम जातियाँ है। जैसा तालिका संख्या 4.1 में दर्शाया गया है। निरंजन (सैंथवार) कायस्थ अहीर, शर्मा ये मध्यम जातियों में उच्च माने जाते है। जाति संस्तरण में इनका स्थान उँचाा है। पाल, नाई, माली, आदि जातियाँ मध्यम जाति संस्तरण में इनका स्थान निम्न है। निरंजन (सैंथवार) जाति के कुल पचासी (85) कुटुम्ब है। इन जातियों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वो जातियाँ जो अपनी सेवायें दूसरों को देती है, वो है धोबी, नाई, कहार, लोहार, बढ़ई आदि। कृषि करने, जानवर पालने वाली जातियाँ। जजमानी सेवा से भी जुड़े हैं। ये अपने जाति में विवाह आदि करते हैं। पिता के गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। इन जातियों के धार्मिक अनुष्ठान लगभग वहीं है, जो उच्च जातियों के है। विवाह आदि पर अधिक पैसा नहीं खर्च करते हैं। इन जातियों के लोग परम्परागत व्यवसाय में लगे हुए हैं। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। निरंजन, यादव, माली, कायस्थ, वर्मा, लोहार आदि है। इन जातियों में खान–पान पर प्रतिबन्ध नहीं देखा जाता है। इनमें से प्रत्येक जाति के लोग एक–दूसरे के हाथ से पानी लेकर पीते हैं। विवाह सम्बन्ध स्थापित करते समय गोत्र को ध्यान में रखते हैं। इन मध्यम जातियों में उप–जातियाँ नहीं है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है असमानता अधिक है। निरंजन और कायस्थ सम्पन्न जातियाँ है। ये अध्ययन किये छः गांवों में निवास

करते है। सभी गांवों में कुर्मी जाति की आर्थिक स्थिति अच्छी है। जाति संस्तरण पाया जाता है। परन्तु आज इस प्रकार का संस्तरण सम्भव नहीं है। आज जन्म के आधार पर पद और प्रतिष्ठा नहीं मिलती बल्कि व्यक्तिगत गुणों पर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये स्पष्ट है कि मध्यम जातियों की संख्या इन गाँवों में अधिक है। उच्च जातियों को चुनौती देने में सक्रिय है। अध्ययन किये छः गांवो में निरंजन जाति, आर्थिक, सांस्कृतिक विशेषता के नाते अपने को प्रभावशाली बनाये हुए है। इनके पास भू-स्वामित्व अधिक है। गांवों में भू-स्वामित्व आर्थिक स्थिति का सूचक है। अन्य मध्यम वर्ग के जातियों की संख्या गाँवों अधिक है। ये जातियाँ बहुधा श्रमिक हैं।

निम्न जातियाँ:-

अध्ययन किये छः गाँवों में कुल चार निम्न जातियाँ हैं और इनके कुल कुटुम्ब चौवन (54) हैं। सबसे अधिक संख्या बसोर जाति की है। इनके 21 कुटुम्ब है। शर्मा और धोबी के समान कुटुम्ब है। इनकी संख्या 12-12 है। निम्न जातियाँ भी अपनी सेवायें उच्च जातियों को देती हैं। इनमें व्यवसायिक विशेषता पायी जाती है। धोबी, बसोर, साहू, बरई आदि हैं। ये निम्न जातियाँ अपने परम्परागत व्यवसाय को करती हैं और छः गाँवों में जजमानी व्यवस्था द्वारा जुड़ी हुई है। परन्तु आजकल जजमानी व्यवस्था से सम्बन्धित व्यवसाय आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं रहे हैं। इसलिए ये जातियाँ खेती करने लगी है। कुछ श्रमिक का काम करने लगे हैं। जैसे-लोहार जातियाँ अपना परम्परागत व्यवसाय छोड़कर खेती करने लगी है। कृषि में नई प्रौद्योगिकी आ जाने से इनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है। संख्या की दृष्टि से निम्न जातियाँ अधिक नहीं है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। इन सब कारकों के कारण इनकी सामाजिक स्थिति निम्न है।

अस्पृश्य जातियाँ:-

अहिरवार, धारिकार, खटीक आदि अस्पृश्ता जातियाँ है। चमार लगभग प्रत्येक गाँव में है। अध्ययन किये गये छः गाँवों में इनकी कुल संख्या एक सौ एक (101) है। इसी प्रकार से धारिकार के कुटुम्बों की संख्या चार (4) है। भंगी के तीन कुटुम्ब हैं। इस समय चमार अपने परम्परागत व्यवसाय को नहीं कर रहे हैं। अब ये श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परम्परागत व्यवसाय को छोड़ देने के बाद इनके जीवन में संस्कृतिकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उच्च जातियों का खान-पान आदि में अनुसरण कर रहे हैं। आरक्षण के नाते शिक्षित चमारों को नौकरी भी मिल गई है। आज के गांवों में अधिक से अधिक अहिरवार सुसंस्कृत है। परन्तु आज भी कुछ परिवार ऐसे है, जो अपने पुराने व्यवसाय को करते हैं। ये अस्पृश्य जातियाँ जिसमें व्यवसायिक विशेषता अधिक है। अपने निम्न स्तर के बारे में जागरूक हैं। ग्राम पंचायत आदि में इनकी एकता देखी जा सकती है। अपने जाति के व्यक्ति को ही वोट देते हैं। उसका समर्थन करते हैं और उच्च जातियों का विरोधा करते हैं।

मुस्लिम:-

अध्ययन किये छः गांवों में मुस्लिम के कुल साठ (60) कुटुम्ब है। इन छः गांवों में मुस्लिम जाति स्तरीकरण के आधार नहीं हैं। परन्तु गांव के आर्थिक और राजनीतिक संरचना में स्थान, संस्तरण हैं। परन्तु ये उतनी विकसित नहीं है जितनी की हिन्दू जातियाँ। विवाह आदि में इनमें बन्धन नहीं है। इन गांवों में मुस्लिम, सिया और सुन्नी दो उप-जातियों मे बटे हुए हैं। व्यवसाय के आधार पर भी इनमें विभाजन देखा जा सकता है। राजपूत और ब्राह्मणों की भांति जमींदार थे। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात इनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति प्रभावित

हुई हैं अधिक मुस्लिम नौकरी और रोजगार व्यवसाय करते हैं। इनके रीति–रिवाज भिन्न है। इनका पहनावा हिन्दुओं से भिन्न है। आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में इनकी स्थिति निम्न है। स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम समुदाय में आधुनिकीकरण का प्रभाव उतना नहीं देखा जा रहा हैं जितना अन्य जातियाँ में।

जाति स्तरीकरण:–

समाज में लोगों का श्रेणियों में विभाजन करना ही स्तरीकरण है। श्रेणियों में विभाजन कई आधार पर किया जाता है। वो अधार सत्ता, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान। इस सम्बन्ध में दो मुख्य उपागमों का प्रयोग लोगों ने किया है। ग्रामीण स्तरीकरण का विश्लेषण करते समय इन्हीं को आधार बनाया गया है। एक है कार्ल मार्क्स का उपागम जो उत्पादन के ढंगो से सम्बन्धित है। वास्तविकता यह है कि ग्रामीण स्तरीकरण अनेक विषयों, अनेक आधारों से सम्बन्धित है। अब इसका अध्ययन, समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र अनेक विषयों में भी किया जाने लगा है। दूसरा उपागम मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर ने सम्पत्ति, सत्ता और सम्मान को आधार मान कर स्तरीकरण की व्याख्या की है। सम्पत्ति का सम्बन्ध व्यवसायिक श्रेणी से है, जिससे व्यक्ति आमदनी करता है। आदर और सम्मान जीवन–शैली से जुड़ा होता है। सत्ता का सम्बन्ध व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रण करता है। जब हम ग्रामीण स्तरीकरण की बात करते हैं तो विश्लेषण इन्हीं दो उपागमों को आधार मान कर करते हैं। यदि हम उत्पादन के ढंगों को आधार माने, जिसमें भू–स्वामित्व किसानों की अनेक श्रेणियाँ आती है और उत्पादन के अनेक यन्त्र आते हैं। इसी में हम देखते हैं कि बाजार के लिए अतिरिक्त लाभ हुआ? श्रम में कितना खर्च हुआ?

---

4. Andre Beteille, "Caste, Class and Power" Oxford University Press.

ग्रामीण स्तरीकरण का जब हम मैक्स वेबर के उपागम के आधार पर विश्लेषण करते हैं तो हम गांवों में वर्ग, सामाजिक परिस्थिति, शक्ति को आधार मान कर विश्लेषण करते हैं। इस सम्बन्ध में आन्द्रे बेताई[4] का अध्ययन महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी पुस्तक "कास्ट, क्लास एण्ड पावर" जिसमें उन्होंने ग्रामीण स्तरीकरण का मैक्सवेबर के उपागमों के आधार पर विश्लेषण किया है। इसी क्रम में के०एल० शर्मा[5] की स्तरीय पुस्तक "द चेन्जिंग रूल्स स्ट्रेटीफिकेशन सिस्टम" पुस्तक भी है। सामाजिक स्तरीकरण एक बड़ी अवधाराणा है, जिसका अर्थ है असमानता। ये असमानता गांवों में वर्ग, जाति, सत्ता, उत्पादन, सामाजिक स्थिति आदि क्षेत्रों में पायी जाती है। हॉल के कुछ वर्षो में समाजशास्त्रियों ने शक्ति एवं सत्ता को ही आधार-मानकर स्तरीकरण का विश्लेषण किया है। ग्रामीण भारत के गाँवों में भी सत्ता के आधार पर स्तरीकरण की व्याख्या की जा रही है। प्रत्येक समाज जो सावयवी हो या यान्त्रिक (Organic or Mechanical) है। चाहे विकसित हो या अविकसित सामाजिक स्तरीकरण किसी न किसी रूप में पाते है।

भारतीय ग्रामीण समाज के भी प्रतिमान है। ग्रामीण समाज में व्यक्ति को हम उसके नाम से जानते हैं। आज भी गांव-वासियों को उसके भाषा, गांव, जाति से जानते हैं। इस तरह से गांव के सामाजिक स्तरीकरण को हम गांव के जाति से जोड़ते हैं और जाति से ही गांवों में व्यक्ति को हम पहचानते हैं। जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक मुख्य श्रोत है। लोगों में ये भ्रम है, कि वर्ग और जाति एक दूसरे के विपरित है और लोग ये भी कहते हैं कि जाति ग्रामीण तथ्य है, वर्ग नगरीय विशेषता है। वास्तविकता यह है कि जाति में ही वर्ग निहित है।

---

5. K.L. Sharma, "Changing Rurals Stratification System", (1994) Sage Publication New Delhi (1977), P.6.

वर्तमान समय में जातियाँ भी परिवर्तनशील है। यहाँ तक जाति-संरचना जो स्वतंत्रता के पहले लगभग स्थायी थी। वह भी परिवर्तनशील हो गयी है। परन्तु इन परिवर्तनों के साथ-साथ इसकी मूल व्यवस्था यथावत है।

यह भी मान्यता है कि जाति संरचना ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण का एक मुख्य स्वरूप है और इसमें परिवर्तन समय समय पर हुए हैं। व्यवसायिक गतिशीलता भी गांवों में नगरों की अपेक्षा कम हैं। योगेन्द्र सिंह[6] ने भी जाति-व्यवस्था को सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख प्रकार माना है। कुछ समाजशास्त्री जो जाति को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के आधारों को एक संस्थागत असमानता के रूप में देखा है। सामाजिक गतिशीलता, श्रम-विभाजन, धार्मिक अनुष्ठान आदि में असमानता पाते हैं। ये ही असमानता स्तरीकरण का आधार बन जाती है। इस तरह से जाति एक स्वतंत्र सामाजिक विशेषता है। योगेन्द्र सिंह ने जाति को एक संस्थागत तथ्य माना है। परन्तु जाति साथ ही साथ एक संरचनात्मक तथ्य भी है। इसका समर्थन प्रकार्यवादी समाजशास्त्री करते है। इसका आधार संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण है। जो लोग जाति को एक संरचनात्मक तथ्य मानते हैं वो इसे एक सामाजिक संगठन के रूप में देखते हैं। जिसकी अपनी एक संस्थागत व्यवस्था है। जिसके अन्तर्गत वो अनेक संस्तरण में विभाजित है। इस विभाजन के आधार पर लोग एक-दूसरे से अन्त:क्रिया करते हैं। जाति की संरचनात्मक तथ्यों में अपने जाति में विवाह, जाति सम्बन्धी व्यवसाय, जातियों का संस्तरण है।

---

6. Yogendra Singh, "Social Stratification and change in India", Manohar, New Delhi -1997, P.6.
7. K.L. Sharma, "Social stratification in India, Issues and themes, sage, publication New Delhi 1997 - P.99

ग्रामीण भारत में बदलती जाति–स्तरीकरणः–

ग्रामीण भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा जाति पर आधारित जाति स्तरीकरण परिवर्तन की प्रक्रिया में है। ग्रामीण भारत में जाति नई भूमिकाएं ग्रहण कर रही हैं। के.एल. शर्मा[7] ने लिखा है कि ग्रामीण भारत में जातियाँ नई भूमिकाएँ अपना रही है। अब जातियां एक परिस्थिति समूह के रूप में उभर रही हैं। पहले परम्परागत समाज में जातियाँ उच्च और निम्न में विभाजित थीं। जाति व्यवस्था में गतिशीलता एक ऐतिहासिक तथ्य है। ग्रामीण भारत में वृहद आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन ने जातियों को भी प्रभावित किया है। जब से जजमानी व्यवस्था का महत्व घट रहा है तब से जातियों में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। जाति में होने वाले परिवर्तनों को हम नये व्यवसायों के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ गांव में एक नये प्रकार के प्रभावशाली समूहों और परिवारों का उदय हो रहा है। अब समाज में अस्पृश्यता भी समाप्त हो रही है। पिछले साठ वर्षो में जाति–व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। इससे सामाजिक स्तरीकरण का भी स्वरूप बदला है। जातियों में संरचनात्मक परिवर्तन का मुख्य कारक जमींदारी उन्मूलन साथ ही साथ पंचायती राज–व्यवस्था जब से लागू हुई है। जातियों को प्रभावित किया है। कुछ बुनियादी सुविधाएँ गाँवों में विकसित हुई। स्वास्थ केन्द्र, गाँवें की सड़के, यातायात के साधन और लोगों में बढ़ती प्रवास की प्रवृत्ति।

ग्रामीण भारत में जजमानी व्यवस्था और जाति स्तरीकरण :–
(The Jajmani System and the Caste Stratification)

ग्रामीण भारत का कोई भी अध्ययन तब तक अपूर्ण रह जाता है, जब तक हम गाँवों में पायी जाने वाली जजमानी–व्यवस्था का अध्ययन नहीं करते है। जाति–व्यवस्था का जजमानी–व्यवस्था का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उच्च जातियाँ 'जजमान' के रूप में जानी जाती है। जजमान वो होत हैं, जो निम्न जातियों से सेवा लेतें हैं।

जो जातियाँ सेवा देतीं है, उन्हें 'कमीन' कहते है। इस तरह से जजमानी व्यवस्था में संस्तारित सम्बन्ध पाये जाते हैं। उच्च जातियाँ राजपूत, ब्राह्मण, बनिया अन्य जातियों को अपनी सेवायें नहीं देते हैं। दूसरी तरफ निम्न और अस्पृश्य जातियाँ नाई, कुम्हार, धोबी, चमार, बढ़ई, लोहार भंगी आदि अपनी सेवायें उच्च जातियों को देते हैं। ये सब जजमानी व्यवस्था के अन्तर्गत होता है। उच्च जातियाँ निम्न जातियों को सेवा के बदले अनाज के साथ पैसा देतीं हैं। जजमानी व्यवस्था को जाति का आर्थिक अंग कह सकते हैं। गांवों में एक तरफ बड़े बड़े भूमिधर हैं, जिनके पास अधिक जमीन, सम्पत्ति, सत्ता है। बहुधा ये उच्च जाति के होते हैं। दूसरी तरफ गांवों में भूमिहीन और अस्पृश्य जातियाँ है जो श्रमिक सेवायें देते हैं।

गाँवों में जजमानी सम्बन्धों के प्रतिमानः– (The Patterns of Jajmani System)

अध्ययन किये गये छः गांवों में पाये जाने वाली जजमानी व्यवस्था का यदि संघन अध्ययन किया जाय तो इस व्यवस्था के अनक प्रतिमानों की जानकारी हमें मिलती है। जजमानी व्यवस्था के तीन मुख्य प्रतिमान पाये जाते है–

1. निम्न जातियाँ उच्च जातियों को अपनी सेवायें देती है। बदले में उच्च जातियाँ नगद या अन्य प्रकार की मजदूमरी देतीं हैं।
2. गांवों में इस व्यवस्था के अन्तर्गत सेवाओं की अदला–बदली भी होती है। कुछ सेवाओं के बदले एक दूसरों को अपनी सेवायें देती हैं।
3. कुछ सेवाये देने वाली जातियाँ निम्न जातियों को अपनी सेवायें देती है। जिसके जगह पेसा या अन्य उपहार लेती है।

जिन छः गांवों का अध्ययन किया गया है जैसे–ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, निरंजन, अहिर आदि को सेवायें देने वाली जातियाँ अपनी सेवायें देती है। जैसे–नाई, धोबी, बढ़ई, कुम्हार आदि। इस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों के आधार पर जजमानी व्यवस्था में ऊँच–नीच नहीं देखा जाता है। सेवायें देने वाली

जातियाँ भी आपस में सेवाओं की अदला–बदली करती हैं। धार्मिक अनुष्ठान की दृष्टि से ब्राह्मण अपने से नीची जातियों के यहां धार्मिक कर्मकाण्ड सम्पन्न कराता है। निम्न जातियाँ उन्हे कुछ नगद और अन्य वस्तुएं उपहार के रूप मे देती है। जजमानी सेवाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं। परन्तु इन परिवर्तनों का स्वरूप एक गांव में दूसरे गांव से भिन्न है। ये भिन्नता ग्रामीण नगरीय अन्तर पर निर्भर करता है। साथ ही साथ छः गांवों में आर्थिक संरचना का स्वरूप कैसा है इस पर बहुत कुछ जजमानी व्यवस्था की रूपरेखा पर निर्भर करती है। तीन अर्द्ध–नगरीय गांव लहर, खोड़न, कोछाभावर, गांवों में जजमानी व्यवस्था लगभग समाप्त होने को है। यहां जजमानी व्यवस्था से सम्बन्धित जातियाँ पूर्ण रूप से इससे अपनी जीविका नहीं चलाती है। बल्कि खेती करते हैं और नगरों में जाकर रोजगार करते हैं। जैसे नाई, धोबी शहर में जाकर सैलून और लाण्ड्री की दुकान खोल लिए हैं। अतः इन नगरीय गांवों में जजमानी व्यवस्था, जीवन यापन का मुख्य साधन नहीं है। यातायात के बढ़ते साधन सड़क, रेल की सरलता से उपलब्ध, नगरों का प्रभाव, बढ़ती व्यक्तिवादी भावना, शिक्षा का प्रसार, औद्योगीकरण का प्रभाव, बढ़ते बाजारों का क्षेत्र, विकसित होते ग्रामीण नगर आदि ने नगर निकट गाँवों में जजमानी–व्यवस्था का बहुत प्रभावित किया है, ये लगभग समाप्त होने की स्थिति मे पहुंच गई है। परन्तु नगर दूर गांवों के जजमानी–व्यवस्था में परिवर्तन उतने तीब्र गति से नहीं हुआ है, जिनता तीब्र गति से नगर निकट गांवों में हुआ है। नगर दूर गांवो में अपनी सेवायें देने वाली जजमानी व्यवस्था से सम्बन्धित जातियों में प्रवास की भावना कम है। और ये आज भी गांवों में रहकर अपनी सेवायें दे रही हैं। परन्तु इनमें भी अपने सामाजिक प्रस्थिति के बारे में चेतना आ गई है। प्रो० श्री निवास का कहना है कि संस्कृतिकरण का प्रभाव इन जातियों पर अधिक देखा जा रहा है। नगरीकरण के बढ़ते प्रभाव, गाँवों का बाजारीकरण, व्यक्तिवादी भावना, शिक्षा का प्रसार, आर्थिक निर्धारणवाद आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक है जो नगर दूर गांवों में भी जजमानी व्यवस्था के महत्व घटा रहें हैं।

तालिका 4:2

जजमानी व्यवस्था के बारे में नगर दूर और नगर निकट गांव के सूचनादाताओं के प्रतिक्रिया

नगर निकट एवं नगर दूर गाँव	आज भी वैसे हीं है, जैसे पहले थीं।	अधिक बदल गई है।	लगभग समाप्त हो गई है।	योग
अर्धनगरीय गांव (E.S.) प्रयोगात्मक निदर्शन	8 (4.1)	90 (46.2)	97 (49.7)	195 (100.0)
नगर दूर गांव (C.S.) नियंत्रित निदर्शन	70 (66.6)	10 (9.6)	25 (23.8)	105 (100.0)
योग	78 (26)	100 (33.3)	122 (40.7)	300 (100.0)

तालिका 4:3

सूचनादाताओं से ये पूछा गया था कि जजमानी व्यवस्था में वो किस प्रकार के परिवर्तन चाहते हैं :–

गाँव	जजमानी व्यवस्था यथावत होना चाहिए।	इसमें परिवर्तन होना चाहिए	इसको समाप्त कर देना चाहिए।	योग
अर्द्ध नगरीय गांव	3	30	162	125
नगर दूर गाँव	25	50	30	105
योग	28	70	202	300

तालिका 4:4

सूचनादाताओं का जजमानी व्यवस्था के उपयोगिता के सम्बन्ध में विचारः-

प्रतिक्रियायें	भूतकाल में उपयोगी थीं	वर्तमान में भी उपयोगी है	अब यह बिल्कुल उपयोगी नहीं है	योग
अर्द्ध नगरीय गाँव	60 (30.8)	10 (5.1)	125 (64.1)	195 (100.0)
नगर दूर गांव	65 (61.9)	30 (28.6)	10 (9.5)	105 (100.0)
योग	125 (41.7)	40 (13.3)	135 (45)	300 (100.0)

नोटः- तालिकाओं के आँकड़ों के विश्लेषण के लिए अर्द्धनगरीय गांवों को (E.S) प्रयोगात्मक निदर्शन नगर दूर गाँवों को (C.S) नियंत्रित निदर्शन के रूप में प्रयोग किया गया है और शोध प्रबन्ध के सम्बन्धी तालिकायें इन्हीं आधारों पर बनायी गई है।

पूर्ण रूप से ये नहीं कहा जा सकता है, जजमानी-व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन अध्ययन क्षेत्र के गांवों के जाति-स्तरीकरण को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। वास्तविकता यह है कि जाति-व्यवस्था पूर्ण रूप से जाति स्तरीकरण का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। गाँवों में जाति-स्तरीकरण व्यवस्था अनेक जातियों पर आधारित है। जिनमें अपने जाति में विवाह है। जिसमें जाति सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती है। जजमानी-व्यवस्था सेवा देने वाले और सेवा लेने वाले जातियों के आर्थिक कारक पर आधारित है। सेवायें देने वाली जातियाँ अपने से निम्न जाति वालों को भी सेवायें देती है।

जजमानी-व्यवस्था के अनेक पक्षों का अनुभाविक तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। नगर निकट और नगर दूर गांवों के सूचनादाताओं के

जजमानी–व्यवस्था पर दी गयी प्रतिक्रियायें तालिका 4.2 में प्रदर्शित की गई है। अर्द्ध नगरीय गांवों के कुल 195 सूचनादाताओं में से 8 (4%) ने ये विचार किये है कि जजमानी–व्यवस्था को वैसे हीं रहने दिया जाए जैसे थीं 90 (46.2%) सूचनादाता ऐसे मिले जिनका मानना था कि जजमानी–व्यवस्था अधिक परिवर्तित हो चुकी है। इसीं क्रम में 97 (49.7%) सूचनादाताओं का कहना है कि गांवों में जजमानी व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। इन तथ्यों के विपरीत नगर दूर गांव के सूचनादाताओं के विचार जजमानी–व्यवस्था पर भिन्न थे। इस सम्बन्ध में 70 (66.6%) सूचनादाताओं का मत था कि जजमानी–व्यवस्था आज भी पैसे हीं है जैसे पहले थीं। 40 (9.6%) सूचनादाता ऐसे थे जिनका कहना था कि इसमें अधिक परिवर्तन हुआ है। साथ हीं साथ 25 (23.8%) सूचनादाताओं ने ये मत व्यक्त किये उनके गाँवों में जजमानी व्यवस्था लगभग समाप्त होने को है। साथ हीं साथ तालिका 4.3 में ये पूछा गया था कि वो अपने गांव में जजमानी–व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहेंगे? इस सम्बन्ध में अर्द्धनगरीय गांव के 4% सूचनादाता जिनकी संख्या बहुत कम थीं। ये जजमानी व्यवस्था को यथावत् रखना चाहते है। 30% सूचनादाता ऐसे थे जो इसमें कुछ परिवर्तन चाहते थे तथा 162 ऐसे सूचनादाता थे, जो इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन चाहते थे। इसी प्रकार नगर दूर गांव में 25% इसकी यथावत स्थिति चाहते थे। 50% इसमें परिवर्तन चाहते थे। 30% इस व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में थे।

जजमानी–व्यवस्था वर्तमान समय में कहां तक उपयोगी है? इस सम्बन्ध में सूचनादाताओं के विचार तालिका 4.4 में प्रस्तुत किये गय है। नगर निकट गांव के सूचनादाताओं का यह मत था, कि अब ये व्यवस्था उपयुक्त नहीं रह गयी है। इस सम्बन्ध में 30.8 प्रतिशत का मत था कि ये भूतकाल में गांवों के लिए उपयोगी थी। जबकि 5.1 प्रतिशत का कहना था कि आज ये उपयुक्त नहीं रह गयी है, इसी

प्रकार नगर दूर गांव में 65 (61.9) ऐसे सूचनादाता थे जो ये मानते है कि प्राचीन काल में इसकी उपयोगिता थी। केवल 28.6 प्रतिशत इसे आज भी उपयुक्त मानते थे। जबकि 9.5 प्रतिशत का कहना था आज ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है।

उपर के तालिकाओं के तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित उपकल्पना उभर कर सामने आती है। जिसका परीक्षण काई-वर्ग से किया गया है।

उपकल्पनाः-

जितना अधिक नगरीय प्रभाव गांव वासियों पर पड़ेगा। जजमानी व्यवस्था का महत्व उतना कम हो जायेगा और गांव जितना नगरों से दूर होगा उतना अधिक लोग जजमानी-व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग देंगे।

तालिका 4:4
सूचनादाताओं का जजमानी व्यवस्था के उपयोगिता के सम्बन्ध में विचारः-

प्रतिक्रियायें	जजमानी व्यवस्था के बारे में सूचनादाताओं के विचार (प्रतिक्रिया)			योग
	जातियों को यथावत रहने दिया जाय	इनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है।	जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए	
अर्द्ध नगरीय गाँव (E.S)	3	30	162	195
नगर दूर गांव (C.S)	25	50	30	105
योग	28	80	192	300

प्रत्याशित आवृतियाँः-

	18	52	125	195
	10	28	67	105
योग	28	80	192	300

काई-वर्ग मूल्य (x^2) = 92.96

df = (C-1) x (γ-1) = (3-1) x (2-1) = 2x1=2

df = 2

(i) काई-वर्ग का (x^2) वास्तविक मूल्य 92.96

(ii) काई-वर्ग का टेबुल मूल्य 2 df और 5% महत्व के स्तर पर 5.99 है।

(iii) चूँकि काई-वर्ग का (x^2) अवलोकित मूल्य इसके टेबुल मूल्य से अधिक है। जिसकी गणना 2 df और 5% महत्व के स्तर पर की गई है।

अतः शून्य कल्पना (Null Hypothesis) जिसका परीक्षण हम कर रहे हैं, वो अस्वीकार हो जाती है और जिस परिकल्पना के विश्वसनीयता का परीक्षण हम कर रहे है वा सही उतरती है। अतः हम कहत सकते है जिन गांवों पर नगरीय प्रभाव अधिक है। उन गांवो में जजमानी-व्यवस्था का प्रभाव घट गया है। नगर दूर गाँव जहाँ पर नगरीय प्रभाव कम है, वहाँ जजमानी-व्यवस्था कुछ परिवतीत रूप में आज भी चल रही है।

जाति-स्तरीकरण पर परिवर्तन के दबावः-

ग्रामीण समुदाय और इसके स्तरीकरण की व्यवस्था अनेक परिवर्तनों के दबाव की प्रक्रिया से गुजर रही है। इस संदर्भ में ग्रामीण समाज में दो प्रकार के परिवर्तन देखे जा रहे हैं। पहला संरचनात्मक परिवर्तन जिसके अन्तर्गत जमींदारी उन्मूलन हुआ। वोट देने का अधिकार मिला है। पंचायती राज-व्यवस्था लागू हुई

है। सहकारी आन्दोलन चला है। ग्रामीण सत्ता संरचना में परिवर्तन आया है। साथ ही साथ कुछ अन्य कारक की संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा परिवर्तन गांवों के बुनियादी सुविधाओं में हुआ है। जैसे गांवों में आधुनिक स्कूल, सड़को का निर्माण, ग्रामीण नगरों का विकास और प्रवास जिसके अन्तर्गत ग्रामीण गांवो से शहर की ओर रोजगार की तलाश में जाते हैं। ये दोनो प्रकार के परिवर्तन गांवों के जाति–स्तरीकरण को प्रभावित किये हैं। इन दोनो प्रकार के परिवर्तनों से जाति स्तरीकरण में गतिशीलता भी आयी है। इस गतिशीलता को लाने में आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण का महत्व अधिक है।[8,9]

आधुनिकीकरण का जाति स्तरीकरण पर प्रभावः–

गाँवों में जाति से सम्बन्धित अनेक अनुष्ठान जो धर्म और अन्य क्षेत्रों में पाये जाते हैं। वो धीरे–धीरे प्रभावहीन होते जा रहें और उनके स्थान पर नई विशेषतायें अपना जम्न ले रहीं हैं। इस प्रकार के परितर्वन को हम साधारण रूप से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव के नाते देख रहे हैं। उदाहरण के लिए उच्च जातियाँ, उच्च मध्यम जातियाँ यहाँ तक कि निम्न जातियाँ भी उच्च शिक्षा पर अधिक बल दे रहीं हैं। लोग अपनी आय बढ़ाने के पक्ष में हैं स्वयत्त व्यवसाय लोगों को लुभा रहा है। गांव के लोग शक्ति और सत्ता को हथियाना चाहते हैं। इन सब के नाते स्तरीकरण में परिवर्तन आ रहा है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि स्तरीकरण के कुछ मूल्य कारक एकदम परिवर्तित हो गये हैं। गाँवों की आर्थिक शक्ति प्राचीन में उच्च जातियों के हाथों केन्द्रित में थीं। क्योंकि ये बड़े–बड़े जमींदार थे। जमींदारी उन्मूलन इसमें परिवर्तन आया है। इससे गाँवों का स्तरीकरण

---

8. Sri Niwas, M.N. "Social Change in Modern India" orient Longman, New Delhi 1972.
9. Sriniwas, M.N. Religion and Society among the coorgs of South India. University Press (1952).

भी प्रभावित हुआ है। जजमानी–व्यवस्था के अनेक पक्ष दुर्बल हुए है। जजमानी व्यवस्था में दी जाने वाली सेवाएँ और अनुष्ठानों का भी महत्व घटा है। इसलिए गाँवों की उच्च जातियाँ अब शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता, कृषि का यन्त्रीकरण आदि के माध्यम से अपना प्रभाव बनाये रखना चाहती है। गांवों में अब धीरे–धीरे परम्परागत और धार्मिक अनुष्ठान का महत्व सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से घट रहा है। अतः आधुनिकीकरण के नाते एक दृष्टिकोण से जो लाभ हो रहा है, तो उसका प्रभाव दूसरे रूप में 'संस्कृतिकरण' (Sanskritizaion).

गाँवों में आजकल गतिशीलता की क्रिया के नाते अर्जित प्रस्थिति पर अधिक बल दिया जा रहा है। प्रदत्त प्रस्थिति की अवहेलना हो रही है। धार्मिक अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनुष्ठानों का जो महत्व घटता जा रहा है। उसी को हम "दसंस्कृतिकरण" कहते हैं।[10]

तालिका 4:6

नगर निकट और नगर दूर सूचनादाताओं से जाति व्यवस्था में परिवर्तनों के प्रति सुझाव :–

जाति	जातियों को यथावत रहने दिया जाय		पुनः संगठित किया जाय		समाप्त कर दिया जाए		योग	
	निकट	दूर	निकट	दूर	निकट	दूर	निकट	दूर
उच्च	5	8	10	7	20	18	35	33
मध्यम	20	6	20	8	30	10	70	24
निम्न	2	4	5	3	8	6	15	13
अस्पृश्य	10	4	30	9	20	12	60	25
मुस्लिम	3	2	6	5	6	3	15	10
योग	40	24	71	32	84	49	175	300

तालिका 4.6 में दर्शाये गये आकड़े और तथ्य नगर निकट और नगर दूर गाँवों के कुल तीन सौ (300) सूचनादाताओं के विचारों से सम्बन्धित है। जो

जाति व्यवस्था के बारे में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर से प्राप्त हुए है। नगर निकट गाँवों में (35) सूचनादाताओं में से 5 ने ये मत व्यक्त किया कि इसे यथावत रहने देना चाहिए। जबकि 10 ने कहा कि पुनः गठन की बात कही और अधिक से अधिक 20 इसे समाप्त करने के पक्ष मे थे। इसकी तुलना में नगर दूर गाँव के 33 सूचनादाताओं में से 8 ने इसे यथावत रखने की इच्छा व्यक्त की। 7 इसका पुनः गठन चाहते थे, जबकि 18 इसको समाप्त करने के पक्ष में थे। मध्यम जातियों के 24 सूचनादाता नगर दूर गांव के रहने वाले थे। इसमें से 6 जाति व्यवस्था को यथावत रखने के पक्ष में थे। 8 संशोधन चाहते थे और 10 इसको समाप्त करने के पक्ष में थे। इसके विपरित नगर निकट गांव के सूचनादाताओं की संख्या 70 थी, इसमें से 20 जाति व्यवस्था को यथावत रखने के पक्ष में थे। 20 इसका पुनः गठन चाहते थे। 30 इसको समाप्त करने के पक्ष में थे। नगर दूर गांव के निम्न जातियों के सूचनादाताओं की संख्या 13 थी। इसमें से 4 इसको यथावत रखना चाहते थे। 3 इसका पुनः गठन चाहते थे। साथ ही साथ 6 सूचनादाता ऐसे थे जो इसको समाप्त करना चाहते थे। नगर निकट गांव के निम्न जाति के सूचनादाताओं की संख्या 15 थी जिसमें से 2 जाति व्यवस्था की यथास्थिति बनाये रखना चाहते थे। 5 पुनः गठन के पक्ष में थे, 8 इसको समाप्त कर देना चाहते थे। नगर दूर गांव के अस्पृश्य जातियों के सूचनादाताओं की संख्या 25 थी। इसके यथास्थिति के पक्ष में 40 सूचनादाता थे। 9 इसका पुनः गठन चाहते थे, जबकि 12 पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर देने के पक्ष में थे। नगर निकट गांव के अस्पृश्य जाति के सूचनादाताओं की संख्या 60 है। इसमें से 10 जाति-व्यवस्था को यथावत रखने के पक्ष में थे। 30 पुनः गठन चाहते थे और 20 इसको समाप्त करने के पक्ष में थे। अध्ययन किये गये छः गांवों में मुस्लिम सूचनादाताओं की 25 थी। नगर निकट गांव के सूचनादाताओं की संख्या 15 थी। 3 सूचनादाता ऐसे थे जो जाति-व्यवस्था को

यथावत रखना चाहते थे। 6 इसके पुनः गठन के पक्ष में थे। 6 इसको समाप्त करने के पक्ष मे थे। नगर दूर गांव के कुल मुस्लिम सूचनादाताओं की संख्या 10 थीं। जिसमें से 2 चाहते थे इसको यथावत रहने दिया जाय। 5 समाप्त कर देने के पक्ष में थे। जबकि 3 चाहते थे इसका पुनः गठन किया जाए।

अतः कहा जा सकता है कि नगर दूर गांव के सूचनादाता कुछ को छोड़ कर जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने के पक्ष में थे। इनका मत है कि जाति संस्तरण में परिवर्तन होना चाहिए। पर इसकी मूल संरचना यथावत बनी रहे। नगर निकट गांवों के सूचनादाता का अधिक से प्रतिशत जाति–व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में थीं।

परिकल्पना :–

1. नगरीकरण और आधुनिकीकरण का जितना अधिक प्रभाव गांव पर पड़ेगा, उतना अधिक जाति–व्यवस्था के उन्मूलन की इच्छा प्रबल होगी और नगर दूर गांव के सूचनदाता में बनाये रखने की रूचि अधिक होगी।

तालिका 4.7

अवलोकित आवृत्तियाँ :–

सूचनादाताओं के प्रकार	यथावत रहने दिया जाए	पुनः गठन किया जाए	समाप्त कर दिया जाए	योग
अर्द्ध नगरीय गाँव (E.S)	40	71	84	195
नगर दूर गांव (C.S)	24	32	49	105
योग	64	103	133	300 (N)

प्रत्याशित आवृतियाँः-

	42	67	87	195
	22	36	46	105
योग	64	103	133	300

नोट-काई-वर्ग तालिका 4.9 तालिका 4.6 के आकड़ों पर आधारित है।

(i) df = (C-1) x (γ-1) = (3-1) x (2-1)

df = 2

(i) काई-वर्ग का वास्तविक मूल्य 1.23 है।

(ii) काई-वर्ग का टेबुल मूल्य 5% महत्व के स्तर पर 5.99 है।

निष्कर्ष :-

चूँकि काई-वर्ग का टेबुल मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से अधिक है, जिसे 2df और 5% महत्व के स्तर पर निकाला गया है। इस कारण शून्य कल्पना स्वीकार हो जाती है और जिस परिकल्पना का हम परीक्षण हम कर रहे है, उसकी विश्वसनीयता खरी नहीं उतरती है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि नगरीकरण का प्रभाव जाति-व्यवस्था पर बहुत अधिक नहीं पड़ रहा है। अतः नगर निकट और नगर दूर गांवों पर नगरीकरण का प्रभाव जाति-व्यवस्था पर समान पड़ रहा है।

ऐसा देखा जा रहा है कि अध्ययन किये गये छः गांवों के जाति स्तरीकरण में समतावादी प्रक्रिया चल रही है। उदाहरण के लिए छः गांवों में ब्राह्मण राजपूत कुर्मी (सैंथवार) के लोग जमींदारी समाप्त होने के बाद अपनी बची हुयी भूमि पर अपना जीवन यापन कठिनाई से कर रहे हैं और उसी भूमि पर एक श्रमिक के रूप कार्य करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ उच्च जातियों के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों के यहां श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

जमींदारी उन्मूलन के बाद बड़े-बड़े जमींदारों को सिलिंग के कानून के नाते केवल 12 एकड़ भूमि पर खेती करके गुजारा करना है। इस कारण इनकी आर्थिक स्थिति वो नहीं रह गयी जो पहले थी, और इस कारण उनकी सामाजिक प्रस्थिति भी निम्न हो गई है।

गाँवों के निम्न जातियों का सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में उंचा उठने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने में भू-सुधार कानून की अहम भूमिका है। अध्ययन किये गये छः गांवों में ऐसे परिवारों की संख्या अधिक है जो पांच एकड़ भूमि पर स्वामित्व रखते है। इनके पास पक्का मकान भी है और इनमें से बहुत से कर्जदार भी नहीं है। शिक्षा एक दूसरा कारक है जिसके माध्यम से निम्न जातियाँ जो पहले प्रभावशाली नहीं थी, अब अपनी स्थिति में सुधार लायी हैं।

संस्कृतिकरण और गतिशीलता (Sanskritization and Mobility)

संस्कृतिकरण की परिभाषा गतिशीलता के एक प्रक्रिया के रूप में गयी है। जो जाति-व्यवस्था में विद्यमान है। इसके अन्तर्गत गांवों की निम्न जातियाँ उच्च जातियों के रिति-रिवाज, व्यवहार खान-पान को अपना कर अपने को उच्च जातियों के सामने बनाने का प्रयास करती हैं। ये निम्न जातियाँ उच्च जातियों के सामाजिक, धार्मिक, अनुष्ठानों को भी अपना कर अपने निम्न सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहती है। इन्हे इस बात का ज्ञान है, समाज के रीति-रिवाज व्यवसाय के नाते इनकी सामाजिक प्रस्थिति निम्न है। ऐसी अवस्था में ये जातियाँ अपने सामाजिक स्थिति को उंचा उठाने के लिए अपने परम्परागत जीवन शैली को त्याग कर उच्च जातियो के सांस्कृतिक शैलियों का अनुसरण कर रही है। अध्ययन किये छः गांवों में ये प्रक्रिया देखी जा रही है।

संस्कृतिकरण के तीन प्रतिमान इन छः गांवों में हमें मिलते है। ये प्रतिमान पुराने जीवन शैली को त्यागने और नये को अपनाने पर आधारित है–

1. कुछ ऐसी निम्न जातियां है जो अपने परम्परागत व्यवसायों को पूर्ण रूप से त्याग रही हैं – जैसे चमार, पासी आदि इनका परम्परागत व्यवसाय बहुत गन्दा था और इसी लिए इनको अस्पृश्य जातियों में रखते थे। इसलिए इन्होंने ऐसे व्यवसाय को त्योग दिया है। इसलिए इनके सामने रोजी–रोटी की समस्या है।
2. कुछ ऐसी भी जातियां है जो अपने परम्परागत व्यवसाय में आंशिक परिवर्तन लाई है। जैसे बढ़ई निकट ग्रामीण नगरों या शहरों में जाकर लकड़ी के फर्नीचर की दुकान खोल दिये है। इसी प्रकार नाई सैलून खोल लिए है। धोबी छोटे या बड़े कस्बों में जाकर लाण्ड्री खोल दिये है।
3. गांवों को कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो परम्परागत व्यवसाय को आज भी कर रही हैं पर उसी के साथ–साथ कुछ अन्य व्यवसायों में भी लगे हुए है। प्रो0 श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण जाति–व्यवस्था में रेखीय गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। जिसके अन्तर्गत निम्न जातियाँ उच्च जातियों के जीवन शैली का अनुसरण करती है। परन्तु प्रो0 डी. एन. मजूमदार[11] इस कथन से सहमत नहीं है। इनके अनुसार गांवों की अनेक जातियो क्षैतिज विभिन्नताएं है, जो आज भी बनी हुई है। जिसका आधार जन्म है और अपने जाति में विवाह करने की प्रथा है।

---

11. Bose, N.K. "Class, Caste Culture and Society in India" Asia Publishing Huse Delhi, 1967.

जाति चेतना (Caste Consciousness)

जाति चेतना की अभिव्यक्ति उच्च जातियों के नाते है। जन्म के आधार पर लोगों को जाति सदस्यता मिलती है। ऐसे लोगों के समान धार्मिक, सामाजिक मूल्य होते है। इनके व्यवसाय सामाजिक अन्तःक्रिया, वैवाहिक सम्बन्ध भी अपने हीं जाति में होते हैं। अन्तरा जाति प्रतिस्पर्धा[12] का भी अभाव होता है। सांस्कृतिक स्वतंत्रता और जाति चेतना उच्च जाति के विचारधाराओं से व्यक्त होतीं है। जो इनके धार्मिक अनुष्ठानों और व्यवहारों में निहित है। हमारे इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जाति समूह अन्तः जाति, सामाजिक सम्बन्धों और विवाह के अपने नियम बना रखे है। अध्ययन किये छः गांवों में एक भी अर्न्तजातीय विवाह का उदाहरण नहीं मिला है।

तालिका 4:8

जातियाँ	वह जो जाति व्यवस्था में विश्वास रखते है		वह जो जाति व्यवस्था में विश्वास रखते है		योग	
	नगर निकट	नगर दूर	नगर निकट	नगर दूर	नगर निकट	नगर दूर
उच्च	12	25	23	8	35	33
मध्यम	24	18	46	6	70	24
निम्न	8	9	7	4	15	13
अस्पृश्य	20	15	40	10	60	25
मुस्लिम	5	3	10	7	15	10
योग	69	70	126	35	195	105

N = 300

12. Majumdar, D.N. "Cate and Communication in an Indian Village" (Asia Publishing House, New Delhi - 1959.

तालिका 4.8 में दर्शाये गये तथ्य उस प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित है। जिसमें ये पूछा गया था कि क्या उच्च जातियां अपने को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानती है? अपने से निम्न जातियों को हीन भावना से देखती है। इस प्रश्न के उत्तर में अधिक-अधिक सूचनादाताओं ने माना है, जाति व्यवस्था में उच्च और निम्न एवं श्रेष्ठता की भावना आज भी पायी जाती है। परन्तु अब धीरे-धीरे सभी जातियों में अपने आदर और सम्मान एवं प्रस्थिति को उंचा करने की प्रतिस्पर्धा पायी जाती है। इसके नाते जाति संस्तरण बदलने की प्रक्रिया में है। इस क्रम में मध्यम और निम्न जातियाँ उच्च शिक्षा अच्छे व्यवसाय और सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। इसी के साथ-साथ परम्परागत उच्च जातियाँ आज भी अपनी जाति की श्रेष्ठता पर बल देती हैं और आज भी धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर अधिक खर्च करके अपना सम्मान बढ़ाने का प्रयास करती है। ये सब प्रक्रियायें जाति-व्यवस्था को आधुनिकीकरण की ओर ले जाती है। ये सब होने के बाद जाति चेतना आज भी विद्यमान है।

उच्च जातियाँ जो परम्परागत रूप से गांवों में अधिक सुविधाएं प्राप्त की थीं, वो आज भी जाति स्तरीकरण के वैचारिकी में विश्वास रखती है जबकि मध्यम जातियां अब जाति स्तरीकरण का विरोध कर रहीं हैं और अब समाज में सामाजिक प्रस्थिति को जन्म के आधार पर मानने को तैयार नहीं है, वे इसका आधार अर्जित मानती है। इसी क्रम में निम्न और अस्पृश्य जातियां भी अनुभव कर रहीं हैं कि जाति संस्तरण में जो निम्न स्थान है, उसको उच्च होना चाहिए। जाति व्यवस्था में विश्वास न करने वाले नगर निकट सूचनादाताओं की की संख्या 195 में से 126 है। जबकि इसमें विश्वास करने वालों की संख्या 69 है। इसी प्रकार नगर दूर गांव के कुल 105 सूचनादाताओं में जातियों के बीच श्रेष्ठता मानने वाले 70 है, और जो इस श्रेष्ठता को नहीं मानते उनकी संख्या 35 है। कुल मिलाकर

दोनो प्रकार के गांवों के सूचनादाता जातियों के बीच पायी जाने वाली उच्च और निम्न भावना के समर्थक नहीं है।

तालिका 4.9

जातियाँ	अपने जाति के उम्मीदवार को वोट		जाति भावना नहीं		योग	
	नगर निकट	नगर दूर	नगर निकट	नगर दूर	नगर निकट	नगर दूर
उच्च	15	20	20	13	35	33
मध्यम	25	16	45	8	70	24
निम्न	5	8	10	5	15	13
अस्पृश्य	18	15	42	10	60	25
मुस्लिम	12	8	3	2	15	10
योग	75 (25%)	67 (22.3%)	120 (40%)	38 (12.7%)	195	105 N = 300 (100)

तालिका 4.9 में दर्शाये गये तथ्य जाति भावना के सम्बन्ध में है। जिसके अन्तर्गत लोग जातिवादी भावनला के आधार पर चुनाव में अपने जाति के उम्मीदवार को वोट देते हैं। गांवों में ऐसा देखा जाता है कि चुनाव या अन्य अवसरों पर जाति-चेतना जातियों के बीच जाग जाती है। एक जाति दूसरे जाति का विरोध करने लगती है, इससे जाति एकता को बल मिलता है। जब किसी जाति का व्यक्ति अपने जाति के किसी उम्मीदवार को उसकी योग्यता देखे बिना उसका समर्थन करता है तो एक प्रकार की जातिवादी भावना से ग्रसित होता है। जातिवादी भावना आजकल प्रत्येक जाति समूह में पाया जाता है। पर ये भी देखा गया है कि जाति संस्तरण में जो जातियाँ उच्च स्थान पर है उसमें जाति भावना उतनी नहीं है जितनी मध्यम और निम्न जातियों में है। इसी क्रम में 75 (25%)

नगर निकट गांव के ऐसे सूचनादाता थे, जो चुनाव में अपने ही जाति के उम्मीदवार को वोट देने के पक्ष मे थे। पक्ष में थे इनकी तुलना में नगर दूर गांव के 67 (22.3%) सूचनादाता जाति भावना से ग्रसित थे और चुनाव में अपने ही जाति के उम्मीदवार को वोट देने के पक्ष में थे। ऐसे सूचनादाता जो जातिवादी भावना से ग्रसित नहीं थे नगर निकट गांव में इनकी संख्या 120(40%), थी जबकि नगर दूर गांवों में ऐसे सूचनादाताओं की संख्या 38(12.7%) थी।

निम्न जातियों में उच्च स्तरीय जाति चेतना पायी जाती है। इसका मुख्य कारण ये है, ये जातियाँ आरम्भ से ही शोषण और अत्याचार की शिकार रही है। इसलिए चुनाव आदि में अपने को संगठित करके एक दबाव समूह के रूप में अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान खोजती है। उच्च स्तरीय जाति चेतना के नाते इन जातियों का राजनीतिक आधुनिकीकरण अधिक हुआ है, और उच्च जातियों का इनकी अपेक्षा कम हुआ हैं परन्तु विरोधाभास यह है, इतना होने के बाद भी गांव की सत्ता बहुधा उच्च जातियों के हाथों में है। आरक्षण के नाते निम्न जातियों और उने महिलाओं को जो स्थान सत्ता संरचना में मिला है। वो भी अधिक प्रभावशाली और प्रकार्यात्मक नहीं है। इस पर भी उच्च जातियों का प्रत्यक्ष और अप्रयक्ष रूप से प्रभाव देखा जाता है। ऐसा देखा जा रहा है जातिवाद की भावना चुनाव के समय अधिक शक्तिशाली और क्रियाशील हो जाती है। परन्तु ये विशेषतायें अधिकतर निम्न और मध्ययम जातियों में देखी जाती है। तालिका 4.8 और 4.9 के तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन से इस तथ्य को पुष्टि मिलती है कि निम्न जातियों में जाति चेतना और एकता उच्च जातियों के तुलना में अधिक है। अध्ययन किये गये छः गांवों में कई जातियों के गुट मिले, और ये आपस में एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। चाहे वो आर्थिाक राजनीतिक सत्ता के लाभ से सम्बन्धित हो।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से निम्नलिखित परिकल्पना उभर कर सामने आती है –

परिकल्पना :–

जितना लोगों में जाति चेतना अधिक होगीत उतना ही उन उन जातियों के बीच राजनीतिक तालमेल अधिक पाया जायेगा।

तालिका 4.10

गाँवों के प्रकार	जाति चेतना	जाति चेतना नहीं	योग
नगर निकट गांव	75 (92)	120 (103)	195
नगर दूरर गांव	67 (50)	38 (55)	105
योग	142	158	(N) = 300

नोट–काई–वर्ग तालिका 4.10 के आकड़े तालिका 4.9 के आकड़ो पर आधारित है।

df = (C-1) x (γ-1)

(2-1) x (2-1) = 1

(i) काई–वर्ग $(x)^2$ का गणितीय मूल्य 16.97 है।

(ii) काई–वर्ग का टेबुल मूल्य 1 df और 5 % महत्व के स्तर पर 3.8 है।

निष्कर्ष :–

काई–वर्ग $(x)^2$ का वास्तविक मूल्य इसके टेबुल मूल्य से अधिक है, इसलिए शून्य कल्पना अस्वीकार हो जाती है और जिस परिकल्पना का हम परीक्षण कर रहे है। वो खरी उतरी है।

गाँवों में जाति चेतना का आधार समान मूल्य, उद्देश्यों और सत्ता के लिए भाग दौड़ है, जो जन्म और नातेदारी तन्त्र के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास

किया जाता है। जाति चेतना के विकास में ऐतिहासिक तथ्य अधिक प्रभावशाली है। प्राचीनकाल जातियों के बीच दूरी और जातियों में समाजीकरण की भिन्नताएं इसके लिए जिम्मेदार है। गाँवों में छोटी-छोटी समस्यायें चुनाव भूमि से सम्बन्धित झगड़े और त्योहर आदि जाति चेतना को सबल बनाते है। जाति चेतना दो स्तरों पर पायी जाती है। (1) जाति के स्तर पर (2) गुटबन्दी के स्तर पर।

हाल के वर्षो में समाजशास्त्रीय अनुसंधानों से ये स्पष्ट हुआ है कि जाति-व्यवस्था में अधिक परिवर्तन हुए है। ग्रामीण अंचलों में जाति-व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है।

1. जाति से सम्बन्धित व्यवसाय आर्थिक गतिशीलता में बाधक है, इसलिए धर्म-निरपेक्ष व्यवसायों का जन्म हुआ है। गांवों के परम्परागत व्यवसाय जैसे-तेली, जुलाहा, बढ़ई, लोहार, धोबी, नाई आदि के व्यवसायों में गतिशीलता आयी है। अब गांवो के लोग अनेक प्रकार के व्यवसाय करने लगे हैं, जो जातियो के परम्परागत व्यवसाय से भिन्न है, इसके नाते ग्रामीण स्तरीकरण प्रभावित हुआ है।
2. गाँवों की जनसंख्या अब धीरे-धीरे नगरों की ओर पलायन कर रही है। इसके कई कारण है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के नाते नगरों में रोजगार के अवसर, नगरीय जीवन बिताने की लालसा आदि कारक गांवो में परिवर्तन ला रहे हैं इससे जाति स्तरीकरण प्रभावित हुआ है।
3. हलांकि ग्रामीण अंचलों में जातियाँ अब नये कार्यो को कर रहीं है। परन्तु आज भी इनकी पहचान जाति से ही की जाती है।
4. ग्रामीण जीवन में जातियां एक व्यवस्था के रूप में अपना महत्व खोती जा रही है और अब इसका राजनीतिक आधार बनता जा रहा है। आज

भी ग्रामीण स्तरीकरण को "बन्द स्तरीकरण कहा जाता है"। परन्तु अब ये धीरे-धीरे खुला स्तरीकरण का रूप ले रहा है।

5. गांवों में सबसे बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन महिला सशक्तिकरण के रूप में हुआ है। विशेषकर जबसे शिक्षा का प्रसार बड़ा है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला है। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है। इससे गांवो में परम्परागत जाति संगठन दुबले हुए है।

प्राचीन काल से चला आ रहा जाति स्तरीकरण बदलने की प्रक्रिया में हैं, क्योंकि ग्राम वासियों के उपभोग के प्रतिमान बदल रहे है। जाति के आधार पर खान-पान, बर्तन आदि अलग-अलग होते थे। अब इसमें परिवर्तन आ गया है, और गांव की उत्पादक व्यवस्था भी बदली है। अब गांवो में बैंको और सहकारी समितियों द्वारा निम्न और पिछड़ी जातियों को कर्ज दिया जा रहा है। जिसको लकर वो अपना आर्थिक उत्थान कर रहे हैं। पिछले पचास वर्षो में ग्रामीण जाति स्तरीकरण में अनेक परिवर्तन हुए है। इन परिवर्तनों को हम दों भागों में बांट सकते हैं -

1. संरचनात्मक परिवर्तन
2. बुनियादी सुविधाओं से सम्बन्धित परिवर्तन।

संरचनात्मक परिवर्तन जमींदारी उन्मूलन, नई पंचायती राज व्यवस्था, सहकारी आन्दोलन वोट देने का अधिकार आदि आते हैं। जबकि बुनियादी सुविधाओं में आधुनिक स्कूल, सड़को का निर्माण, अस्पताल, यातायात के साधन प्रवास आदि। आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण से भी कुछ सीमा तक ग्रामीण स्तरीकरण प्रभावित हुआ है।

अध्याय–पाँच

वर्ग–संरचना और ग्रामीण स्तरीकरण

इस अध्याय में ग्रामीण स्तरीकरण का विश्लेषण वर्ग संरचना के आधार पर करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि ग्रामीण स्तरीकरण का कोई भी अध्ययन उस समय तक अधूरा रह जाता है, जब तक वर्ग–संरचना के परम्परागत और आधुनिक विशेषताओं का विश्लेषण न किया जाए। समकालीन भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में जाति स्तरीकरण का बड़ा महत्व है। मानव समाज में विभिन्नताएं प्राचीन काल से ही खोज का विषय रही है। इनमें से कुछ मुख्य विभिन्नतायें आय, व्यवसाय, शैक्षणिक उपलब्धि और जीवन स्तर पर आधारित है। यही सब वर्ग संरचना के आधार है। वर्ग संरचना का विश्लेषण जब हम सामाजिक स्तरीकरण के सन्दर्भ में करते हैं, तो व्यक्तियों के बीच पायी जाने वाली असमानता को आधार मानते हैं।

आधुनिक समाजशास्त्रीय अनुसंधान और लेखन जो हमें स्तरीकरण के सन्दर्श में मिलत हैं, वो मुख्य रूप से दो उपागमों से प्रभावित है। पहला कार्ल मार्क्स का उपागम और दूसरा मैक्स वेबर का उपागम। मार्क्स ने समाज में व्यक्तियों को दो बड़े वर्गो में विभाजित किया है एक स्वामित्व रखने वाला दूसरा स्वामित्व विहीन। ये स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर पाया जाता है। मैक्स वेबर के उपागम के अन्तर्गत हम स्तरीकरण के तीन आधार पाते हैं। मैक्स वेबर का कहना है कि समाज में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था समान नहीं है, और साथ ही साथ प्रस्थिति समूह (Status Groups) आर्थिक वर्ग के समानान्तर नहीं पाये जाते हैं। इस तरह से मैक्स वेबर का कहना था कि (1) सम्पत्ति (2) सत्ता (शक्ति) (3) आदर सम्मान, तीन पृथक–पृथक कारक है, परन्तु एक दूसरे से अन्तःक्रिया करते हुए स्तरीकरण के मुख्य आधार है। इस प्रकार यह तीनों कारक व्यक्तियों के असमानता का एक संस्तरण तैयार करते हैं।

जैसे–जैसे आर्थिक, व्यवसायिक, शैक्षिक प्रगति समाज में हो रही है। अर्जित प्रस्थिति का महत्व बढ़ता जा रहा है और प्रदत्त प्रस्थिति का महत्व घटता जा रहा है। भारतीय समाज में जाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों का निर्धारण

करती रहीं है। परन्तु अब ये अनुभव किया जा रहा है कि जाति के आधार पर आर्थिक और सामाजिक असमानता की व्याख्या नहीं की जा सकती (डिसूज़ा 1968, बेताई 1969)। भारत में अनेक समाजशास्त्री मुखर्जी, देसाई (1969) तथा बेताई (1965) ने भारतीय समाज में वर्ग–व्यवस्था की व्याख्या की है और ये कहा है कि जाति–व्यवस्था का सम्बन्ध वर्ग–व्यवस्था से है। वास्तविकता यह है कि जाति की अवधारणा में वर्ग की अवधारणा निहित है। जैसे–ब्राहमण एक जाति है, परन्तु इसमें धनी और गरीब दोनो हैं। अतः इस आधार पर यह वर्ग भी है। इस तरह से भू–स्वामित्व, आय, व्यवसाय, सत्ता आदि गाँव में वर्ग संरचना के आधार है।

अवधारणा के स्तर पर जाति और वर्ग में अन्तर बताये जाते हैं। परन्तु कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि वर्ग और जाति एक दूसरे से भिन्न नहीं है।

अतः वर्गो का अध्ययन समाज का बाह्य वातावरण, देश की आर्थिक व्यवस्था, श्रम और इसके कार्य करने की शैली, समुदाय जिसमें ऐसे लोग निवास करते हैं, इनके बीच किस प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध पाये जाते हैं आदि पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि ये सब कारक व्यक्तियों के आदतों उनकी विशेषताओं, विचार करने के ढंगों को प्रभावित करते हैं। कुछ परम्परागत विचारक समाज की अवधारणा बताते समय ये विचार व्यक्त करते है, कि व्यक्ति का जन्म अनेक वर्गो में होता है। उसके अधिकार और कर्तव्य भी होते हैं समाज में स्वतन्त्रता होती है। कानून से बंधा होता है। इस प्रकार समाजिक सम्बन्ध संविदा पर अधारित होते है।

दूसरे तरफ प्रगतिवादी विचारक औद्योगीकरण की बात करते हैं, और व्यक्ति के प्रगति की वकालत करते है, ये लोग समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष की बात करते है। अतः वर्ग पर आधारित असमानताएँ एक सर्वव्यापी तथ्य है, और इसकी मात्रा एक समाज में दूसरे समाज से भिन्न होती है। इसी सन्दर्भ में कार्ल मार्क्स ने "उत्पादन के सम्बन्धों" "वर्ग प्रस्थिति" "राजनीतिक सत्ता" 'क्रान्ति' और

"वर्ग–विहिन समाज" की बात कही है। मार्क्स ने वर्ग की जो अवधारणा दी है, उसके आधार पर हम सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन के बीच सम्बन्धों को सरलता से समझ सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन वर्ग–संघर्ष के आधार पर कैसे होता है? मैक्स वेबर का विश्लेषण अधिक व्यवहारिक है, क्योंकि इन्होंने सत्ता, वर्ग और प्रस्थिति के बीच अन्तर बताया है और ये कहा है कि ये आवश्यक नहीं है कि वर्ग व्यक्ति के प्रस्थिति और सत्ता का निर्धारण करे।

डाहरेनडार्फ[1] ने लिखा है कि कार्ल मार्क्स का वर्ग का सिद्धान्त जो समाज में श्रम–विभाजन के आधार पर पूँजीपति और श्रमिक के बीच उत्पादन को आधार मानकर किया गयाहे,उसका विशेषणात्मक महत्व अब समाप्त हो गया है, क्योंकि जब हम कानूनी स्वामित्व और वास्तविक नियंत्रण को पृथक करते है, तो फिर मार्क्स के प्रारूप का महत्व नहीं रह जाता है। डाहरेनडार्फ के अनुसार वर्ग के संरचना में अनेक कारक है जो इसका निर्माण करते हैं। वर्ग संघर्ष प्रभुत्व संरचना से सम्बन्धित होता है। इनका कहना है कि सामाजिक संरचना में जब परिवर्तन होता है, तो यह परिवर्तन सामाजिक वर्गो और उनके बीच पाया जाने वाला संघर्ष सत्ता (**Authority**) के असमान वितरण से सम्बन्धित होता है, जो अनेक संस्थाओं में निहित होता है। डाहरेनडार्फ लिखते हैं कि वर्ग का सम्बन्ध न तो सम्पत्ति से है और न ही उद्योगों से है, यह सामाजिक संरचना का एक अंग है और एक कारक है जो समाज में परिवर्तन लाता है। वर्ग–व्यवस्था एक सर्वव्यापी अवधारणा है इसमें सत्ता और इसका वितरण महत्वपूर्ण है। अतः वर्गो का निर्माण प्रभुत्व के प्रयोग से होता है और इसी के नाते वर्ग–संघर्ष भी होता है। समाज में वर्ग अन्य, संघर्षरत वर्गो से भिन्न होते है, जो धार्मिक विभिन्नताओं के नाते उत्पन्न होते हैं। समाज में एक विशेष प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध वर्ग के जन्म के आधार होते हैं।

---

1. Dahran Dorf, "Class and Class conflict in Industrial Society, London, K. Paeel (1936)

वर्ग–संरचना के परम्परागत स्वरूप

(Traditional Form of Class Structures)

भूमिधर, सीददार, व्यवसायिक और बटाई पर खेती करने वाले किसान, भूमिहीन श्रमिक आदि लोग गांव के परम्परागत वर्ग–संचरना के आधार है।

तालिका 5:1

छः गाँव उनके जिले का नाम, भूमि व्यवस्था और भू–स्वामित्व का विवरण।

गाँव	जिला	नगर निकट/ नगर दूर	भू–स्वामित्व के प्रकार	जातियाँ जो भूस्वामित्व रखती है।	बटाई करने वाले किसान
अर्द्ध नगरीय					
(1) लहर	झाँसी (उ0प्र0)	अर्द्ध नगरीय	सीरदार भूमिधर		
(2) खोड़न	झाँसी (उ0प्र0)	अर्द्ध नगरीय	सीरदार भूमिधर		
(3) कोछाभावर	झाँसी (उ0प्र0)	अर्द्ध नगरीय	सीरदार भूमिधर		
नगर दूर					
(1) रजपुरा	झाँसी (उ0प्र0)	नगर दूर	सीरदार भूमिधर		
(2) बड़ागांव	झाँसी (उ0प्र0)	नगर दूर	सीरदार भूमिधर		
(3) बेंहटा	झाँसी (उ0प्र0)	नगर दूर	सीरदार भूमिधर		

गाँवों के जाति संस्तरण में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, और परम्परागत वर्ग संरचना क अंग भी है। क्योंकि इनके पास खेती के लिए भूमि है, और भूमि ही वर्ग का निर्माण करती है। जाति संस्तरण में दूसरे स्थान पर राजपूत हैं। परन्तु जहाँ तक भू–स्वामित्व का प्रश्न है, ये ब्राह्मणों से ऊपर है और गाँवों में वर्ग के दृष्टिकोण से ये नम्बर एक पर है। कुर्मी (निरंजन) का तीसरा वर्ग है क्योंकि इसके पास भी भूमि है। अधिकतर ये भूमिधर है।

जिनके पास भूमि है, भले ही अधिक न हो, चौथे वर्ग में विभक्त किया जा सकता है। ये जातियाँ अहीर और मुस्लिम है। अन्य जातियाँ भूमिहीन है जिनका भी अपना एक अलग वर्ग है। जिनको हम श्रमिक कहते हैं। ये अन्य जातियों के यहां कृषि मजदूर के रूप में कार्य करतीं हैं।

व्यवसाय करने वालों में बनिया जाति आतीं है। आर्थिक रूप से ये कुछ गांवों में राजपूत और ब्राह्मण जो सीरदार के रूप में है, उनसे भी अधिक सम्पन्न है। उनका भी अपना एक वर्ग है। गाँवों में मध्यम जातियाँ माली, बढ़ई, कहार, धोबी आदि बटाई खेती करते हैं। इसके बाद अन्य कुछ शिल्पकारी जातियाँ है, इनका भी अपना एक अलग वर्ग है। कृषक श्रमिक के रूप में जो वर्ग हम गांवों में पाते हैं, वो अधिकतर अनुसूचित जाति एवं निम्न जाति के लोग है। गांवों में वर्ग स्तरीकरण और आर्थिक संस्तरण के बीच सहसम्बन्ध देखा जाता है। गांवों में कृषि श्रमिकों का आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे निम्न समूह है।

तालिका 5:2
वर्ग और आय वर्ग समूह के बीच सम्बन्ध

आय समूह	सीददार और भूमिधर	व्यापारी	बटाई/ कृषक	हाथ का काम करने वाले, शिलाकारी एवं नौकरी	श्रमिक	योग
उच्च	8 (8.7)	5 (5.4)	65 (70.7)	12 (13)	2 (2.2)	92 (100.0)
मध्यम	30 (52.6)	3 (5.3)	13 (22.8)	7 (12.3)	4 (7.0)	57 (100.0)
निम्न	4 (2.7)	3 (1.98)	50 (33.1)	3 (1.98)	91 (60.3)	151 (100.0)
योग	42 (14)	11 (3.7)	128 (42.7)	22 (7.3)	97 (32.3)	300 (100.0)

गाँवों में शक्ति संरचना का सम्बन्ध जाति और वर्ग के संस्तरण से सम्बन्धित है। गाँवों में वो व्यक्ति और समूह जिनके पास शक्ति और प्रभाव है, वे उच्च जाति और उच्च वर्ग समूहों के हैं। आज भी गांवों में बटाई पर करने वाले किसान भूमिहीन श्रमिकों का गाँव के मुख्य समस्याओं के समाधान में कोई हाथ नहीं है, बल्कि इनका अधिक से अधिक शोषण होता है। बंधुआ मजदूर और बेगार की प्रथा गांवो से लगभग समाप्त हो गई है। बंधुआ मजदूर और बेगार श्रम, बहुधा जजमानी सेवायें, जानवरों के लिए चारा और श्रम के क्षेत्र में पाया जाता था और इसी के साथ–साथ नाई, धोबी, दर्जी, लोहार, कहार, आदि सेवायें उच्च जातियों को देती थी, नही के बराबर उनको मजदूरी मिलती थी।

गाँवों में उभरती वर्ग–संरचनाः–
(The Emerging Class Structure)

तालिका 5:2 में दर्शाये गये तथ्य वर्ग और आय वर्ग समूहों के बीच पाये जाने वाले सम्बन्ध को प्रदर्शित करते हैं। कुल 8 परिवार (8.7%) उच्च आय समूह के सीददार और भूमिधरों के हैं। 5 (5.4%) बनिया परिवारों के हैं। 65 (70.7%) बटाई कृषक परिवारों के लोग पाये जाते हैं और हाथ की कारीगरी करने वाले परिवारों की संख्या 12 (13%) है। श्रमिकों के परिवारों की संख्या केवल 2 (2.2%) है। ऐसे परिवार जो मध्यम आय समूह में आते है उनकी कुल संख्या 57 है। इसमें 30 (52.6%) सीददार और भूमिधर के परिवार है। 3 (5.3%) बनिया 13 (22.8%) बटाई पर खेती करने वाले किसानों के 7 (12.3%) कारीगरों के तथा 4 (7%) श्रमिकों के हैं।

इसी क्रम में निम्न वर्ग के कुल 11 परिवार इसमें से 4 (2.7%) सीरदार और भूमिधर के है। 3 (1.98%) बनिया के 50 (33.1%) बटाई पर खेती करने वालों के 3 (1.98%) कारीगरों के 91 (60%) श्रमिकों के है।

जमींदारी उन्मूलन के बाद गांवों की वर्ग संरचना में परिवर्तन आया है। जमींदारों की भूमि जो कास्तकार जोतते थे, उन पर उनका अपना अधिकार हो गया और वो भूमिधर कहलाने लगे। जमींदारों को सीरदार कहा गया। जमींदारों में से कुछ

लोग अपनी भूमि बचाने में सफल हो गये। सीलिंग से बचाने के लिए अपने मित्रों एवं अन्य लोग के नाम अपनी भूमि कर दी। इस प्रकार अध्ययरन किये गये छः गाँवों में चार प्रकार के वर्ग समूह है[2]–

1. सीरदार, भूमिधर।
2. व्यापारी
3. कृषक और कारीगर
4. कृषक श्रमिक

सबसे नीचे कृषक श्रमिक है सबसे ऊपर सीरदार और भूमिधर है।

गाँवों के पूर्व जमींदार :–

उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून के बाद पूर्व में जमींदार कहे जाने वाले लोग अब सीरदार हो गये हैं। इन लोगो की सम्पन्नता घट गयी है। भूमि कम होने से कृषि के माध्यम से इनको कम लाभ होता है। इनकी राजनीतिक सत्ता भी घटी है। परन्तु फिर भी कुछ ऐसे सीरदार हैं जिनके पास ट्रैक्टर, जीप और अधिक सम्पत्ति है। फिर भी जमींदारों से बदले नये सीरदारों की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है जैसे पहले थी। सीरदार होने बाद ये अपनी सामाजिक प्रस्थिति को ये उतना ऊपर नहीं उठा सके। इसका मुख्य प्रभाव यह हुआ इन सीरदारों के बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। नगर दूर गाँवों के कुछ सीरदारों के परिवार जिनके पास कृषि योग्य भूमि कम है उनमें से कुछ श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। स्वतंत्रता के पहले जो जीवन–स्तर था वो निम्न हो गया है। अब ये परिवार खुद अपनी खेती करते हैं। साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्य फौज, पुलिस, आफिस में कार्यरत है।

अर्द्धनगरी गांव के परिवारों की स्थिति कुछ भिन्न है। इन परिवारों के पास जो भी भूमि है उस पर वो खेती करते हैं। ये लोग कृषक के स्थान पर अब किसान हो गये हैं। ये बाजार से जुड़े हुए है, खेती लाभ के आधार पर करते हैं। ऐसी फसले उगाते

---

2. Beteille Andre, "Caste, class and Power : changing Patterns of stratification in Tanjore village oxford, University Press.

हैं जिनको बाजार में बेच कर धन कमा सके। इनके परिवार में कुछ लोग मोटे–मोटे व्यापार और नौकरी करते हैं। इसलिए इन परिवारों में व्यवसायिक और सामजिक गतिशीलता अधिक है।

गाँव के सीरदारों की सामाजिक प्रस्थिति उच्च से निम्न हो गयी है। अब ये लोग एक तरीके से श्रमिक के रूप में आते जा रहे हैं। जीवन के अन्य क्षेत्र जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इनका पतन हुआ है।

व्यापारी :–

परम्परागत रूप से व्यापारी वाणिज्य और व्यापार वर्ग में आते हैं। परन्तु वर्तमान में इस वर्ग की सामाजिक स्थिति, भिन्न है, क्योंकि गांवों में अनेक जातियाँ व्यापार के पेशे में लग गई हैं। जबकि ये उनका पहले से पेशा नहीं था, अतः अब ये व्यापारी वर्ग में आ गये। गाँवों में सरलता से कर्ज न मिलने के नाते ये व्यापारी वर्ग गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को कर्ज देते हैं। उनसे अधिक सूद लेकर लाभ कमाते है। आज भी गांवों में कर्ज लेने और देने वालों के सम्बन्ध पाये जाते हैं। भले ही अब इनकी मात्रा कुछ कम हो गई है। अध्ययन किये गये कुल छः गांवों में व्यापारी है। परन्तु इसमें बनिया जाति के परिवारों के साथ–साथ कुछ अन्य जाति के परिवार भी मिश्रित हैं। परम्परागत रूप से बनिया जाति के लोग ही व्यापार करते थे। परन्तु अब व्यवसायिक गतिशीलता आने के नाते ब्राह्मण, राजपूत और अन्य जातियाँ भी व्यापार करने लगी है। गाँवों में ये जो परिवर्तन देखा जा रहा है, उसमें आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण हुआ है। ये उच्च से मध्यम वर्ग परिवारों की ओर उन्मुखता दिखा रहा है। गाँवों में कर्ज देने के लिए अनेक कानूनी संस्थायें जैसे सहकारी और ग्रामीण बैंक मेंआज भी कर्ज लेना एक कठिन कार्य है। इसलिए व्यापारी वर्ग गांवों में लोगों को कर्ज देकर आज भी लाभ कमा रहे है। गांवों में व्यापारी वर्गो की निम्नलिखित विशेषताएं है:–

1. वो परिवार जो आज भी गांवों में आर्थिक सत्ता बनाये हुए है।

गांवों में व्यापारिक क्रिया–कलाप केवल बनियों तक सीमित नहीं है, अब ये उच्च से निम्न जातियों तक फैल गये हैं।

व्यापारिक वर्ग के पास आर्थिक सत्ता होते हुए भी राजनीतिक सत्ता का अभाव है।

ऐसा भी देखा गया है कि व्यापारी वर्ग अपने धन का अपव्यय नहीं करता और उसको अपना व्यापार बढ़ाने में लगाता है। अध्ययन किये गये छः गांव जो नगर निकट एवं नगर दूर के है, उनमें पाया जाने वाला व्यापारी वर्ग राजनीति में रूचि नहीं रखता है। गांवों में 'व्यवसायिक संरचना' का विभेदीकरण और आधुनिकीकरण का यह अनोखा उदाहरण है।

कृषक :–

गाँवों में कृषक भी एक वर्ग है। इसके जीवन स्तर, व्यवसाय, जीवन के उद्देश्यों आदि में समस्यता पायी जाती है। जमींदारी उन्मूलन के बाद कृषकों को अधिक लाभ मिला और उनका उत्पीड़न समाप्त हुआ। इनमें स्वतंत्रता और आत्म सम्मान की भावना बढ़ गई है। जब से सरकार ने इनको भूमिधर घोषित किया है, तब से इनमें अपने सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए छटपटाहट पायी जाती है और एक उच्च कोटि की 'वर्ग चेतना' भी पायी जाती है।

तालिक 5:3

छः गांवों में कृषि भूमि के स्वामित्व का विवरण

भूस्वामित्व एकड़ में	कुटुम्बों की संख्या	प्रतिशत
1 से 2 तक	90	30.0
2 से 5 तक	55	18.3
5 से 7 तक	80	26.7
8 से 10 तक के ऊपर	10	3.3
भूमिहीन	65	21.7
योग	300	100.0

वास्तविकता यह है कि बहुत थोड़े पुराने खेतिहर जो पहले जमींदार थे अब सीरदार हैं, अपने भूमि को सीलिंग से बचा पाये। वर्ना खेती के लिए भूमि का अभाव प्रत्येक परिवार में हो गया है। इसका कारणयह है कि परिवार में बंटवारा हुआ, जिससे कृषि योग्य भूमि भी बटती गयी। थोड़ी भूमि होने के नाते किसान पूर्ण रूप से खेती नहीं कर पाते और निर्धन है इनकी प्रति व्यक्ति आय भी कम है।

कृषि मजदूर और अन्य श्रमिक :-

अध्ययन किये गये कुछ छः गांवों में 65 (21.7%) ऐसे कुटुम्ब है जो अपनी जीविका प्रतिदिन मजदूरी करके चलाते हैं। चाहे वो कृषि क्षेत्र की मजदूरी हो या अन्य प्रकार के रोजगार हो। साथ ही साथ वो परिवार जिनके पास बहुत कम खेती योग्य भूमि है वो भी श्रमिक के रूप में अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करते हैं। कृषि मजदूर कृषि के क्षेत्र में मजदूरी केवल कटाई और बोआई के समय ही हो पाती है। शेष दिनों में ये गृह निर्माण और अन्य क्षेत्रों में मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। यहां तक जो किसान बटाई पर खेती करते है, वो भी आंशिक रूप से मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। बटाई के रूप में कार्य करने वाला किसान भी अधिक गरीब होता है और निम्न जाति का होता है। लगभग एक तिहाई ऐसे कुटुम्ब है जिनके सदस्य कृषि मजदूरी या अन्य प्रकार की मजदूरी करके जीविका चलाते हैं आर्थिक रूप से ये दुर्बल वर्ग में आते है। इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी ऊँची नहीं होती, गांवों में इनका कोई संगठन नहीं होता है। ये अधिक से अधिक कर्जदार भी है, और गांव के व्यापारियों और बड़े किसानों से कर्ज लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। इसलिए इनका जीवन स्तर भी निम्न है। गाँवों के प्रबन्धन में भी इनका कोई महत्व नहीं है। श्रमिक वर्ग के व्यवसाय भी भिन्न-भिन्न है और इनके आर्थिक उद्देश्य भी भिन्न-भिन्न है। इसलिए इनकी सांस्कृतिक पहचान भी पृथक है। इसलिए गाँवों में एक ही जाति के लोगों में वर्ग विभिन्नताएं पायी जाती है। साथ ही साथ अनेक जातियों के परिवार वर्ग के एक श्रेणी

में आते हैं। परन्तु ये समान प्रतिमान नहीं है, ऐसा देखा गया है, गांवो में जिनकी उच्च जाति है, उनका बहुधा उच्च वर्ग भी है। ऐसे वर्ग गाँवों के सामजिक स्तरीकरण में एक विशेष प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध रखते हैं जैसे बड़े किसान छोटे किसान, सीरदार, भूमिधर भूस्वामित्व रखने वाले बटाई पर खेती करने वाले किसान, व्यापारी और कृषक।

गाँवों में कुछ अन्य प्रकार के सम्बन्ध पाये जाते हैं, जो जातियों पर निर्भर होते हैं। साथ ही साथ शक्ति सत्ता और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर भी सम्बन्ध पाये जाते हैं जो सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं। गांवों में ये आवश्यक नहीं है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत उँची है, उनके पास गाँवों की सत्ता हो। जैसे–व्यापारी वर्ग अधिक धनवान है पर उसके पास सत्ता की बागडोर नहीं होती है। गांवों के सीरदार भले उनकी आर्थिक स्थिति निम्न हो सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। पंचायत और अन्य प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के चुनाव लड़ते हैं। वास्तविकता यह है कि गांवों में अन्य वर्ग अलग–अलग सांस्कृतिक विशेषताएं रखते है, इसलिए एक वर्ग के उद्देश्य दूसरे वर्ग से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए सीरदार गांवों की राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए प्रयास करते है, दूसरी तरफ भूमिधर एवं अन्य उससे सत्ता छीनने का प्रयास करते हैं।

परन्तु ये नहीं कहा जा सकता कि गाँवों में वर्ग–संरचना एक स्वतन्त्र कारक हैं, बल्कि ये जाति और सत्ता संरचना से सम्बन्धित है। जाति और वर्ग एक दूसरे के पूरक है। उच्च जातियाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। गाँवों में वर्ग संरचना जाति संरचना की तुलना में अस्थायी अधिक है, क्योंकि जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है और वर्ग की अर्जित होती है।

जाति और वर्ग :-

ग्रामीण भारत में वर्ग और जाति संरचना एक दूसरे में निहित है। इस तथ्य की और भी पुष्टि हो जाती है, जब हम गांवों के अनेक वर्गो के भू–स्वामित्व का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। साथ–साथ इन वर्गो की ग्रामीण सत्ता संरचना में भागीदारी का

आंकलन करते हैं। जाति और वर्ग के बीच सम्बन्ध तालिका 5:4 से स्पष्ट हो जाती है। तालिका देखने से स्पष्ट हो जाता है जिन जातियों की श्रेणीगत स्थिति ऊँची है, उनका वर्ग भी ऊँचा है। अनेक जातियों का उनके वर्गों से सम्बन्ध पृथक-पृथक होता है। 40 उच्च जाति के लोग निम्न वर्ग में आते हैं। इसीप्रकार 14 लोग मध्यम और 17 लोग उच्च वर्ग में आते हैं। इसी क्रम में 48 मध्यम जाति के लोग निम्न वर्ग में 34 मध्यम वर्ग में और 14 उच्च वर्ग में आते हैं। निम्न, अस्पृश्य और मुस्लिम जातियों में से 80 प्रतिशत लोग निम्न वर्ग में आते हैं, इसी क्रम में 45 प्रतिशत लोग मध्यम और 8 उच्च वर्ग में आते हैं। नगर निकट, नगर दूर गांव के कुल तीन सौ (300) सूचनादाताओं में से 168 निम्न वर्ग में 93 मध्यम वर्ग में और उच्च वर्ग में आते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से निम्नलिखित परिकल्पना उभर कर सामने आती है :-

परिकल्पना :-

जिन लोगों की उच्च जाति है, उनका उच्च वर्ग भी है, और जो निम्न जाति के हैं उनका वर्ग भी निम्न है।

तालिका 5:4

जाति और वर्ग में सम्बन्ध

जाति	वर्ग की स्थिति			
	निम्न	मध्यम	उच्च	योग
	रूपया 5000/-तक	रूपया 5000/- से 10000/- तक	10000/- से उपर	
उच्च	40	14	17	71
मध्यम	48	34	14	96
निम्न-मुस्लिम अस्पृश्य जातियाँ	80	45	8	133
योग	168	93	39	300

तालिका 5:5

अवलोकित मूल्य

जाति	वर्ग की स्थिति			
	निम्न	मध्यम	उच्च	योग
उच्च	40	14	17	71
मध्यम	48	34	14	96
निम्न–मुस्लिम अस्पृश्य जातियाँ	80	45	8	133
योग	168	93	39	300

नोटः– श्रोत–तालिका संख्या 5:4 के आकड़े

प्रत्याशित मूल्य

	40	22	9	71
	54	30	13	97
	74	41	17	132
योग	168	93	39	300

(i) df = (C-1) x (γ-1) = 3 - 1 x 3 - 1 = 4

(ii) काई–वर्ग का गणितीय मूल्य = 13.08

(iii) काई–वर्ग का टेबुल मूल्य 4df और 5% महत्व के स्तर पर = 9.49 है।

निष्कर्ष :–

चूँकि काई–वर्ग का वास्तविक मूल्य उसके तालिका मूल्य 4df और 5% महत्व के स्तर पर अधिक है, अतः शून्य कल्पना अस्वीकार हो जाती है और जिस परिकल्पना का परीक्षण हम कर रहे हैं, उसकी वैधता सिद्ध हो जाती है और इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते है कि गांवों में जिनकी उच्च जाति है उनका उच्च वर्ग भी है, और जिनकी

निम्न जाति है उनका वर्ग भी निम्न है। हम कह सकते हैं कि जाति–श्रेणी और वर्ग की स्थिति में सकारात्मक सम्बन्ध है।

प्रश्न उठता है कि गांवों में जाति और वर्ग क्यों एक दूसरे में मिश्रित है? एक कारण यह लगता है गाँवों की उच्च जातियाँ ब्राह्मण और राजपूत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने को उंचा मानते है। उच्च जाति के लोग समय–समय पर आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किये, और अपना उच्च स्थान बनाये रखा। ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त किये, आधुनिक शिक्षा प्राप्त किये और अपने खान–पान में पश्चिमी मूल्यों को स्थान दिये पिछड़ी जातियां सदैव पिछडी रहीं। उच्च जातियां समय–समय पर बदलती परिस्थितियों के साथ अपने को ढालते गये, साथ ही साथ जाति और वर्ग का दमन करते रहें।

वर्ग और व्यवसायः–

यदि आकड़ों का बारिकी से विश्लेषण किया जाए तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। जिस प्रकार जाति और वर्ग एक दूसरे से सम्बन्धित है। उसी प्रकार व्यवसाय और वर्ग का सम्बन्ध सकारात्मक है।

तालिका 5:6

व्यवसायिक समूह	आय समूह			
	निम्न	मध्यम	उच्च	योग
कृषि	54 (31.8)	43 (25.3)	72 (42.9)	170 (100)
व्यापार	3 (30)	2 (20)	5 (50)	10 (100)
नौकरी एवं हस्तकारी	3 (13)	8 (30.8)	12 (52.2)	23 (100)
कृषक, कृषि मजदूर घरेलू, नौकरी एवं अन्य	90 (92.8)	4 (4.1)	3 (3.1)	97 (100)
योग	150 (50)	57 (19.0)	93 (31)	300 (100)

सामान्य रूप से उच्च आय समूह के ग्रामीणों का उच्च व्यवसायिक वर्ग भी है। 73 (42.9) उच्च आय समूह में 5 (50) ग्रामीण व्यापार करते हैं और इसी क्रम में नौकरी एवं अन्य हाथ से काम करने वाले कारीगरों की संख्या 12 (52.2) कृषि श्रमिक एवं अन्य जो उच्च वर्ग में आते हैं इनकी संख्या बहुत कम 3 (3.1) है। इसी प्रकार मध्यम आयु वर्ग में 43 (25.3) ग्रामीण कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं, 2 (20) व्यापार, 8 (34.8) नौकरी और हाथ के काम से जुड़े है। 4 (4.1) कृषि श्रमिक हैं। निम्न आय वर्ग में 54 (31.8) ग्रामीण कृषि करते हैं, 3 (30) व्यापार 3 (13) नौकरी एवं हाथ के काम से सम्बन्धित है। 90 (92.8) कृषि श्रमिक एवं अन्य है। गाँवों में निम्न आय वर्ग के लोगों की संख्या सबसे अधिक 150 (50) है। तालिका 5:6 के तथ्यों के गहन अवलोकन से निम्नलिखित परिकल्पना बनाई जा सकती है।

परिकल्पना :-

गाँवों में उच्च आय वर्ग के लोगों का उच्च व्यवसायिक वर्ग भी है, इसके विपरीत निम्न आय वर्ग के लोगों का निम्न व्यवसायिक वर्ग है।

तालिका 5:7

व्यापार के आधार पर वर्ग	आय के आधार पर वर्ग			योग
	निम्न	मध्यम	उच्च	
कृषि	73	43	54	170
व्यापार	5	2	3	10
नौकरी और हाथ के कारीगर	12	8	3	23
कृषि श्रमिक एवं अन्य	3	4	90	97
योग	93	57	150	300

प्रत्याशित मूल्य

	53	32	85	170
	3	2	5	10
	7	5	12	24
	30	18	48	96
योग	93	57	150	300

(i) df = (C-1) x (γ-1) = (4 - 1) x (3 - 1) = 6

(ii) काई–वर्ग का गणितीय मूल्य = 126.22

(iii) काई–वर्ग का टेबुल मूल्य 6df और 5% महत्व के स्तर पर = 12.59 है।

निष्कर्ष :–

काई–वर्ग का वास्तविक मूल्य उसके टेबुल मूल्य 6df और 5% महत्व के स्तर पर अधिक है। अतः शून्य कल्पना अस्वीकार हो जाती है और जिस परिकल्पना का हम परीक्षण कर रहे हैं उसकी वैधता प्रमाणित हो जाती है। हम इस निषकर्ष पर पहुंचते है, कि गांवो में उच्च आय समूह के लोगों का व्यवसाय भी उच्च है और निम्न समूह के सूचनादाताओं का व्यवसाय भी निम्न है।

गाँवों में शिक्षा पर आधारित वर्ग:–

शिक्षा और वर्ग के बीच सकारात्मक सम्बन्ध पाये जाते हैं। ये सम्बन्ध वैसे ही है, जैसे जाति और वर्ग के तथ्य वर्ग और व्यवसाय के बीच पाया जाता है। अध्ययन किये गये छः गांवो में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। ग्रामीण अंचलों में सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण में ये महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से लोग अधिक कमाते हैं। वर्तमान समाज में कृषि व्यवसाय नहीं रह गया है। इसलिए लोग शिक्षा के माध्यम से अच्छा व्यवसाय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

तालिका 5:8

शैक्षिक उपलब्धि और वर्ग स्थिति के बीच सम्बन्ध

वर्ग	स्नातक से उपर	इण्टर तक	जूनियर हाईस्कूल	अनपढ़	योग
उच्च	32 (34.5)	40 (43.0)	13 (13.5)	8 (8.6)	93 (100.0)
मध्यम	12 (21.0)	15 (26.3)	20 (35.1)	10 (17.6)	57 (100.0)
निम्न	5 (3.3)	35 (23.3)	45 (30)	65 (43.4)	150 (100.0)
योग	49 (16.3)	90 (30)	78 (26)	83 (27.7)	300 (100.0)

नगर निकट गांवों में साक्षरता का दर नगर दूर गांव की तुलना में अधिक है। गांवों में वर्ग और शिक्षा साथ-साथ चलते है। क्योंकि इन गांवों में अधिक शिक्षित लोग नौकरियों में लगे हुए है, और इनका अपना एक अलग वर्ग है। इस तरह से हम पाते है, वर्ग-संरचना शैक्षिक उपलब्धियों से सम्बन्धित है। गांवों में शिक्षा का अवसर निम्न वर्गो के लिए बहुत कम है। क्योंकि गरीबी बहुत अधिक है। निम्न वर्ग में केवल 5 (3.3%) लोग स्नातक है। जबकि उच्च वर्ग में 32 (34.5%) सूचनादाता स्नातक तक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं इसी क्रम में उच्च वर्ग में 40 (43.0%) तथा 13 (13.9%) क्रमशः इन्टर और जूनियर हाई स्कूल पास है। अनपढ़ सूचनादाताओं की संख्या उच्च वर्ग में 8.6 प्रतिशत है। मध्यम वर्ग में 12 (21.0%) स्नातक शिक्षा प्रापत किये हैं। 15 (26%) इण्टर तथा 20 (35.1%) जूनियर हाई स्कूमल तक शिक्षित है। अनपढ़ लोगों का प्रतिशत 17.6 प्रतिशत है। इसी तरह से पूरे अध्ययन क्षेत्र में 16.3 प्रतिशत सूचनादाता स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त किये हैं। 30 प्रतिशत इण्टर 26 प्रतिशत जूनियर हाई स्कूल स्तर तक शिक्षित है, और आज भी 27.7 प्रतिशत सूचनादाता अनपढ़ है।

ग्रामीण समुदाय की बदलती संरचनाः-

स्वतंत्रता के पहले उत्तर प्रदेश के गांवों में वर्ग–संरचना का स्वरूप आज की तुलना में भिन्न था। अधिक से अधिक लोग कर्जदार थे, और जमींदारों के शोषण के शिकार थे। बड़े–बड़े अधिकारी भी गरीबों का शोषण करते थे। गांवों में व्यवसायिक वर्ग गरीबों को कर्ज देता था, और उनका शोषण करता था, परन्तु स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण भारत के वर्ग–संरचना में परिवर्तन हुआ है जमींदारी उन्मूलन के बाद ग्रामीण वर्ग–संरचना बदली है। भूमिधर एक नये वर्ग के रूप में उभरा है। पुराने जमींदार अब सीरदार के रूप में जाने जाते हैं।

वर्ग चेतनाः-

जब ग्रामीणों में समान रूप से आर्थिक और व्यवसायिक कार्य किये जाते हैं और उनमें इसके लिए रूचि बढ़ती है तो ऐसे समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। इनमें वर्ग चेतना भी पायी जाती है। इस प्रकार के लोगों में जो आर्थिक और व्यवसायिक समानता पायी जाती है वो एक प्रकार के वर्ग का अवधारण करते है। इनमें वर्ग चेतना देखी जाती है। गांवों में व्यवसायी, कारीगर बटाई पर खेती करने वाले किसान, कृषक मजदूर आदि अपने–अपने जीविका के लिए आर्थिक क्रियाये करते है, और इनका अलग एक वर्ग होता है। इस प्रकार गांवों में श्रम–विभाजन हमे वर्ग के आधार पर मिलता है। ये वर्ग अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए ग्रामीण संरचना को बनाने में योगदान करते हैं। गाँवों में परम्परागत वर्ग–संरचना जातियों में विभक्त थी। प्रत्येक वर्ग अपने जाति के नियमों के प्रति कटिबद्ध थी। इस तरह से गाँवों में जाति और वर्ग की विशेषताएं एक दूसरे में मिश्रित थी और जाति ही में वर्ग का रूप देखा जाता था। जब तक गांवों में जमींदारी व्यवस्था थी तब तक जाति में नीहित वर्ग

की विशेषताओं को दबा दिया जाता था और इसलिए जाति में संस्तरण का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि उच्च जातियों की स्थिति प्रदत्त थी, और उच्च जातियाँ अपने को जाति संस्तरण में उंचा मानती थीं। व्यक्ति की क्रियायें भी जाति के मूल्यों से प्रभावित होती थीं। प्रत्येक जाति में एक "सामूहिक चेतना"[3] पायी जाती थी और इस प्रकार जाति और वर्ग गांवों में एक दूसरे से मिश्रित थे। जातियाँ वर्ग–संरचना को प्रभावित करती थीं। जब से जमींदारी उन्मूलन का कानून लागू हुआ है, अन्य नियम लागू हुए है तब वर्ग–संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए है और इन परिवर्तनों ने गांवों में "वर्ग–चेतना" को बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ अनेक कृषक आन्दोलन जो समय–समय पर ग्रामीण अंचलों में हुए है, इससे भी वर्ग चेतना को बल मिला है।

आजकल गांवों में वर्गो का निर्माण पहले की भांति नही है। बल्कि अब यह धन, सम्पत्ति, शिक्षा और राजनीतिक सत्ता पर आधारित हो गये है। ये बात सही है कि गांवों में परम्परागत रूप से जो लोग अपने धन शिक्षा के नाते प्रभावशाली थे वो आज भी अपने प्रभाव को बनाये हुए हैं। परन्तु फिर भी गांवों में वर्ग स्थिति और सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए है। गांवों में वर्ग सम्बन्धी आधार और दृष्टिकोण सामाजिक स्तरीकरण के मूल्यों से प्रभावित होता है। अतः गांवों में वर्ग के वास्तविक और सैद्धान्तिक स्थिति में अन्तर देखा जाता है। गांव की निम्न जातियों के ऊपर उठने की इच्छा प्रबल हो गई है, परन्तु उसके पास संसाधनों की कमी है। कुछ निम्न जाति के लोग अपने अर्जित गुणों के आधार पर उच्च और मध्यम वर्ग के श्रेणी में आने का प्रयास करते हैं।

---

3. Durkheim, " Division of Labour" New York the Free Press. 1947 Chapter-II

तालिका 5:7

अनेक जाति समूहों द्वारा अपने वर्ग की पहचान

जाति	वर्ग की पहचान			योग
	निम्न	मध्यम	उच्च	
उच्च जातियाँ	20 (29.4)	26 (38.2)	22 (32.4)	68 (100.0)
मध्यम जातियाँ	12 (12.6)	33 (34.8)	50 (52.6)	95 (100.0)
निम्न एवं अस्पृश्य जातियाँ	15 (10.9)	38 (27.7)	84 (61.4)	137 (100.0)
योग	47 (15.7)	97 (32.3)	156 (52.0)	300 (100.0)

तालिका 5:9 के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अनेक जाति समूहों के लोग अपने को सम्बन्धित वर्ग समूह से जोड़ते हैं। उच्च जाति के कुल 68 सूचनादाताओं में से 29.4 प्रतिशत अपने को उच्च वर्ग 38.2 प्रतिशत मध्यम वर्ग और 32.4 प्रतिशत निम्न वर्ग में मानते हैं। इसी प्रकार मध्यम जातियों के 95 सूचनादाताओं में से 12.6 प्रतिशत अपने को उच्च वर्ग, 34.8 प्रतिशत मध्यम वर्ग और 52.6 प्रतिशत निम्न वर्ग में मानते हैं इसी क्रम में निम्न और अस्पृश्य जातियों के सूचनादाताओं की संख्या जो 137 है। इसमें से 10.9 प्रतिशत अपने को उच्च वर्ग, 27.7 प्रतिशत मध्यम वर्ग, 61.4 प्रतिशत निम्न वर्ग में मानते है।

नगर निकट नगर दूर गांवो के कुल चुने हुए 300 सूचनादाताओं में से जो अनेक जातियों से है। इसमें 47 (15.7) उच्च वर्ग के है। 97 (32.3%) मध्यम वर्ग में तथा 156 (52.0%) निम्न वर्ग के हैं।

गांवों में जाति चेतना का निर्माण सामाजिक संरचना के प्रभाव के फलस्वरूप होता है। सूचनादाताओं में से वो लोग जो अपने को उच्च वर्ग समूह का मानते हैं भले

उनकी जातिगत श्रेणी निम्न हो, का मुख्य कारण यह है कि इन लोगों ने अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पहले से अच्छा बना लिया है। इस प्रकार गांव में होने वाले हाल के संरचनात्मक परिवर्तनों ने परम्परागत स्तरीकरण में परिवर्तन लाया है। अध्ययन किये गये छः गांवों में किसानों का एक नया वर्ग उभर कर सामने आया है। गांवों में उच्च जाति के वो लोग जो अधिक भू–स्वामित्व के मालिक है, उनके प्रति किसानों का विरोध अधिक देखा जाता है विशेष कर जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं। इसमें एक प्रकार की वर्ग मिश्रित 'जाति चेतना' देखी जाती है। जो मार्क्स के वर्ग–संघर्ष के विश्लेषण के प्रारूप से मिलता–जुलता है।

वोट देने का अधिकार जब से मिला है और एक व्यक्ति और एक वोट की राजनीति गांवो में प्रभावशाली हुई है। तब से ग्रामीणों में व्यक्तिवाद अधिक पनपा है। इनमें उदारवादिता भी अधिक देखी जाती है। अनेक जातियों के बीच जो सामाजिक–दूरी पायी जाती है, उनको वोट की राजनीति ने कम कर दिया है। अब चुनाव लड़ने वाले विशेषकर उच्च जाति और वर्ग के लोग निम्न जाति और वर्ग के लोग से सम्पर्क और सम्बन्ध बनाने को आतुर रहते है। जबकि पहले ऐसा नहीं था।

वर्ग चेतना के मापन की विधियाँ:–

अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण पर जो अध्ययन किये है, उनको हम तीन श्रेणीयों में विभक्त कर सकते हैं–

1. मान सम्मान उपागम।
2. वस्तुनिष्ठ उपागम।
3. व्यक्तिनिष्ठ उपागम।

मान–सम्मान उपागम के अन्तर्गत किसी समुदाय या संगठन के लोग अपने को मान–सम्मान के आधार पर स्तरीकृत करते हैं। इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ उपागम के

अन्तर्गत अवलोकन के आधार पर एकत्रित किये गये तथ्य रहते है, और इसमें देखा जाता है कि समुदाय के लोग अपने संस्तरण के प्रति कितना सचेत है और व्यक्तिनिष्ठ उपागम के अन्तर्गत सूचनादाताओं से ये पूछा जाता है कि आप किस वर्ग संस्तरण में आते हैं?

गाँवों में बढ़ते गतिशीलता के प्रतिमान के नाते परम्परागत वर्ग–संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। इसमें सामाजिक स्तरीकरण के नये प्रतिमान उभर कर सामने आये हैं। साथ ही साथ जाति स्तरीकरण की भी भूमिका जाति चेतना के निर्माण में अधिक है, गांवों में जाति और वर्ग एक दूसरे से सम्बन्धित है।

सामाजिक गतिशीलता के नाते गांवों में अनेक व्यवसायिक वर्ग–संरचना का जन्म हुआ है, और यह गांवो में तेजी से बढ़ राह है। इसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार है। उनके व्यवसाय के मुख्य कारक अनेक है। व्यवसाय में आजकल वित्तीय और कानूनी लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। उद्योग के विकास में वैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है। जब से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आयी है, और स्थानीय संगठनों का महत्व बढ़ा है। इन सबके नाते गांवों में स्वास्थ, शिक्षा आदि सम्बन्धित व्यवसायों का विस्तार हुआ है, और इनके आधारपर नये वर्गो का निर्माण हुआ है।

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षो को निम्न ढंग से व्यक्त किया जा सकता है–

1. गांवों में अनेक जातियों के बीच वर्ग की पहचान करना और अवलोकन करना जटिल काम है, क्योंकि गांवो में लोग अपने जाति श्रेणी के प्रति अधिक सचेत है और वर्ग के प्रति कम।
2. वर्ग से सम्बन्धित अनेक वस्तुनिष्ठ आधार जो बनाये जाते हैं, वो वर्ग पहचान में खरे नहीं उतरते है। ऐसा पाया जाता है वस्तुनिष्ठ आधार पर वर्गो का जो मापन होता है वह अपने आप व्यक्तिगत आधार पर किये गये वर्ग की पहचान से भिन्न हो जाता है।

3. वर्ग–चेतना क्षणिक होतीं है और ये परिवर्तनशील है, इसका आधार पृथक नहीं है बल्कि जाति–व्यवस्था से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। गांवों में जो एकता और सहयोग हम देखते है, वो बहुधा क्षणिक स्थानीय आर्थिक और व्यवसायिक उद्देश्यों से सम्बन्धित होता है।

अध्याय–छः

सामाजिक गतिशीलता और स्तरीकरण

सामाजिक गतिशीलता और स्तरीकरण

सामाजिक स्तरीकरण का कोई भी अध्ययन तब तक अधूरा है, जब तक सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन न किया जाए। किसी भी समाज की विवेचना के लिए सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि समाज के संस्तरण की व्यवस्था को तभी ठीक तरीक से समझा जा सकता है, जब हम यह जाने की वहाँ सदस्यों को एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए कितने अवसर प्राप्त है? यदि ऐसे अवसर कम होते हैं, तो व्यक्ति जन्म के समय ही एक विशेष स्तर पर स्थापित कर दिये जाते हैं, ऐसे संस्तरण की व्यवस्था को बन्द व्यवस्था करते है। दूसरी ओर यदि सामाजिक संस्तरण इस प्रकार की व्यवस्था प्रदान करता है तो व्यक्ति अपनी योग्यता एवं उपलब्धि के अनुसार एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में स्थानान्तरण कर सकता है, तो ऐसी व्यवस्था को खुली व्यवस्था करते हैं। इसलिए सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सामाजिक गतिशीलता के परिणाम न केवल गतिमान व्यक्ति या समूहों के लिए भी गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के विभिन्न समूह और उप समूह पाये जाने है, जिनका सामाजिक स्तर एक समान नहीं होता, अर्थात इन स्तरों को उच्च-निम्न के आधार पर बांटा जाता है। शाब्दिक दृष्टि से गतिशीलता का अर्थ है, संचालित होना अर्थात कोई व्यक्ति या वस्तु अपने स्थान से आगे-पीछे या उँपर-नीचे गतिमान होता है तो उसके लिए गतिशीलता शब्द का प्रयोग होता है। अतः ये एक प्रकार की क्षमता है जो व्यक्तियों को गतिमान बनाती है।

भारतीय समाज पश्चिमी समाजों की भांति अब एक खुले समाज की प्रक्रिया से गुजर रहा है और जाति–व्यवस्था परम्परागत निर्धारित व्यवसायों में परिवर्तन हो रहा है और यह गतिशीलता के अवसर प्रदान कर रही है।[1] स्वतंत्रता से पहले भारतीय अपेक्षाकृत एक और बन्द समाज था। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उस समाज की जाति–व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता था। उस समय गतिशीलता का मुख्य स्त्रोत राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से था और कृषि जोत के आधार पर जातियों में गतिशीलता पायी जाती थी। स्वतंत्र भारत में जबसे वोट देने का अधिकार गाँव वासियों को मिला है तब से गतिशीलता के अवसर बढ़े हैं, क्योंकि इसके माध्यम से लोग राजनीतिक सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं। सत्ता हथियाने का यह प्रयास उच्च जाति से लेकर निम्न जातियों के बीच देखा जा रहा है।

सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति सामाजिक विषय अथवा सामाजिक मूल्य अथवा किसी भी उस वस्तु का जो मनुष्य के प्रयत्नों द्वारा निर्मित या संशोधित है, एक सामाजिक स्थिति से दूसरे संक्रमण है।[2] सामाजिक गतिशीलता से सामाजिक जीवन में पाये जाने वाले उस स्थानान्तरण की प्रक्रिया का बोध होता है, जिसके अंतर्गत समाज के सदस्य एक पद से दूसरे पद या एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी अन्य पद पर स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों का एक समूह से दूसरे समूह की ओर गति से है। (फेयर चाइल्ड, Fair Child) सामाजिक गतिशील। के अन्तर्गत समाज में पाये जाने वाले अनेक अवसरों को एक पीढ़ी के लोगों के बीच उनकी योग्यता के अनुसार वितरित किया जाता है। अतः गतिशीलता का अर्थ है व्यक्तियों का अपने वर्ग जाति और सत्ता संस्तरण में ऊपर अथवा नीचे की ओर गतिमान होता है।

---

1 Lipset, S.N. and Bendix R. (Social Mobility in Industrial Society) University of California, Press 1950.

2. P.A. Sorokin, Social and Cultural Dynamics, London, The Free Press, 1964, P-133-37.

सामाजिक गतिशीलता की कुछ विशेषताएँ:–

सामाजिक गतिशीलता की अनेक विशेषताएं है जिसमें सार्वभौमिकता इसकी पहली विशेषता है। किसी समाज में इसके अवसर कम होते हैं, किसी समाज में अधिक होते है। साथ ही साथ सामाजिक गतिशीलता में जटिलता पाई जाती है और इसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ होती है। इसके मापन में कठिनाईयाँ आती है और यह एक तरीके से सामाजिक संस्तरण का प्रतिफल है। इसका सम्बन्ध राजनीति से भी है। एक जनतांत्रिक समाज में गतिशीलता के अवसर बिना किसी भेदभाव के सभी को प्राप्त होते हैं। गतिशीलता के विभिन्न तरीके होते हैं, इसके अनेक प्रतिमान भी होते हैं, जैसे–लम्बवत गतिशीलता सामान्तरण गतिशीलता। लम्बवत के अन्तर्गत व्यक्ति एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाने से सोपान क्रम में व्यकित की प्रस्थिति या तो ऊपर उठती है या नीचे गिरती है। इस तरह से लम्बवत गतिशीलता के दो रूप है। एक अवरोही गतिशीलता और दूसरी आरोही गतिशीलता। दूसरे प्रकार की गतिशीलता अन्तर पीढ़ी और अन्तरा पीढ़ी गतिशीलता होती है। अन्तर पीढ़ी के अन्तर्गत पिता की सामाजिक प्रस्थिति और पुत्र की सामाजिक प्रस्थिति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि किस प्रकार की गतिशीलता हो रही है?

इस प्रकार अन्तर पीढ़ी गतिशीलता, आरोही, अवरोही या सामान्तर हो सकती है। दूसरी तरफ एक ही व्यक्ति की उसके जीवनवृत्ति में गतिशीलता का माप किया जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि उसने व्यावसायिक जीवन प्रारम्भ किया तो वह किस पद पर था और आज उसका किस क्षेत्र में क्या पद है? इसे अन्तरा पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसे अन्तरा पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं।

सामाजिक गतिशीलता के अनेक निर्धारक भी हैं। इसमें आर्थिक कारक महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक श्रम भी व्यवसायों में अवरोही गतिशीलता उत्पन्न करता है। राजनीतिक स्थायित्व भी गतिशीलता का आधार है। नगरीकरण गतिशीलता को बढ़ावा

देता है, जितना अधिक विकास का स्तर ऊँचा होगा उतना हीं अवरोही गतिशीलता की दर कम होगी। आरोही गतिशीलता बढ़ेगी।

भारत में सामाजिक गतिशीलता पर किये गये कुछ मुख्य अध्ययनः-

भारत में सामाजिक गतिशीलता पर पिछले कुछ दशकों में अनेक अध्ययन किये गये हैं। यह अध्ययन जाति और वर्ग पर आधारित है। (मिल्टन, सिंगर, सिल्वर वर्ग, कोहेन, बेताई आदि) ब्राउन दूसरे समाजशास्त्री है जिनका कहना है कि वर्ग-संरचना में संस्तरण के आधार पर गतिशीलता देखी जाती है। भारत में निम्न वर्गो में इस प्रकार की गतिशीलता देखी जाती है। भारत में निम्न जातियाँ संस्कृतिकरण के माध्यम से उच्च जातियों का अनुसरण करके खान-पान धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन ला रहीं है। (प्रो0 श्री निवास Prof. Sriniwas) सामाजिक समूहों में भी गतिशीलता देखीं जाती है, परन्तु इसमें अधिक समय लगता है। इसमें दो प्रकार के कारक अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, वाह्य कारक दूसरा आंतरिक कारक। भारत में गतिशीलता के और भी रूप हैं। कुछ अध्ययनों में गतिशीलता के प्रकृति और तथ्यों पर अधिक बल दिया गया है, साथ ही साथ इन अध्ययनों में गतिशीलता और वैचारिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के बीच सम्बन्धों का भी मापन किया गया है। (मैरिएट Marriot)[3] इन्होंने जाति-व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता के विश्लेषण के लिए कुछ सैद्धांतिक आाधार बनाये थे, जिसमें से मुख्य निम्नलिखित हैः-

(क) ग्रामीण नगरीय प्रकार की गतिशीलता

(ख) व्यक्ति अथवा समूह की गतिशीलता

(ग) अनेक प्रकार के क्षेत्र जिनकी अलग-अलग सामाजिक मूल्य और

3. Marriot, Mekin "Multiple Reference in Indian Caste System" P-103-114.

विशेषताएं हैं इसी को मैरिएट ने भारतीय-जाति व्यवस्था में अनेक प्रकार के संदर्भो की संज्ञा दी है। स्तरीकरण का वर्गीकरण ग्रामीण और नगरीय आधार पर किया गया है। जैसे-ग्रामीण स्तरीकरण अधिक खुला स्तरीकरण नहीं है, जबकि नगरीकरण पूर्णरूप से खुला स्तरीकरण है।

सामाजिक गतिशीलता का मापन:-

अध्ययन किये गये छः गांवों में सामाजिक गतिशीलता का मापन जाति व्यवस्था और व्यावसायिक संरचना के संदर्भ में किया गया है। आने वाले पृष्ठों में प्रयोग सिद्ध तथ्यों के आधार पर सामाजिक गतिशीलता का विश्लेषण किया गया है। यह भी एक तथ्य है कि जाति-संरचना में आज भी व्यवसाय जन्म के आधार पर अपनाते हैं, परन्तु अब इसमें कुछ परिवर्तन आया है। इसी परिवर्तन को हम गतिशीलता की संज्ञा देते हैं। जाति के संदर्भ में गतिशीलता का विश्लेषण तीन स्तरों पर किया गया है। इस अध्याय में कुछ मुख्य प्रश्न जिनका उत्तर खोजना है। जैसे:-

1. वो कौन से व्यवसाय हैं जो सूचनादाता करते हैं?
2. ग्रामीण अंचलों में इन व्यवसायों में परिवर्तन के प्रतिमान कैसे है? क्या जाति और व्यवसाय के बीच सम्बन्ध है?
3. इसके अतिरिक्त गतिशीलता से सम्बन्धित कुछ मुख्य कारको का भी विश्लेषण किया गया है।

जाति-संरचना और गतिशीलता:-

जाति-संरचना में गतिशीलता तीन स्तरों में पाई जाती है -

1. एक ही जाति के कुछ परिवारों में आरोही या अवरोही गतिशीलता।
2. गाँवों मेंएक ही जाति के परिवारों का समूह उच्च या निम्न गतिशीलता की ओर अग्रसर होता है।

3. किसी जाति के व्यक्तियों में गतिशीलता देखी जाती है, यह भी उच्च या निम्न स्थिति की ओर अग्रसर होती है। जाति संरचना में ऊपर दिये गये गतिशीलता के प्रतिमान यह बताते हैं कि गांव में जातियों के बीच गतिशीलता :-

   1. व्यक्ति।
   2. परिवार।
   3. समूह।

   के स्तर पर घटित होती है। जाति-व्यवस्था में पूर्ण रूप से गतिशीलता गाँवों में नहीं देखी जाती है, विशेषकर जिन छः गाँवों का अध्ययन किया गया है।

संदर्भ-समूह सिद्धान्त और गतिशीलता:-

संदर्भ-समूह सिद्धान्त के आधार पर गाँवों के जाति संरचना में पाई जाने वाली जाति-संरचना का विश्लेषण किया गया है।[4] विशेषकर संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणाओं के महत्व का परीक्षण किया गया है। यह हम मानते हैं कि संदर्भ-समूह सिद्धान्त का विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है, परन्तु वर्तमान शोध के ग्रामीण संदर्भ में इसे हम संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण कहते है, जो संदर्भ-समूह सिद्धान्त से सम्बन्धित अवधारणाएं है संदर्भ समूह सिद्धान्त "तुलनात्मक अभाव बोध" (Relative Deprivation) की अवधारणा पर आधारित है। यह अवधारणा इस बात पर बल देती है कि अनुभव से सम्बन्धित सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं 'सापेक्ष' (Relative) होती है। समाज में व्यक्ति और समूह की स्थितियों का परिस्थितियों के अनुसार सापेक्ष मूल्यांकन तीन मुख्य आधारों पर किया गया है :

---

4. Merton, R.K. 'Social Theory and Social Structure' G. Free Press 1962, Chapter VIII and IX P.P. - 225-386.

1. व्यक्ति का एक ही प्रस्थिति में अन्य व्यक्तियों से तुलना जिसमें वो एक दूसरे से सम्बन्धित है।
2. कभी–कभी ऐसे व्यक्तियों से तुलना की जाती है जिनकी सामाजिक स्थिति समान है, एक ही सामाजिक श्रेणी में रहते हैं।
3. ऐसे व्यक्तियों से भी तुलना की जाती है जिनकी सामाजिक स्थिति और सामाजिक श्रेणी भी भिन्न है।

अतः संदर्भ–समूमह सिद्धान्त का आधार व्यक्तियों और समूह के बीच तुलनात्मक अध्ययन करता है, जिनकी अभिप्रेरणाएं अपेक्षाएं सामाजिक स्थितियाँ भिन्न है।

नर्तन द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं का प्रयोग संदर्भ समूह सिद्धान्त में किया गया है। यह अवधारणाएं मुख्य रूप से –

1. तुलनात्मक अभाव बोध (Relative Deprivation)
2. अपेक्षित समाजीकरण (Anticipatory Socialization)
3. बाह्य समूह (Out-groups) जिसकी व्यक्ति सदस्य नहीं होता।

संदर्भ–समूह सिद्धान्त सिर्फ समूहों की गतिशीलता का विश्लेषण ही नहीं करता, बल्कि व्यक्ति और परिवारों की गतिशीलता का भी विश्लेषण करता है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण एक अवधारणा के रूप में व्यक्ति की अपेक्षाओं इच्छाओं और तुलनात्मक अभावबोध का विश्लेषण नहीं करते जो व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रो0 श्रीनिवास ने लिखा है "संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत निम्न हिन्दू जातियाँ या जनजातियाँ अथवा समूह अपने रीति–रिवाज अनुष्ठान, वैचारिकी जीवन के दृष्टिकोण में परिवर्तन उच्च जातियों का अनुसरण करके करते हैं। अतः संस्कृतिकरण जाति–संरचना में जातियों की गतिशीलता का विश्लेषण करता है और गतिशीलता इस संदर्भ में आरोही प्रकार की होती है। संस्कृतिकरण के माध्यम से व्यक्ति में पाई जाने वाली गतिशीलता का

विश्लेषण पूर्ण रूप से संभव नहीं है, साथ हीं साथ संस्कृतिकरण रेखीय गतिशीलता की बात करता है, परन्तु आज भी यह वास्तविकता से परे है। संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण और संदर्भ–समूह सिद्धान्त सापेक्ष गुणों का विश्लेषण तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है।

जाति–संरचना में गतिशीलता के अनेक स्तरः–

ग्रामीण समुदाय में परिवार और व्यक्ति के स्तर पर पाई जाने वाली गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। परिवारों में पाई जाने वाली गतिशीलता की मुख्य विशेषता जाति के स्थान पर परिवारों की विशेषता पर निर्भर करती है, क्योंकि गाँव में ऐसा देखा गया है कि एक जाति के अनेक परिवारों के बीच गतिशीलता के प्रतिमानों में विभिन्नता पायी जाति है जबकि जाति–संरचना में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। परिवारों के आर्थिक स्थिति में सुधार, जो अधिक उत्पादन करके व्यापार करके अथवा उच्च व्यवसाय अपनाकर लाया जाता है। ये सब कारक किसी भी जाति के परिवार में गतिशीलता लाने के लिए प्रकार्यवादी भूमिका अदा करते हैं। अध्ययन किये गऐ छः गांवों के परिवार में गतिशीलता लाने के लिए शिक्षा का भी योगदान अधिक है।

छः गाँवों में ब्राह्मणों के कुल 64 परिवार हैं। इसमे से 19 परिवारों में रेखीय गतिशीलता पाई जाती है। इन परिवारों में कुछ लोग सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। कुछ ने व्यापार कर लिया है। इसी प्रकार अध्ययन किए गए छः गांवों में राजपूतों के परिवारों की संख्या 44 है। 14 परिवारों में रेखीय गतिशीलता पाई जाती है। कुछ पुलिस विभाग में, कुछ शिक्षा और अन्य विभागों में कार्यरत है। इसी प्रकार बनिया जाति के 13 परिवारों में रेखीय गतिशीलता पाई जाती है। अध्ययन किए गये छः गांवों में निरंजन परिवारों की संख्या 85 हैं। इसमें से 24 परिवारों में रेखीय गतिशीलता देखी गई है। ये 24 परिवार खेती के साथ–साथ व्यापार नौकरी भी कर रहे हैं। छः गांवों में शर्मा परिवारों की संख्या 13 है। इसमें से 6 मे रेखीय गतिशीलता पाई जाती है। ये परिवार शहरों में सैलून खोल लिए हैं। इस प्रकार यादव परिवारों की संख्या 34 है। इनमें से 12 परिवार गतिशील हैं। ये

तालिका 6:1

अनेक जातियों के परिवारों में रेखीय गतिशीलता

क्रम सं०	जाति	नगर दूर गाँव (C.S.)						नगर दूर गाँव (E.S.)						योग	
		रजपुरा		बड़ा गाँव		बड़ा गाँव		लहरा		खोडन		गोछाभावर			
		परिवारों की संख्या	परिवारों की रेखीय गतिशीलता	परिवारों की संख्या	परिवारों की रेखीय गतिशीलता	परिवारों की संख्या	परिवारों की रेखीय गतिशीलता	परिवारों की संख्या	परिवारों की रेखीय गति	परिवारों की संख्या	परिवारों की रेखीय गतिशीलता	परिवारों की संख्या	परिवारों की रेखीय गतिशीलता	परिवारों की संख्या	परिवारों की रेखीय गतिशीलता
1	ब्राह्मण	6	2	10	3	8	2	25	7	10	4	5	1	64	19
2	राजपूत	9	3	8	2	10	3	0	0	10	3	7	3	44	14
3	बनिया	3	1	5	1	2	0	6	2	4	2	2	1	22	7
4	निरंजन	8	1	9	2	4	1	46	15	10	2	8	3	85	24
5	शर्मा	2	0	2	0	2	0	3	1	2	1	2	1	13	3
6	यादव	5	2	6	2	3	0	15	7	2	0	2	1	33	12
7	पटेल	3	0	3	0	0	0	3	1	2	0	3	1	14	2
8	खगार	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	2	1	7	3
9	खागर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	5	2
10	कायस्थ	0	0	0	0	0	0	20	8	8	3	3	0	31	11
11	धोबी	2	1	7	1	3	1	2	1	1	0	2	0	17	4
12	काछी	4	2	11	2	3	1	6	2	0	0	4	1	28	8
13	शाहू	2	0	0	0	2	0	5	2	0	0	0	0	9	2
14	पाल	2	0	2	0	2	0	10	2	0	0	0	0	16	2
15	चमार	10	0	14	3	20	4	25	7	20	5	12	3	101	22
16	धरिकार	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	4	1
17	बसोर	0	0	5	1	5	2	15	3	8	2	6	2	39	10
18	पासी	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	0	25	6
19	भंगी	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	3	1
20	मुस्लिम	6	0	15	3	8	3	21	6	5	1	5	1	60	14
	योग	62	12	97	20	72	17	231	71	88	25	70	22	620	167

ज्यादातर दूध बेचने का व्यापार करते हैं। पटेल जाति के कुल 18 परिवार हैं। इनमें से केवल दो परिवारों में गतिशीलता पाई गई है। खगार और बढ़ई के क्रमशः 5 और 7 परिवार है। 3 और 2 परिवारों में गतिशीलता देखी गई है। 31 परिवार कायस्थ के हैं। इनमें से 11 परिवार गतिशील हैं। ये ज्यादातर अनेक विभागों में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। कुछ शिक्षा विभाग में कार्यरत है। धोबी के 12 परिवार में से 4 गतिशील है। इसमें कुछ लोग बाहर नौकरी करते हैं। एक परिवार ने नगर में लाण्ड्री खोल दिया है। कायस्थ के 21 परिवा में से 8 परिवार गतिशील हैं जो बाहर बड़े नगरों में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। चमार के कुल 101 परिवार है। इनमें 22 परिवार गतिशील है। नगर के बाहर बड़े-बड़े शहरो में ये कार्य करते है। आरक्षण के नाते इन परिवारों के अनेक सूचनादाताओं को नौकरी भी मिल गई है। मुस्लिम के कुल 60 परिवार हैं, जिनमें से 12 में गतिशीलता पाइ जाती है। ऐसा देखा गया है कि नगर दूर गांव के परिवारों में गतिशीलता की दर नगर निकट गांवों की तुलना में कम है। राजपूतों में व्यवसायिक गतिशीलता का प्रतिशत ब्राह्मणों के लगभग समान है।

इस तालिका के आँकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि निम्न जाति में उच्च जातियों की तुलना में में गतिशीलता अधिक है। इनमें अपने सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए छटपटाहट देखी जाती है। नगर निकट गांवों के निम्न जाति के परिवारों में "उपलब्धी-उन्मुखता" सामाजिक और व्यवसायिक गतिशीलता अधिक देखी जा रही है।

संदर्भ-समूह सिद्धान्त के माध्यम से गांवों के उच्च और निम्न जाति के परिवारों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। ग्रामीण समुदाय के बाहर होने वाले परिवर्तन जैसे-शिक्षा का प्रसार, नई नौकरियाँ आदि। ग्रामीण परिवारों

में संदर्भ समूह का कार्य करती हैं। गांवों के परिवारों में पाई जाने वाली गतिशीलता का मुख्य कारक विभिन्न प्रकार के संस्थागत संरचनाओं की देन है। साथ ही साथ गांवों की परम्परागत व्यवसायिक संरचना लगभग यथावत है, परन्तु लोग अपने परम्परागत व्यवसाय के साथ-साथ नए व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे इन परिवारों में गतिशीलता देखी जा रही है।

एक जाति के अनेक परिवार-समूह में अवरोही और आरोही गतिशीलताः-

एक जाति के अनेक परिवार समूहों में गतिशीलता परिवार में पाई जाने वाली गतिशीलता से अधिक भिन्न नहीं है। परिवार और जाति के स्तर पर अपनी सामाजिक स्थित को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न देखा जा सकते हैं, परन्तु जाति के स्तर पर समूह की भलाई और उद्देश्य को प्रधानता दी जाती है। जबकि परिवार के स्तर पर परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जाति और परिवार के स्तर पर गतिशीलता में अन्तर यह है कि जाति के स्तर पर गतिशीलता में अन्तर यह है कि जाति के स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक रीति-रिवाज या शुद्ध-अशुद्ध की भावना अधिक देखी जाती है। जबकि परिवार के स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रस्थितियों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जाति समूहों में उच्च और निम्न, शुद्धता और अशुद्धता की भावना प्रभावशाली होती है। इसके आधार पर समूह में उच्च और निम्न धार्मिक अनुष्ठान महत्वपूर्ण होते हैं आौर इसी के आधार पर समूहों में जाति सम्बन्धों का निर्माण होता है। इस तरह कुछ जातियाँ और उनसे सम्बन्धित व्यवसाय शुद्ध माने जाते हैं। जाति के स्तर पर गतिशीलता का सम्बन्ध रीति-रिवाजें, व्यवहारों एवं परिवर्तन से सम्बनिधत हैं परिवर्तन की इस प्रक्रिया में निम्न जातियों उच्च जातियों की जीवन शैली रीति-रिवाज अपनाकर अपनी स्थिति को ऊचा उठाने का प्रयास करती है। जातियों में पाई जाने वाली

इस प्रकार की गतिशीलता को प्रो0 श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की संज्ञा दी है। जिन छः गाँवों का अध्ययन किया गया है, उनमें निरंजन, चमार, काछी, अहिर, नाई, बढ़ई आदि जातियों ने अपनी जाति-स्थिति को उंचा उठाने के लिए अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाये हैं। परम्परागत व्यवसायों को छोड़कर नए व्यवसाय कर रहे हैं। गाँव में ब्राह्मण अब अपने परम्परागत व्यवसाय को चलाने में रूचि नहीं रखते हैं। विशेषकर वो ब्राह्मण जो शिक्षित है, और नौकरी करते है, जिनमें आर्थिक सम्पन्नता आ गई है वह "दान" आदि नहीं लेते हैं और अन्य अवसरों पर अन्य जातियों द्वारा बुलाये जाने पर भोजन भी करते हैं। इसी प्रकार गांवों के अहीर लोग जो शिक्षित हैं वो अपने नाम के अन्त में यादव अथवा सिंह जोड़ रहे हैं। काछी जाति के लोग शिक्षित हुए हैं। सम्पन्न हुए है चौहान लिखने लगे हैं। चौहान राजपूतों की एक उप-जाति होती है। गाँव के नाई कोहार लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति को उँचा बना लिए हैं। किसी के घर में जूठा बर्तन नहीं माजते हैं। इस तरह से अनेक जातियों के सम्पन्न और शिक्षित परिवार अपने व्यवहारों का संस्कृतिकरण किए हैं। वे अपने व्यवहारिंक जीवन-शैली आदि में परिवर्तन लाए हैं। गांवों की जाति-संरचना में गतिशीलता स्वतन्त्रता के बाद तीब्र गति से बढ़ रही है। यह इसलिए कि ग्रामीण संरचना में जमींदारी उन्मूलन के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन हुए है। नई पंचायती राज-व्यवस्था लागू हुई है। अनुसूचित जाति, जन-जाति पिछड़ी जाति की महिलाओं को अनेक पदों पर चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण मिला है। इससे सत्ता संरचना भी प्रभावित हुई है। ग्रामीण समाज में परिवर्तन की जो प्रक्रिया चल रही है, गतिशीलता की जो व्याख्या देखी जा रही है, पश्चिमी संस्कृति संदर्भ-समूह व्यवहार की अवधारणाओं के आधार पर पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है। गांवो में संरचनात्मक परिवर्तन के नाते जो गतिशीलता आई है उसके लिए अनेक बाह्य कारक भी जिम्मेदार है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, संचार के

साधन, उच्च शिक्षा, राजनीतिक, आधुनिकीकरण, समतावादी विचार-धारा, एक वोट की राजनीति, व्यक्तिवाद आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो गांवो में गतिशीलता को बढ़ावा दे रहे हैं।

ग्रामीण अंचलों में परिस्थितियों का एक संस्तरण पाया जाता है, इनमें ऊपर उठने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय आधार होते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उच्च जाति एवं वर्ग का प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक ढंग से उनमें स्वतन्त्रता और समानता की भावना आती है वो एक तरह से संतुष्टि का अनुभव करते हैं। मनोवैज्ञानिक ढंग से संतुष्टि अपने विचारों को व्यक्त करने से होती है और कभी-कभी उच्च जातियों के उप नाम को अपने नाम से जोड़ लेते है। इसी क्रम में कुर्मी अथवा सैंथवार लोग सिंह लिखते हैं जबकि पहले राजपूत लोग ही सिंह लिखते थे ऐसा करने से निम्न जातियों में मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है। इस प्रकार गांवो में कुछ परिवार अपने को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। कुछ समाजो में अवरोही गतिशीलता देखी जाती है। अवरोही गतिशीलता कुछ नगर निकट गांवो में देखी गई है जहाँ ब्राह्मण लोग चाय और अन्य वस्तुओं की दुकाने खोल लिए हैं, साइकिल मरम्मत का काम करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृतिकरण पूर्ण रूप से प्रभावशाली नहीं होता, द संस्कृतिकरण (De Sanskritization) भी देखा जाता है। इस तरह से ब्राह्मण, ६ ोबी, नाई चमार आदि में इस प्रकार की मनोवृत्ति देखी जाती है साथ ही साथ गांव की जातियों में ऐसे परिवार भी है जो अपने परम्परागत वैभव को बनाए हैं क्योंकि वह आज भी अधिक भू-स्वामित्व, उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं। उनके पास सत्ता एवं प्रभाव है। इस तरह से गांव में सामाजिक गतिशीलता पूर्ण रूप से न होकर आंशिक है।

तालिका 6:2

संस्कृतिकरण से प्रभावित होने वाली छः गाँवों की जातियाँ

गाँव	जिन जातियों का संस्कृतिकरण हो रहा है			
अर्द्ध नगरीय गाँव	चमार	ब्राह्मण	नाई	अहीर
शहर	अपने परम्परागत व्यवसाय को त्याग दिये है	इस जाति ने अन्य व्यवसाय को अपना कर अपना स्थान निम्न कर दिया है	अब घर पर जाकर सबके बाल नहीं बनाते। जजमानी व्यवस्था में इनकी रूचि नहीं है	अपने नाम के अन्त में सिंह और यादव लिखते हैं। अहीर लिखना पसन्द नहीं करते
लहर	चमार	ब्राह्मण	नाई	अहीर
खोड़न	चमार	ब्राह्मण	नाई	अहीर
कोछमावर	"	"	"	"
नगर दूर गाँवः–				
रजपुरा	"	"	"	"
बड़ा गाँव	"	"	"	"
बेहटा	"	"	"	"

परिवार में एक व्यक्ति में पायी जाने वाली आरोही और अवरोही गतिशीलताः–

परिवार के किसी व्यक्ति में और किसी जाति के परिवार में पाई जाने वाली गतिशीलता विभिन्न प्रकार की होती है। जब किसी जाति के परिवार की गतिशीलता की बात हम करते हैं तो सामाजिक स्थिति ऊपर उठ रही है या नीचे जा रही है जब किसी व्यक्ति का परिवार में गतिशीलता का आकलन करते है तो हम देखते है कि सामाजिक स्थिति ऊपर उठी है या पतन हुआ है। व्यक्ति का सम्मान और आदर और उसकी जातिगत श्रेणी स्तरीकरण के मुख्य तत्व है। जैसा कि मेरिएट ने लिखा है कि "परिवार में व्यक्ति अपने गुणों और व्यवहार के आधार पर अपनी सामाजिक स्थिति और श्रेणी में वृद्धि कर सकता है अथवा उसका पतन

हो सकता है। जाति व्यक्ति के पहचान को पूर्णरूप से अपने में स्थान नहीं देता । एक व्यक्ति की गतिशीलता उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होती है। व्यक्ति के स्तर पर गतिशीलता की व्याख्या संदर्भ समूह सिद्धान्त के आधार पर नहीं की जा सकती। गाँव में शिक्षा और तटस्थता का भी महत्व है। ऐसी विशेषता रखने वाले लोगों को आदर सम्मान मिलता है। व्यक्ति के स्तर पर जो गतिशीलता हमे मिलती है उसे "सार्वभौमिक-उपलब्धि" (Universalistic-Achievement)।

व्यक्ति और परिवार में गतिशीलता जाति के आधार पर ही होती है। इस गतिशीलता से गोत्र की स्थिति में भी परिवर्तन आता है। जाति संरचना में आरोही गतिशीलता का अभाव है। जाति संस्तरण के लिए जो आधार है अपनी जाति में ही विवाह, खान-पान, जाति की सदस्यता ये आज भी यथावत हैं एक जाति के लोग दूसरे जाति के यहाँ खान-पान सम्बन्ध कम रखते हैं और जाति सम्बन्धी बन्धन कुछ सीमता तक पाया जाता हैं अध्ययन किये गये छः गांवों में आरोही गतिशीलता केवल वर्ग संरचना में मिलती है परन्तु जाति संरचना में इस प्रकार की गतिशीलता का अभाव है। एक ही जाति के परिवार में जाति श्रेणी और वर्ग स्थिति के बीच आरोही गतिशीलता मिलती है। गांव में गतिशीलता तीन स्तर पर पाई जाती है-

1. व्यक्ति के स्तर पर
2. परिवार के स्तर पर
3. समूह के स्तर पर।

जाति-संरचना में गतिशीलता जब व्यक्ति, परिवार और समूह के स्तर पर होती है तो एक-दूसरे को प्रभावित करती है। आरोही गतिशीलता जातियों में बाह्य कारको के फलस्वरूप अधिक हो रही है और ये जाति संरचना में परम्परागत

की प्रक्रिया में माध्यम से प्रवेश करती है। साथ ही साथ नए मूल्य जो जाति संरचना में प्रवेश कर रहे हैं उसके फलस्वरूप भी आरोही गतिशीलता पाई जाती है। संस्कृतिकरण पूर्ण रूप से जाति व्यवस्था में पाई जाने वाली प्रक्रिया का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं कर पाता है। प्रो0 श्री निवास लिखते हैं कि "निम्न जातियाँ अपने उच्च जातियों का अनुसरण करके अपने स्तर में परिवर्तन लाती है। कुछ जातियाँ उच्च जातियों के अनुष्ठान, रीति-रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान आदि को अपनाने की प्रक्रिया में है।" इसका अर्थ यह हुआ कि संस्कृतिकरण एक सामूहिक प्रतिक्रिया है, जिसमें उच्च जातियों के धार्मिक मूल्यों, विश्वासों को निम्न जातियाँ अपनाती है परन्तु यह भी देखा जाता है कि परिवार और व्यक्ति के स्तर पर गतिशीलता हमें मिलती है और यह गतिशीलता जाति संरचना में कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप देखी जाती है।

"बेली (Bailey)[5] महोदय ने संस्कृतिकरण को एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया है। इकसे अनुसार संस्कृतिकरण का ढंग है, जिसके आधार पर व्यक्ति सामाजिक श्रेणी में ऊपर चढ़ता है। साथ ही साथ ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उच्च जातियों के अनुसरण का प्रयोग के बाद उन्ही का विरोध करने लगती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कुछ सीमा तक आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है, परन्तु आर्थिक संरचना में परिवर्तन नहीं ला सकती। "बेली" महोदय के अनुसार संस्कृतिकरण की तीन विशेषताएं है –

1. ये जाति संस्तरण का विरोध करता है
2. ये सामाजिक क्रिया है
3. ये सांस्कृतिक विशेषता को समान रूप से अनेक जातियो में फैलाता है।

---

5. Bailey, F.G., Tribe, Caste and Nation, Bombay, Oxford University Press, 1960, P-188.

"बेलीं" के विचार को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। संस्कृतिकरण राजनीतिक क्रिया-कलाप न होकर राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बाहर अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली है। द संस्कृतिकरण (De Sanskritization) क्षैतिज गतिशीलता जाति-व्यवस्था में गतिशीलता को समझने के लिए अधिक उपयुक्त है। "प्रो0 मजूमदार" संस्कृतिकरण और अवरोही गतिशीलता में पाए जाने वाले सम्बन्ध को नकारते हैं। अतः जातियों में गतिशीलता क्षैतिज है।

जाति-संरचना और इसमें उभरते गतिशीलता के प्रतिमानः-

व्यक्ति परिवार और समूह में जो गतिशीलता आती है उससे जाति स्तरीकरण की संरचना प्रभावित नहीं होती। जाति गतिशीलता से सम्बन्धित है। उभरते प्रतिमान जाति गतिशीलता के तीन स्तरों से सम्बन्धित है।

1. जाति स्तरो में गतिशीलता
2. जाति गतिशीलता की प्रक्रिया
3. जाति गतिशीलता के प्रतिमान।

ये सब एक प्रकार की विश्लेषणात्मक विधियाँ है, जिसके आधार पर जाति संरचना में उभरते प्रतिमानों का विश्लेषण किया जा सकता और कुछ मुख्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। व्यक्ति के आधार पर जाति गतिशीलता अधिक देखी जाती है। इसी प्रकार परिवार और समूह में भी गतिशीलता मिलती है। जाति संस्तरण की भी व्यवस्था धीरे-धीरे विभिन्न हो रही है। जैसे-जैसे उच्च जातियों की जीवन-शैली, रीति-रिवाज, व्यवसाय को अपनाा रहे हैं। अनेक जातियाँ एक-दूसरे के व्यवसायों को अपना रही हैं। कुछ लोग निम्न जातियों के व्यवसाय को अपनाकर अवरोही गतिशीलता ला रहे हैं। जाति में तीनों प्रकार की गतिशीलता देखी जा रही है जिनके अन्तर्गत लोग अपनी सामाजिक परिस्थिति को बदलती परिस्थिति में यथावत बनाए हुए है।

ग्रामीण स्तरीकरण में व्यवसायिक गतिशीलता और इसके उभरते प्रतिमानः-

ग्रामीण भारत में व्यवसाय का परम्परागत संरचना अपेक्षाकृत बन्द व्यवस्था थीं। क्योंकि जातियों के व्यवसाय निश्चित थे जो जिस जाति में जन्म लेता था उसी जाति के निर्धारण व्यवसायों को करता था। परम्परागत भारतीय समुदाय में व्यवसायिक गतिशीलता, व्यवसायिक विभिन्नीकरण बहुत कम थे। ऐसा इसलिए था कि व्यवसाय को जन्म के आधार पर प्रदान किया जाता है। जो जिस जाति में जन्म लेता था उसी से सम्बन्धित व्यवसाय करता था। इसी संदर्भ में "प्रो0 धुरिये"[6] ने लिखा है कि 19वीं शताब्दी में भारत में व्यवसाय की स्वतन्त्रता नहीं थी। लोगों की धारणा यह थी कि लोगों का एक निश्चित व्यवसाय है, जिसका स्वरूप परम्परागत है। ऐसे व्यवसाय को जाति के सदस्य ग्राहण करते थे। इसका त्याग कर दूसरा व्यवसाय करना अच्छा नहीं माना जाता था। धुरिये के यह विचार आज ग्रामीण समुदाय पर लागू नहीं होते, क्योंकि पूरी तस्वीर बदल चुकी है। जातियों में व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ रहीं है। ग्रामीण समुदाय में व्यवसाय को हम दो समूहों में बांट सकते हैं।

1. ऐसे व्यवसाय जो धर्मनिरपेक्ष नियमों और विचारधाराओं पर आधारित है।
2. ऐसे व्यवसाय जो धार्मिक आधार रखते है और जिनका स्वरूप परम्परागत है।

जिन छः गांवों का अध्ययन किया गया है उनमें धर्म निरपेक्ष आधारों पर व्यवसाय का उभरता स्वरूप आधुनिकीकरण के कारको के नाते है। जबसे नगरीय, नौकरशाही तन्त्र, यातायात के साधन का आधुनिकीकरण हुआ है तब से नए व्यवसाय अपना जन्म पाए हैं। धार्मिक आधार पर बने व्यवसाय मूल रूप से परम्परागत है। ग्रामीण भारत का परम्परागत व्यवसायिक संरचना वर्तमान संरचना से भिन्न है। वर्तमान संरचना में परम्परागत व्यवसायिक विशेषताएं भी विद्यमान है।

---

6. Ghurye, G.S. Caste, Class and Occupation (Bobay, Popular Book Dept. - 1961) P-241.

तालिका 6:3

जाति	परम्परागत जाति आधारित व्यवसाय	वर्तमान व्यवसाय जो जाति आधारित है और नहीं है।
उच्च जातिः–		
ब्राह्मण	उपरोहित का कार्य, पूजा पाठ का कार्य, शिक्षा का कार्य	उपरोहित, उच्च श्रेणी की नौकरी, खेती व्यवसाय, सश्रम, शिक्षण
राजपूत	जमींदार, पुलिस, सेना, नौकरी, आदि।	खेती, पुलिस सेवा, उच्च नौकरी, शिक्षण श्रम।
बनिया	तिजारत, दुकान, सूद पर पैसा देना।	नौकरी, खेती, दुकान अन्य व्यवसाय
मध्यमः–		
निरंजन	खेती	कृषि श्रम, नौकरी, पुलिस, फौज, लिपिक दुकानदारी
शर्मा	बाल काटना	सैलून, नौकरी अन्य श्रम।
यादव (अहीर)	जानवर पालन, देखती	पशुपालन, खेती, नौकरी, पुलिस सेवा
पटेल	घरेलू नौकर श्रमिक	खेती, घरेलू नौकरी, श्रम
बढ़ई	लकड़ी का काम	खेती, श्रम, लकड़ी का काम क्लर्क
कुशवाहा	फुल पौधे लगाना	कृषि श्रम
कायस्थ	नौकरी, खेती	नौकरी
निम्न जातियाँः–		
धोबी	कपड़ा धुलना	लाण्ड्री कृषि श्रम
काछी	पोती, श्रमिक	खेती, श्रमिक, नौकरी
साहू	व्यवसाय, तेल बेचना	नौकरी, खेती, तेल निकालना
राय/बढ़ई	सब्जी लगाना, खेती करना, परम के पत्ते लगाना।	खेती, नौकरी, सब्जियों का व्यवसाय
अस्पृश्य जातियाँ		
चमार	जानवरों का चमड़ा इकट्ठा करना, मजदूर के रूप में कार्य करना।	नौकरी, खेती, कृषक श्रमिक
धारिकाए	बाँस का काम	खेती श्रमिक, नौकरी साथ में परम्परागत व्यवसाय
खटीक	सब्जी बोना, फल बेचना	नौकरी, खेती, व्यवसाय
पासी	कृषि का काम, चमड़े का काम, जानवरों को मारना	कृषि श्रमिक, नौकरी, खेती
भंगी	सफाई का काम	नौकरी, श्रम भंगीगीरी का काम
मुस्लिम	खेती, चूड़ी बेचना, कसाई का काम, रोजगार।	खेती, नौकरी, व्यवसाय क्लर्क का काम, कसाई।

अध्ययन किए गये गाँवों में बहुत सी जातियाँ अपने परम्परागत व्यवसाय जो जाति पर आधारित थे, कर रहीं है। साथ हीं साथ कुछ और व्यवसायों को भीं अपना लीं है। कुछ निम्न जातियां अपने परम्परागत व्यवसाय को त्याग दीं है। उनका मानना है कि ये निम्न स्तर का व्यवसाय है। इसके स्थान पर नए प्रकार के व्यवसाय अपना लिए हैं। जो आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद है। गांवों में भू–सुधार कार्यक्रम अन्य संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप परम्परागत ढांचे में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। उच्च जातियों के लोग अन्य जातियों के व्यवसायों को अपना लिए है। अपने परम्परागत व्यवसाय को त्याग दिए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम जाति के लोगो में भीं व्यवसायिक गतिशीलता देखीं गई है। ये भीं अपने परम्परागत व्यवसाय से हटकर लाभप्रद व्यवसाय कर रहे हैं। मध्यम, निम्न अश्पृश्य जातिया आंशिक रूप से अपने परम्परागत व्यवसाय के साथ–साथ कुछ नए व्यवसाय भीं कर रहीं हैं।

तालिका–6:4

सूचनादाताओं के वर्तमान व्यवसाय का विवरण

व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
	नगर दूर/नगर निकट	
खेतीं	42	14
कृषक श्रमिक और अन्य श्रम	97	32.3
शिल्पकारी और नौकरी	23	7.6
उच्च दर्जे की नौकरी, व्यवसाय और अन्य व्यापार	78	26.0
फैक्ट्री में कृषि करने वाले श्रमिक	20	6.70
अन्य	40	13.40
योग	300	100.00%

तालिका 6:4 में दर्शाए गये तथ्य सूचनादाताओं के वर्तमान व्यवसाय से सम्बन्धित है। इस तालिका के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है, कि कृषि करने वाले सूचनादाताओं की संख्या 14 प्रतिशत। इसी प्रकार कृषि श्रमिक एवं अन्य श्रम करने वाले का प्रतिशत 32.3 है। हस्तशिल्प कार्य करने वाले एवं अन्य नौकरी करने वाले उच्च दर्जे की नौकरी, व्यवसाय करने वाले उच्च दर्जे की नौकरी व्यवसाय करने वालों की संख्या 26 प्रतिशत है। फैक्ट्री एवं अन्य उद्योगों में कार्यरत श्रमिको की संख्या 6.7 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में लगे सूचनादाताओं की संख्या 40 (13.4 प्रतिशत) है। इस तालिका के आंकड़ो के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गांव के परम्परागत व्यवसायों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। इन व्यवसायों के साथ कुछ लोग अन्य व्यवसाय कर रहे हैं। मध्यम और निम्न जातियों के व्यवसाय को त्यागकर कुछ लोग नए व्यवसाय कर रहे हैं। साथ–साथ अन्य व्यवसाय कर रहे हैं। नगर निकट गांवों में व्यवसायिक गतिशीलता नगर दूर गांवों की तुलना में अधिक है। इसका मुख्य कारण नगरीकरण और यातायात के साधनों, बढ़ती हुई शिक्षा नगरों में विशेषीकरण अधिक है, जिसका प्रभाव नगर निकट व्यक्तियों पर देखा गया है। लाभप्रद व्यवसाय करने के बाद सूचनादाताओं की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आया है, परिस्थिति सुधरी है। ग्रामीण स्तरीकरण का भी परम्परागत स्वरूप बदल रहा है, इसके भी नए प्रतिमान विकसित हो रहे हैं।

तालिका–6:5

सूचनादाताओ की जाति श्रेणी और व्यवसाय

व्यवसाय	जातियाँ			योग
	उच्च	मध्यम	उच्च	
1. कृषि				
अ) अर्द्ध–नगरीय	7	11	7	48
ब) नगर–दूर	10	20	10	56
2. कृषक मजदूर				
अ) अर्द्ध–नगरीय	00	8	00	28
ब) नगर–दूर	5	28	5	52
3. नौकरी और शिल्पकारी				
अ) अर्द्ध–नगरीय	12	3	12	23
ब) नगर–दूर	9	7	9	20
4. व्यापार और उच्च				
अ) अर्द्ध–नगरीय	5	2	5	14
ब) नगर–दूर	4	4	4	11
5. फैक्ट्री श्रमिक				
अ) अर्द्ध–नगरीय	3	2	3	11
ब) नगर–दूर	2	6	2	8
6. अन्य				
अ) अर्द्ध–नगरीय	2	2	2	19
ब) नगर–दूर	2	9	2	14
योग अ) अर्द्ध–नगरीय	29	28	29	141
ब) नगर–दूर	32	71	32	159
				योग – 300

तालिका 6:5 में जाति पर आधारित व्यावसायिक समूहो पर तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। तालिका से स्पष्ट होता उच्च जातियाँ मुख्य रूप से खेती करती है चाहे वह नगर निकट गांव की हो या नगर दूर गांव की हो। सबसे अधिक कृषक मजदूर के रूप में दोनो प्रकार के गाँवों में लोग पाए जाते हैं। अर्द्ध नगरीय गाँवो के उच्च जाति के सूचनादाताओं में 7 कृषक 12 नौकरी, 5 व्यापार और अन्य व्यवसाय, 3 फैक्ट्री श्रमिक, 2 अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं इसी प्रकार नगर दूर गांव में 10 कृषि, 5 कृषक मजदूर, 2 नौकरी और हाथ के काम, 9 व्यापार, 2 फैक्ट्री श्रमक, 2 अन्य कार्यो में लगे हुए हैं। मध्यम जातियाम के अर्द्ध नगरीय सूचनादाताओं की संख्या 28 है। इनमें से 8 कृषि मजदूर 3 नौकरी, और हाथ के काम, 2 व्यापार, 2 फैक्ट्री श्रमिक, 2 अन्य व्यवसाय में लगे हुए है। नगर दूर गांव के 71 सूचनादाताओं में से 20 कृषि, 28 कृषक मजदूर, 3 नौकरी, 2 व्यापर, 2 फैक्ट्री श्रमिक, 9 अन्य व्यवसायों में लगे हुए है। नगर निकट गाँवों में निम्न जातियों के 84 सूचनादाताओं में 30 कृषि, 20 कृषक मजदूर, 5 नौकरी, हाथ का काम 5 व्यापार 6 फैक्ट्री श्रमिक अन्य व्यवसायों में लगे हैं। इसी प्रकार नगर दूर गांवों कक 56 सूचनादाताओं में से 26 कृषि, 19 कृषक मजदूर, 3 नौकरी, 3 व्यापार, 3 फैक्ट्री श्रमिक, 3 अन्य व्यवसायों में लगे हुए है।

इस तालिका के विश्लेषण से पता चलता है कि नगर निकट गांवों में नगर दूर गांवो की तुलना में व्यवसायिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है, परन्तु नगर दूर गांवो में श्री कृषि व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसायों के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा है। गाँव पर नगरीकरण का प्रभाव बढ़ेगा। यातायात और संचार के साधनों की सुविधा बढ़ेगी, व्यक्तिवाद बढ़ेगा, परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा उतना अधिक व्यवसायिक गतिशीलता

भी बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा भी व्यवसायिक गतिशीलता लाने में अहम भूमिका अदा करती है। गाँवों के अनेक योजनाओं के फलस्वरूप व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ रही है।

जाति व्यवसायिक गतिशीलताः–

जाति के स्तर पर व्यवसायिक गतिशीलता गाँवों में देखी जा रही है, परन्तु इसकी विशेषताएं जाति के आधार पर अलग–अलग है। निम्न जातियों में व्यवसायिक गतिशीलता का मुख्य उद्देश्य जाति की स्थिति को ऊँचा उठाना है और उच्च जातियों में व्यवसायिक गतिशीलता का उद्देश्य अपने पूर्व की स्थिति को बनाये रखना है। गाँवों में व्यवसायिक गतिशीलता के प्रतिमान भी पाये जाते हैं। उच्च जातियाँ ऐसे भी व्यवसाय कर रहीं हैं जो जाति पर आधारित नहीं है। निम्न जातियाँ अपने परम्परागत व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय अपना रही है। आज भी श्रम और खेती से सम्बन्धित कार्य गांवों में यथावत है जो गांव की अनुसूचित जातियाँ कर रहीं हैं। अर्द्ध–नगरीय गांवो में व्यवसायिक गतिशीलता अधिक देखी गयी है। यहां के सूचनादाता कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों की ओर अधिक रूझान रखते हैं।

तालिका–6:6

(प्रक्षेपीय विधि)

वाक्यपूर्ण परीक्षण से सम्बन्धित प्रतिक्रियायें ....

समाज में जिन लोगों का अधिक सम्मान होता है वे ....

गाँव		प्रतिक्रियाये							योग
		शिक्षा	धन सम्पत्ति	अच्छा चरित्र	उच्च जाति का होना	अधिक आयु	अन्य को सहायता करना	नहीं जानता	
अर्द्ध नगरीय गाँव	उच्च जाति	8 (27.6)	10 (34.6)	2 (6.9)	5 (17.2)	2 (6.9)	1 (3.4)	1 (3.4)	29 (100.0)
	मध्यम जाति	6 (21.4)	12 (42.9)	3 (10.7)	4 (14.3)	2 (7.1)	1 (3.6)	0 0.00	28 (100.0)
	निम्न जाति	30 (35.6)	40 (47.6)	3 (3.6)	4 (4.8)	3 (3.6)	4 (4.8)	0 0.00	84 (100.0)
नगर दूर गाँव	उच्च जाति	6 (18.7)	12 (37.6)	2 (6.3)	4 (12.5)	5 (15.6)	2 (6.2)	1 (3.1)	32 (100.0)
	मध्यम जाति	20 (28.2)	20 (28.1)	10 (14.1)	10 (14.1)	8 (11.3)	3 (4.2)	0 0.00	71 (100.0)
	निम्न जाति	15 (26.9)	28 (50.0)	5 (8.9)	3 (5.3)	3 (5.3)	2 (3.6)	0 0.00	56 (100.0)
								N =	300

प्रक्षेपीय विधि परीक्षण के माध्यम से सूचनादाताओं के विचारधाराओं का मापन किया गया है। शिक्षा, धन–सम्पत्ति, अच्छा चरित्र, उच्च जाति का होना, अधिक आयु, अन्य को सहायता करना आदि इस मापन के बिन्दू थे। सूचनादाताओं के विचार से उच्च सामाजिक प्रस्थिति के लिए अधिक धनवान होना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के सूचनादाताओं ने धन और सम्पत्ति को अधिक महत्व देते हुए व्यक्ति के सामाजिक स्थिति को उँचा उठाने में महत्वपूर्ण कारक माना है। जबकि

नगर दूर गांव के लोगों ने भू–स्वामित्व को अधिक महत्व दिया है। लगभग प्रत्येक समाज के लोगो में अधिक आयु के लोगों को सम्मान देने का चलन है। अर्द्ध नगरीय गांवों में इसका चलन अधिक नहीं देखा गया है, परन्तु नगर दूर गांव में सामाजिक स्थिति को उंचा उठाने में शिक्षा के महत्व की भूमिका स्वीकारी गयी है। जबकि नगर दूर गांव में इसका महत्व कम है। अच्छा चरित्र कहां तक लोगों को प्रतिष्ठा प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में नगर दूर और नगर निकट गांव के सूचनादाताओं की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं रहीं है। दूसरों की सहायता करने वाले व्यक्ति का आदर और सम्मान कहां तक होता है। इस सम्बन्ध में नगर निकट सूचनादाताओं के उत्तर सकारात्मक रहे हैं और नगर दूर गांव के सूचनादाताओं के विचार अपेक्षाकृत उतने उत्साह वर्धक नहीं रहे हैं।

तालिका–6:7

उनके व्यवसायों का उनके महत्व के अनुसार उनका वर्गीकरण:–

नगर दूर गाँव में	औसत स्थान	नगर निकट गाँव
कृषि	1	उद्योगपति
इन्जिनियरिंग	2	इन्जिनियरिंग
डाक्टर	3	डाक्टर
उद्योग	4	शिक्षक
शिक्षक	5	कृषक
साहूकार	6	शिल्पकार
क्लर्क	7	साहूकार
शिल्पकार	8	औद्योगिक और कृषि श्रमिक
औद्योगिक और कृषि श्रमिक	9	दुकानदार
दुकानदार	10	क्लर्क
उपरोहिती	11	उपरोहिती

किसी भी समाज की प्रस्थिति संरचना उसके व्यवसाय पर अधिक निर्भर करता है। जो लोग उन व्यवसायों को अपनाते हैं। वर्तमान समय में परम्परागत व्यवसायों का वह स्थान नहीं है जो पहले दिया जाता था। तालिका 6:7 में व्यवसायों का वर्गीकरण उनके सामाजिक महत्व के आधार पर किया गया है, और ये देखा गया है कि नगर दूर और नगर निकट गांव के सूचनादाता अपने-अपने विचारधारा के अनुसार किये हैं। प्रत्येक व्यवसाय को उनके महत्व के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है। इनमे से हमने 11 व्यवसायों को चुना था, जो मुख्य रूप से नगर निकट और नगर दूर गांवो में जाये जाते हैं। हमने प्रत्येक सूचनादाताओं को प्रत्येक व्यवससाय को एक मापन के चार बिन्दू के आधार पर मुल्यांकन करने को दिया गया था। ये चार बिन्दू थे, महत्व, कम महत्व, साधारण, अधिक महत्व, बहुत अधिक महत्व। तालिका 6.7 में दर्शाये गये तथ्य उने व्यवसायों से सम्बन्धित है, और उनके महत्व के आधार पर श्रेणी भी दर्शायी गयी है। नगर निकट और नगर दूर सूचनादाताओं के विचारर में व्यवसायों का महत्व लगभग समान है। परन्तु नगर निकट गांव के सूचनादाता उद्योग, इन्जिनियरिंग, डाक्टरी आदि व्यवस्था को अधिक वरीयता देते हैं। जबकि नगर दूर गांव के सूचनादाता कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों को अधिक महत्व दिये हैं। हमे ये भी देखने को मिला पहले पाँच व्यवसाय समान महत्व रखते है और अन्य व्यवसायों का वर्गीकरण अलग-अलग दृष्टिकोण से किया गया है।

तालिका–6:8

(प्रक्षेपीय विधि)

वाक्यपूर्ण–परीक्षण

यदि मुझे दूसरों का व्यवसाय चुनना हो तो मैं चाहूंगा कि ....

प्रतिक्रिया	नगर दूर गाँव		नगर निकट गाँव		योग	
	105		195		600	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
किसान	28	2.66	26	13.33	54	18.33
कृषि श्रमिक	10	9.52	15	7.69	25	8.33
पशु पालक	4	3.80	10	5.13	14	4.67
शिल्पकार, बढ़ई, थवई और अन्य कारीगर	3	3.80	19	9.74	22	9.33
करघा (बनुकर)	1	0.95	15	7.69	16	5.33
व्यवसाय	4	3.30	25	12.83	29	9.66
छोटे उद्योग	2	1.42	7	3.58	9	3.00
नौकरी में फैक्ट्री श्रमिक के रूप में	2	1.40	16	8.20	18	6.00
यांत्रिक	5	4.28	15	7.69	20	6.66
समाज सेवा	1	0.95	3	1.28	4	1.17
वकील	2	1.90	5	2.56	7	2.33
फौजी	2	2.38	2	1.28	4	1.67
क्लर्क	10	9.52	15	7.69	25	8.33
शिक्षक	15	14.28	9	4.62	24	8.00
अन्य कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता जो कहते हैं वो ठीक है	16	15.23	13	6.42	29	9.60
योग	**105**	**100**	**195**	**100**	**300**	**100**

व्यवसायिक वरीयताः-

तालिका 6:8 में प्रक्षेपीय विधि पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया है, यदि आपको दूसरों का व्यवसाय चुनना हो तो नीचे दिये गये किस व्यवसाय को आप चुनेंगे? इस प्रश्न के उत्तर में नगरं निकट और नगर दूर सूचनादाताओं की प्रतिक्रियायें आयी थीं, जिन्हे तालिका 6:8 में प्रदर्शित किया गया है। कृषि व्यवसाय, अर्द्ध-नगरीय और नगर दूर गांव में असमान है, क्योंकि नगर दूर गांव में 26.66 प्रतिशत सूचनादाता कृषि व्यवसाय में रूचि रखते हैं। जबकि ये प्रतिशत नगर निकट गाँव में 13.33 प्रतिशत है। दोनो प्रकार के गाँवों में सूचनादाताओं को जोड़कर कृषि में रूचि रखने वालों का प्रतिशत 18.33 है। इस प्रकार नगर दूर गाँव में कृषक श्रमिक व्यवसाय को अपनाने वालों को प्रतिशत 9.52 है। जबकि नगर निकट गाँव में ये संख्या 7.69 है। दोनो प्रकार के गांवो कृषक श्रमिको काय कार्य करने वालों की संख्या 8.33 है। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने के इच्छा दोनो प्रकार के गाँवों में बहुत कम क्रमशः 3.80:5.13 प्रतिशत है। दोनो प्रकार के गाँवों में पशु पालन को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वालों का प्रतिशत 4.67 है। इसी प्रकार शिल्पकारी और व्यवसाय में रूचि रखने वालों की संख्या 22 है। नगर निकट गाँव में ये प्रतिशत 9.14 है। दोनो प्रकार के गाँवों को मिलाकर इस व्यवसाय में रूचि रखने वाले सूचनादाताओं का प्रतिशत 9.33 है। हथकरघा को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने के लिए नगर दूर गाँव के 0.95 प्रतिशत सूचनादाताओ की प्रतिशत 7.69। दोनो गाँव में मिलाकर 5.33 है। व्यवसाय में रूचि रखने वालो की संख्या 57 है। छोटे-छोटे उद्योग को व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वालों की संख्या बहुत कम 1.42 प्रतिशत है। नगर निकट गाँव में ये संख्या कुछ अधिक 3.84 प्रतिशत है। कुल मिलाकर इस व्यवसाय में

3 प्रतिशत लोग है। फैक्ट्री श्रमिक के रूप में कार्य करने वालों की संख्या 1.90 है जबकि नगर निकट और नगर दूर में ये संख्या 6 प्रतिशत है। यांत्रिक के रूप में कार्य करने नगर दूर गाँव में ये प्रतिशत 7.69 है। दोनो प्रकार के गाँवों के सूचनादाताओं का प्रतिशत 5.8 है। समाज सेवा को व्यवसाय के रूप में अपनाने वालों का प्रतिशत बहुत कम (1.17) है। वकालत का व्यवसाय स्वीकार करने के इच्छुक 2.33 प्रतिशत है। फौज में जाने के इच्छुक सूचनादाता नगर दूर गांव में ये प्रतिशत 1.28 है। शिक्षा को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए नगर दूर गाँव के सूचनादाताओं का प्रतिशत 14.28 है और नगर निकट गांव में 4.62 प्रतिशत है। अपने व्यवसाय में बने रहने वालों का प्रतिशत नगर दूर गांव में 15.23 है जबकि नगर निकट गांव में 6.42 है।

दोनो प्रकार के गांवों में अनेक व्यवसायों में रूचि रखने वालों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है, नगर दूर गाँव में व्यवसायिक गतिशीलता के प्रति उन्मुखता नगर–निकट गांव की अपेक्षा कम है। कृषि कार्य अधिक लाभप्रद नहीं है। इसलिए नगर निकट गांव के सूचनादाता इसे व्यवसाय के रूप में अपनाने में कम रूचि रखते हैं जबकि नगर दूर गांव के अधिक। चूँकि अर्द्ध–नगरीय गांव पर नगरीकरण, शिक्षा यातायात के साधन बाजार की उपलब्धता अधिक है, इसलिए यहाँ व्यवसायिक गतिशीलता के प्रति रूझान अधिक देखा जाता है। जबकि नगर दूर गांवो में व्यवसायिक गतिशीलता का अभाव है। इसका व्यवसायिक गतिशीलता का अभाव है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नगर दूर गाँवों में व्यवसायिक गतिशीलता शून्य है। इन गाँवों में भी व्यवसायिक गतिशीलता है, लेकिन नगर निकट गांवों की तुलना में कम है।

तालिका–6:9

आप अपने बच्चे को किस उद्देश्य से शिक्षा देते हैं?

जाति	अच्छी नौकरी उच्च शिक्षा	सामाजिक प्रतिष्ठा	अच्छा नागरिक	योग
उच्च	40 (65.6)	15 (24.6)	6 (24.6)	61 (100.0)
मध्यम	60 (60.6)	25 (25.3)	14 (14.1)	99 (100.0)
निम्न, अस्पृश्य एवं मुस्लिम	80 (57.1)	35 (25.0)	25 (17.9)	140 (100.0)
योग	180 (60.0)	75 (25.0)	45 (15.0)	300 (100.0)

तालिका 6:9 में दर्शाये गये तथ्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से सम्बन्धित है। उच्च जाति के दोनो प्रकार के गाँवों के 65.6 प्रतिशत सूचनादाताओं ने ये उत्तर दिया कि वे अपने बच्चे को शिक्षा देकर अच्छी नौकरी प्राप्त कराना चाहते हैं। इसी क्रम में 24.6 प्रतिशत सूचनादाताओं का मत था कि बच्चों को शिक्षा देने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है तथा 9.8 प्रतिशत लोगों का विचार था कि शिक्षा के द्वारा बच्चों को अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। मध्यम जातियों के 60.6 प्रतिशत सूचनादाता अपने बच्चों को शिक्षित करके अच्छी नौकरी दिलाने के पक्ष में थे। इसी क्रम में 25.3 प्रतिशत सूचनादाताओं का मत है शिक्षा से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और 14.1 प्रतिशत का ये मानना था कि शिक्षा से अच्छा नागरिक बनाया जाता है। निम्न जातियों के 57 प्रतिशत सूचनादाता बच्चों को शिक्षा देकर नौकरी दिलाने के पक्ष में है। 25 प्रतिशत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते है तथा 17.9 प्रतिशत का ये विचार है कि शिक्षा से एक अच्छे. नागरिक का निर्माण होता है।

शिक्षा वो कुंजी है जो व्यक्ति के प्रगति के द्वार खोलती है। इससे मानव का रूपान्तरण होता है, वो योगय नागरिक बनता है। वह अपना, परिवार तथा समाज का मार्गदर्शन करता है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और साथ ही साथ अपनी योग्यता के अनुसार समाज में कोई स्थान प्राप्त करता है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का एक संस्तरण बन जाता है और इससे गांवों के सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान बदलते है।

तालिका–6:10

शिक्षा और व्यवसाय

व्यवसाय	शिक्षा का स्तर				योग
	अशिक्षित	जूनियर हाई स्कूल	इण्टर तक	स्नातक और उसे ऊपर	
खोती	65 (62.5)	20 (19.2)	13 (12.5)	6 (5.8)	104 (100.0)
कृषक मजदूर	65 (81.2)	10 (12.5)	5 (6.3)	0 (0.00)	80 (100.0)
शिल्पकारी और कारीगरी	15 (34.9)	18 (41.8)	8 (18.6)	2 (4.7)	43 (100.0)
फैक्ट्री श्रमिक	2 (8.0)	3 (12.0)	10 (40.0)	10 (40.0)	25 (100.0)
रोजगार और अन्य शिल्पकारी	3 (6.3)	4 (29.2)	25 (52.0)	6 (12.5)	48 (100.0)
योग	150 (50.0)	65 (21.7)	61 (20.3)	24 (8.0)	300 (100.0) N

तालिका 6:10 में शिक्षा के आधार पर व्यवसाय का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। नगर निकट और नगर दूर गाँव में कुल अशिक्षित सूचनादाता 150 (50 प्रतिशत) हैं इसमें से 62.5 प्रतिशत खेती, 81.2 शिल्पकारी एवं अन्य हाथ की

कारीगरी 8 प्रतिशत फैक्ट्री श्रमिक और 6.3 प्रतिशत रोजगार और अन्य व्यवसायों से जुड़े हुए है। इसी प्रकार जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने वाले सूचनादाताओं की संख्या 65 (21.7 प्रतिशत) है। इसमे से 19.2 प्रतिशत खेती, 12.5 प्रतिशत कृषक मजदूर 41.8 प्रतिशत शिल्पकारी एवं हाथ के अन्य काम, 12 प्रतिशत फैक्ट्री श्रमिक और 29.2 अनेक रोजगार और अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं। इण्टर तक शिक्षित सूचनादाताओं की संख्या 61 (20.3 प्रतिशत) है। इसमें से 12.5 प्रतिशत खेती, 6.3 प्रतिशत कृषक मजदूर 18.6 प्रतिशत शिल्पकारी और कारीगरी 40 प्रतिशत फैक्ट्री श्रमिक 52 प्रतिशत रोजगार और अन्य व्यवसाय में लगे हुए है। स्नातक और उससे उपर शिक्षा प्राप्त करने वाले सूचनादाता 24 (8 प्रतिशत) है। इसमें से 5.8 प्रतिशत खेती, शून्य प्रतिशत कृषक श्रमिक 4.7 प्रतिशत शिल्पकारी एवं अन्य हाथ से काम करने वाले व्यवसाय 40 प्रतिशत फैक्ट्री श्रमिक और 12.5 प्रतिशत रोजगार एवं अन्य व्यवसाय में लये हुए लोग।

तालिक के तथ्यों के तथ्यों विश्लेषण से स्पष्ट होता है आज भी अधिक से अधिक लोग खेती करते हैं परन्तु नगर दूर गांवों के सूचनादाता नगर निकट गांवों की तुलना में अधिक लगे हुए हैं इसी प्रकार कृषक मजदूरों की संख्या भी दोनो गाँव में अधिक हैं। अन्य व्यवसायों में लगे हुए लोगों की संख्या कम है, फिर भी गांवो में व्यवसायिक गतिशीलता देखी जा रही है।

व्यवसायिक गतिशीलता और वर्ग:-

गाँवों में व्यवसायिक गतिशीलता जातियों के बीच लम्बवत प्रकार की है। एक ही जाति में खेती के साथ-साथ कुछ लोग अन्य व्यवससाय भी करते हैं, इसलिए जाति-व्यवस्था में ही वर्ग का स्वरूप देखा जाता है। अतः जब गाँवों की

व्यवसायिक संरचना बदलती है तो वो वर्ग संरचना को भी प्रभावित करती है। वास्तविकता यह है जब व्यवसायिक स्थिति बदलती है तो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी ऊँची हो जाती है। इसी के साथ–साथ आर्थिक दशा, जीवन स्तर जीवन शैली आदि में परिवर्तन आता है इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है जिसमें नये प्रतिमान आये दिन बनते रहते है। जब इस प्रकार के परिवर्तन व्यवसायिक गतिशीलता के नाते होते हैं तो जाति में परिवर्तन हुए बिना सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आता है।

अध्ययन किये गये छः गाँवों में व्यवसायिक गतिशीलता के नाते वर्ग संरचना में अधिक परिवर्तन हुए है। जबकि उनकी जाति स्थिति यथावत है। पहले के जमींदार लोग अब भूमिधर और किसान के रूप में परिवर्तित हो गये हैं। इन गाँवों में ब्राह्मण जाति के लोग नौकरी अथवा खेती कर रहे हैं। गाँवों में व्यवसायिक गतिशीलता वर्ग संरचना पर अधिक प्रभाव डाल रही है। अध्ययन क्षेत्र के गाँवों में कुर्मी और अन्य मध्यम वर्ग की जातियों में व्यवसायिक गतिशीलता के नाते उसकी वर्ग स्थिति बदलती है।

शिक्षा और सामाजिक गतिशीलताः–

अध्ययन क्षेत्र के छः गांवों में शिक्षा के प्रसार के नाते व्यवसायिक गतिशीलता अधिक बढ़ती है। शिक्षा का जाति और वर्ग सामाजिक स्थिति से साकारात्मक सम्बन्ध गाँवों में उच्च जातियों के लोगो में शिक्षा का स्तर अधिक है। आजकल गांवो में ब्राह्मण और उच्च जातियाँ आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रही है। इसमें ब्राह्मण राजपूत मुख्य है। आधुनिक शिक्षा के नाते परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन आया है। अधिक से अधिक लोग यान्त्रिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से गाँवों में आधुनिक शिक्षा और आर्थिक विकास के बीच सम्बन्ध देखा जा रहा है।

नगर–निकट और नगर–दूर गाँव में व्यवसायिक गतिशीलता:–

नगर–निकट गांवों पर औद्योगिकरण का अधिक प्रभाव देखा जा रहा है। इसलिए इन गांवो में व्यवसायिक गतिशीलता और प्रवास की दर ऊँची है। नगर निकट गाँवों के अधिक से अधिक लोग गांव के बाहर शहरों में कार्य करते हैं।

तालिका–6:11
नगर निकट और नगर दूर गाँव में घर के बाहर कार्य करने वाले सूचनादाताओं का वर्णन –

गाँव	गाँव के बाहर कार्य करने वाले	गांव में कार्य करने वाले	योग
नगर निकट	90 (46.2)	105 (53.8)	195 (100.00)
नगर दूर	30 (28.6)	75 (71.4)	105 (100.00)
योग	120 (40.0)	180 (60.0)	300 (N) (100.00)

तालिका 6:11 के तथ्यों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि अर्द्ध नगरीय गांव के सूचनादाताओं में व्यवसायिक गतिशीलता नगर–दूर गाँव की अपेक्षा अधिक है। नगर दूर में 46.2 प्रतिशत लोग गाँव के बाहर कार्य करते हैं और रोजी रोटी कमाते हैं। इसमें से बहुत से लोग झांसी नगर के अनेक क्षेत्र में कार्य करके धन कमाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। उसके तुलना में नगर दूर गाँव के सूचनादाताओं में केवल 28.6 प्रतिशत ऐसे लोग है जो गाँव के बाहर कार्यरत है। नगर निकट गाँव में 53.8 प्रतिशत सूचनादाता गाँव ही में अनेक व्यवसाय में लगे हुए है। जबकि नगर दूर गाँव में व्यवसायिक गतिशीलता में अधिक

अन्तर है क्योंकि नगर निकट गाँव में नगरीकरण और औद्योगीकरण का अधिक प्रभाव है। जिसके नाते व्यवसायिक गतिशीलता अधिक पायी गयी है और साथ ही साथ प्रवास की दर भी अधिक है।

ऊपर के तथ्यों के विश्लेषण से निम्नलिखित परिकल्पना उभर कर सामने आती है जिसका परिक्षण किया गया है।

परिकल्पना:–

जितना अधिक नगरीकरण का प्रभाव गाँवों पर पड़ेगा उतना अधिक व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ेगी।

तालिका–6:2

Observed Frequency:-

गाँव	गाँव के बाहर कार्य करने वाले	गांव में कार्य करने वाले	योग
नगर निकट	90	105	195
नगर दूर	30	75	105
योग	120	180	300 (N)

Observed Frequency:-

	42	63	105	
योग	120	180	300	(N)

(i) काई वर्ग का वास्तविक मूल्य – 8.73

(ii) काई वर्ग का टेबुल मूल्य 1 df और 5% महत्व के स्तर पर –3.84 है।

(iii) चूँकि काई वर्ग का गणितीय मूल्य टेबुल मूल्य से अधिक है।

अतः शून्य–कल्पना अस्वीकार हो जाती है और जिस परिकल्पना का परिक्षण हम कर रहे हैं उसकी वैधता सिद्ध हो जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जिन गाँवों पर नगरीकरण का प्रभाव अधिक पड़ता है उन गाँवों में व्यवसायिक गतिशीलता अधिक बढ़ जाती है। जिन गाँवों पर नगरीकरण का प्रभाव कम होता है, वहां व्यवसायिक गतिशीलता का अभाव अधिक है।

ग्रामीण सूचनादाताओं के व्यवसायिक गतिशीलता के प्रति दृष्टिकोणः–

जाति श्रेणी बहुत कुछ अंशों में सूचनादाताओं के व्यवसायिक गतिशीलता से सम्बन्धित मनोवृत्तियों को प्रभावित करता है

तालिका 6:13

अनेक जाति के सूचनादाताओं द्वारा अपने व्यवसाय का आत्म मूल्यांकन

जाति	अच्छा	समान	निम्न	योग
उच्च	30	25	6	67 (100.0)
मध्यम	25	40	34	99 (100.0)
निम्न, अस्पृश्य एवं मुस्लिम	35	28	77	140 (100.0)
योग	90 (30.0)	93 (31.0)	117 (39.0)	300 (100.0)

तालिका 6:13 उस प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित है जिसमें सूचनादाताओं से ये पूछा गया था कि आप अपने वर्तमान व्यवसाय के बारे में अपने पूर्वजों के व्यवसाय के तुलना में कैसी धारणा रखते है? इस तालिका के तथ्यों के विश्लेषण का उद्देश्य जाति और व्यवसाय के बीच सम्बन्ध ज्ञात करना है। इस क्रम में उच्च

जाति के 30 प्रतिशत सूचनादाताओं का ये मानना था कि उनका वर्तमान व्यवसाय उनके पूर्वजों की तुलना में अच्छा है। जबकि 25 प्रतिशत समान और 6 निम्न स्तर का मानते थे। इसी प्रकार मध्यम जाति के 25 प्रतिशत सूचनादाता अपने पूर्वजों के व्यवसाय की तुलना में अपने वर्तमान व्यवसाय को अच्छा मानते है। 40 प्रतिशत समान 34 प्रतिशत निम्न मानते हैं। निम्न और अस्पृश्य जातियों के 35 प्रतिशत सूचनादाता अपने वर्तमान व्यवसाय को अच्छा, 28 प्रतिशत समान और 77 प्रतिशत निम्न मानते है।

पूरे निदर्शन के 300 सूचनादाताओं में से अनेक जातियों के सूचनादाता जो अपने वर्तमान व्यवसाय को अच्छा मानते हैं उनका प्रतिशत 30 प्रतिशत है। इसी क्रम में समान मानने वाले का प्रतिशत 3 प्रतिशत और निम्न मानने वालों का प्रतिशत 39 है।

तालिका के तथ्यो के विश्लेषण से ये पता चलता है कि उच्च जातियों में व्यवसायिक गतिशीलता अधिक आयी है, मध्यम और निम्न जातियाँ भी अधिक पीछे नहीं है। इनमें भी व्यवसायिक गतिशीलता अधिक है। यदि तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मध्यम और निम्न जातियों में उपलब्धि–उन्मुखता और सामाजिक गतिशीलता अधिक देखने को मिलती है।

इस तालिका के विश्लेषण से निम्नलिखित परिकल्पना उभर कर सामने आती है जिसकी सत्यता काई वर्ग परीक्षण से किया गया है।

परिकल्पना:–

जितना अधिक नगरीकरण का प्रभाव गाँवों पर पड़ेगा उतना अधिक व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ेगी।

तालिका–6:14

व्यवसायिक गतिशीलता

Observed Frequency:-

जाति	गाँव के बाहर कार्य करने वाले	गांव में कार्य करने वाले	योग
उच्च	28	33	61
मध्यम	38	61	99
निम्न	54	86	140
योग	120	180	300 (N)

Observed Frequency:-

	24	37	61
	40	59	99
	56	84	140
योग	120	180	300 **(N)**

(i) df = (C-1) x (γ-1) = 2 x 1 = 2

(ii) काई–वर्ग वास्तविक मूल्य = 1.81

(iii) काई–वर्ग का टेबुल मूल्य 2 df और 5 % महत्व के स्तर पर = 5.9 है।

निष्कर्ष :–

काई–वर्ग का वास्तविक मूल्य इसके टेबुल मूल्य 2 df और 5 % महत्व के स्तर पर बहुत कम है और जिस परिकल्पना का हम परिक्षण कर रहे हैं उसकी वैधता सिद्ध नहीं होती है। यह समानीकरण किया जा सकता है कि जाति श्रेणी पूर्ण रूप से व्यवसायिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है।

(i) कुछ सूचनादाता अपने परम्परागत व्यवसाय को कर रहे हैं।

(ii) कुछ सूचनादाता दूसरे के परम्परागत व्यवसाय कर रहे है।

(iii) कुछ सूचनादाता अपने परम्परागत व्यवसाय को करते हुए अन्य जातियों के फर्म निरपेक्ष व्यवसाय कर रहे है।

(iv) गाँवों में व्यवसायिक गतिशील अनेक कारको से आ रहीं है।

अध्याय–सात

ग्रामीण स्तरीकरण में प्रस्थिति व्यवस्था

ग्रामीण स्तरीकरण में प्रस्थिति व्यवस्था

प्रस्थिति की अवधारणा :–

इस अध्याय में छः गाँवों के स्तरीकरण में पाये जाने वाले प्रस्थिति व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है। प्रस्थिति किसी सामाजिक समूह के सम्बन्धों के संरचना के रूप में देखा जाता है। समाज में व्यक्ति का एक सामाजिक पद होता है ये पद या तो उसे विरासत में मिलता है या उसे अपनी योग्यता और परिश्रम से मिलता है। सामजिक प्रस्थिति के साथ अधिकार एवं कर्त्तव्य जुटे होते हैं। किसी समाज या समूह में कोई व्यक्ति विशेष समय में कोई स्थान प्राप्त करता है उसे प्रस्थिति कहा जाता है। प्रस्थिति से व्यक्ति के अधिकारों का बोध होता है। सामाजिक प्रस्थिति को व्यक्ति के सन्दर्भ में देखा जाता है। समाज प्रस्थितियों का ताना–बाना है **लिंटन** महोदय ने लिखा है कि किसी विशेष व्यवस्था में, किसी समय में किसी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है वहीं उस व्यवस्था में उस व्यक्ति की प्रस्थिति कही जायेगी। "प्रस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वींकृत है, और जिसका निर्माण स्वतः ही हो जो जनरीतियों, रूढ़ियों से सम्बद्ध है" **(डेविस)**[1] प्रस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करतीं है। (आगर्बन और निमकाँफ)2 प्रस्थिति वह सामाजिक पद है जो अपने धारक के लिये उसके व्यक्तिगत लक्षण या सामजिक सेवा के अतिरिक्त प्रभाव, प्रतिष्ठा और आदर की मात्रा भी निर्धारित करता है। **(मैकाइवर एवं पेज)**[3]

1. Kingsley Davis, "Human Society"
2. Ogburn & NImkoff, 'A Hand Book of sociology'.
3. 'Maciver and page' Society: An Introductory Analysis.
   Linton Ralph 'The study of man (New york 1936)

किसी समाज में सामाजिक प्रस्थिति से सम्बन्धित अन्य प्रमुख अवधारणायें भीं जुड़ी होतीं है इसमें पद या आफिस है। सामाजिक प्रस्थिति का सम्बन्ध लोकाचारो, जनरीतियो आदि से होता है। 'प्रस्थिति-संकल' की अवधारणा इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है समाज में व्यक्ति की कोई एक प्रस्थिति न होकर अनेक प्रस्थितियाँ और पद होते हैं। साथ हीं साथ प्रस्थिति क्रम भीं होता है इसको प्रस्थिति क्रम (Status sequence) कहते हैं। अनेक बार किसी कर्ता के लिए आवश्यक होता है कि वह किसी प्रस्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले अनेक प्रस्थितियों से गुजरा हो। **'मर्टन'** ने सामाजिक संरचना का विश्लेषण करतें समय लिखा है किसी भीं समाज के सामाजिक संरचना में प्रतिमानों की व्यवस्था होतीं है। इस व्यवस्था के अंग होतें है, प्रस्थित-सेट, भूमिका-सेट, रोल-सेट कहते हैं, और प्रस्थिति क्रम का अर्थ है प्रस्थिति क्रम और भूमिका की श्रृंखला। मर्टन ने सामाजिक संरचना के अंग के रूप में प्रस्थिति-सेट, भूमिका-सेट और प्रस्थिति क्रम पर बल दिया है। इनका कहना है कि प्रकार्यात्मक-विधि द्वारा हम किसी समाज का विश्लेषण करे तो हमें व्यक्तियों के प्रस्थितियों अनेक पूरक सेट और भूमिका-सेट का अध्ययन करना होगा। प्रस्थिति और भूमिका, क्रमबद्ध रूप से अपनी क्रिया करते है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रस्थिति एक विशेष प्रकार का स्थान होता है, और समुदाय में अन्य लोगों के विचार भीं इसमें जुड़े होते हैं जो इसे स्वीकार करते हैं। इस तरह से प्रस्थिति व्यवस्था भूमिका प्रतिमानों से भीं सम्बन्धित होती है। भूमिका प्रस्थिति का क्रियात्मक रूप है, और प्रस्थिति भूमिका का स्थाई रूप है। समाज में अनेक भूमिकाओं और प्रस्थितियों उनके महत्व और श्रेष्ठता के

आधार पर संस्तरण में विभाजित किया जाता है। इस को हम प्रस्थिति व्यवस्था कहते है। ये एक सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार होता है। प्रस्थितियाँ दो प्रकार की होतीं हैं पहली प्रदत्त प्रस्थिति, दूसरी अर्जित प्रस्थिति। '**लिंटन** महोदय (Linton) ने लिग, आयु, परिवारिक सम्बन्ध और अन्य सामाजिक प्रस्थिति जो जन्म के आधार पर मिलती है उसे प्रदत्त प्रस्थिति का नाम दिया है कुछ अन्य कारक जैसे शिक्षा, प्रतिष्ठा वाली नौकरी, आय आदि ऐसे कारक है, जिसके आधार पर व्यक्ति समाज मे सामाजिक प्रस्थिति अर्जित करता है। इस तरह से प्रस्थितियों को दो भागों प्रदत्त और अर्जित दो भागों में बाँटा गया है। खुले और जटिल समाजों में अनेक प्रकार के विशेषीकरण होते हैं व्यवसाय होते है, श्रम विभाजन होता है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा के माध्यम से व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर जो प्रस्थितियाँ प्राप्त करता है उसे हम 'अर्जित' प्रस्थिति कहते है। संसार का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से 'प्रदत्त' प्रस्थिति पर आधारित है और न ही पूर्ण रूप से 'अर्जित' प्रस्थिति पर आधारित है। बल्कि प्रत्येक समाज में 'प्रदत्त' और 'अर्जित' प्रस्थितियाँ मिलती है। 'प्रदत्त' और 'अर्जित' प्रस्थितियों से व्यक्ति कितनी अच्छी भूमिका करता हैं इससे उसका सम्मान समाज में बढ़ता है। इस तरह से प्रस्थितियों से की गई भूमिकायें सावेक्ष होती है। प्रस्थिति समूह में व्यक्ति के सामाजिक स्थान की प्रतीक है और ये अन्य प्रस्थितियों से सापेक्ष रूप से सम्बन्धित होती है। व्यक्ति जितनें समूहों से सम्बन्धित होगा उसकी उतनी प्रस्थितियाँ होगी। आर्थिक स्थिति का निर्धारण व्यक्ति के आय से होता है। समाज में किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ऊँची हो जाती है, तो

ये आवश्यक नहीं है उसका सम्मान बढ़ जाय, क्योंकि समाज में सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण धर्म, जाति, परिवार शिक्षा, व्यवसाय और अन्य कारकों के आधर पर होता है। प्रस्थिति अर्जित और प्रदत्त दोनों हो सकती है।[4] प्रदत्त प्रस्थिति व्यक्ति को जन्म के आधार पर मिलती है जैसे- जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेगा उसी के अनुसार उच्च या निम्न उसकी प्रस्थिति निर्धारित होगीं अर्जित व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने अपने गुणों के आधार पर प्राप्त करता है इसकों प्रदान करने में व्यवसाय और शिक्षा का महत्व अधिक है। किसी भी समाज में प्रदत्त और अर्जित प्रस्थितियाँ उसके सांस्कृतिक प्रतिमानों पर निर्भर करती है। एक प्रजातन्त्रीय खुले समाज अर्जित प्रस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है और प्रदत्त प्रस्थितियों का महत्व बढ़ जाता है।[5] समाज में कुछ मुख्य आधार जिससे समाजिक प्रस्थिति का मूल्यांकन किया जाता है नेतृत्व, प्रभाव, उपलब्धि, व्यवसाय अथवा अन्य साधन जैसे डिग्री, सदस्यता पहनावा, व्यवहार आदि जिसके आधार पर व्यक्ति लोगो का ध्यान अपनी ओर खीचता है। किसी भी संगठन में सामाजिक प्रस्थिति मुख्य रूप से तीन तरीकों से प्रकार्यवादी होती है **पहला** प्रस्थिति के आधार पर विचारों का आदान–प्रदान होता है और लोगों के बीच सहयोग बढ़ता है। **दूसरा** प्रस्थिति व्यक्ति को प्रोत्साहित करके उसमें अभिप्रेरणा जागृत करती है और उनको और आगे बढ़ाने प्रगति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। **तीसरा** प्रस्थिति के साथ–साथ व्यक्ति को कुछ उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ता है और भूमिकायें करनी पड़ती है।

---

4. Maclelland, D.C. The Achieving Society, Princeton, Vannastrand and Co., 1961, Page 185
5. Young,K, "Sociology and social life" New york American Book company 1959.

ग्रामीण समाज में प्रस्थिति व्यवसाय की संरचना :-

गाँवों में प्रस्थितियों का उच्च और निम्न संस्तरण पाया जाता है इस संस्तरण में उच्च मध्यम और निम्न प्रस्थितियाँ होती हैं। आय, भू-स्वामित्व, आवास के प्रकार, जाति आदि व्यक्ति के सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण करते है।

तालिका 7:1

जाति समूह के सामाजिक प्रस्थातियों का विभाजित संस्तरण :-

जाति	उच्च	मध्यम	निम्न	योग
उच्च जाति	40(65.6)	15(24.5)	6(9.9)	61(100.0)
मध्य जाति	25(25.3)	40(40.4)	34(34.3)	99(100.0)
निम्न अस्पृश्य एवं मुस्लिम	20(14.3)	40(28.6)	80(57.1)	140(100.0)
योग	**85(28.3)**	**95(31.7)**	**120(40)**	**300(100.0)**

तालिका 7:1 के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जाति स्थिति में सामाजिक प्रस्थिति में सकारात्मक सम्बन्ध हैं। जिनकी उच्च जाति है उनकी उच्च सामाजिक प्रस्थिति भी हैं। उच्च जाति के 65.6 प्रतिशत सूचनादाता उच्च सामाजिक प्रस्थाति रखतें हैं इसी प्रकार उच्च जाति के 24.5 प्रतिशत मध्यम जाति की सामाजिक प्रस्थिति और 9.9 प्रतिशत दर्जे की सामाजिक प्रस्थिति रखतें है। इसी प्रकार मध्यम जातियों में 25.3 प्रतिशत उच्च सामाजिक प्रस्थिति 40.4 प्रतिशत मध्यम और 57.1 प्रतिशत निम्न सामाजिक प्रस्थिति के हैं। निम्न, अस्पृश्य और मुस्लिम जातियों के 14.3 प्रतिशत सूचनादाता उच्च सामाजिक प्रस्थिति 28.6 प्रतिशत मध्यम सामाजिक प्रस्थिति और 57.1 प्रतिशत निम्न सामाजिक

प्रस्थिति के है। नगर निकट और नगर दूर गाँव के 300 सूचनादाताओं में से (85) 28.3 प्रतिशत उच्च सामाजिक प्रस्थिति रखते हैं। मध्यम दर्जे की सामाजिक प्रस्थिति रखने वाले कुल (95) 31.7 प्रतिशत सूचनादाता है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी की सामाजिक प्रस्थिति रखने वाले सूचनादाताओं की संख्या (120) 40 प्रतिशत है।

इस तालिका के तथ्यो के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि जाति और सामाजिक प्रस्थिति में साकारात्मक सम्बन्ध है उच्च जाति की तुलना में मध्यम और निम्न जातियों की सामाजिक प्रस्थिति निम्न है। अतः ये कहा जा सकता है कि जिनकी उच्च जाति है उनकी उच्च सामाजिक प्रस्थिति भी है; जिनकी निम्न जाति है उनकी सामाजिक प्रस्थिति भी निम्न है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो इस तालिका में देखा गया है वो शिक्षा वाह्य जगत से सम्बन्ध व्यवहार के नाते है।

शिक्षा चरित्र समाज सेवा, सम्पत्ति, सत्ता जाति स्थिति आदि ऐसे कारक है जो गाँवों में सामाजिक प्रस्थिति का निर्माण करते है। सूचनादाताओं से ये पूछा गया था कि जाति, चरित्र पहनावा, शिक्षा, खानपान, आवास, पास–पड़ोस, आय, मनोविनोद के सांधन, समाज सेवा यातायात के साधन कहा तक व्यक्ति के सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण करते हैं? इन कारकों को मापन के अनेक बिन्दू के रूप में रखा गया था। नगर दूर और नगर निकट गाँव के सूचनादाताओं ने सामाजिक प्रस्थिति के निर्माण में इन कारकों के महत्व के अनुसार क्रमवार इंगित करने को कहा गया। इस तरह से प्रत्येक कारक को प्राप्त मत के आधार पर इनका माध्य निकाला गया जिसे नीचे तालिका 7:2 में दर्शाया गया है।

तालिका 7:2

प्रस्थिति निर्धारण करने वाले कारकों का उनके महत्व के आधार पर क्रमवार विवरण –

नगर दूर गाँव	मध्य श्रेणी	नगर निकट गाँव
- शिक्षा	1	शिक्षा
- चरित्र	2	समाज सेवा
- समाज सेवा	3	चरित्र
- आय	4	आय
- जाति	5	आवास
- आवास	6	पड़ोस
- पड़ोस	7	जाति
- पहनावा	8	पहनावा
- खान-पान	9	खान-पान
- यातायात के साधन	10	यातायात के साधन
- मनोविनोद	11	

तालिका 7:2 तथ्यों के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है नगर निकट और नगर-दूर गाँव के सूचनादाताओं के अनुसार शिक्षा महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी व्यक्ति के सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण करती है। दोनों प्रकार के गाँवों के सूचनादाता इसको प्रस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण मानतें है। इसके बाद अन्य कारकों का माध्य नगर निकट और नगर दूर गाँव के सूचनादाताओं के विचार एक दूसरे से भिन्न है। **जैसे**- नगर दूर गाँव के सूचनादाता दूसरा महत्वपूर्ण कारक चरित्र को मानते है। जबकि

नगर–निकट गाँव के लोग समाज सेवा को प्रस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण मानते है। दोनों प्रकार के सूचनादाताओं में चरित्र का भी महत्व अधिक है। नगर दूर गाँव के सूचनादाता इसको नम्बर दो पर रखते है। आय एक ऐसा कारक है जो दोनों प्रकार के सूचनादाताओं के मूल्यांकन के आधार पर नम्बर चार पर है। जाति कहा तक प्रस्थिति का निर्धारण करती है? नगर दूर गाँव के सूचनादाताओं के अनुसार ये नम्बर 5 पर है जबकि नगर निकट गाँव के सूचनादाताओं के आकलन में नम्बर 7 पर है। इसी प्रकार पड़ोस का महत्व लगभग दोनों प्रकार के सूचनादाताओं में लगभग समान है। पहनाव नम्बर 8 पर है दोनों प्रकार के सूचनादाताओं ने इसे 7 नम्बर पर रखा है, खान–पान 9 पर है।

आय :–

दोनों प्रकार के गाँवों के सूचनादाताओं में आय का स्थान नम्बर 4 पर है। इसे दोनों प्रकार के सूचनादाताओं ने महत्वपूर्ण कारक माना है।

जाति :–

नगर–दूर गाँव के सूचनादाताओं के लिए प्रस्थिति निर्धारण में जाति का स्थान आज भी महत्वपूर्ण है, परन्तु अर्धनगरीय–गाँव के सूचनादाता इसको कम महत्व देतें है।

आवास :–

गाँव में आवास भी सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण करता है।जिनका पक्का मकान है आधुनिक सविधाएं उपलब्ध है। ऐसे घर रखने वाले सूचनादाताओं की प्रस्थिति ऊँची मानी जाती है। विशेषकर अर्धनगरीय गाँवों में अधिक महत्व दिया जाता है। ग्रामीण सूचनादाता आवास को

सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में छठवें स्थान पर रखतें है जबकि अर्ध–नगरीय सूचनादाता इसे पाँचवें स्थान पर रखते है।

पड़ोस :–

पड़ोस को सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक नहीं माना गया है। फिर भी नगर दूर और नगर निकट सूचनादाताओं के विचारों की तुलना की जाय तो अर्ध–नगरीय गाँवों में इसका महत्व अधिक है, और नगर दूर गाँवों में थोड़ा कम।

खान–पान :–

खान–पान कहा तक व्यक्ति के सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण करता है? इसका महत्व दोनों प्रकार के सूचनादाताओं में समान है। दोनों प्रकार के सूचनादाताओं ने इसे रैंकिंग में 8 वा और 9वां स्थान दिया है।

मनोविनोद और यातायात के साधन :–

ये दोनों आधार अधिक महत्व के नहीं है। हलांकि दोनों प्रकार के सूचनादाताओं का आकलन भिन्न है। नगर–निकट के सूचनादाता मनोविनोद को दसवां यातायात के साधन को ग्यारहवा स्थान जबकि नगर दूर गाँव के सूचनादाताओं इसके विपरित है।

तालिका 7:3

उच्च सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कौन–कौन से गुणों की आवश्यकता होतीं है–

नगर दूर गाँव	मध्य श्रेणी	नगर निकट गाँव
शिक्षा	1	शिक्षा
बुद्धि	2	बुद्धि

ईमानदारी	3	ईमानदारी
धन	4	धैर्य
जाति	5	जिसे आप जानते हो
चालाकी	6	धन
जिसेआप जानते हो	7	जाति
हिम्मत	8	हिम्मत
धैर्य	9	चालाकी

तालिका 7:3 में कुछ कारक दिये गये थे, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठा सकता है। सूचनादाताओं से ये कहा गया था। इन कारकों को इनके महत्व के क्रम में इंगित करें।ये कारक जाति, हिम्मत, चालाकी, शिक्षा, ईमानदारी, बुद्धि, सम्पत्ति, धैर्य आदि थे। इनमें से कुछ गुणात्मक कारक जैसे- शिक्षा, सम्पत्ति, जिसे आप जानते हो ये सब अर्जित सामाजिक प्रस्थिति के साधन हैं। क्योंकि व्यक्ति के जन्त समय इनको प्रदत्त नहीं किये जाते बल्कि इन्हें प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यक्तिगत योग्यता और कार्य के आधार पर प्राप्त किया जाता है। जाति एक ऐसा कारक है जो व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। यह प्रस्थिति में आती है। प्रत्येक कारक को जितने अंक मिले उनका माध्य निकालकर वरीयता क्रम में रखा गया। दोनों प्रकार के गाँव के सूचनादाता अर्जित कारकों को अधिक महत्व दिये थे। इनमें शिक्षा, बुद्धि और इमानदारी मुख्य थे साथ ही साथ जाति भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रस्थिति को ऊँचा उठाता है। नगर दूर गाँव में इसको पाचवां और नगर निकट में इसको आठवां स्थान मिला है।

तालिका 7:4

प्रक्षेपीय विधि :-

समाज में जिन लोगों को अधिक सम्मान मिला है वो लोग तालिका

प्रतिक्रिया	नगर दूर गाँव		नगर निकट गाँव		योग	
	संख्या	%प्रतिशत	संख्या	%प्रतिशत	संख्या	%प्रतिशत
1. अच्छे व्यवहार और चाल–चलन के होते हैं	23	21.9	70	35.9	93	31
2. अच्छे गुण वाले होते है	15	14.3	40	20.5	55	18.3
3 जिनमें मानवाता होती है	8	7.6	10	5.1	18	6
4. जिनके पास अधिक शिक्षा होती है	18	17.1	30	15.4	48	16
5. जिनके पास अधिक धन होता है	32	30.5	31	15.9	63	21
6. अन्य	5	4.8	7	3.6	12	4
7. नहीं जानता	4	3.8	7	3.6	11	3.7
8. योग्य	105	100.0	195	100.0	300	100.

तालिका 7:4 में प्रक्षेपीय विधि द्वारा ये जानने का प्रयास किया गया था कि समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए व्यक्ति में कौन–कौन से गुण होना चाहिए। प्रत्येक सूचनादाता ने अपने मानसिकता के अनुसार इन प्रक्ष्येपीय विधि के अनेक बिन्दूओं पर प्रतिक्रियायें दी थीं। नगर दूर गाँव के 21.9 प्रतिशत तथा नगर निकट गाँव के 35.9 प्रतिशत लोगों ने ये माना कि समाज में वो लोग सम्मान और प्रतिष्ठा पातें है, जिनका व्यवहार और

चाल–चलन अच्छा हो। इसी क्रम में 14.3 प्रतिशत नगर–दूर गाँव और 20.5 प्रतिशत नगर–निकट सूचनादाताओं का ये भी मानना था, अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों को समाज में सम्मान मिलता है। व्यक्तियों का मानवतावादी होने के आधार पर उसे समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान अधिक नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में नगर दूर गाँव के 7.6 प्रतिशत तथा नगर निकट गाँव के 5.1 प्रतिशत सूचनादाताओं ने सकारात्मक उत्तर दिया। अधिक शिक्षित लोग कहा तक समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान पातें है? इसमें नगर दूर गाँव के 17.1 प्रतिशत और निकट गाँव के 15.4 प्रतिशत सूचनादाताओं ने सहमति व्यक्त की। धनी व्यक्ति कहाँ तक समाज में आदर और सम्मान पातें है। इस सम्बन्ध में नगर दूर गाँव के 30.5 प्रतिशत नगर निकट के 15. 9 प्रतिशत सूचनादाताओं ने ये माना कि धनी लोगों को समाज में सम्मान मिलता है।

इस तालिका के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अनेक जाति के सूचनादाताओं की विचारधाराये भिन्न–भिन्न है। नगर निकट और नगर दूर गाँव के सूचनादाताओं के विचार धाराओं में भी भिन्नता है। अर्जित गुण जैसे– शिक्षा, धन आदि को आज भी अधिक महत्व दिया जाता है। यह भौतिकवादी प्रकृति की प्रतीक है आजकल ऐसा व्यक्ति जो किसी भी गलत या सही माध्यम से धन एकत्र कर लेता है,उसका सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाता है।

तालिका 7:5

सूचनादाताओं द्वारा अपने आत्म का स्वयं मूल्यांकन और पहचान के आधार –

पहचान के आधार	नगर दूर गाँव		105	नगर निकट गाँव		195
	विकल्प			विकल्प		
जाति	38.96	18.87	2.61	13.25	3	36.00
नातेदार एवं अन्य	12.24	13.06	4.01	2.88	5.12	47.00
व्यवयायिक समूह	16.38	22.1	7.85	15.74	12.87	6.50
व्यक्तिगत नाम	7.82	12.84	4.81	11.13	9.00	2.63
किसी विशेष स्थान होने के नाते	18.49	14.46	2.61	23.88	13.37	3.00
किसी उद्योग वा फार्म से सम्बन्धित होना	2.6	3.22	4.61	28.62	23.88	-
किसी राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि संगठन का सदस्य होना	0.4	3.41	3.22	-	0.88	-
अन्य	0.8	2.6	2.81	4.50	4.13	5.30
नहीं जानता	2.31	9.44	67.47	-	29.75	81.74
योग	100	100	100	100	100	100

सूचनाओं से ये प्रश्न पूछा गया था कि मान लीजिए एक बाहरी व्यक्ति गाँव में आता है और आपसे मिलता है और आपसे कहता है आप कौन है? तो आप उस व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर कैसे देगें? सूचनादाताओं को तीन विकल्प दिये गये थे जिनके आधार पर उनकी प्रतिक्रियायें जानीं गयीं थीं। नगर दूर गाँव के 38.6 प्रतिशत सूचनादाता अपनी जाति बताकर अपनी पहचान दिये। इसी प्रकार 18.87 प्रतिशत सूचनादाता जाति को अपने पहचान का आधार का बनाये कुछ ऐसे भी सूचनादाता थे (12.24) जो नातेदारों का नाम लेकर अपनी पहचान व्यक्त किये। इसी क्रम में 16.38

प्रतिशत अपने व्यवसाय को अपने पहचान का आधार माना। कुछ सूचनादाताओं ने अपना व्यक्तिगत नाम (7.82) को अपने पहचान का आध ार माना है। कुछ ने किसी विशेष स्थान (18.49) के माध्यम से अपनी पहचान बतायीं। बहुत कम (2.60) लोगों ने जिस फैक्ट्री या फार्म से सम्बन्धित उसका नाम बताकर अपनी पहचान बतायीं। इस प्रकार अनेक सूचनादाताओं ने अपनी विवेक के अनुसार अपनी पहचान आनेक आधारों पर बताने का प्रयास किया। नगर दूर गाँव के सूचनादाताओं ने अपनी पहचान अपने जाति से बताने का प्रयास किया है। कुछ ने अपने व्यवसाय को, हम कृषक है, बढ़ई है, नाई है, आदि नामों से अपनी पहचान व्यक्त की किसी राजनीतिक दल या संगठन के रूप में अपने पहचान के आधार बहुत तक सूचनादाताओं ने बताया। नगर दूर गाँव के सूचनादाता अपनी प्रदत्त प्रस्थिति को आधार मान कर अपनी पहचान दी। जबकि नगर निकट के सूचनादाता अर्जित प्रस्थिति को महत्व देकर। इसके आधार पर अपनी पहचान दी।

निष्कर्ष :–

इस अध्याय के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सामाजिक प्रस्थिति व्यवस्था के संरचना और इसका स्वरूप भिन्नताओं से भरपुर है। जो कुछ भी इस अध्याय में ज्ञात किया गया है, वो पूरे भारत के ग्रामीण समाज का एक छोटा अंश है। गाँवों के प्रस्थिति व्यवस्था का मूल्यांकन और उनसे सम्बन्घित विचारधाराओं का विश्लेषण किया गया है। सूचनादाताओं ने जो उत्तर दिये है, उसमें बहुत कुछ आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के सम्बन्ध में है। परन्तु कहीं–कहीं पर वास्तविकता भिन्न होतीं है।

सामाजिक प्रस्थितियों के प्रति जो विचारधारायें ग्रामीण समाज व्यवहार के आदर्श–प्रारूप है।

गाँवों में सामाजिक प्रस्थिति का स्वरूप आज भी अधिक से अधिक परम्परागत और सम्मान का निर्धारण सापेक्ष रूप से देखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदत्त प्रस्थिति और अर्जित परिस्थिति एक दूसरे से मिश्रित पाये गये हैं उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति उच्च जाति में जन्म लेता है, तो उसे उच्च प्रदत्त प्रस्थिति मिलती है, और उच्च जाति के ही लोग अधिक से अधिक उच्च शिक्षा के माध्यम से उच्च प्रस्थिति अर्जित किये है। गाँवों में जो लोग सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रस्थिति रखतें है। दूसरे शब्दों में जिनकी उच्च जाति है, उन्हीं का उच्च वर्ग है। उन्हीं की उच्च सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रस्थिति है, और ये ही लोग ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण के संस्तरण में उच्च श्रेणी रखतें हैं।

अध्याय–आठ

ग्रामीण स्तरीकरण और शक्ति–संरचना

ग्रामीण स्तरीकरण और शक्ति–संरचनाः–

ग्रामीण स्तरीकरण का कोई भी अध्ययन उस समय तक अधूरा रहता है जब तक गाँवों के शक्ति–संरचना का विश्लेषण स्तरीकरण के सम्बन्ध में न किया जाए। सत्ता एक प्रकार से द्रव्य की भाँति है जो समाज के आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक हाथ से दूसरे हाथ तक हस्तानान्तरित होती रहती है। (पारसन्स)[1] सत्ता का रूप बृहद है। सत्ता का अर्थ, हिंसा, मारकाट, दमन आदि नहीं है। सत्ता को राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता आदि के रूप में देख सकते हैं। लोगों को प्रेश्रित करके एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करना भी सत्ता निहित है। धर्म शिक्षा, संचार के साधन, समाचार पत्र सत्यग्राह हड़ताल, भूख हड़ताल में भी सत्ता पायी जाती है। दबाव में भी सत्ता निहित है। प्रभुत्व और चालाकी से किसी को प्रभावित करने में सत्ता निहित है। सत्ता संरचना के बदलाव के साथ–साथ परिवर्तन भी आता है। सत्ता अनेक प्रकार के दबाव समूहों में भी पायी जाती है। इसी प्रकार समाज में आर्थिक सत्ता परम्पराओं की सत्ता, उत्पादन में उच्च कोटि के प्रवृधियों की सत्ता यातायात और संचार के साधन में सत्ता और श्रम–विभाजन में भी सत्ता पायी जाती है। जटिल और साधारण समाजों में भी सत्ता किसी न किसी रूप में व्याप्त है। पूँजीवादी समाज में बाजार की सत्ता होती है। सत्ता के अनेक प्रकार हैं जैसे –

1. संगठित सत्ता जो विनाश करती है
2. संस्थागत तथा केन्द्रीय सत्ता
3. अनियमित सत्ता।

---

1. Parsons Talcatt, "On the concept of power" in R. Bendix and Lipset (ed) Class, Status and Power Free Press, New York. P-243

संगठित सत्ता के माध्यम से दो देशों के मध्य युद्ध होता है, क्रान्ति होती है। संस्थागत सत्ता लोगों पर नियंत्रण करती है। अनियमित सत्ता के माध्यम से समाज में हिंसा, उत्पात और आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत सम्बन्धों में सत्ता पायी जाती है। संस्थाओं में सत्ता निहित होती है। भूमिकाओं में भी सत्ता होती है। सत्ता एक सामाजिक प्रवृधि के रूप में भी कार्य करती है।

ग्रामीण समाज में शक्ति–संरचना:–

ग्रामीण भारत में शक्ति की अवधारणा को हम तीन आधारों पर समझ सकते है:–

1. शक्ति एक व्यक्ति अथवा समूह की क्षमता है जिनके द्वारा समुदाय से सम्बन्धित समस्याओं का निर्णय प्रभाव डालकर अपने पक्ष में किया जाता है।
2. शक्ति एक वैकल्पिक तथ्य है क्योंकि जाति के शक्ति की मात्रा उसके व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक गुणों पर निर्भार करता है। इसलिए कुछ लोग अन्य की तुलना में अधिक शक्ति रखते हैं। समाज में सत्ता के उच्च और निम्न स्थिति को हम शक्ति के संस्तरण के रूप में देखते हैं।
3. शक्ति संस्तरण से सम्बन्धित सम्बन्धों को नियंत्रित करने वाले नियम जो अनेक व्यक्तियों और समूहों के बीच पाये जाते है, वो समुदाय के सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की देन होते हैं।[2]

भारत के ग्रामीण समुदाय के प्राचीन काल से ही सामाजिक शक्ति के आधार पर व्यक्ति के प्रस्थिति का निर्धारण होता रहा है। प्राचीन काल में प्रदत्त

---

2. Mosca, "The ruling Class" New York, Megraw Hill, 1939, P.P. 50-53

प्रस्थिति का अधिक महत्व था, और सत्ता भी अधिकतर प्रदत्त शक्ति से जुड़ी थी। बदले परिवेश में अब सत्ता का सम्बन्ध अर्जित प्रस्थिति से है। ग्रामीण सत्ता संरचना का अध्ययन अनेक समाजशास्त्रियों ने किया है। योगेन्द्र सिंह, बी0एन0 पुरी और अन्य समाजशास्त्रियों ने प्रयोग सिंह अध्ययन किये हैं। शक्ति का अर्थ सामान्य शब्दों में किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के उस दबाव से समझा जाता है जो अन्य व्यक्ति अथवा समूह को प्रभावित करता है। एक अवधारणा के रूप में शक्ति का सम्बन्ध एक विशेष प्रस्थिति तथा उससे सम्बन्धित भूमिकाओं के निर्वाह से है। मैक्स वेबर महोदय ने लिखा है कि शक्ति को एक व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्तियों की इच्छा को दूसरे व्यक्तियों पर लागू करना अथवा दूसरे व्यक्ति के विरोध करने पर भी पूर्ण करने की स्थिति को कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अन्य लोगों की क्रियाओं को नियंत्रित कर लेने की क्षमता रखता है, दूसरों के व्यवहारों को व्यक्ति जिस सीमा तक नियंत्रण कर लता है, वो उतना ही शक्ति सम्पन्न व्यक्ति होता है। इस प्रकार शक्ति व्यक्ति अथवा समूह में निहित शक्ति एक ऐसी क्षमता है, जिसके द्वारा दूसरे की इच्छा न होते हुए भी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य करती है और सभी निर्णय अपने ही पक्ष में करने में सफल हो जाती है। समाज में कुछ व्यक्ति अथवा समूह कुछ विशेष योग्यता के कारण इतनी शक्ति प्रदान कर लेते हैं कि वे इसका प्रयोग कभी भी प्रभाव पूर्ण ढंग से कर लेते हैं। प्रभाव का ये प्रतिमान एक ऐसे तन्त्र और व्यवस्था का निर्माण करता है, जो एक विशेष विषय से सम्बन्धित होता है। शक्ति में दो तथ्य होते हैं: एक सत्ता दूसरा प्रभाव। सत्ता को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों और निर्णयों को बिना किसी सत्ता के प्रभावित करने की क्षमता को प्रभाव कहते हैं। सत्ता एक वैध शक्ति, जिसे समाज में एक व्यक्ति किसी विशेष पद पर होने के नाते ही प्राप्त करता है और अनेक व्यक्ति को आदेश

देने की स्थिति में होता है। प्रभाव एक औपचारिक शक्ति का विरोध करता है। इस प्रकार सत्ता का तात्पर्य वैधानिक शक्ति से है, जबकि प्रभाव एक अवैधानिक शक्ति का बोध करती है। प्रत्येक समाज में जीवन को व्यवस्थित करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। परन्तु अनेक समाजों में इनका स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है।

परम्परागत शक्ति-संरचना:-

परम्परागत शक्ति-संरचना से तात्पर्य गाँवों के सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूपों से है, जो जमींदारी उन्मूलन के पहले पाये जते थे, अध्ययन किये गये छः गाँवों के शक्ति संस्तरण के प्रतिमान के परम्परागत और समकालीन प्रतिमान में बड़ा अन्तर है। परम्परागत शक्ति-संरचना, भू-स्वामित्व, जाति संस्तरण, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत पर आधारित था।

1. **जमींदारी-व्यवस्था:-**

   परम्परागत शक्ति-व्यवस्था, जमींदारी-व्यवस्था से सम्बन्धित थी, अब जो जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमिधर और सीरदार के रूप में परिवर्तित हो गयी है। जिनके पास अधिक भूमि थी वो गाँवों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण रखते थे।

2. **उपरोहित-वर्ग (ब्राह्मण):-**

   दूसरा परम्परागत सत्ता-संरचना से सम्बन्धित समूह गाँवों में उपरोहित होते थे। ये लोग गाँवों में पूजा पाठ करते थे। जाति संस्तरण में इनका उच्च स्थान था, गाँव पर नैतिक सत्ता धार्मिक अनुष्ठान के आधार पर पायी जाती थी। इस तरह से उपरोहित जा ब्राह्मण जाति के होते थे। ये राजपूत को छोड़कर अन्य जातियों पर अपना प्रभाव रखते थे।

3. व्यापारी (बनिया):-

गाँवों में व्यापारी (बनिया) भी सत्ता संरचना के एक प्रमुख अंग थे। इनकी आर्थिक स्थिति श्रेष्ठ होती थी और जमींदार के परिवार से उनके घनिष्ठ सम्बन्ध होते थे। ये लोगों को ऋण देते थे उसके स्थान पर उसका सूद लेते थे क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति सबल थी। इसलिए ये अन्य जातियों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते थे।

4. जाति-पंचायत और ग्राम पंचायत:-

परम्परागत सत्ता-संरचना का मुख्य आधार जाति पंचायत और ग्राम पंचायत भी थीं, प्रत्येक जाति के अपने पंच होते थे जाति सम्बन्धित विवादों का निपटारा करते थे। इसी प्रकार गांव पंचायत होती थी जिसमें अनेक जातियों के बुद्ध व्यक्ति इसके सदस्य होते थे, और गाँव सम्बन्धी विवादों का निपटारा करते थे।

ग्रामीण स्तरीकरण और शक्ति-संरचना:-

गाँवों में सत्ता-संरचना का विवरण तीन विभाजित समूहों के आधार पर किया जा सकता है। ये सीरदार, भूमिधर, किसान और कृषि श्रमिक तथा जजमानी व्यवस्था से सम्बन्धित समूह है। भूमिधर और सीरदार बहुधा उच्च जाति ब्राह्मण और राजपूत जाति के है, इनका प्रभाव गाँवों में आज भी अधिक है। गाँवों में समकालीन शक्ति-संरचना इसके उभरते प्रतिमान:-

स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, जो ग्रामीण शक्ति-संरचना का मुख्य आधार था। 73वाँ संविधान संशोधन के माध्यम से कई पंचायती राज-व्यवस्था को लागू किया गया। इससे ग्रामीण शक्ति-संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। मुखिया के पदों को समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक, आर्थिक, संरचना में महत्वपूर्ण

सामाजिक जनतान्त्रिक परिवर्तन कर दिया गया। ये समाजवादी प्रजातन्त्र की ओर एक नया कदम था। व्यक्ति को शक्ति व्यवस्था में सहगामी बनाया गया। जाति पंचायत महत्वहीन हो गई। प्रदत्त पदों के स्थान पर अर्जित पदों को महत्व दिया जाने लगा। ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों ने नई शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। आज भी कुछ गाँवों में पंच और सरपंचों के चयन में जाति और वर्ग का महत्व कम नहीं हुआ है–

1. ग्रामीण शक्ति आज भी उच्च शिक्षा एवं वर्गो में केन्द्रित है।
2. प्रतिस्पर्धा के कारण शक्ति प्राप्त करने के लिए उच्च एवं निम्न जाति के वर्गो के बीच संघर्ष हो रहा है।
3. ग्रामीण–संरचना में प्रजातान्त्रिक मूल्यों का महत्व गौड़ हो गया है।
4. ग्रामीण शक्ति संरचना अर्जित सम्पन्नता से प्रभावित है जो हरित–क्रान्ति के बाद आयी। पूँजीवादी–व्यवस्था की देन है।
5. गाँवों में शक्ति–संरचना व्यक्ति से व्यक्ति की ओर चलती है।
6. शक्ति–संरचना व्यक्ति से समूह की ओर जाने की उन्मुख देखी जाती है।
7. कभी–कभी ग्रामीण शक्ति–संरचना का संरचना होता है।

ग्रामीण शक्ति–संरचना गाँवों की गुटबन्दी से सम्बन्धित एक गुट अनेक जातियों के अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनते हैं, जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाये जाते हैं। प्रो0 श्री निवास ने प्रभुजाति का सम्बन्ध शक्ति–संरचना से बताया है। आजकल गाँवों में प्रभुजातियाँ वहीं होती है, जिनकी संख्या शक्ति अधिक हो, और वोट के माध्यम से ऐसी ही जाति ग्रामीण सत्ता को प्राप्त करते हैं।

सत्ता व्यक्तिगत सम्बन्धों में भी पायी जाती है। संस्थाओं में भी सत्ता निहित होती है, सत्ता एक सामाजिक प्रविधि है, जिसके माध्यम से सामाजिक

नियंत्रण किया जाता है। शिक्षा, धर्म, समाचार पत्र, फिल्म, संचार के साधन, एक प्रकार की सामाजिक प्रविधियाँ, जिसमें सत्ता है: समूह में भी सत्ता निहित है। भूख-हड़ताल सत्याग्रह में भी सत्ता निहित है।

गाँवों में परम्परागत शक्ति-संरचना बदल कर अब आधुनिक रूप धारणकर ली है। इसको एक क्रान्किारी परिवर्तन कहा जाता है। परन्तु इसका रूप व्यवहारिक न होकर अधिक सैद्धान्तिक है। अनेक कानून परिवर्तन शक्ति-संरचना के क्षेत्र में हुये हैं परन्तु आज भी गाँवों के परम्परागत शक्ति-संरचना के तत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रकार्यवादी है। आने वाले पृष्ठों में ग्रामीण शक्ति-संरचना के परम्परागत और समकालीन विशेषताओं का विश्लेषण प्रयोगसिद्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

तालिका 8:1

छः गाँवों में सत्ता और प्रभुत्व रखने वाले अनेक जातियों के व्यक्तियों की संख्या

जाति	कुल संख्या	सरपंच	पंच	अन्य	चुनाव लड़ा और हारा	प्रभावशाली बिना किसी पद के	योग
उच्च	61	2	8	3	3	8	24
मध्यम	99	1	3	7	4	7	22
निम्न और अस्पृश्य जातियाँ	140	3	4	4	6	3	20
योग	300	6	15	14	13	18	66

तालिका 8:1 के तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन किये गये छः गाँवों निदर्शन में सम्मलित 300 सूचनादाताओं में से केवल 66 ऐसे सूचनादाता मिले जो गाँव में किसी न किसी रूप में प्रभावशाली है, इसमें से 24 उच्च जाति के 22 मध्यम जाति के और 20 निम्न जाति के सूचनादाता प्रभावशाली

पदों पर कार्यरत थे। तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन से ये पता चलता है कि उच्च जातियों के साथ–साथ मध्यम जातियाँ भी प्रभाव के पदों पर अपना स्थान बना ली हैं। निम्न जातियाँ जो अभी तक उपेक्षित थी उनमें भी अब जागरूकता आयी है, दूसरे पंचायती चुनावों में आरक्षण के नियमों के नतो इनमें परिवर्तन आया है। आज भी गाँवों में उच्च जातियों का सत्ता संस्तरण में उच्च स्थान है।

तालिका 8.2

अपनी जाति में प्रभावशाली व्यक्तियों की लोकप्रियता का विश्लेषण

लोकप्रियता का सम्पूर्ण विस्तार	उच्च जातियों में अपनी जाति के बीच लोकप्रियता				अन्य जातियों में अपनी जाति के बीच लोकप्रियता			
	उच्च	मध्यम	निम्न	योग	उच्च	मध्यम	निम्न	योग
उच्च	8	3	2	13	0	0	0	0
मध्यम	6	1	0	7	2	2	4	8
निम्न और अस्पृश्य जातियाँ	2	1	0	3	3	2	1	6
योग	16	5	2	23	5	4	5	14

नोटः– तालिका 8:2 में उन प्रभावशाली लोगो के सम्बन्ध में आकड़ें प्रस्तुत किये गये हैं जो सूचनादाताओं के दृष्टिकोण से प्रभावशाली है और जिनको कम से कम 15 प्रतिशत मत मिला है। उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणी से सम्बन्धित सूचकांक तैयार करने के लिए निम्नलिखित माप का प्रयोग किया गया है।

(अ) पूर्ण लोकप्रियता : उच्च = 50 प्रतिशत और उसके उपर

मध्यम = 33 से 64 प्रतिशत

निम्न = 32 और उससे निम्न।

तालिका 8:2 में दर्शाये गये तथ्य अध्ययन किये गये छः गाँवों के अनेक जातियों में पाये जाने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों से सम्बन्धित है। गाँवों में वो लोग जो किसी संस्था से जुड़े हुये हैं वो भी प्रभावशाली हैं। ऐसे लोगों को हम तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं –

1. वर्तमान संस्थाओं से सम्बन्धित सदस्य।
2. परम्परागत संस्थात्मक व्यक्ति (मुखिया)।
3. गैर–संस्था वाले व्यक्ति।

अध्ययन किये गये छः गाँवों में 8 लोग ऐसे है जो उच्च कोटि की लोकप्रियता रखते हैं। इसी प्रकार 3, 2 ऐसे व्यक्ति है जो क्रमशः मध्यम और निम्न दर्जे की लोकप्रियता रखते हैं। इसी प्रकार मध्यम वर्ग के 6 सूचनादाता उच्च और एक मध्यम लोकप्रियता रखने वाले है। निम्न, अस्पृश्य और मुस्लिम जातियों में 2 उच्च कोटि की और एक मध्यम लोकप्रियता रखते हैं।

इस तालिका के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गाँवों में अपने जाति और जाति के बाहर बहुत थोड़े से व्यक्ति हैं जो सूचनादाताओं के बार लोकप्रिय हैं, और साथ ही साथ प्रभावशाली भी है। इसके नाते उनकी सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत अन्य से ऊंची है।

तालिका 8.3
गाँवों में व्यक्तियों के लोकप्रिय और प्रभावशाली होने के कारण

लोकप्रियता के अंश	व्यक्तिगत गुण	सामाजिक, आर्थिक स्थिति	राजनीतिक स्थान	योग
उच्च	9	3	1	13
मध्यम	8	6	1	15
निम्न और अस्पृश्य जातियाँ	5	2	2	9
योग	22	11	4	37

नोटः– उच्च श्रेणी में 5 प्रतिशत और उससे ऊपर की प्रतिक्रियायें।

– मध्ययम के अन्तर्गत 34 प्रतिशत से 64 प्रतिशत तक होने वाली प्रतिक्रियायों।

– निम्न श्रेणी में 0 से 33 प्रतिशत तक होने वाली प्रतिक्रियायें तालिका 8.3 में दर्शाये गये तथ्य गाँवों में व्यक्ति को लोकप्रिय और प्रभावशाली बनाने वाले कारकों से सम्बन्धित है। व्यक्तिगत गुण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति द्वारा सत्ता संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। गाँवों में कुछ ऐसे लोग पाये जतो है, जिनमें प्रदत्त और अर्जित ऐसे गुण होते हैं जो उनको अन्य से श्रेष्ठ बना देते हैं। ऐसे लोग अपेक्षाकृत परिपक्व, शिक्षित, सम्पन्न होते हैं और गाँवों में साधारण व्यक्तियों से उच्च स्थान रखते हैं। अपने जाति में भी सम्मानित व्यक्ति के रूप में होते हैं। साथ ही साथ गांव में जाति, शिक्षा, सम्पत्ति राजनीतिक सत्ता आदि का मिश्रण हमें शक्ति संरचना में मिलता है। प्रो0 श्री निवास की "प्रभुजाति" की अवधारणा ग्रामीण सत्ता संरचना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है, जितनी प्रभावशाली व्यक्ति की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है। प्रभावशाली व्यक्ति के कई गुट गाँवों में पाये जाते

हैं। ये लोग अपराधी भी होते हैं। धन बल से सम्पन्न होते हैं और सत्ता संरचना पर नियंत्रण रखते है। गाँवों में गुट भी शक्ति संरचना में स्थान रखते हैं गुटबन्दी भी अनेक जातियों के बीच पायी जाती है। प्रत्येक जाति के गुट है, और अनेक जातियों के लोगों के मिश्रण से भी गुट बने हुये है।

शिक्षा और शक्ति-संरचना

तालिका 8.4
गाँवों में प्रभावशाली व्यक्तियों का शैक्षिक-स्तर

वर्तमान पद	शैक्षिक स्तर								योग
	नगर निकट गाँव (105)				नगर दूर गाँव (195)				300
	अनपढ़	हाईस्कूल	स्नातक	योग	अनपढ़	हाईस्कूल	स्नातक	योग	
पंच	0	2	2	4	1	2	1	4	8
सरपंच	0	1	1	2	0	1	1	2	4
प्रधान	0	1	2	3	0	2	1	3	6
ख्याति प्राप्त व्यक्ति	3	4	3	10	2	5	2	9	19
योग	3	8	8	19	3	10	5	18	37

तालिका 8:4 में अध्ययन किये गये छः गाँवों के सत्ता-संरचना का विश्लेषण शिक्षा के आधार पर किया गया है। प्रभावशाली व्यक्तियों में पंच, सरपंच, प्रधान और अन्य ख्याति प्राप्त लोगो को सम्मिलित किया गया है। नगर निकट गाँवों में कुल 4 पंच है। जिसमें 2 हाई स्कूल तथा 2 स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त किये हैं। इसी प्रकार सरपंचों की संख्या 2 जिसमें एक हाई स्कूल दूसरा स्नातक की शिक्षा प्राप्त किये है। प्रधानों की संख्या 3 है। इसमें हाई स्कूल 2 स्नातक कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किये है। अन्य ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 10 है, इसमें से तीन अशिक्षित 4 हाई स्कूल तक तथा तीन स्नातक की शिक्षा प्राप्त किये हैं।

नगर–दूर गाँव में पंचों की संख्या चार है, इसमें से 1 अशिक्षित 2 हाई स्कूल और 1 स्नातक तक शिक्षा प्राप्त किये है। सरपंचों की संख्या 2 है इसमें से 1 हाई स्कूल और दूसरा स्नातक तक शिक्षित है। नगर और दूसरा स्नातक तक शिक्षित है। नगर दूर के तीन गाँवो में कुल 9 ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। इसमें से दो अशिक्षित 5 हाई स्कूल तक और दो स्नातक तक शिक्षा प्राप्त किये लोग है। इस तरह से कुल छः गाँवों में 37 व्यक्ति अनेक पदों पर विद्यमान है और ग्रामीण शक्ति–संरचना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है।

आर्थिक स्थिति और शक्ति–संरचना

तालिका 8.5

गाँवों में आर्थिक आधार पर शक्तिशाली व्यक्तियों का विवरणः

वर्तमान पद	आर्थिक स्थिति							
	धनी		मध्यम		गरीब		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
पंच	3	23.1	4	23.5	1	14.2	8	21.6
सरपंच	2	15.4	2	11.8	0	0	4	10.8
प्रधान	3	23.1	2	11.8	1	14.2	6	16.2
ख्याति प्राप्त व्यक्ति	5	38.4	9	52.9	5	71.6	19	51.4
योग	13 (15.2)	100.0	17 (45.9)	100.0	7 (18.9)	100.0	37 (100.0)	100.0

तालिका 8:5 गाँवों के शक्तिशाली व्यक्तियों का आर्थिक आधार पर विवरण प्रस्तुत करता है। इन शक्तिशाली व्यक्तियों को पंच, सरपंच, प्रधान अन्य ख्याति प्राप्त श्रेणियों में विभक्त किया गया है। छः गाँवों में कुल 37 शक्तिशाली व्यक्ति है। इनमें 13 धनी श्रेणी में आते है। 3 पंच धनी 4 मध्यम और 1 गरीब श्रेणी का है। इसी प्रकार चार सरपंचों में दो धनी दो मध्यम 0 गरीब वर्ग का पाया गयाहै। कुल प्रधानों की संख्या छः है। इसमें तीन धनी दो मध्यम और एक गरीब श्रेणी का

है, गाँवों में ख्याति प्राप्त कुल लोगों की संख्या 19 है। इसमें से 5 धनी 9 मध्यम और 5 गरीब स्तर के है। इस तरह से हम देखते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति जो धनी है, उनकी कुल संख्या तेरह है। इसी प्रकार मध्यम की 17 और गरीब की 7 है। इस तालिका के तथ्यों के विश्लेषण से ये स्पष्ट है। गाँवों में जो धनी लोग है वो सत्ता व्यक्ति जिनका प्रतिशत 51.4 है वे भी आर्थिक दृष्टिकोण से सम्पन्न है। मध्यम आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों की भी संख्या लगभग 45.9 प्रतिशत है, इनके पास गाँवों में उच्च सामाजिक प्रस्थिति और सत्ता है। गरीब और निर्धन लोग इसकी संख्या केवल 7 है जो ग्रामीण शक्ति संरचना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं परन्तु यह स्थिति पंचायती और अन्य संस्थाओं में आरक्षण के नाते है।

तालिका 8.6
वे कारक जो सूचनादाताओं को राजनीतिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं

प्रेरित करने वाले कारण	नगर दूर गाँव (105)	नगर निकट (195)	योग
व्यक्तिगत स्वार्थ	36 (34.3)	57 (29.2)	93
ख्याति प्राप्त	15 (14.3)	28 (14.4)	43
गाँवों की सेवा और विकास	32 (30.5)	65 (33.3)	97
राजनीति रूचि	14 (13.3)	22 (11.3)	36
अन्य	5 (4.8)	21 (10.8)	26
कोई उत्तर नहीं	3 (2.8)	2 (1.0)	5
योग	105 (100.0)	195 (100.0)	300

तालिका 8:6 में उन प्रेरक कारको से सम्बन्धित आकड़े प्रस्तुत किये गये है, जो सूचनादाताओं को राजनीतिक जीवन में सहभागी होने के लिए उत्साहित करते हैं। इस क्रम में नगर दूर गाँव के 34.3 प्रतिशत और नगर निकट 29.2 प्रतिशत सूचनादाता व्यक्तिगत स्वार्थ के नाते राजनीतिक जीवन में रूचि लेते है। नगर दूर गाँव के 14.3 प्रतिशत और नगर निकट के 14.4 प्रतिशत सूचनादाता ख्याति प्राप्त करने के लिए राजनीति में जाते है। गाँव की सेवा और विकास के लिए नगर दूर गाँव के 30.5 प्रतिशत और नगर निकट गाँव के 33.3 प्रतिशत सूचनादाता राजनीति में सहभागिता करते हैं गाँव में राजनीतिक दल भी प्रेरक कारक के रूप में कार्य करते है। नगर दूर गाँव के 13.3 प्रतिशत और नगर निकट गाँव के 11.3 प्रतिशत सूचनादाताओं का ये कहना था कि राजनीति दलों के नाते वे राजनीतिक में भाग लेते हैं। इसी क्रम में 2.8 प्रतिशत नगर दूर और 1 प्रतिशत नगर निकट गाँव के कुछ ऐसे सूचनादाता थे जो इस अनुमाप के किसी भी बिन्दू का उत्तर नहीं दे सके।

यदि हम दोनो प्रकार के गाँव के सूचनादाताओं को मिलाकर पूरे तालिका के तथ्यों का विश्लेषण करे तो 93 लोग व्यक्तिगत स्वार्थ 43 लोग ख्याति प्राप्त 97 विकास 36 राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक जीवन में सक्रिय है।

जब से गाँवों में प्रजातन्त्रतीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लागू हुई है तब से उच्च जातियों का वर्चस्व सत्ता के क्षेत्र में समाप्त होने को है और गाँवों में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा और द्वन्द बढ़ गये है। नेतृत्व के परम्परागत आधार दुर्बल हुये है और आरक्षण के नाते सत्ता का फैलाव पिछड़ी, दलित और महिलाओं तक हुआ है। अब गाँवों में सत्ता–संरचना का फैलाव व्यापक हो गया है और गाँव अब 'रेडफील्ड' की स्वतन्त्र इकाई न होकर अब एक क्रियाशील इकाई बन गया है और बाह्य जगत से इसका सम्पर्क बढ़ गया है। अब

गाँव ब्लाक, तहसील, जिला, प्रान्त, केन्द्रीय तक सम्बन्धित हो गये है। गाँवो में अब मध्यम वर्ग के लोग नेतृत्व के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और परम्परागत नेतृत्व का महत्व घट गया है। अब युवा पीढ़ी गाँव का नेतृत्व सम्भाल रही है और ये अधिक रचनात्मक और विकास उन्मुख है।

तालिका 8.7
गाँवों में सफल प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए
आवश्यक गुण

गुण	गुणों की वरीयता			
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
अच्छा चरित	58 (69.8)	21 (25.4)	4 (4.8)	83 (100.0)
शिक्षा	4 (30.8)	6 (46.2)	3 (23.0)	13 (100.0)
विकास उन्मुखता	9 (12.0)	42 (56.0)	24 (32.0)	75 (100.0)
धनवान	18 (32.8)	26 (47.2)	11 (20.0)	55 (100.0)
गुण्डा अपराधी होना	32 (45.7)	22 (31.4)	16 (22.9)	70 (100.0)
नहीं जानता	1 (25.0)	2 (50.0)	1 (2.5)	4 (100.0)
योग				300 (100.0)

तालिका 8:7 के आकड़े उस प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत सूचनादाताओं से ये पूछा गया था कि गाँव में प्रभावशाहली व्यक्ति बनकर लोक जीवन में अहम भूमिका निभाने के लिए किन–किन गुणों की आवश्यकता होती है। इस तालिका के तथ्यों का वर्गीकरण करते समय सूचनादाताओं से पहले तीन

आवश्यक गुणों को चिन्हित करने के लिए कहा गया था। इस क्रम में 69.8 प्रतिशत सूचनादाताओं ने अच्छे चरित्र को महत्व दिया। दूसरी वरीयता गुण्डा–अपराधी 45.7 प्रतिशत गुण को महत्व दिया। इसी प्रकार 32.8 प्रतिशत सूचनादाताओं ने धनवान होने को महत्व दिया। चौथा स्थान 12 प्रतिशत विकास उन्मुखता को मिला।

आजकल राजनीति के क्षेत्र में अनेक उतार चढ़ाव होने के बाद भी गाँव वासी प्रभावशाली व्यक्ति होने के लिए एक अच्छे चरित्र की आवश्यकता पर बल दिया।

इस तरह से गाँव में शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए उच्च आचरण का होना आवश्यक है। 300 सौ में से 83 ने इस गुण पर बल दिया। दूसरा स्थान विकास उन्मुखता को दिया गया है। 75 सूचनादाताओं ने ये मत व्यक्त किया कि प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए विकास उन्मुख होना चाहिए। इसी क्रम में 70 सूचनादाताओं ने गुण्डा–अपराधी होना प्रभावशाली होने के गुण बताया। चौथे स्थान पर सम्पत्ति 55 प्रतिशत को महत्व दिया गया। पाँचवे स्थान पर शिक्षा 13 प्रतिशत को महत्व दिया गया। इस प्रकार गाँवों में आज भी प्रभावशाली बनने के लिए शिक्षा का महत्व अधिक नहीं है। गाँव के सूचनादाता अपने–अपने ढ़ंग से शक्तिशाली व्यक्ति के गुणों का आकलन करते हैं। अधिक आयु वर्ग के लोग अच्छा आचरण, शिक्षा, विकास उन्मुखता आदि गुणों पर बल देते है। जबकि युवा पीढ़ी धन–सम्पत्ति और गुण्डागर्दी को वरीयता को वरीयता देते हैं। इस प्रकार सत्ता ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार आज भी है। परन्तु इसका स्वरूप बदल रहा है, अब सत्ता प्राप्त करने के लिए सामाजिक प्रतिमानों और मूल्यों की अवहेलना हो रही है। अनैतिकता गुण्डागर्दी धन आदि गुण किसी व्यक्ति को सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो गये है।

तालिका 8.8

विधायक और सांसद के चुनाव मे वोट देते समय किन–किन बातों को ध्यान में रखा जाता है?

समर्थन देने के आधार	गाँव		योग
	नगर निकट गाँव (195)	नगर दूर गाँव (105)	
व्यक्तिगत गुण	57 (29.3)	23 (21.9)	80 (26.7)
अपने जाति का होना	36 (18.6)	30 (28.6)	66 (22.0)
सत्ता देल का होना	22 (11.2)	18 (17.2)	40 (13.3)
अपने दल का होना	58 (29.7)	19 (18.0)	77 (25.7)
उच्च सामाजिक प्रस्थिति का होना	22 (11.2)	15 (14.3)	37 (12.3)
योग	195 (100.0)	105 (100.0)	300 (100.0)

तालिका 8:8 में दर्शाये गये तथ्य अनेक चुनावों में वोट देने और समर्थन करने के आधारों का विश्लेषण किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर निकट गाँव 29.3 प्रतिशत और नगर दूर गाँव में 21.9 प्रतिशत सूचनादाताअ व्यक्तिगत गुणों के आधार पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपना वोट देते है। इस प्रकार से दोनो प्रकार के सूचनादाताओं का प्रतिशत 29.3 और 21.9 है। जो व्यक्तिगत गुण को प्रधानता देते हैं। इसी क्रम में 18.6 प्रतिशत नगर निकट और 28.6 प्रतिशत नगर दूर गाँव के सूचनादाता जाति को वरीयता देते हैं और अपने जाति के उम्मीदवार को मत देते हैं। दोनो प्रकार के गाँवों को मिलाकर 22 प्रतिशत ऐसे सूचनादाता थे, जो जाति के आधार पर वोट देते है। समर्थन देने का तीसरा मुख्य

आधार सत्तादल की सदस्यता थी। नगर निकट गाँव के 11.2 प्रतिशत नगर दूर गाँव के 17.2 प्रतिशत सूचनादाता जो दल सत्ता में है उसी के उम्मीदवार को वोट देते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि सत्ता दल का उम्मीदवार अधिक संसाधन जुटा कर गाँवों का विकास करेगा।

नगर निकट के 29.7 प्रतिशत और नगर दूर के 18 प्रतिशत सूचनादाता ऐसे मिले जिन्होने उन राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को वोट दिया जिस दल के वो सदस्य हैं। ये पूछे जानेपर कि यदि किसी उम्मीदवार की उच्च सामाजिक स्थिति है तो क्या वे उसको अपना मत देंगे? इस सम्बन्ध में नगर निकट गाँव में 11.2 प्रतिशत और नगर दूर गाँव कें 14.3 प्रतिशत सूचनादाता ने सकारात्मक उत्तर दिया। दोनो प्रकार के गाँवों के सूचनादाताओं में से 11.2 तथा 14.3 प्रतिशत ऐसे सूचनादाता है जो उच्च सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर अपना मत देते हैं।

इस तालिका के तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता हे कि चुनाव में मतदाता जिस राजनीतिक दल से सम्बन्धित होता है उसी को अपना मत देता है। साथ ही साथ चुनाव लड़ने वाले का व्यक्तिगत गुण अपनी जाति का होना सत्ता दल का होना तथा उच्च सामाजिक स्थिति आदि ऐसी विशेषताएं है जो वोट देने के प्रतिमानों को प्रभावित करते हैं। इस तरह से अलग-अलग प्रस्थितियों के अनसार अनेक कारक वोट देने की मनोवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। गाँवों में राजनीतिक दलों की भूमिका इसके शक्ति संरचना में भी प्रभावशाली है।

गाँवों के शक्ति-संरचना में गुट और दबाव की राजनीतिः-

गुटबन्दी गाँवों के विकास में नकारात्मक भूमिका अदा करती है, क्योंकि इससे खींचतान अधिक बढ़ जाती है और इसके नाते गाँवों की प्रजातन्त्रीय संस्थायें जैसे पंचायत और सहकारिता अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पातीं। गाँवों में गुटबन्दी का स्वरूप राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार का होता है।

दबाव की राजनीति भी गाँवों में अधिक देखी जाती है। अनेक जातियाँ अपने को दबाव समूह के रूप में संगठित करके गाँव के विकास के अनेक नितियों को प्रभावित करते हैं। भारत में दबाव समूहों की भूमिका स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और ये व्यवस्थित ढंग से संगठित है। जबकि स्थानीय और गाँव स्तर पर इन दबाव समूहों का स्थाई अस्तित्व नहीं दिखता है। दबाव समूह में सामाजिक दबाव जैसे–नातेदारों और मित्रों का जाति नेताओं का दबाव, आर्थिक दबाव जो अधिकतर साहूकारों द्वारा डाला जाता है। साथ ही साथ राजनीतिक दबाव भी चुने हुए नेताओं द्वारा प्रभावशाली होता है।

तालिका 8.8
विधायक और सांसद के चुनाव मे वोट देते समय किन–किन बातों को ध्यान में रखा जाता है?

दबाव समूह का स्वरूप	बहुत अधिक		कुछ सीमा तक		कुछ नहीं		कोई उत्तर नहीं		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामाजिक दबाव	25	20	30	24	50	40	20	16	125	41.7
जाति का दबाव	25	24.5	20	19.6	52	50.9	5	4.9	102	34.0
आर्थिक दबाव	8	20.5	14	46.6	12	30.8	5	12.8	39	13.0
राजनीतिक दबाव	15	44.1	8	23.5	7	20.6	4	11.8	34	11.3
योग	73	24.3	72	24.0	121	40.3	34	11.4	300	100.0

तालिका 8.9 गाँवों में पाये जाने वाले अनेक दबाव समूह से सम्बन्धित है। ये दबाव समूह अनेक प्रकार के हैं जैसे समाजिक दबाव समूमह, जाति का दबाव, समूह, आर्थिक दबाव समूह, राजनीतिक दबाव समूह आदि। ये दबाव समूह गाँव के अनेक संस्थाओं के नीतियों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभावित करते रहते हैं।

सामाजिक दबाव संस्थाओं के नीतियों को कितना प्रभावित करता है। इस सम्बन्ध में 20 प्रतिशत सूचनादाता का ये मत था कि ये बहुत अधिक ढंग से नीतियों को प्रभावित करता है। इसी क्रम में 24 प्रतिशत का ये मानना था कि कुछ सीमा तक सामाजिक दबाव देखा जाता है। इसी के साथ-साथ 40 प्रतिशत ऐसे लोग थे जिनका ये कहना था कि सामाजिक दबाओं का कोई प्रभाव गाँव के नीति निर्धारण पर नहीं पड़ता है। सूचनादाताओ से ये भी पूछा गया था कि जाति का दबाव गाँवों के नीति-निर्धारण में कितना पड़ता है, इस सम्बन्ध में 24.5 प्रतिशत का मत था कि ये बहुत अधिक पड़ता है। 19.6 प्रतिशत कि ये कुछ सीमा तक पड़ता है और 50.9 प्रतिशत का ये मत था किा इसका दबाव कुछ नहीं पड़ता है। गाँवों के अनेक संस्थाओं के नीति निर्धारण में आर्थिक कारक कहां तक प्रभाव डालते है? इसके सम्बन्ध में 20.5 प्रतिशत सूचनादाता का मानना था कि इसका अधिक दबाव पड़ता है। 46.6 प्रतिशत का यह विचार था कि कुछ सीमा तक आर्थिक दबाव देखा जाता है। जबकि 30.8 प्रतिशत सूचनादाताओं ने नाकारात्मक उत्तर दिया और ये कहा कि आर्थिक दबाव का कोई प्रभाव गाँवों के नीति-निर्धारण पर नहीं पड़ता है। राजनीतिक दबाव का प्रभाव गांव के अनेक संस्थाओं के नीति निर्धारण में अधिक देखा गया है। इस क्रम में 44 प्रतिशत सूचनादाता का यह विचार था कि इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। 23.5 प्रतिशत का यह कहना था कि यह दबाव कुछ सीमा तक पड़ता है। 20.6 प्रतिशत ऐसे सूचनादाता थे जिनका यह कहना था कि राजनीतिक दबाव का कोई प्रभाव नहीं है।

इन आकड़ों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि गाँवों में गुट की राजनीति और दबाव की राजनीति के बीच सकारात्मक सम्बन्ध पाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है कि गाँवों में जैसे-जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है वैसे-वैसे आर्थिक प्रभाव का जन्म होता है।

तालिका 8.10
राजनीतिक दलों से सम्बद्धता

अंश	बसपा	सपा	भाजपा	कांग्रेस	लोकदल	अन्य	योग
उच्च	30 (37.5)	25 (31.5)	15 (18.8)	5 (6.2)	3 (3.8)	2 (2.5)	80 (100.0)
मध्यम	25 (35.7)	20 (28.6)	10 (14.3)	4 (5.7)	5 (7.1)	6 (8.6)	70 (100.0)
निम्न	20 (33.3)	12 (20.0)	8 (13 3)	6 (10.0)	5 (8 3)	9 (15.0)	60 (100.0)
कोई रूचि नहीं	35 (38.9)	20 (22.2)	15 (16.7)	15 (16.7)	3 (3.3)	2 (2.2)	90 (100.0)
योग	110 (36.7)	77 (25.7)	48 (16.0)	30 (10.0)	16 (5.3)	19 (6.3)	300 (100.0)

तालिका 8.10 में दर्शाये गये तथ्य सूचनादाताओं का राजनीतिक दलों से सम्बद्धता और राजनीति में रूचि से सम्बन्धित हैं। अध्ययन किये गये छः गाँवों में कुल तीन सौ सूचनादाताओं को निदर्शन के लिए चुना गया था और उनसे पूछा गया था कि आप किस राजनीतिक दल के सदस्य है और राजनीतिक दलों में आपकी अभिरूचि कितनी है? इसके विश्लेषण के लिए 'लेजार्स फिल्ड' महोदय के गुणस्थान प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इसमें दो आधारों पर ये अनुमाप बनाया गया है:

1. राजनीतिक दलों से सम्बद्धता।
2. राजनीतिक रूचि की मात्रा।

सूचनादाताओं की सबसे अधिक उन्मुखता बसपा के प्रति देखी गई है क्योंकि इसके पक्ष में 30 (37.5) उच्च राजनीतिक अभिरूचि, 25 (37.5) मध्यम, 20 (33.3) निम्न राजनीतिक अभिरूचि रखने वाले सूचनादाता थे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले सूचनादाताओं की संख्या 25 (31.5)

मध्यम अंश की रूचि रखने वाले 20 (28.6) निम्न स्तर की रूचि रखने वाले 20 (22.2) सूचनादाता थे। तीसरा स्थान भाजपा का था। इसमें उच्च कोटि की रूचि रखने वाले 15 (18.5) मध्यम अंश की रूचि रखने वाले सूचनादाताओं 10 (14.3) थे। अन्य राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, लोकदल और अन्य केप्रति सूचनादाताओं में अधिक उदासीनता देखी गई। इस प्रकार 300 के निदर्शन में से 80 ऐसे सूचनादाता थे जो उच्च अंश की रूचि अनेक दलों के प्रति रखते थे। इसी प्रकार 70 सूचनादाता ऐसे थे जो मध्यम अंश की रूचि और 60 सूचनादाताओं निम्न अंश की रूचि अनेक राजनीतिक दलों के प्रति व्यक्त किये। कुल 90 सूचनादाता ऐसे थे जो किसी भी राजनीतिक दल के प्रति रूचि नहीं रखते थे।

तालिका के तथ्यों के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों में सबसे अधिक लोकप्रियता बसपा की है इसके बाद सपा की है, तीसरे स्थान पर भाजपा है। कांग्रेस चौथे स्थान पर है और अन्य पार्टियों का महत्व बहुत कम है। साथ ही साथ इस तालिका के तथ्यों के विश्लेषण से राजनीतिक दलों से व्यक्तियों की सम्बद्धता के प्रतिमानों का भी ज्ञान होता है। बहुधा लोग सत्ता दल की ओर अधिक उन्मुखता रखते हैं, और साथ ही साथ वो लोग जिनमें सत्ता की भूख है वो किसी न किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध होते हैं। गाँवों में आजकल सत्ता के लिए राजनीतिक कारक सामाजिक कारक से अधिक प्रभावशाली हो गये हैं।

ग्रामीण संस्थायें और शक्ति-संरचना

समकालीन ग्रामीण भारत में अनेक प्रकार के औपचारिक और कानूनी संस्थायें हैं। जैसे-ग्राम पंचायत पहले से विद्यमान अनेक जाति संगठन सहकारी समितियाँ आदि। जाति पंचायतें जो प्राचीन काल से चली आ रही आजकल ये अधिक राजनीतिक हो गई है। अपने को संगठित करके दबाव समूह के रूप में उभर

रही है। जबसे लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है। इनमें जाति एकता और जाति चेनता अधिक विकसित हुई है। चुनाव के समय जाति के अनेक सदस्य अपने जाति के उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए सक्रीय हो जाते हैं। नगरीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप जाति पंचायतों में कुछ परिवर्तन देखा जा रहा है।

73वें संविधान संशोधन के पश्चात नई पंचायती राज व्यवस्था ने परम्परागत ग्राम पंचायतों का स्थान ले लिया है और पंचायत एक कानूनी सत्ता हो गई है। नई पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तरीय संगठन है। गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत और कई गाँवों को मिलाकर एक पंचायती समिति और अनेक पंचायत समितियों के सदस्यों को मिलाकर जिला परिषद की रचना होती है। इस प्रकार पंचायतें ग्रामीण शक्ति संरचना की मुख्य आधार बन गई है।

प्रो0 श्री निवास ने 'प्रभुजाति'[4] की कुछ विशेषतायें बतायी है जैसे भू-स्वामित्व का अधिक क्षेत्रफल किसी जाति की संख्या और ग्रामीण स्तरीकरण में उच्च स्थान। परन्तु अब प्रभुजाति की अवधारणा बदल गई है। गाँवों में जिस जाति की संख्या शक्ति अधिक है वहीं प्रभुजाति है क्योंकि वहीं जाति पंचायती चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताकर सत्ता हथिया लेती है। इस तरह से निम्न जातियाँ भी अब यदि उनकी संख्या शक्ति अधिक है तो प्रभुजाति बन जाती है। अतः आजकल ग्रामीण अभिजात मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक अभिजात है। यह कथन प्रो0 श्श्याम चरण दूबे[5] के विचारधारा से सम्बन्धित है। दूबे जी का कहना है कि आजकल गाँवों में "प्रभुजातियाँ" उतनी प्रभावशाली नहीं रह गई है जिनता "प्रभावशाली व्यक्ति" हो गया है। प्रो0 श्री निवास के अनुसार नेतृत्व के अध्ययन के लिए प्रभावशाली जाति की अवधारणा आवश्यक है। क्योंकि प्रभुजाति ही ग्रामीण

---

4. M.N. Srinivas, "The said Systemm of Mysore village.
5. S.C. Dubey "Dominance and Factionalism," contribution to Indian Sociology, New series No. 11, December 1968, P.P. 58-61.

समुदाय के संरचना को बनाये रखतीं और गाँव की निम्न जातियां प्रभुजातियों को संदर्भ में लेकर अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करती हैं। दूसरे तरफ प्रो० श्यामाचरण दूबे का कहना है कि प्रभुजाति की अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण शक्ति संरचना का सही विश्लेषण आज के परिवेश में सम्भव नहीं है। क्योंकि गांवो में दो चार उच्च जाति के परिवारों के पास सम्मान और प्रतिष्ठा है आर्थिक संसधान है और अपने जाति के बाहर गाँव में प्रभाव है। साथ ही साथ प्रभुजाति का महत्व गाँव में उभरते गुटबन्दी के नाते भी कम हो रहा है। क्योंकि गुटों निर्माण बहुधा एक ही जाति के आधार पर न होकर अनेक जातियों के आधार पर होता है। गाँवों में यदि जाति प्रभाव और आर्थिक शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है तो गाँवों का नेतृत्व उसे मिल जाता है। यदि दोनो विशेषतायें पृथक-पृथक किसी व्यक्ति मे है तो गांववासी उसी को वरीयता देंगे जो उसके रोजी-रोटी कमाने में सहायक होता है यह स्थिति बहुधा ब्राह्मणों में पायी जाती है। आन्द्रे बेताई[6] ने तमिलनाडू प्रान्त के तनज़ौर जिले के एक गांव के अध्ययन के आधार पर यह बातया है कि गाँवों में सत्ता के वास्तविक प्रतिामन बदल गये है और ये गाँवों के सामाजिक स्तरीकरण को भी प्रभावित किये हैं। गाँवों में परम्परागत नेतृत्व उच्च जातियों के पास था ये ब्राहमण जाति के लोग थे ये अधिक भूमि के स्वामी थे। इनके पास सत्ता भी थी परन्तु आज-कल गाँवों के नेतृत्व प्रक्रिया में और निर्माण में विभेदीकरण पाया जाता है। जबसे हरित क्रान्ति आयी कृषि में नई तकनीकी का प्रयोग होने लगा, भूमि सुधार हुआ तबसे मध्यम जाति के लोग नेतृत्व के क्षेत्र में अधिक अग्रसर हो रहे है। यह इसलिए है कि इनकी जाति संख्या अधिक है और इनके पास धन भी है।

6. 'Beteille Andre' Caste class and power, changing Patterns of Stratification in a Tanjor village Bombay, Oxford University, Press -1966.

यह कहा जा सकता है गाँवों में आज भी जाति और सम्पत्ति का सत्ता संरचना के निर्माण में अहम भूमिका है। जाति का धार्मिक महत्व उतना नहीं रह गया है जिनता उसकी संख्या शक्ति। इसी प्रकार गाँवों में धन और सम्पत्ति का महत्व बढ़ गया है और ये धन सीरदारों के पास न होकर खेतीहर किसानों के पास हो गया है। इससे सत्ता के संस्तरण में विभिन्नकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है। अब प्रशन यह उठता है कि क्या गाँवों में उभरता नेतृत्व सामाजिक परिवर्तन का वाहक है। हाँ अथवा ना में इसका उत्तर कठिन है। वास्तविकता यह है कि ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन के दो आधार है –

(1) ग्रामीण व्यक्ति खेती से केवल अपनी जीविका ही नहीं चलाता अब ये अधिक उत्पादन उन्मुख हो गया है। बाजार से जुड़ गया है और खेती आर्थिक लाभ के लिए करता है।

(2) गाँवों में अब धीरे–धीरे असमानता कम हो रही है क्योंकि जमींदारी उन्मूलन हुआ है भू–सुधार कानून लागू हुए हैं शिक्षा का प्रसार हो रहा है। गाँव के लोग खेती के साथ–साथ अन्य व्यवसाय भी कर रहे हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था और इसमें लागू आरक्षण के नाते सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है और इसका फैलाव निम्न और अनुसूचित जातियों तथा महिलाओं तक पहुंचा है।

ग्रामीण शक्ति–संरचना का भविष्य

प्रश्न यह उठता है ग्रामीण शक्ति–संरचना और उभरते नेतृत्व का क्या भविष्य होगा? यदि पैरेटो महोदय को इसका उत्तर देना होता तो वो ये कहते : "कब्रगाह" पैरेटो के लिए इतिहास नेताओं का कब्रगाह है। पैरेटो ने सत्ता चलाने वाले नेतृत्व के गुणों की सराहना की है। परन्तु इसका धीरे–धीरे पतन होता है। फिर जो अन्य सत्ता प्राप्त करने के लिए लालाचित होते हैं वे उसे हथिया लेते हैं।

इस तरह से सत्ता का चक्र चला करता है। मार्क्स ने प्रभाव का सम्बन्ध उत्पादन के शक्तियों और तकनीकी विकास से बताया है। तो क्या हम लोग ये मान लें कि जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन किया जायेगा और जनतान्त्रीकरण नीचे स्तर तक पहुंचेगा। ऐसे-वैसे वे नेता जो ग्रामीण सत्ता संरचना के अंग है शक्तिहीन हो जायेंगे। प्रजातन्त्र में ये आवश्यक नहीं है कि अभिजाति वर्ग अपना अस्तित्व खो दे। बल्कि इनके सामने जो चुनौतियां आती है उनका मुकाबला अभिजन नई परिस्थितियों में अपने को ढाल कर करते हैं।

वर्तमान अध्ययन के निष्कर्षो से कुछ मुख्य बाते उभर का सामने आयी है। अध्ययन किये गये छः गाँवों में प्रभावशाली व्यक्तियों की संख्या पिछले समय से अधिक बढ़ी है। इसका कारण राजनीति की ओर बढ़ती उन्मुखता गाँव में गुटबन्दी आदि कारक है। अब ग्रामीण अंचलों में सामाजिक आर्थिक कारक अधिक प्रभावशाली नहीं रह गये है, बल्कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के नाते लोगों में राजनीतिक चेतना जगी है। नई पंचायती राज्य व्यवस्था गांवों की जीवन रेखा हो गई है। इसमें दुर्बल वर्गो महिलाओं को आरक्षण के आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, इससे सत्ता का फैलाव इन तक पहुंचा है। गाँवों के परम्परागत नेतृत्व में उच्च जाति उच्च वर्ग और सत्त का मिश्रण था, परन्तु यह परिवर्तन की प्रक्रिया में है। सत्ता के माध्यम से निम्न जाति का वर्ग उंचा हो जाता है और उच्च जाति का नीचा हो जाता है। परन्तु उसकी जाति यथावत रहती है।

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षो को निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है :-

1. परम्परागत ग्रामीण समाज में उच्च जातियों के हाथों में ही सत्ता थी, इसकी सामाजिक स्थिति भी उंची थी, ये सम्पन्न थे इस तरह से जाति आर्थिक स्थिति और सत्ता का मिश्रण था।

2. भूमि–सुधार आन्दोलन और भूमि नियंत्रण कानून के नाते सत्ता संरचना प्रभावित हुई है।
3. ग्रामीण शक्ति समूह अधिक शक्ति–उन्मुख और विकास–उन्मुख कम है। गांवों की प्रजातन्त्रीय संस्थायें जैसे–समुदायिक विकास खण्ड योजना, त्रिसूत्रीय कार्यक्रम योजना का लाभ शक्तिशाली समूहों को ही मिला है।
4. गाँवों में शक्ति–संरचना का आधार प्रदत्त प्रस्थिति न होकर अब अर्जित हो गयी है।
5. ग्रामीण समाज में प्रभाव का प्रतिमान सम्पूर्ण शक्ति संरचना और नेतृत्व के रूप में देखा जा सकता है।
6. गाँवों में जाति शक्ति आज भी पायी जाती है। जिस जाति की संख्या शक्ति अधिक है वही सत्ता में होती है।
7. आज गांवों में कानून की शक्ति है।
8. परम्पराये प्रथायें जनरीतियां आज भी शक्ति के श्रोत है।
9. ग्रामीण सत्ता अब लोकतान्त्रिकरण की प्रक्रिया में नीहित है।
10. उच्च जातियां आज भी चुनाव के माध्यम से अपना प्रभाव डालकर शक्ति संरचना को प्रभावित करती है।
11. आज कल गाँवों में शक्ति तीन कारकों के मिश्रण से बनती है, ये कारक है : जाति, सम्पत्ति और व्यक्तिगत गुण।
12. उच्च जाति, धन और सत्ता का मिश्रण गांवों में पाया जाता है।
13. ग्रामीण शक्ति–संरचना आज भी आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है।

अध्याय–नौ

सारांश एवं उपलब्धियाँ

सारांश और उपलब्धियाँ

भारतीय समाज निरन्तर बाह्य कारकों से अन्तः क्रिया कर रहा है। इसके फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना में परिवर्तन हो रहे है। गाँव वासियों के विचाराधारा और मूल्य भी परिवर्तित हुए हैं। सामाजिक प्रस्थिति, सत्ता, व्यवसाय, गतिशीलता आदि की अवधारणाएँ आंशिक रूप से परिवर्तित हुई है। इसका मूल कारण गाँव में बढ़ती बुनियादी सुविधाएँ है। इन सबके फलस्वरूप गाँव के सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों में भी परिवर्तन हुए है।

ग्रामीण संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण के बदलते प्रतिमानों के बारे में मध्यक्षेत्रीय सामान्वीयकरण एक कठिन कार्य है। आजकल समूह और व्यक्ति दोनो प्रकार्यात्मक प्रभावशाली भूमिका निभा रहे है। इसके नाते सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमान भी बदल हैं। गाँवों में जाति आज भी सामाजिक स्तरीकरण की एक मुख्य इकाई है। परन्तु अन्य कारक भी विभेदीकरण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। गाँवों में आजकल जाति के नाम से व्यक्ति को सामाजिक संस्तरण में स्थान नहीं मिल रहा है बल्कि उसकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति इसमें महत्वपूर्ण हो गई है। गाँवों के वे लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति को खेती, रोजगार, शिक्षा आदि के माध्यम से अच्छा बना लिये है और जिनका बाह्य जगत से सम्पर्क बढ़ गया है ऐसे लोगों की सामाजिक प्रस्थिति बदली है और सामाजिक स्तरीकरण में इनके वर्ग की स्थिति उँची हुई है भले ही जाति की स्थिति यथावत हो। इसी क्रम में उच्च जाति के व्यक्ति का वर्ग नीचाँ हो सकता है और निम्न जाति के व्यक्ति का वर्ग ऊँचा हो सकता है।

गाँवों में जिनके पास अधिक भूमि है उन्ही के पास अधिक सम्पत्ति है, वे ही लोग अधिक शिक्षित है और उन्ही के पास सत्ता भी है। इसके विपरीत कुछ

ऐसे लोग भी है जो भूमिहीन है, कृषक श्रमिक है। ये प्रभावशाली लोगों के अधीन कार्य करते हैं। परन्तु अब इसमें अपनी सामाजिक प्रस्थिति को सुधारने के लिए छटपटाहट देखी जा रही है। ये अपने को संगठित करके एक दबाव समूह के रूप में उभर रहे है और अपने सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का विकल्प खोज रहे हैं। इसके नाते सत्ता-संरचना के प्रतिमानों में भी परिवर्तन आ रहा है। जातियाँ अपनी संख्या के आधार पर गाँव की सत्ता हथियाने के लिए आतुर है। इसके फलस्वरूप गाँव में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष अधिक बढ़ गया है।

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षो का विश्लेषण निर्मित परिकल्पनाओं के परिवेश में अधिक उपयुक्त होगा। इन परिकल्पनाओं को अध्ययन विधि के अध्याय तीन के अन्त में बनाया गया था। हमारी पहली परिकल्पना ये थी कि ग्रामीण अंचलों में आज कल प्रदत्त तत्व कहाँ तक प्रस्थिति व्यवस्था के निर्धारण में महत्वपूर्ण है? और वे कौन से क्षेत्र है जहाँ इनकी भूमिका अधिक प्रभावशाली और व्यापक है? हमारे जो निष्कर्ष निकलें है उनसे ये पता चलता है कि प्रदत्त तत्व जैसे किसी जाति में जन्म लेना, वारिस के आधार सम्पत्ति प्राप्त करना, धन और जीवन शैली आदि ऐसे कारक है जो गाँवों में सामाजिक प्रारूप का निर्धारण करते हैं।

भारत में ग्रामीण समाज विशेषकर उत्तर प्रदेश के गाँव अधिक परम्परागत और सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण इन गाँवों में प्रदत्त नियमों के आधार पर होता है। प्रदत्त प्रक्रिया के अन्तर्गत परम्परागत मूल्य आज भी अनेक रूपों में गाँवों में पाये जाते हैं। इनका मिश्रण जाति के नियमों के साथ है। इसलिए ये परम्परागत विशेषतायें एक साथ मिलकर पहले से पाये जाने वाले सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था को बनाये हुए है, भले इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन यहाँ-वहाँ मिलता हो। गाँवों में जातियाँ आज भी संदर्भ-समूह के रूप में कार्य करतीं है। इनका महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि गाँवों के परिवारों के सामाजिक प्रस्थिति का मूल्यांकन जाति के आधार पर होता है।

जाति संस्तरण में जातियों को जन्म स्थान के आधार पर उच्च और निम्न स्थिति के रूप में प्रदत्त किया जाता है। अपनी जाति में विवाह जाति संस्तरण का मुख्य आधार है। यहा गाँव वासियों के विचार-धाराओं, अपेक्षाओं, समूह की सम्बद्धता आदि को भी प्रभावित करता है। उच्च जातियों के पास उच्च शिक्षा है, अच्छी उँची आर्थिक-स्थिति है। ये लोग अच्छे और श्रेष्ठ किस्म के व्यवसाय भी करते हैं। गाँवों में सत्ता-सम्मान इन्हीं उच्च जातियों को मिला हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति जिसकी प्रदत्त स्थिति उँची है, उसको अपनी सामाजिक प्रस्थिति उँचा उठाने के लिए अधिक सम्भावनायें है। वह इन्हीं प्रदत्त प्रस्थिति के आधार पर नई सामाजिक प्रस्थिति को अर्जित कर सकता है। अतः प्रदत्त सामाजिक प्रस्थिति प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित सामाजिक प्रस्थिति का साधन बन जाता है। गाँवों के सामाजिक स्तरीकरण में ये प्रक्रिया देखी जाती है। प्रदत्त तथ्यों की भूमिका सांस्कृतिक क्षेत्रों में अधिक शक्तिशाली है। जैसे विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, शुद्ध-अशुद्ध की भावना, मन्दिर दर्शन और अनेक त्योहार से सम्बन्धित उत्सव व्यवसाय और आर्थिक गतिशीलता पर इसका अधिक प्रभा नहीं है ये बहुत कुछ अर्जित गुणों पर निर्भर करता है।

सांस्कृतिक क्षेत्रों में आज भी उच्च जातियाँ गाँवों में निम्न जातियों से दूरी बनाये रहती है। जीवन-शैली का स्वरूप उच्च और निम्न जातियों में भिन्न है ये अन्तर अनेक जातियों में भी पाया जाता है, भले ही उनकी आर्थिक-स्थिति समान हो। गाँव में एक ही जाति के परिवारों में प्रस्थितिकीय विभिन्नताएं पायी जाती है क्योंकि परिवारों के सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण उनके व्यवसायिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अर्जित गुणों के आधार पर होता है। एक ही जाति के अनेक परिवारों के बीच अन्तर वर्ग के रूप में देखा जाता है। गाँवों में परिवारिक पृष्टिभूमि भूमिस्वामित्व का आकार प्रस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

हमारी दूसरी परिकलपना ये थीं कि गाँवों में सामाजिक श्रेणी निर्धारण करने वाले इकाईयाँ जैसे जाति वर्ग, परिवार किस रूप में सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में अपनीं भूमिका अदा करतीं है? जाति एक प्रकार का समुदाय है जो विवाह, खान–पान और अन्य धार्मिक प्रतिमानों और उत्सव के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। जाति की सदस्यता का अर्थ एक विशेष प्रकार का अनुष्ठानिक मूल्य, जींवन–शैलीं जो जाति स्तरीकरण से सम्बन्धित होता है।

गाँवों में धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान उच्च जाति में निम्न जातियों के अपेक्षाकृत अधिक होता है। साक्षरता का दर उच्च जातियों में निम्न जातियों की तुलना में अधिक होता है। जाति स्तरीकरण धर्म से बहुत कुछ सम्बधित है। ब्राह्मण जाति स्तरीकरण में सबसे उच्च स्थान पर होतें है। इसके बाद क्षत्रिय फिर मध्यम और फिर निम्न जातियाँ आतीं है। गाँवों में जातीय–संस्तरण के साथ–साथ अन्तराजातीय संस्तरण भीं देखन को मिल रहा है। यह हाल का तथ्य है जो संस्कृतिकरण कीं देन है। उदाहरण के लिए गाँवों में नाई, धोबी, चमार, कोहार, आदि जातियों में अन्तरा–संस्तरण संस्कृतिकरण के नातें देखा जा रहा है। गाँवों में जाति स्तरीकरण के मुख्य तत्व सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है जो व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति और सम्मान से सम्बन्धित होतें हैं।

किसीं समाज में समान, आर्थिक, व्यवसायिक, राजनीतिक आधार पर वर्गो का निर्माण होता है। सींरदार, व्यापारीं, कृषक और कृषक श्रमिक ये अध्ययन किये गये छः गाँवों में वर्ग के आधार है। गाँवों के वर्गो में भीं संस्तरण मिलता है। सींरदार सबसे ऊपर कृषक श्रमिक सबसे निम्न स्थान पर आते है। अध्ययन किये गयें छः गाँवों में जो चार वर्ग मिलतें हैं वे चार संस्तरण को दर्शाते हैं। ये संस्तरण व्यवसायिक और आर्थिक आधार पर बनतें है। इन वर्गो की सामाजिक प्रस्थिति भीं क्रमबद्ध तरीके से उच्च और निम्न श्रेणियों में विभक्त है।

गाँवों में सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में अनेक इकाइयाँ, परिवार, व्यक्ति जाति और वर्ग है, संयुक्त परिवार जिसका आकार बड़ा है और सम्पत्ति पर इनका प्रभुत्व है शिक्षित है और परिवार के सदस्यों का राजनीतिक सम्बन्ध है ऐसे परिवारों की सामाजिक प्रस्थिति ऊँची मानी जाती है और सामाजिक स्तरीकरण में इनका उच्च स्थान होता है। जब किसी परिवार का व्यक्ति अधिक शिक्षित होता है। राजनीतिक सत्ता उच्च कोटि की होती है तो ऐसा व्यक्ति जिस परिवार से होता है उस परिवार की सामाजिक प्रस्थिति ऊँची मानी जाती है। इस प्रकार जाति–वर्ग परिवार, सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है और ये तीनों अलग–अलग कारक होते हुए भी एक–दूसरे से मिश्रित हैं। थोड़े में हम यह कह सकतें है कि जाति के आधार पर व्यक्ति को प्रदत्त सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त होती है और वर्ग के आधार पर मिलने वाली सामाजिक प्रस्थिति अर्जित कारकों पर आधारित होती है। परिवार में प्रदत्त और अर्जित दोनों प्रकार के कारक प्रस्थिति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करतें हैं। एक विशेष प्रस्थिति में गाँवों में सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में प्रदत्त और अर्जित दोनों प्रकार के कारक प्रभावशाली है और एक–दूसरे से अन्तः क्रिया करतें हैं। गाँव के स्तरीकरण में उच्च–श्रेणी जाति और उच्च–परिवार के आधार पर मिलता है। परन्तु साथ ही साथ उच्च जाति के कुछ ऐसे परिवार हैं जो प्रदत्त सामाजिक प्रस्थिति के साथ–साथ अर्जित उपलब्धता प्राप्त नहीं कर पायें। इसलिए उनकी सामाजिक प्रस्थिति उच्च जाति के अन्य परिवारों से भिन्न है। इस प्रकार प्रदत्त गुण ही सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण नहीं करतें। जिन परिवारों की प्रदत्त स्थिति ऊँची है अर्जित प्रस्थिति भी संतोषजनक है व ही परिवार उच्च सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त कर पातें है। अर्जित प्रस्थिति प्राप्त करने वाले परिवारों का वर्ग ऊँचा है। इस प्रकार जाति और वर्ग गाँवों में प्रदत्त और अर्जित गुणों के आधार पर एक साथ मिश्रित रूप में परिवारों में मिलतें है और इसी क्रम में भूमिकायें भी बदल रहीं है।

हमारी तीसरी परिकल्पना जिसका परिक्षण किया गया है, वो ये थी कि गाँवों में जाति–वर्ग और सत्ता सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य आधार है। ये ही तीनों मिलकर ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति के प्रस्थिति का निर्धारण करतें है। हमने इस कथन का मूल्यांकन जाति–वर्ग और सत्ता के मिश्रिण से प्राप्त सामाजिक प्रस्थिति के आधार पर किया है। सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारक तत्व जाति, भू–स्वामित्व और मकान का स्वरूप आदि है। इन कारकों के विश्लेषण से ये निष्कर्ष मिलता है कि जाति और वर्ग के श्रेणीगत स्थिति में सकारात्मक सम्बन्ध है और इसमें सत्ता का भी मिश्रण है। इस प्रकार जाति–वर्ग और सत्ता तीनों मिलकर गाँव में व्यक्ति के उच्च और निम्न प्रस्थिति का निर्माण करतें हैं।

शक्ति, समूह, परिवार और व्यक्ति के आपसी सम्बन्धों में निहित होती है। समूह, परिवार और व्यक्ति अपने अधीन लोगों पर शक्ति के आधार पर नियंत्रण करतें है। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष यह दर्शातें हैं कि उच्च जाति, उच्च वर्ग के लोगों में अधिक राजनीतिक उन्मुखता होती है और ये गाँव के शक्तिशाली शक्ति–संरचना के आधार होतें है। ये शक्तिशाली लोग सरदार और बड़े किसान है। ऐसे शक्तिशाली वर्ग और परिवार अल्पमत में होतें है परन्तु गाँव पर पूरा प्रभाव होता है। इनको 'अल्पसंख्यक शासक' (Ruling minority) कहते है। इसी को 'लीच' महोदय के शब्दों में गाँवों का 'कुलीनतंत्र (Vilagearistocracy) कहतें है।[1] गाँवों के प्रस्थिति निर्धारण के अनेक कारक हैं जो एक–दूसरे से सम्बन्धित है फिर भी इनमें कुछ अन्तर भी है जैसे जाति और वर्ग के बीच अन्तर।[2] जबसे जमींदारी उन्मूलन हुआ है और भू–सुधार कानून आदि लागू हुए है तब से इस प्रकार की विभिन्नतायें जाति, वर्ग, जाति सत्ता, वर्ग और सत्ता के बीच देखा जा

---

1. Leach, E.R. (Ed) What should we mean by Caste in Aspects of Caste in South India, PP. 1-10.
2. Beteille Andra, Caste Class and Power P-4 Bombay Oxford University Press (1966).

रहा हैं। जो पहले के जमींदार थे अब सीरदार हो गये है और जिनके पास अधिक भूमि है वे गाँवों में आज भी शक्तिशाली है। परन्तु जिनके पास भूमि नहीं है, और अर्जित प्रस्थिति नहीं प्राप्त कर सके वे सामाजिक प्रस्थिति के संस्तरण में नीचे चले गये है। इस प्रकार की स्थिति अनेक उच्च जातियों जैसे–राजपूत ब्राह्मण के परिवारों में देखा जा रहा है। गाँवों में धन ही के आधार पर सामाजिक प्रस्थिति उँची नहीं होती है। जैसे बनिया जाति के लोग अधिक धनी होते है। इसलिए केवल एक कारक सामाजिक प्रस्थिति को उँचा नहीं उठाता है बल्कि उच्च जाति, उच्च सत्ता, उच्च वर्ग आदि का मिश्रण किसी परिवार में पाया जाता है तो उस परिवार के व्यक्ति की प्रस्थिति उँची मानी जाती है।

हमारी चौथी परिकल्पना ये थी कि गाँवों में सामाजिक स्तरीकरण के वैचारिकी आधार कौन–कौन से है और किन आधारों पर समूह परिवार और व्यक्ति के सामाजिक प्रस्थिति का मूल्यांकन किया जाता है? इस प्रकार की परिकल्पना का उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से यह देखा जाय कि ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का खुला और बन्द प्रकृति कहां तक अर्जित और प्रदत्त प्रस्थितियों से सम्बन्धित है? 'आन्द्रे बेताई' लिखते हैं कि एक बन्द सामाजिक स्तरीकरण वह है, जिसके अनेक तत्व जैसे जाति, वर्ग, सत्ता एक में मिश्रित हो। इनके अनुसार एक अपेक्षाकृत बन्द व्यवस्था अब धीरे–धीरे रूपान्तरित होकर खुले व्यवस्था का रूप ले रही है। गाँवों में अब संस्थागत संरचनाओं का विभेदीकरण हो रहा है। इस क्रम में परम्परागत ग्राम पंचायत, जाति पंचायत और भूमि–सुधार आदि में परिवर्तन हुआ है।

गाँवों में व्यवसायिक संरचना भी परिवर्तन की प्रक्रिया में है, धर्म निरपेक्ष व्यवसाय, शिक्षा के नये प्रतिमान, प्रवास की बढ़ती दर आदि ऐसे कारक है जो गाँव की व्यवसायिक संरचना को प्रभावित कर रहे है। ये कारक गाँव की

संस्थागत संरचनाओं में विभेदीकरण ला रहे है और इनके परम्परागत स्वरूप को बदल रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन आज भी व्यवहारिक रूप में सत्ता का विकेन्द्रीकरण अधिक नहीं कर पाये हैं। गाँवों में हरित–क्रान्ति के बाद पूँजीवादी–व्यवस्था का आगमन हुआ है इसके नाते असमानता और बढ़ गई है। गाँव में आधुनिकीकरण और धर्म निरपेक्षता आज भी कुछ सीमित क्षेत्रों में देखी जाती है। जो भी परिवर्तन हुए है वो परम्परागत, उच्च जाति वर्गो से सम्बन्धित है। आज उच्च जाति के लोग शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न है। यहाँ तक कि ये गाँवों में औपचारिक कानूनी संरचना में भी प्रभावशाली भूमिका अदा करते रहे हैं। आज भी ये उच्च अर्जित गुणों को प्राप्त करने के लिए लालायित है।

गाँवों में सामाजिक प्रस्थिति और सत्ता से सम्बन्धित धर्म निरपेक्ष तत्वों पर भी उच्च जातियों का वर्चस्व है। यही कारण है कि निम्न जाति और वर्ग के लोग इन सुविधाओं से वंचित है गाँवों की सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में उच्च जाति और वर्ग के लोग इन सुविधाओं से वंचित है। गाँवों की सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में उच्च जाति और वर्ग के लोग प्रदत्त प्रस्थिति के आधार पर अपना प्रभाव बनाये हुए हैं और इन्ही प्रस्थितियों के आधार पर नई उपलब्धियों को प्राप्त कर रहे हैं। जातियों के बीच सामाजिक प्रस्थितियों का विभाजन आज Hkh ifrf"Br ifjokjkav kkş miy fC/k; kad sv k/kkj ij gksjgk gS[3] जहाँ तक जाति श्रेणी का सम्बन्ध है ग्रामीण स्तरीकरण में सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती है साथ ही साथ धार्मिक अनुष्ठान, जीवन–शैली, पहनावा के प्रतिमान आदि जातियों में पाये जाने वाले अन्तरों को दर्शाते है। जिन छः गाँवों को अध्ययन किया गया है उनमें अपने जाति में विवाह करने की प्रथा यथावत है। हमारे अध्ययन

3. Ishwaran K, Tradition and Economy in Village India (London, Routledge and K. Paul 1966) P.P. 17-18.

में यह भी निष्कर्ष निकला है कि प्रदत्त प्रस्थिति के आधरपर अर्जित गुण प्राप्त किये जाते हैं और इनसे प्रदत्त प्रस्थितियों को बल मिलता है। यदि उच्च जातियों का कोई परिवार उपलब्धियाँ अपने जाति के आधार पर प्राप्त कर लिया है तो वह अपने प्रदत्त प्रस्थितियों को कभी छोड़ना नहीं चाहेगा और जाति प्रतिमानों और नियमों को वरीयता देगा। उच्च जाति के ऐसे परिवार भले ही पश्चिम संस्कृति को अपना ले और जीवन के ढँगों में परिवर्तन लाये परन्तु अपने जाति के मुख्य मूल्यों से कभी विचलित नहीं होते।

पाँचवीं परिकल्पना ये थीं कि वे कौन–कौन से कारक है जो गाँवो के सामाजिक स्तरीकरण में परिवर्तन लाते है? इस सम्बन्ध में अनेक सुधार और कानूनों की भूमिका महत्वपूर्ण है जैसे–जमींदारी–उन्मूलन, नई पंचायती राय व्यवस्था के साधन और संचार के साधन आदि ने गाँवों में सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया है। प्रदत्त प्रस्थिति के आधार पर बने स्तरीकरण के स्वरूप को बदला है। गाँवों में नगरीकरण और नगरवाद के प्रभाव के फलस्वरूप सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था प्रभावित हुई है। जितना अधिक नगरीकरण का प्रभाव होगा उतना अधिक गाँवों में छुआ–छूत, शुद्ध–अशुद्ध की भावना कम होगी। नगरीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप ग्रामवासियों के भूमिकाओं में भी परिवर्तन आता है तथा जाति और सत्ता जो एक दूसरे में मिश्रित पाये जाते हैं वे स्वतन्त्र कारक के रूप में विकसित होते हैं। नगर–दूर गाँव में नगर–निकट गाँव की तुलना में अपेक्षाकृत परम्परागत सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था पायी जाती है। इसका मुख्य कारण कृषि पर निर्भरता है। कृषि में संलग्नता के नाते उनमें प्रवास, बाह्य जगत से सम्पर्क आदि नहीं हो पाता। यहाँ तक की नगर–दूर गाँव के लोग जो कृषि पर निर्भर करते उनमें व्यवसायिक गतिशीलता अधिक देखी जाती है। नगरीय क्षेत्र

गाँवों में प्रवास को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए नगर–निकट गाँव में व्यवसायिक गतिशीलता आधुनिक और धर्म–निरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तिवादी भावना, प्रगति के नये मापदण्ड नगरीय जीवन की विशेषता है। नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन में सम्बन्ध अधिक जटिल हैं फिर भी नगर और गाँवों के बीच एक निरन्तरता हमें मिलती है विशेषकर वे गाँव जो शहर के निकट हैं। एक बार नगर जब अस्तित्व में आ जाता है तो एक प्रकार की जीवन–शैली अपना जन्म पाती है जिसे हम नगरवाद कहते हैं। नगर का निकट के ग्रामीण अंचलों के साथ सम्बन्ध के नाते नगरवाद का प्रसारण नगर के बाहर गाँवों तक होता है। नगरीकरण वो सम्पूर्ण प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत किसी स्थान पर आनगरीय जनसंख्या धीरे–धीरे नगर में रूपान्तरित हो जाती है। नगरीकरण के इस प्रक्रिया का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी पड़ता है। इससे राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक और बौद्धिक जगत भी प्रभावित होता है। अतः नगरीकरण का भारत की सामाजिक संरचना पर जो प्रभाव पड़ता है वो एक जटिल तथ्य है। क्योंकि अधिकांश भारतीय लगभग 68 प्रतिशत लोग आज भी गाँवों में निवास करते हैं जहाँ नगरीकरण का प्रभाव बहुत कम देखा जाता है। नगरीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप जाति और व्यवसायिक समूहों में विभेदीकरण देखा जाता है इसलिए ये तथ्य उभर कर सामने आता है कि नगरीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप ग्रामीण स्तरीकरण के कुछ तथ्य परिवर्तित होते हैं और ग्रामीण समुदाय का वह क्षेत्र जो नगरों से अन्तःक्रिया करता है उसमें वर्गो का विकास तेजी से होता है।

हमारी छठवीं परिकल्पना ये थी कि गाँवों के सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन और नई संस्कृति कहाँ तक ग्रामीण स्तरीकरण को प्रभावित करेगा? गाँवों में आज भी अनेक वर्गो और जातियों के सामाजिक प्रस्थितियों में

असमानता कम नहीं हुई है भले ही भूमि–सुधार हुआ हो या नगरीकरण का प्रभाव पड़ा हो, इसका मुख्य कारण उच्च जाति और वर्गों का प्रस्थितियों के अनुसार अपने में बदलाव लाना है। ग्रामीण अंचलों में निम्न जातियाँ–उच्च जातियों के सामाजिक जीवन का अनुसरण करती हैं। परन्तु संस्कृतिकरण के इस प्रक्रिया के नाते गाँवों में असमानता समाप्त नहीं हुई है? निम्न जातियाँ पूर्ण रूप से उच्च जातियों का अनुसरण नहीं कर पाती साथ ही साथ उच्च जाति और वर्ग के लोग अपने परम्परागत जाति श्रेष्ठता को भूलते नहीं हैं बल्कि उसको अपनाये हुए हैं। साथ ही साथ ये उच्च जातियाँ कुछ धर्म निरपेक्ष और नये सांस्कृतिक तथ्यों को भी अपना रही हैं और इसलिए नई परिस्थितियों में अपने को ढाल रही हैं। इसलिए हम आज गाँवों में परम्परा और आधुनिकता का मिश्रण पाते हैं। आन्द्रे 'बेताई' महोदय ने पिछड़ी जातियों के सामाजिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि पिछड़े वर्गों की विशेषता भारतीय समाज के संरचना से सम्बन्धित है। जब इसमें परिवर्तन होता है तो पिछड़े वर्ग अपनी पहचान खो देते हैं और हमारे पास इसके भी साक्ष्य है कि भारतीय ग्रामीण समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। ग्रामीण भारत में नई संस्थायें जिसमें नियोजित विकास भी सम्मिलित है असमानताओं को कम नहीं कर पाये हैं भले ही समाजवाद, धर्म निरपेक्षवाद और प्रजातन्त्र के नारे बुलन्द किये जाते हैं।

हमारी सातवीं परिकल्पना ये थी कि ग्रामीण समाज के उभरते प्रतिमान कहाँ तक असमानता को समाप्त करेंगे या इसे और बढ़ायेंगे? छः गाँवों के सामाजिक स्तरीकरण का विश्लेषण जो इस अध्ययन में किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी समाज के प्रतिमान जो हमारे संविधान और राष्ट्रीय नीति के अंग है वे साकार नहीं हो सकते है। परन्तु ग्रामीण समाज में कुछ उभरते

प्रतिमान इस दिशा में सकारात्मक संदेश देते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी समाज का सपना भारत में कब साकार होगा? गाँवों में सामाजिक स्तरीकरण के तीन मुख्य तत्वः जाति, वर्ग और सत्ता में परिवर्तन देखा जा रहा है। यह इसलिए कि परम्परागत ग्रामीण समाज में सामाजिक परिस्थितियों का श्रेणीगत होना अब धर्म–निरपेक्ष तत्वों पर आधारित हो रहा है और साथ ही साथ संस्कृति और आधुनिकीकरण का प्रभाव गाँवों पर पड़ रहा है। गाँवों में सामाजिक असमानता शिक्षा और व्यवसायिक गतिशीलता के आधार पर समाप्त की जा सकती है।

इस अध्ययन के कुछ निष्कर्षो के प्रवेश में ये कहा जा सकता है कि गाँवों में निम्न और पिछड़ी जातियों के सामाजिक प्रस्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब नियोजित विकास का लाभ उन तक पहुँचे तभी गाँवों में असमानता भी समाप्त होगी। प्रो0 गुन्नार मिर्डल (Gunnar Myrdal))[4] का कहना है कि गाँवों में असमानता और इसकी बढ़ती मनोप्रवृत्ति विकास के मार्ग में अधिक बाधक है यदि तीब्र गति से विकास करना है तो असमानता को समाप्त करना होगा। पिछड़ी और निम्न जातियों का विकास एक कठिन कार्य है। इसके लिए बड़ी–बड़ी चुनौतियाँ है परन्तु अधिक अवसर भी उपलब्ध है। इन चुनौतियों का समाधान एक निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत खोजना होगा।

इस विषय पर भविष्य में शोध की सम्भावनाएँः–

ग्रामीण स्तरीकरण पर अनेक अध्ययन भारत में समय–समय पर किये गये। नियोजित विकास और अन्य बाह्य दबावों के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। ये होने वाले परिवर्तन भविष्य में ग्रामीण स्तरीकरण को

---

4. Gurmar Myrdal, The Challenges of World Poverty, Allen Printing Press (1970) P-50.

प्रभावित करेंगे जिससे जाति, वर्ग और सत्ता–संरचना में परिवर्तन आयेंगे। इन परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्रियों को यह अवसर मिलेगा कि वे स्तरीकरण के उभरते प्रतिमानों का अध्ययन नये परिवेश में करें। अतः हम लोगों के लिए अच्छा यह है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण के विषय–क्षेत्र को पूर्ण रूप में परिभाषित न करें बल्कि परिभाषित करते रहे। वर्तमान अध्ययन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र पर आधारित है। आवश्यकता इस बात की है कि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इसका अध्ययन किया जाय जिससे कि मध्य–क्षेत्रीय सामान्यीकरण किया जा सके।

साक्षात्कार–अनुसूची

साक्षात्कार - अनुसूची

व्यक्तिगत सूचनायें

1. नाम :
2. गाँव का नाम :
3. जाति/उप जाति:
4. मातृ भाषा :
5. धर्म – हिन्दू / मुस्लिम / इसाई / अन्य कोई
6. आयु (वर्षो में) : 35 साल / 36 से 50 वर्ष / 51 से अधिक
7. लिंग : महिला / पुरूष
8. वैवाहिक स्थिति : विवाहित / अविवाहित / विधवा / विधुर
9. शिक्षा :

अशिक्षित	प्राथमिक शिक्षा	जूनियर हाई स्कूल	हाई स्कूल	इण्टर	स्नातक या उससे उपर

10. आपकी मासिक आय क्या है?

(क) 500 रू0 तक।

(ख) 501 से 1000 रू0 तक।

(ग) 1001 से 4000 रू0 तक।

(घ) 4001 से 6000 रू0 तक।

(ङ) 6001 से 8000 रू0 तक।

(च) 8001 से 10000 रू0 तक।

(छ) 10000 से 20000 रू0 तक।

(ज) 20000 से ऊपर।

11. (क) आपके परिवार का स्वरूप क्या है? संयुक्त / एंकाकी

    (ख) सदस्यों की संख्या ....

12. आपके आवास का स्वरूप बतायें : पक्का / खपरैल / छप्पर

13. आप अपने भू–स्वामित्व का विवरण दें –

    (क) भूमिहीन है।

    (ख) 0 से 1 एकड़।

    (ग) 1 एकड़ से 3 एकड़।

    (घ) 3 से 5 एकड़।

    (ङ) 5 से 7 एकड़।

    (च) 7 से 10 एकड़।

    (छ) 15 एकड़ से उपर।

14. भू–स्वामित्व का स्वरूप : सीरदार / भूमिधर / बटाईदार / पटटे पर खेती/ अन्य

15. आपके व्यवसाय का स्वरूप क्या है?

परम्परागत व्यवसाय	वर्तमान व्यवसाय
1. पुरोहिती	1. किसान
2. भू–स्वामित्व	2. कृषक मजदूर/कृषक
3. रोजगार	3. बटाईदार कृषक
4. कृषि	4. पट्‌टे और किराये पर खेती
5. नाई (बाल काटना)	5. रोजगार
6. धोबी (कपड़ा धुलना)	6. नौकरी
7. कोहार (बर्तन बनाना)	7. जजमनी सेवायें
8. बढ़ई	8. अन्य कोई
9. चरवाहे	
10. सेवा का काम	
11. घरेलू नौकर	
12. लोहार	
13. भंगी का कार्य	
14. अन्य	

16. आप अपने भौतिक उपलब्धियों का वर्णन दे–

1. ट्रैक्टर
2. जीप
3. ट्यूबल
4. थ्रेसर
5. साइकिल
6. मोटर साइकिल
7. रेडियो
8. टेलीविजन
9. अन्य यदि कोई हो

प्रक्षेपीय विधि

17. आजकल भारतीय समाज में ब्राह्मण ....

कथन	अर्द्ध नगरीय गाँव		नगर दूर गाँव	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1. इनका पतन हुआ है				
2. आज भी उनको पहले की भांति सम्मान मिलता है				
3. आज इनकी सामाजिक स्थिति निम्न है				
4. आजकल इनका धार्मिक दृष्टि से महत्व समाप्त हो गया है				
5. आजकल ये गाँवो में अधिक प्रभावशाली है				
6. अब ये शक्तिशाली और प्रभावशाली नहीं है				
7. शिक्षा का स्तर इनके उचे हैं				
8. ये आज भी आदर एवं सम्मान के याग्य है				
9. धार्मिक अनुष्ठानों में इनकी आवश्यकता आज भी है। इसलिए आज भी महत्वपूर्ण है				
10. ये लोग आज अन्य जातियों का शोषण करते हैं आज भी है				

18. गाँवों में निम्न जातियाँ ....

कथन	अर्द्ध-नगरीय गाँव		नगर-दूर गाँव	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1. अधिक प्रभावशाली हुई है				
2. इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है				
3. राजनीतिक सत्ता में भी इनकी भागीदारी बढ़ रही है				
4. शिक्षा का स्तर बढ़ा है.				
5. आज भी उच्च जातियों द्वारा इनका शोषण होता है				
6. अब गांवों में इनको आदर एवं सम्मान मिलता है				
7. इनकी स्थिति आज भी यथावत है.				
8. अधिक निर्धन होने के नाते इनका शोषण होता है				
9. उच्च जातियों की तुलना में गतिशीलता अधिक आयी है				
10. जाति संस्तरण में स्थान निचाँ ही रहेगा भले ही इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो				
N = 600				

19. भारत में जाति–व्यवस्था का ....

कथन	अर्द्ध-नगरीय गाँव		नगर-दूर गाँव	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1. पुनः गठन होना चाहिए। इनको यथावत रहने दिया जाए				
2. इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है				

20. क्या आप मानते हैं, आज भी कुछ जातियाँ अन्य जातियों की तुलना में श्रेष्ठ है? हाँ/नहीं।

21. क्या आप मानते हैं अपने जाति के लोगों की सदैव सहायता करनी चाहिए?

(क) सदैव करनी चाहिए

(ख) सदैव नहीं करनी चाहिए

22. क्या आपके गाँव में जजमानी व्यवस्था यथावत है, या इसमें परिवर्तन हुआ है

(क) यथावत है

(ख) अधिक बदल गयी है

(ग) लगभग समाप्त हो गयी है।

23. जजमानी व्यवस्था में आप किस प्रकार के परिवर्तन लाना चाहते है?

(क) इसे यथावत रहने दिया जाए

(ख) इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है

(ग) इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए

24. क्या जजमानी–व्यवस्था समकालीन ग्रामीण समाज के लिए उपयुक्त है?

(क) यह प्राचीन काल में उपयुक्त थी

(ख) आज भी उपयुक्त है

(ग) एकदम उपयुक्त है।

तालिका 4:1

चुने हुए छः गाँवों के जातियों का उच्च और निम्न दृष्टिकोण से संस्तरण और परम्परागत व्यवसाय और संख्या शक्ति।

जाति	परम्परागता व्यवसाय	कुटुम्ब संख्या
उच्च जातियाँ		
1. ब्राह्मण	उपरोहीती, शिक्षा, खेती आदि।	64
2. राजपूत	भू–स्वामित्व, जमींदारी, गांवों पर शासन, खेती आदि।	44
3. बनिया	तिजारत और वाणिज्य, खेती आदि।	22
योग (3)		130
मध्यम जातियाँ		
4. कुर्मी	कृषि	85
5. यादव	जानवर पालन, दुग्ध व्यवसाय, कृषि	34
6. कायस्थ	नौकरी, खेती	31
7. बढ़ई	लकड़ी का काम करना	7
8. माली	फूल, पौधे लगाना	5
9. बरई		12
योग		174
निम्न जातियाँ		
10. कहार	डोली ले जाना, सामान ढोला, पानी भरना, चौका बर्तन करना।	14
11. धोबी	कपड़ा धुलना	12
12. लोनिया	खेती, श्रमिक	21
13. तेली	तेल बेचना	9
14. खटीक	सब्जी बोना, बेचना	34
15. नाई	बाल बनाना	13
योग 6		103
16. पासी	कृषि श्रमिक।	25
17. चमार	जानवरों का चमड़ा निकालना।	101
18. धरिकार	बांस का काम, टोकरी आदि बनाना।	4
19. भंगी	सफाई का कार्य	3
योग		133
20. मुस्लिम	खेती, चूड़ी बेचना, कसाई का काम, व्यवसाय	60
सम्पूर्ण योग–20		600

बोगार्डस का सामाजिक–दूरी का पैमानाः

जातियाँ		विवाह का सम्बन्ध	खान–पान का सम्बन्ध	पड़ोस का सम्बन्ध	मित्रता का सम्बन्ध	किनको अपने घर में नौकर रखेंगे
1.	ब्राह्मण					
2.	क्षत्रीय					
3.	बनिया					
4.	मुस्लिम					
5.	कुर्मी					
6.	यादव					
7.	तेली					
8.	बढ़ई					
9.	पासी					
10.	चमार					
11.	कहार					
12.	माली					
13.	धोबी					
14.	भंगी					

25. (अ) चुनाव में अपने जाति के व्यक्ति को वोट देना चाहिए – हाँ/नहीं।

(ब) योग्यता के आधार पर वोट देते है – हाँ/नहीं।

26. निम्न में से आप किस वर्ण से आते है –

(क) उच्च जाति

(ख) मध्यम जाति

(ग) निम्न जाति

27. क्या पिछले कुछ वर्षो में आपके परिवार की सामाजिक स्थिति उँची उठी है? यदि हाँ तो किस दृष्टिकोण से ?

28. निम्न व्यवसायों में से आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं?

(क) खेती

(ख) कृषक मजदूर

(ग) हस्त निर्मित कार्य

(घ) रोजगार

(ङ) फैक्ट्री में कार्य करते हैं

(च) नौकरी

(छ) अन्य यदि कोई हो

29. समाज में उन लोगों को अधिक सम्मान मिलता है जो

कथन		नगर-निकट		नगर –दूर	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	शिक्षित				
2.	धन और सम्पत्ति				
3.	चरित्र और समाज सेवा				
4.	उच्च जाति में जन्म				
5.	बुद्धु व्यक्ति				
6.	दूसरों की सहायता				
7.	करता है				
8.	कुछ नहीं जानता				

30. नीचे लिखे व्यवसायों का महत्व को वरीयता के आधार पर अंकित करें–

(क) कृषक

(ख) इन्जीनियर

(ग) डाक्टर

(घ) उद्योगपति

(ङ) अध्यापक

(च) शाहूकार

(छ) क्लर्क

(ज) कारीगर

(झ) कृषक श्रमिक

(ञ) दुकानदार

(ट) पुरोहित

(ठ) कोई अन्य .... ।

31. यदि हमको दूसरों का व्यवसाय चुनना हो तो मै ....

(क) किसान बनूंगा

(ख) कृषक श्रमिक बनूंगा

(ग) पशुपालन

(घ) कारीगर

(ङ) हैण्डलूम की बुनाई

(च) व्यवसाय

(छ) छोटे उद्योग

(ज) फैक्ट्री श्रमिक

(झ) सामाजिक सेवा

(ञ) फौज की नौकरी

(ट) क्लर्क

(ठ) अध्यापक

(ण) कुछ नहीं कह सकता।

32. आप अपने लड़के को किस उद्देश्य से पढ़ा रहे है –

(क) अच्छीं नौकरी

(ख) उच्च शिक्षा

(ग) समाजिक सम्मान और आदर

(घ) अच्छा नागरिक बनाना

(ङ) अच्छे परिवार में शादी

(च) नहीं जानता।

33. आप अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गाँव में हीं कार्य करते है या गाँव से बाहर।

(क) गाँव मे हीं।

(ख) गाँव से बाहर कार्य।

34. आप अपने पूर्वजों के व्यवसाय की तुलना अपने वर्तमान व्यवसाय से करते हैं तो कैसा लगता है –

(क) अच्छा

(ख) वैसे हीं

(ग) निम्न

(घ) अच्छा नहीं लगता।

35. क्या आप अपने वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट है –

(क) संतुष्ट है

(ख) संतुष्ट नहीं है

(ग) कुछ नहीं कर सकता।

36. आपके दृष्टिकोण से गाँवों के आजकल निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक परिस्थिति और सम्मान प्रदान करती है?

(क) शिक्षा

(ख) चरित्र

(ग) आय

(घ) जाति

(ङ) कुटुम्ब

(च) अच्छा पर

(छ) अच्छा खाना

(ज) अच्छे कपड़े

(झ) कार/चरित्र/मोटर साइकिल/सायकील

(ञ) मनोरंजन

(ट) अच्छा पड़ोस।

37. आपके विचार में गाँवों में समाजिक परिस्थिति को उँचा उठाने के लिए निम्न में से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है?

(क) शिक्षा

(ख) इमानदारी

(ग) धन और सम्पत्ति

(घ) जाति

(ङ) माफिया और अपराधी होना

(च) चालक होना

(छ) बहादुर होना

(ज) व्यवहार कुशल होना

(झ) सहनशीलता

(ञ) नहीं जानता।

38. कल्पना कीजिए एक व्यक्ति आपके गाँव में आता है, आपसे मिलता है, और इस प्रश्न के उत्तर में आप अपनी पहचान कैसे देंगे?

(केवल तीन विकल्प दे)

1.

2.

3.

39. निम्न प्रस्थिति समूहों के बारे में अपने विचार उच्च–मध्यम और निम्न श्रेणी के रूप में दीजिए –

	प्रक्रिया	नगर–दूर			नगर–निकट		
		H	M	L	H	M	L
A	आर्थिक स्थितिः–						
I	भू–स्वामित्व और खेती						
II	धनी व्यक्ति						
III	कम सम्पत्ति वाला व्यक्ति						
IV	किराये पर भूमि लेकर खेती करने वाल किसान						
V	पाँ हजार से उपर आय वाला व्यक्ति						
B	जातिः–						
	ब्राह्मण						
	राजपूत						
	बनिया						
	कुर्मी						
	नाई						
	माली						
	कोहार						
	यादव						
	कायस्थ						
	लोहार						
	चमार						
	खटिक						
	भंगी						
	पासी						
	मुस्लिम						
C	व्यवसायः–						
	रोजगार						
	नौकरी						
	सरकारी अधिकारी						
	शिक्षक						
	श्रमिक						
	भिखारी						
	राजनीतिक नेता						
	धार्मिक पेशा						

D. **शिक्षा:–**

शिक्षित

अशिक्षित।

E. **अतिरिक्त:–**

सभ्य व्यक्ति

बुरे चरित्र वाला व्यक्ति

बेरोजगार व्यक्ति।

40. आपके गाँव के कितने लोग वर्तमान या भूत काल में निम्नलिखित पदो पर कार्यरत थे।

(इनके नाम और जाति लिखिए)

पद		नाम	जाति	शिक्षा
1	ग्राम प्रधान			
2	उप ग्राम प्रधान			
3	सरपंच			
4	पंच			
5	जाति पंचायत का अध्यक्ष			
6	चुनाव लड़ा पर हार गया			
7	पद के बगैर प्रभाव			
8	बी0डीसी0 सदस्य			

41. अपने गाँव के अपने जाति के पाँच प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम बताइये –

नाम		लोकप्रियता का अंश		
		उच्च	मध्यम	निम्न
1				
2				
3				
4				
5				

42. आप अपने गाँव में प्रभावशाली व्यक्तियों के लोकप्रियता का कारण नीचे दिये गये आधारों को वरीयता क्रम में बताये –

(अ) व्यक्तिगत गुण

(ब) सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति

(स) राजनीतिक प्रस्थिति

43. राजनीति में सहभागिता के लिए निम्न में से कौन से कारक आपको प्रेश्रित करते हैं –

(अ) व्यक्तिगत स्वार्थ

(ब) लोकप्रियता

(स) ग्राम सेवा

(द) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता

(य) अन्य कोई हो

(र) नहीं जानता।

44. आप गाँव का प्रभावशाली व्यक्ति होने के लिए निम्न में से किन गुणों को आवश्यक मानते हैं?

वरियता क्रम में तीन विकल्प दें –

गुण एवं योग्यता		प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	चरित्र वाला व्यक्ति			
2	शिक्षित व्यक्ति			
3	विकास उन्मख व्यक्ति			
4	लोगों को अपने साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति			
5	गुण्डा तथा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति			
6	नहीं जानता			

45. विधायक और सांसद के चुनाव मे वोट करते समय आप निम्न में से किन विशेषताओं को ध्यान में रखकर वोट देते हैं –

(क) व्यक्तिगत योग्यता

(ख) अपने जाति का हो

(ग) अपना सम्बन्धि हो

(घ) सत्ता पक्ष के उम्मीद्वार को

(ङ) अपने राजनीतिक दल के व्यक्ति को

(च) एक उच्च समाजिक प्रस्थिति रखने वाले व्यक्ति को।

46. क्या आपके गाँव में चुनाव के सयम सम्बन्धित उम्मीदवार को वोट देने के लिए प्रभाव डालते हैं – हाँ / नहीं

यदि हाँ तो निम्न में से किस प्रकार का प्रभाव वोट देने के लिए प्रयोग किया जाता है –

दबाव के प्रकार		बहुत अधिक	कुछ हद तक	बिल्कुल नहीं
1	सामाजिक दबाव			
2	जाति के व्यक्तियों का दबाव			
3	आर्थिक दबाव और प्रलोभन			
4	राजनीतिक दबाव और प्रलोभन			

47. आप निम्न में से किस दल को अधिक महतव देते है –

राजनीतिक रूचि की मात्रा	राजनीतिक दल से सम्बद्धता					
	कांग्रेस	सपा	भाजपा	बसपा	लोकदल	अन्य
उच्च						
मध्यम						
निम्न						
नहीं जानता						
योग						

48. क्या आप सोचते हैं कि गाँव में एक व्यकित को प्रभावशाली होने के लिए राजनीतिक दल से सम्बन्धित होना चाहिए – हाँ/नहीं

BIBLOGRAPHY

BIBLOGRAPHY

Aggrawal P.C. : Caste, Religion and Power, Sri Ram centre for Industrial Relations, New Delhi; (1971)

A.R. Desai : Social, Background of Indian Nationalism, Bombay Popular Book Dept. (1948).

Ahmad Imtiaz (1971) : Caste Mobility Movements in North India. The Indian Economic and Social History Review, Vol. 8, No. 2.

Bailey, F.G. : Caste and Economic Frontier Manchester University Press (1957).

Beteille, Andre : Caste, Class and Power, Oxford University Press, Bombay; (1966).

Bhatt Anil : Caste, Class and Politics, Manohar Book Services, Delhi; (1975)

Bose N.K. : Culture and Society in India, Asia Publishing House, Bombay: (1967)

Chauhan S.K. : Social Stratification in Aasam, Classical Publishing company, New Delhi; (1980)

David Kingsley : "Some Princeples of Stratification", American Sociological Review, Vol. 10, No. 2 (1945)

Das Arvind N. : Agrarian unrest and Socio-Economic change in Bihar, Monohar Publication, Delhi (1980)

Ghurye G.S. : Caste and Class in India, Bombay Popular Book Dept. (1950)

Kothari Rajni	:	Politics in India, Orient Longman, New Delhi; (1970).
Kothari Rajni	:	Caste in Indian Politics, Orient Longman (Ltd.) Delhi; (1970).
Mukhrjree Ram Krishna	:	The Dynamics of Rural Society, Akademic Verlag, Berlin; (1957).
Majumdar D.N.	:	Caste and Communication in an Indian Village, Asia Publishing House, Delhi; (1958)
Mathur K.S.	:	Caste and Ritual in Malwa Village, Asia Publishing House, Bombay; (1964)
Sharma K.L.	:	The Changing Rural Stratification System, Orient Longman (Ltd.), New Delhi; (1974)
Sharma K.L.	:	Caste, Class and Social Movements Jaipur, Rawal Publication.
Sinha Surajit	:	Tribe-Caste and Tribe-Peasant-Continua in Central India, Man in India, Vol. 45, No. 1 (1965)
Srinivas M.N.	:	Caste in Modern India and Other Essays, Asia Publishing House, Bombay; (1962).
Srinivas M.N.	:	Social Change in Modern India. California University Press, Berkeley; (1966).
Yogendra Singh	:	Social Stratification and Change in India, Manohar, New Delhi; (1977).
Yogendra Singh	:	Culture Change in India, Rawat Publication, Jaipur; (2003.